दृष्टि
The Vision

करेंट अपडेट्स

(संग्रह)

नवम्बर, 2018

दृष्टि, 641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोन: 8750187501
ई-मेल: online@groupdrishti.com

अनुक्रम

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम 11

- फ्लेक्सी फेअर योजना का पुनर्गठन 11
- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 11
- आसिया बीबी ईशनिंदा मामला 13
- राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस 14
- प्रथम विश्वयुद्ध और इंडियन वॉर मेमोरियल 15
- लीप और अर्पित 16
- युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना 17
- केंद्र ने राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण नियमों को अधिसूचित किया 18
- सर्वोच्च न्यायालय एवं शिक्षा का अधिकार 19
- मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना 20
- CBI और राज्य 21
- समग्र योजना एक्रॉस (ACROSS) का कार्यान्वयन 22
- ब्रेल लिपि में संविधान 23
- प्रवासी बच्चों की शिक्षा 24
- महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा मराठों के लिये 16% कोटा को मंज़ूरी 25

आर्थिक घटनाक्रम 26

- विश्व बैंक की 'डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट' 2019 26
- MSMEs सेक्टर के लिये सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम 28

नोट :

- आर्थिक शिथिलता और क्षतिपूर्ति 29
- पेंशन तथा बीमा पॉलिसी में बदलाव हेतु सिफारिशें 30
- ऑपरेशन ग्रीन्स के लिये मार्ग-निर्देश 30
- कौशल विकास योजनाओं से अनभिज्ञ युवा 32
- सीपीएसई ईटीएफ में 4 नई कंपनियाँ शामिल 32
- सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से छह हवाई अड्डों को मंज़ूरी 33
- रेटिंग एजेंसियों पर सेबी की सख्ती 34
- कृषि व्यापार में सुगमता की जाँच के लिये नया सूचकांक 35
- सुस्त पड़ती फसल बीमा योजना 36
- अबू धाबी और भारत के बीच समझौता 37
- भारत और ADB के बीच समझौता 37
- भारत का ज़ोर चीन के साथ कृषि रणनीति बढ़ाने पर 38
- वित्त मंत्रालय एवं आरबीआई के मध्य विवाद 39
- केरल में खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैटी एसिड्स पर नियंत्रण की पहल 40
- विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नीति अध्ययन रिपोर्ट 41
- कारोबार में सुगमता (Ease of Doing Business) ग्रैंड चैलेंज 41
- झारखंड विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना 42
- सेबी (SEBI) ने प्रमोटर्स हेतु जारी किये नए नियम 43
- चावल के निर्यात हेतु प्रोत्साहन सब्सिडी 5 फीसदी 44
- आरबीआई द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिये हेजिंग मानदंडों को राहत 44
- खाद्यान्न से एथेनॉल निष्कर्षण की अनुमति 45

अंतर्राष्ट्रीय संबंध **47**

- UNWTO के 109वें सत्र में भारत की भूमिका 47
- 50 भारतीय वस्तुएँ अमेरिकी ड्यूटी फ्री लिस्ट से बाहर 48
- नीति आयोग-विकास अनुसंधान केंद्र वार्ता 48

नोट :

- कच्चे तेल आयात हेतु नए नियम (India-Iran) 49
- विश्व का पहला ब्लू बॉण्ड 50
- भारत पुन: ITU परिषद का सदस्य चुना गया 51
- उपराष्ट्रपति की तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा 51
- दिव्यांग युवाओं के लिये सूचना तकनीकी चुनौती 53
- भारत-सिंगापुर रक्षा संबंध 54
- भारत और मोरक्को के बीच समझौता 54
- ईरान द्वारा न्यूक्लियर डील, 2015 का अनुपालन बरकरार : आईएईए 55
- भारत-यूके कैंसर शोध पहल 56
- 'क्वाड' देशों का तीसरा सम्मेलन 57
- 13वाँ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन 58
- ब्रेक्जिट डील मसौदा 59
- कोलंबो प्रोसेस : काठमांडू डिक्लेरेशन 60
- संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दी यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रस्ताव को पहली बार मंज़ूरी 61
- भारत-यूरोपीय संघ (India-EU) संबंधों के लिये नया रणनीति पत्र 62
- वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2018 63
- सातवाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 63
- भारत-पाक करतारपुर साहिब गलियारा बनाने पर सहमत 64
- भारत और ताज़िकिस्तान 65
- भारत और मॉरीशस के बीच समझौता 65
- ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया 'विज़न इंडिया 2035' 66
- ब्रेक्ज़िट पर यूरोपीय संघ ने लगाई मुहर 67
- घर : महिलाओं के लिये सबसे असुरक्षित स्थान 69
- भारत और चीन के बीच DTAA में संशोधन के लिये समझौता 70
- भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक वार्ता 71

नोट :

- यूक्रेन में मार्शल लॉ की घोषणा 72
- सतत् नीली अर्थव्यवस्था सम्मेलन 72

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी **74**

- सेना की मारक क्षमता में इजाफा 74
- ओउमुआमुआ एलियन अंतरिक्ष यान या क्षुद्रग्रह ? 74
- भारतीय पवन टरबाइन प्रमाणीकरण योजना 75
- 2030 तक न्यूमोनिया के कारण 17 लाख भारतीय बच्चों की मृत्यु संभावित : ग्लोबल स्टडी 76
- किलोग्राम की नई परिभाषा 77
- चिन्नार वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी में दुर्लभ पक्षी प्रजाति 78
- ग्रोथ-इंडिया टेलीस्कोप 78
- प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण' 79
- मारिजुआना निर्मित दवाओं का अध्ययन 80
- सिटी गैस वितरण परियोजना 81
- चीन में तैयार किये गए दुनिया के पहले आनुवंशिक रूप से संपादित बच्चे 82
- मंगल पर पहुँचा इनसाइट 83
- इसरो ने किया HySIS का प्रक्षेपण 84

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी **85**

- वैश्विक मृदा जैव विविधता एटलस 85
- 8 सालों में 461 हाथियों की मृत्यु 86
- स्वच्छ हवा अभियान 87
- पोलैंड जलवायु वार्ता 87
- चीन ने हटाया वन्यजीवों के व्यापार से प्रतिबंध 88
- लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट, 2018 89
- नेट ज़ीरो एनर्जी' इमारतों हेतु ग्रीन रेटिंग प्रणाली 91

नोट :

- भारत स्थित न्यूट्रीनो वेधशाला को NGT का समर्थन 91
- होप आइलैंड 93
- ओज़ोन परत में सुधार 94
- ड्रिंकिंग वाटर एटीएम 94
- सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश 95
- नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क 96
- 'वैश्विक शीतलन नवाचार' शिखर सम्मेलन 97
- ऊर्जा सक्षमता और भारत (INSPIRE, 2018) 98
- बन्नेरघट्टा पार्क के इको-सेंसिटिव ज़ोन में कमी 99
- संरक्षण हेतु पक्षियों का चुनाव 100
- एसी यूनिट्स में वृद्धि से जलवायु को खतरा 101
- हड़प्पा सभ्यता और जलवायु परिवर्तन 102
- क्लाइमेट फाइनेंस के लिये BASIC का दबाव 103
- कार्बन पदचिह्न में कमी करने हेतु आभासी जलवायु शिखर सम्मेलन 105
- एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 106
- भारत के अलावा अन्य पुरस्कार विजेता 107
- UN 'ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन' रिपोर्ट 108
- दुधवा टाइगर रिज़र्व की गश्त हेतु एसएसबी 109
- भारतीय जीव प्रजातियों का दसवाँ हिस्सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 110
- तितली 'अति दुर्लभ' साइक्लोन 112
- उत्सर्जन गैप रिपोर्ट, 2018 113

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन **115**

सामाजिक मुद्दे **117**

- भ्रष्टाचार नहीं है भारत में व्यवसाय करने हेतु प्रमुख बाधा 117

नोट :

- ग्लोबल एजुकेशन मॉनीटरिंग रिपोर्ट 118
- अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल और छात्रों की बौद्धिक प्रगति 120
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट- 2018 121

कला एवं संस्कृति **123**

- ढोकरा शिल्प कला 123
- ओडिशा सरकार बनाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 123

एथिक्स **125**

- स्वत: संचालित कार और नैतिकता 125

चर्चा में **127**

- धर्म गार्जियन-2018 127
- ट्राईडेंट जंक्चर- 2018 127
- नासा का केप्लर टेलीस्कोप 127
- सेहल वर्क ज़ेवड़े 127
- पंकज आडवाणी 128
- CSIR द्वारा विकसित कम प्रदूषण वाले पटाखे 128
- आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर समझौते को मंज़ूरी 128
- पाथेर पांचाली 128
- बायोफैच इंडिया 129
- टेक्नोलॉजी सुविधा केंद्र 129
- 'आवाज़ाही में सुगमता' सूचकांक 129
- सार्वजनिक खरीद और प्रतिस्पर्धा कानून पर राष्ट्रीय सम्मेलन 129
- ग्रीन बिल्डिंग 130
- राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 130

नोट :

- नासा का डॉन मिशन 130
- भंगरू 131
- बाघिन अवनि 131
- 'संघवारी' मतदान केंद्र 131
- भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम 131
- फतह दिवस 132
- भारतीय स्टार कछुए 132
- सिमबेक्स 2018 132
- गंगा ग्राम 133
- IONS की 10वीं वर्षगांठ 133
- समुद्र शक्ति 133
- इंद्र-2018 134
- फैज़ाबाद 134
- जीएसएटी-29 उपग्रह 134
- भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2018 134
- केंद्रीय और राज्य सूचना संगठनों का 26वाँ सम्मेलन 135
- RCEP की सातवीं अंतर-सत्र मंत्रिस्तरीय बैठक 135
- आंग सान सू की 135
- सुपर-अर्थ 135
- अरेसिबो मैसेज 136
- पुष्कर ऊँट मेला 136
- TOXIC 137
- फिच रेटिंग 137
- स्टार्ट-अप इंडिया निवेश गोष्ठी 137
- भाप इंजन संचालित ट्रेन 137

नोट :

- कौमी एकता सप्ताह 138
- 'पुलिस संचार व्यवस्था का आधुनिकीकरण और उसकी चुनौतियाँ' 138
- फुटपाथ एंड कंप्यूटेशनल एप्रोच 138
- परंबिकुलम टाइगर रिज़र्व 139
- उत्तर क्षेत्र का राजभाषा सम्मेलन 139
- औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली 139
- हाथियों को समर्पित देश का पहला अस्पताल 140
- डीयू टीम ने खोजे सींग वाले मेंढक 140
- विश्व धरोहर सप्ताह 140
- मतिबाबू डिवाइस 140
- 'रेडियो कश्मीर- इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वार' 141
- सोलर बबल ड्रायर 141
- उच्च शिक्षण संस्थानों के लिये नवोन्मेष प्रकोष्ठ 141
- बिना मूविंग पार्ट्स के उड़ने वाला विमान 142
- ओर्टोलन बंटिंग 142
- प्वाइंट केलिमियर की तबाही 142
- क्वाड्रीसाइकिल 143
- कालीन नगरी भदोही को मिला 'निर्यात विशिष्टता' का दर्जा 143
- बकरियों में प्लेग की रोकथाम के लिये टीका 143
- ग्लोबल सिटी' पहल 144
- खारे पानी का मगरमच्छ 144
- आदि महोत्सव 144
- पैसा-पोर्टल 145
- संविधान दिवस 145
- हौसला-2018 146

नोट :

- NPCC को मिनीरत्न का दर्जा 146
- भारतीय अंगदान दिवस 147
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का 14वाँ स्थापना दिवस 147
- मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति 147
- मेकेदातु बहुद्देश्यीय परियोजना को स्वीकृति 148
- भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव- 2018 148
- आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 149
- कोंकण युद्धाभ्यास-18 149
- रेगे संगीत 150
- बुद्ध की 70 फीट ऊँची प्रतिमा 150

विविध **151**

संवैधानिक/प्रशासनिक घटनाक्रम

फ्लेक्सी फेअर योजना (-flexi fare scheme) का पुनर्गठन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय रेलवे ने समीक्षा समिति की सिफारिशों, नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और यात्रियों के प्रतिवेदन के आधार पर फ्लेक्सी फेअर योजना की समीक्षा करने का निर्णय लिया।

प्रमुख बिंदु

- भारतीय रेलवे ने 9 सितंबर, 2016 से फ्लेक्सी फेअर योजना की शुरूआत की थी। इस योजना ने उच्च राजस्व एकत्र किया, हालाँकि आरंभ में यात्रियों की संख्या में गिरावट आई लेकिन बाद में इसमें तेज़ी देखी गई।
- रेलवे द्वारा किराये को तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से 8 सदस्यीय समिति का गठन किया गया ताकि फ्लेक्सी फेअर योजना की समीक्षा की जा सके तथा इसे यात्रियों के और अनुकूल बनाया जा सके।
- पिछले वर्ष जिन 15 ट्रेनों में यात्रियों की औसत मासिक संख्या 50 प्रतिशत से कम थी उनमें फ्लेक्सी फेअर को समाप्त कर दिया गया है।
- पिछले वर्ष कम भीड़भाड़ वाले तीन महीनों में जिन 32 ट्रेनों में यात्रियों की औसत मासिक संख्या 50–75 प्रतिशत रही उनमें भी फ्लेक्सी फेअर को समाप्त कर दिया गया है।
- सभी श्रेणियों में अधिकतम किराये की वर्तमान सीमा को मूल किराये के 1.5 गुना से कम कर 1.4 गुना कर दिया गया है।
- उन ट्रेनों, जिनमें 2एसी, 3एसी, सीसी आदि श्रेणी वाले यात्रियों की संख्या कम है और हमसफर ट्रेनें, जिनमें एक विशेष श्रेणी में यात्रियों की संख्या 60 प्रतिशत से कम है (ट्रेन के निर्धारित समय पर रवाना होने से 4 दिन पहले), फ्लेक्सी फेअर के साथ सभी ट्रेनों में अंतिम किराये पर 20 प्रतिशत की क्रमिक छूट दी जाएगी।
- रेलवे ने अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिये अपनी माल ढुलाई दर को भी तर्कसंगत बनाया है। इसके परिणामस्वरूप कोयला, लौह और इस्पात, लौह अयस्क, तथा इस्पात संयंत्रों के लिये कच्चे माल जैसे प्रमुख वस्तुओं हेतु माल ढुलाई में 8.75% की वृद्धि होगी।
- कंटेनरों के ढुलाई शुल्क में 5% की वृद्धि हुई है और अन्य छोटे सामानों की माल ढुलाई 8.75% बढ़ी है। इस कदम से रेलवे को ₹ 3,344 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा।

फ्लेक्सी फेअर योजना क्या है ?

- फ्लेक्सी किराया, रेलवे द्वारा सितंबर 2016 में राजधानी, शताब्दी और दूरंतो जैसी प्रीमियम ट्रेनों के लिये पेश की गई एक बढ़ती कीमत प्रणाली है।
- इसमें शुरुआत में पहली 10 प्रतिशत सीटों के लिये सामान्य किराया लागू होता है, इसके बाद प्रत्येक 10 प्रतिशत बर्थ की बुकिंग के बाद किरायों में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी जाती है। मांग के आधार पर इसमें अधिकतम 50 फीसदी तक किराया बढ़ता है।
- सेकेंड एसी और चेयरकार के लिये अधिकतम 50 फीसदी की बढ़ोतरी होती है। वहीं, थर्ड एसी के लिये यह सीमा मूल किराये का 40 फीसदी अधिक होती है।

स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (statue of unity)

चर्चा में क्यों ?

31 अक्तूबर, 2018 को प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार वल्लभभाई पटेल की 143वीं जयंती पर 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' का अनावरण कर, उसे देश को सौंपा। यह पूरे विश्व की अब तक की सबसे ऊँची प्रतिमा मानी जा रही है।

नोट :

क्या है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी

- गुजरात के वडोदरा के पास नर्मदा ज़िले में स्थित सरदार सरोवर बांध से 3.5 किमी. नीचे की तरफ, राजपिपाला के निकट साधुबेट नामक नदी द्वीप पर 182 मीटर ऊँची सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिमा लगाई गई।

मुख्य बिंदु

- मात्र 33 महीनों में तैयार हुई यह प्रतिमा, चीन के केंद्रीय हेनान प्रांत में स्थित स्प्रिंग टेंपल की 11 सालों में निर्मित 153 मीटर ऊँची प्रतिमा (अब तक विश्व की सबसे ऊँची प्रतिमा का दर्जा प्राप्त था) से भी ऊँची है और न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी (93 मी.) की ऊँचाई से करीब दोगुनी है।
- प्रतिमा के निर्माण के लिये भारत भर के किसानों से 'लोहा कैंपेन' के तहत, आवश्यक लोहे को इकट्ठा किया गया था।
- इस मूर्ति का डिज़ाइन पद्मभूषण पुरस्कार से सम्मानित मूर्तिकार 'राम वनजी सुतर' ने तैयार किया था।
- प्रतिमा का निर्माण भारत की लार्सन एवं टूब्रो कंपनी तथा राज्य संचालित सरदार सरोवर नर्मदा निगम लिमिटेड द्वारा किया गया।
- इसके निर्माण के लिये गुजरात सरकार ने सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय एकता ट्रस्ट (SVPRET) का गठन किया था।
- स्टैच्यू की विशेषता
- इस स्टैच्यू में लिफ्ट की व्यवस्था की गई है जिससे पर्यटक प्रतिमा के हृदय स्थल तक जा सकेंगे। यहाँ एक गैलरी बनी हुई है जहाँ एक साथ 200 पर्यटक खड़े होकर सतपुड़ा और विंध्यांचल पहाड़ियों से घिरे नर्मदा नदी, सरदार सरोवर बांध और वहाँ स्थित फूलों की घाटी का नजारा भी देख सकेंगे।
- स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 3 किमी. की दूरी पर टेंट सिटी, फूलों की घाटी और श्रेष्ठ भारत भवन नामक एक कन्वेंशन सेंटर का भी निर्माण किया गया है।
- यह स्टैच्यू 180 किमी. प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ा रहेगा और 6.5 तीव्रता के भूकंप को सहने में सक्षम होगा।
- इस प्रतिमा के अंदर सरदार पटेल का म्यूज़ियम भी तैयार किया गया है जिसमें सरदार पटेल की स्मृति से जुड़ी कई चीज़ें रखी जाएंगी।

कुछ महत्त्वपूर्ण तथ्य

प्रतिवर्ष 31 अक्तूबर 'राष्ट्रीय एकता दिवस' के रूप में मनाया जाता है।

- पटेल जयंती के अवसर पर देश के युवाओं के लिये 'रन फॉर यूनिटी' नामक दौड़ का भी आयोजन होता है।
- इस प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होने के लिये वाराणसी से गुजरात हेतु 'एकता ट्रेन यात्रा' नाम से ट्रेन चलाई गई जिसका संचालन सरदार पटेल के पैतृक गाँव करमसद तक किया गया।
- सरदार वल्लभभाई पटेल को आधुनिक 'भारत का बिस्मार्क' भी कहा जाता है।

सरदार पटेल की राजनीतिक जीवनी

- 31 अक्तूबर, 1875 को गुजरात के नडियाड में जन्मे सरदार वल्लभभाई पटेल ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में पहला योगदान, 1918 में गुजरात के खेड़ा संघर्ष में दिया था।
- उन्होंने बोरसद सत्याग्रह के द्वारा बोरसद तालुका की जनता को 'हदीया' नामक एक दंडात्मक कर से मुक्त कराया।
- सरदार पटेल ने 1923 में, नागपुर में राष्ट्रीय झंडा आंदोलन का सफल नेतृत्व किया।
- बारदोली के किसानों के लगान में सरकार द्वारा की गई वृद्धि के खिलाफ 1928 में सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व पटेल ने किया जहाँ इन्हें महिलाओं ने 'सरदार' की उपाधि दी।
- 1931 में इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कॉन्ग्रेस के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की और असहयोग आंदोलन, स्वराज आंदोलन, दांडी यात्रा तथा भारत छोड़ो आंदोलन में भी महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।
- सरदार पटेल स्वतंत्र भारत के पहले उप-प्रधानमंत्री बने तथा साथ ही गृह, सूचना एवं प्रसारण मंत्री का प्रभार भी संभाला।
- आज़ादी प्राप्त होने के बाद, भारत की देशी रियासतों के राष्ट्रीय एकीकरण में सरदार पटेल की प्रमुख भूमिका रही और बिना युद्ध के इन्होंने लगभग 562 देशी रिशसतों का देश में विलय कराया।

नोट :

- विलय समझौते के लिये असहमत जम्मू-कश्मीर, हैदराबाद एवं जूनागढ़ को भी सरदार पटेल ने अपनी कूटनीतिक समझदारी का परिचय देते हुए नवंबर 1947 तक देश में मिला लिया।
- भारत के एकीकरण में पटेल के योगदान को देखते हुए उन्हें 'लौह पुरुष' की उपाधि प्राप्त हुई।
- 1991 में मरणोपरांत इन्हें 'भारत रत्न' सम्मान दिया गया।

आसिया बीबी ईशनिंदा मामला (Asia Bibi blasphemy case)

संदर्भ

हाल ही में पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने ईसाई महिला आसिया बीबी को ईशनिंदा के एक मामले में बरी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 'आसिया बीबी की सज़ा वाले फैसले को नामंज़ूर किया जाता है। अगर अन्य किसी मामले में उन पर मुक़दमा नहीं है तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।' गौरतलब है कि पाकिस्तान की निचली अदालत और फिर हाईकोर्ट ने ईशनिंदा कानून के तहत इस मामले में आसिया बीबी को मौत की सज़ा सुनाई थी।

मुद्दा क्या है ?

- ध्यातव्य है कि आसिया बीबी पर 2009 में ईशनिंदा करने का आरोप लगाया गया था। 2010 में एक निचली अदालत ने उसे मौत की सज़ा दे दी थी। 2014 में लाहौर उच्च न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जिसे हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए उसे बरी करने का आदेश दे दिया।
- सुप्रीम कोर्ट ने मशाल खान और अयूब मसीह केस का हवाला देते हुए कहा था कि पिछले 28 वर्षों में 62 अभियुक्तों को अदालत का फ़ैसला आने से पहले ही मार दिया गया।

भीड़ तंत्र

- पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद पाकिस्तान सरकार के पास एक ऐसा मौका था जिसमें वह ईशनिंदा जैसे प्रतिगामी कानूनों की व्यवहार्यता पर बहस छेड़ सकती थी। परंतु, निर्णय के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे चरमपंथियों के दबाव में आकर पाकिस्तान सरकार ने घुटने टेक दिये और एक चरमपंथी समूह के साथ समझौता कर लिया।
- इस समझौते के अनुसार, पाकिस्तान सरकार आसिया बीबी की रिहाई के खिलाफ समीक्षा याचिका के विरोध में कोई कदम नहीं उठाएगी। इसके अलावा, समझौते में सरकार ने यह भी वादा किया है कि आसिया बीबी को पाकिस्तान छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सवाल यह है कि पाकिस्तान सरकार आखिर कब तक चरमपंथियों के दबाव में आकर नीतियों का निर्धारण करेगी ? आसिया बीबी के मामले में पाकिस्तान पहले ही बहुत ज़्यादा रक्तपात देख चुका है।
- साल 2011 में पंजाब के मुखर और धर्मनिरपेक्ष गवर्नर सलमान तासीर, जिन्होंने आसिया बीबी की रिहाई के लिये प्रचार किया था, की हत्या को उनके ही सिक्योरिटी गार्ड ने अंजाम दिया था। तासीर की हत्या करने वाला मुमताज क़ादरी एक मौलवी द्वारा दिये गए प्रवचन से प्रेरित हुआ था।
- तत्कालीन अल्पसंख्यक मंत्री शाहबाज भट्टी की भी ईशनिंदा कानून में संशोधन हेतु आग्रह करने के बाद उसी वर्ष हत्या कर दी गई थी।
- ईशनिंदा कानून को लेकर पाकिस्तान को अब तक विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समूहों से आलोचना का सामना करना पड़ा है। गौरतलब है कि इस कानून को धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने वाला कानून माना जाता रहा है।

ईशनिंदा क्या है ?

- इस कानून को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बनाया गया था जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति जान बूझकर पूजा करने की किसी वस्तु या किसी जगह को नुकसान या फिर किसी धार्मिक सभा में खलल डालता है तो उसे दंड दिया जाएगा।
- इसके साथ ही अगर कोई बोलकर या लिखकर या कुछ दृष्यों से किसी की धार्मिक भावनाओं का अपमान करता है तो यह भी गैरक़ानूनी माना गया था।

नोट :

- इस क़ानून के तहत एक से 10 साल तक की सज़ा दी सकती थी जिसमें जुर्माना भी लगाए जाने का भी प्रावधान था।
- वर्ष 1980 के आरंभ में पाकिस्तान की दंड संहिता में धार्मिक मामलों से संबंधित अपराधों में बदलाव करते हुए कई धाराएँ जोड़ दी गईं।
- इन धाराओं को दो खंडों में विभाजित किया गया था- पहला खंड अहमदी विरोधी क़ानून और दूसरा खंड ईशनिंदा क़ानून से संबंधित था।
- ईशनिंदा कानून को कई किश्तों में बनाया गया और उसका विस्तार किया गया। वर्ष 1980 में एक धारा में जिक्र किया गया कि अगर कोई इस्लाम को मानने वाले व्यक्ति के खिलाफ़ अपमानजनक टिप्पणी करता है तो उसे तीन साल तक की जेल हो सकती है।
- दूसरी तरफ, वर्ष 1982 में एक और धारा में कहा गया कि अगर कोई व्यक्ति कुरान को अपवित्र करता है तो उसे उम्रकैद की सज़ा दी जाएगी। वर्ष 1986 में एक और दूसरी धारा जोड़ दी गई जिसमें यह कहा गया कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ ईशनिंदा के लिये दंडित किया जाएगा तथा इस धारा के तहत मौत या उम्रकैद की सज़ा की सिफारिश भी की गई थी।
- अहमदी विरोधी क़ानून को 1984 में शामिल गया था। इस क़ानून के तहत अहमदी व्यक्ति के खुद को मुस्लिम या उन जैसा बर्ताव करने और उनके धर्म का पालन करने पर प्रतिबंध लगाया गया था।

राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (national legal service day)

संदर्भ

- सभी नागरिकों के लिये उचित निष्पक्ष और न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है।
- राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस (NLSD) की शुरुआत पहली बार 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता और समर्थन प्रदान करने के लिये की गई थी।

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण

- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा (National Legal Services Authority-NALSA) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत समाज के कमजोर वर्गों को नि:शुल्क कानूनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये और विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिये लोक अदालतों का आयोजन करने के उद्देश्य से किया गया है।
- भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका मुख्य संरक्षक होता है है और भारत के सर्वोच्च न्यायालय का द्वितीय वरिष्ठ न्यायाधीश प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष होता है।
- संविधान के अनुच्छेद 39 A अवसर की समानता के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने के लिये समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान करता है। अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 22 (1), विधि के समक्ष समानता सुनिश्चित करने के लिये राज्य को बाध्य करता है।

नालसा के कार्य

- नालसा देश भर में कानूनी सहायता कार्यक्रम और योजनाएँ लागू करने के लिये राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण पर दिशानिर्देश जारी करता है।
- मुख्य रूप से राज्य कानूनी सहायता प्राधिकरण, ज़िला कानूनी सहायता प्राधिकरण, तालुक कानूनी सहायता समितियों आदि को निम्नलिखित कार्य नियमित आधार पर करते रहने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है-
  - सुपात्र लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना।
  - विवादों को सौहार्द्रपूर्ण ढंग से निपटाने के लिये लोक अदालतों का संचालन करना।

मुफ्त विधिक सेवाएँ

- किसी कानूनी कार्यवाही में कोर्ट फीस और अन्य सभी प्रभार अदा करना।
- कानूनी कार्यवाही में वकील उपलब्ध कराना।
- कानूनी कार्यवाही में आदेशों आदि की प्रमाणित प्रतियाँ प्राप्त करना।
- कानूनी कार्यवाही में अपील और दस्तावेज़ का अनुवाद और छपाई सहित पेपर बुक तैयार करना।

नोट :

मुफ्त कानूनी सहायता पाने के पात्र

- महिलाएँ और बच्चे।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य।
- औद्योगिक श्रमिक।
- बड़ी आपदाओं जैसे- हिंसा, बाढ़, सूखे, भूकंप तथा औद्योगिक आपदाओं आदि के शिकार लोग।
- विकलांग व्यक्ति।
- हिरासत में रखे गए लोग।
- ऐसे व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय 1,00,000 रुपए से अधिक नहीं है।
- बेगार या अवैध मानव व्यापार के शिकार।

नि:शुल्क विधिक सेवाएँ प्रदान करने वाले विधिक सेवा संस्थान

- राष्ट्रीय स्तर पर- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण
- राज्य स्तर पर- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। इसकी अध्यक्षता राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है जो इसका मुख्या संरक्षक भी होता है। उच्च न्यायालय के एक सेवारत या सेवानिवृत्त न्यायाधीश को इसके कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नामांकित किया जाता है।
- ज़िला स्तर पर- राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण। ज़िला न्यायाधीश इसका कार्यकारी अध्यक्ष होता है।
- तालुका स्तर पर- तालुक विधिक सेवा प्राधिकरण। इसकी नेतृत्व वरिष्ठ सिविल न्यायाधीश करता है।
- उच्च न्यायालय- उच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण।
- सर्वोच्च न्यायालय- सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण।

उपरोक्त सभी का कार्य नालसा की नीतियों और निर्देशों को कार्य रूप देना और लोगों को निशुल्क कानूनी सेवा प्रदान करना और लोक अदालतें चलाना है।

प्रथम विश्वयुद्ध और इंडियन वॉर मेमोरियल (100 Years of First World War Armistice)

संदर्भ

इस वर्ष जब संपूर्ण विश्व प्रथम विश्वयुद्ध के युद्धविराम की शताब्दी मना रहा है तभी पेरिस से 200 किमी. दूर विलर्स गुसलेन में इंडियन वॉर मेमोरियल का अनावरण किया गया। उद्घाटन का उद्देश्य इस महान युद्ध में फ्रांस को स्वतंत्रता दिलाने में भारतीय सैनिकों के योगदान पर प्रकाश डालना है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु

- इस मेमोरियल का अनावरण उपराष्ट्रपति एम. वैंकैया नायडू द्वारा किया गया जो इस समय प्राँस में मनाए जा रहे शताब्दी स्मृति समारोह में भारत के प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित थे।
- यह उन भारतीय सैनिकों की याद में पहला नेशनल मेमोरियल है जिनकी मृत्यु प्रथम विश्वयुद्ध के समय फ्रांस में हुई थी।
- इस मेमोरियल का निर्माण यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन (USI) ऑफ इंडिया के सहयोग से भारत सरकार द्वारा किया गया है।
- यह मेमोरियल प्राँस के न्यूवे-चैपेल (Neuve Chapple) के इंडियन मेमोरियल से अलग है जिसका निर्माण कॉमनवेल्थ वॉर ग्रेव्स कमीशन द्वारा किया गया था।

प्रथम विश्वयुद्ध और भारत

- 1914 से 1919 के बीच चले प्रथम विश्वयुद्ध में लगभग दुनिया की आधी आबादी हिंसा की चपेट में आ गई थी।
- 11 नवंबर, 1918 को हस्ताक्षर किये गए युद्धविराम के साथ ही प्रथम विश्वयुद्ध का अंत हो गया।

नोट :

- भारत से करीब 1.5 मिलियन से ज़्यादा सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया था जिसमें से 1.3 मिलियन ने विदेशों में युद्ध लड़ा। इसमें 72,000 भारतीय सैनिक मारे गए थे।
- दिल्ली का इंडिया गेट इन अज्ञात सिपाहियों के लिये श्रद्धांजलि के रूप में एक प्रतीक है, जिस पर प्रथम विश्वयुद्ध में शहीद हुए सिपाहियों के नाम अंकित हैं।
- प्रथम विश्वयुद्ध में भारत की भूमिका से जुड़े कुछ स्थल:
- फ्रांस : न्यूवे-चैपल स्मारक
- इजरायल : हाईफा स्मारक
- प्रथम विश्वयुद्ध में भारत सीधे तौर पर शामिल नहीं था, फिर भी केवल शांति की स्थापना के लिये भारतीय सैनिकों ने इस युद्ध में भाग लिया।

बैटलफिल्ड गाइड्स (Battlefield Guides)

- यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूशन, भारत के स्वतंत्रता पूर्व प्रमुख युद्धों का 'बैटलफिल्ड गाइड्स' तैयार कर रहा है ताकि 'बैटलफिल्ड टूरिज़्म'को बढ़ावा दिया जा सके।
- 'बैटलफिल्ड टूरिज़्म'अवधारणा यूरोप में काफी लोकप्रिय है क्योंकि यूरोप में कई जगहों की स्थानीय अर्थव्यवस्था बैटलफिल्ड टूरिज़्म द्वारा संचालित है।
- राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर कई पर्यटक इन स्थानों पर घूमने के लिये आते हैं, जहाँ पर युद्ध लड़े गए थे।

लीप और अर्पित (LEAP and ARPIT)

चर्चा में क्यों ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा हाल ही में लीप (LEAP) नामक एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया जिसका क्रियान्वयन 15 शीर्ष संस्थानों जैसे IITs, TISS, DU, JNU और IISERs द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही 'अर्पित' (ARPIT) नामक एक पहल की भी शुरुआत की गई।

क्या है LEAP?

- LEAP : Leadership for Academicians Programme
- 'लीप' सार्वजनिक वित्त-पोषित उच्च शिक्षा संस्थानों में तीन-सप्ताह तक चलने वाला एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है जिसमें नेतृत्व विकास के लिये प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- इसमें दो सप्ताह का घरेलू और एक सप्ताह का विदेशी प्रशिक्षण शामिल है।
- इसका उद्देश्य द्वितीय स्तर (Second Level) के अकादमिक नेतृत्वकर्त्ताओं को तैयार करना है जो संभावित रूप से भविष्य के लिये नेतृत्व करने की क्षमता रखते हैं।
- इन पहलों का उद्देश्य शिक्षण की गुणवत्ता में परिवर्तन लाना और नेतृत्वकर्त्ताओं का उन्नयन करना तथा उच्च शिक्षण संस्थानों की गुणवत्ता में वृद्धि करना है।

कार्य

- यह कार्यक्रम वरिष्ठ संकाय (Senior Faculty) प्रदान करेगा जिनकी अकादमिक साख काफी उच्च होगी। ये संकाय अपेक्षित नेतृत्व एवं प्रबंधनात्मक कौशल, जैसे- समस्या समाधान कौशल, तनाव का प्रबंधन, टीम निर्माणकारी कार्य, विवाद प्रबंधन, संचार कौशल विकास, उच्च शिक्षा संस्थानों तथा वित्तीय एवं सामान्य प्रशासन में शासन संबंधी जटिलता और चुनौतियों की समझ और सामना करने जैसे गुणों से युक्त होंगे।

नोट :

शामिल संस्थान

- लीप कार्यक्रम 15 एनआईआरएफ शीर्ष रैंकिंग भारतीय संस्थानों यथा, IIT रूड़की, IIT कानपुर, NIT त्रिची, इंडियन इंस्टीच्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च (IISER) कोलकाता, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे, TISS मुंबई आदि द्वारा प्रदान किया जाएगा।
- प्रशिक्षण हेतु चयनित विदेशी विश्वविद्यालय- यूनिवर्सिटी ऑफ मिशीगन, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड, मोनीश यूनिवर्सिटी, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जिनिया (यूएसए) आदि।
- ये संस्थान वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष 100 स्थानों पर काबिज हैं।

क्या है ARPIT ?

- ARPIT : Annual Refresher Programme in Teaching
- अर्पित, MOOCs प्लेटफार्म 'SWAYAM' का प्रयोग कर रहे 15 लाख उच्च शिक्षण संकाय (Higher Education Faculty) के ऑनलाइन व्यावसायिक विकास के लिये एक प्रमुख और अनोखी पहल है।
- अर्पित के क्रियान्वयन के लिये 75 विषय-विशिष्ट संस्थानों की पहचान की गई है जिन्हें पहले चरण में 'नेशनल रिसोर्स सेन्टर्स' के रूप में अधिसूचित किया गया है।
- इन्हें विषयों पर नवीनतम विकास, नए एवं उदीयमान प्रवृत्तियों, शैक्षिक सुधार और संशोधित पाठ्यक्रम को करने की पद्धतियों पर केंद्रित ऑनलाइन ट्रेनिंग मटेरियल तैयार करने का कार्य सौंपा गया है।
- पाठ्यक्रम एक 40 घंटे का मॉड्यूल है जिसमें 20 घंटे का वीडियो कंटेंट है और 20 घंटे का नॉन-वीडियो कंटेंट है। इन्हें अत्यधिक लचीले रूप में पेश किया गया है जिसे कोई अपनी गति और समय के साथ पूरा कर सकता है।
- पाठ्यक्रम में अकादमिक विकास के हिस्से के रूप में अंतर्निहित मूल्यांकन अभ्यास और गतिविधियाँ शामिल हैं।
- पाठ्यक्रम के अंत में, एक टर्मिनल मूल्यांकन होगा जो या तो ऑनलाइन या लिखित परीक्षा के रूप में हो सकता है।
- ऑनलाइन रिफ्रेसर कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करने वाले सभी संकाय को प्रमाण-पत्र प्रदान किये जाएंगे।

युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना
(Yuva Sahakar-Cooperative Enterprise Support and Innovation Scheme)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) की 'युवा सहकार उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना' नामक एक युवा अनुकूल योजना का शुभारंभ किया गया।

प्रमुख बिंदु

- युवाओं की आवश्यकताओं एवं महत्त्वाकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सहकारी व्यवसाय उपक्रमों की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से एनसीडीसी द्वारा यह योजना तैयार की गई है।
- एनसीडीसी ने इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उदार सुविधाओं के साथ एक विशेष निधि समर्पित की है। नई योजना का शुभारंभ सहकारी समितियों को नए और अभिनव क्षेत्रों में नवाचार करने के लिये प्रोत्साहित करेगा।
- यह योजना एनसीडीसी द्वारा सृजित 1000 करोड़ रुपए के 'सहकारिता स्टार्ट-अप एवं नवाचार निधि' (सीएसआईएफ) से लिंक्ड होगी।
- यह पूर्वोत्तर क्षेत्रों, महत्त्वाकांक्षी ज़िलों तथा महिलाओं अथवा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति व दिव्यांग सदस्यों की सहकारिता हेतु युवा अनुकूल पहलों में शामिल होगी।
- इन विशेष श्रेणियों के लिये वित्तपोषण परियोजना लागत का 80% तक होगा एवं अन्य के लिये यह 70% होगा।
- जिन प्रोजेक्ट की लागत 3 करोड़ रुपए तक है उनके प्रोत्साहन के लिये योजना में ब्याज दर प्रचलित टर्म लोन पर लागू ब्याज दर से 2% कम होगी, साथ ही मूलधन के भुगतान पर 2 साल का अधिस्थगन दिया जाएगा।

नोट :

- योजना का लाभ लेने हेतु कम-से-कम एक वर्ष से संचालित सभी प्रकार की सहकारी समितियाँ पात्र होंगी।
- एनसीडीसी सहकारिता के क्षेत्र में अतिमहत्त्वपूर्ण वित्तीय संस्था है जिसने वर्ष 2022 तक देश के किसानों की आय दोगुनी करने के लिये मिशन सहकार-22 की शुरूआत की है।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)

- राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (National Cooperative Development Corporation) की स्थापना वर्ष 1963 में संसद के एक अधिनियम द्वारा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निगम के रुप में की गई थी।
- एनसीडीसी का उद्देश्य कृषि उत्पादन, खाद्य पदार्थों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन और सहकारी सिद्धांतों पर उत्पादित कुछ अन्य अधिसूचित वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात और आयात तथा इसके साथ संबंधित मामलों या आकस्मिक मामलों के लिये कार्यक्रमों की योजना बनाना और उनका संवर्द्धन करना है।
- एनसीडीसी सहकारी क्षेत्र हेतु शीर्ष वित्तीय तथा विकासात्मक संस्थान के रूप में कार्यरत एकमात्र सांविधिक संगठन है। यह कृषिएवं संबद्ध क्षेत्रों के आलावा विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता को सहयोग प्रदान करता है।
- वर्ष 2014-2018 (13 नवंबर तक) के दौरान एनसीडीसी द्वारा 63,702.61 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता निर्गत की गई है, जो वर्ष 2010-2014 के दौरान निर्गत 19,850.6 करोड़ रुपए से 220% अधिक है।

केंद्र ने राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण नियमों को अधिसूचित किया
(NFRA rules notified, ICAI wings clipped)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केंद्र सरकार ने बैंकों तथा बीमा कंपनियों के साथ ही सूचीबद्ध संस्थानों और बड़ी असूचीबद्ध कंपनियों के लेखा परीक्षकों पर चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान की निगरानी और अनुशासनात्मक शक्तियों को कम करने के लिये बहुप्रतीक्षित राष्ट्रीय वित्तीय सूचना प्राधिकरण (एनएफआरए) नियमों को अधिसूचित किया है।

प्रमुख बिंदु

- कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के इस नवीनतम पहल के साथ, लेखांकन पेशे के लिये नवगठित स्वतंत्र नियामक एनएफआरए लेखा परीक्षकों को अनुशासित करने और बड़ी संस्थाओं में चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिये सर्वशक्तिशाली निकाय बन गई है।
- ज्ञातव्य है कि केंद्र ने हाल ही में पूर्व आईएएस अधिकारी रंगाचारी श्रीधरन को एनएफआरए के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया था।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 मार्च को स्वतंत्र नियामक एनएफआरए की स्थापना को मंज़ूरी दी थी जिसमें ग़लत लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा फर्मों के खिलाफ कार्य करने के लिये व्यापक शक्तियाँ निहित हैं।

क्या हैं नए नियम ?

- नए अधिसूचित नियमों के अनुसार, एनएफआरए में लेखांकन मानकों और लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी और लागू करने की शक्ति निहित होगी, साथ ही यह सेवा की गुणवत्ता की निगरानी करेगा और सूचीबद्ध संस्थाओं के लेखा परीक्षकों की जाँच करेगा।
- इसके अतिरिक्त एनएफआरए के दायरे में वे असूचीबद्ध कंपनियाँ शामिल हैं जिनके पास पिछले वित्त वर्ष की 31 मार्च तक 500 करोड़ रुपए से कम की प्रदत्त पूंजी न हो या 1000 करोड़ रुपए से अधिक का वार्षिक कारोबार हो या जिनके पास कुल ऋण, डिबेंचर या जमा 500 करोड़ रुपए से कम न हो।
- एनएफआरए बैंकों, बीमा कंपनियों, बिजली कंपनियों और उन कॉरपोरेट्स निकायों के लेखा परीक्षकों पर भी नज़र रखेगा जिनको केंद्र द्वारा इन्हें निर्दिष्ट किया गया हो।
- एनएफआरए कंपनियों द्वारा नियुक्त लेखा परीक्षकों के हिसाब खाते का विवरण संभालेगा; केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदन के लिये लेखा और लेखा परीक्षा मानकों की सिफारिश करेगा; लेखांकन मानकों और लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन की निगरानी करेगा तथा उन्हें लागू करेगा।

नोट :

- यह प्राधिकरण ऐसे मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के साथ ही संबंधित व्यवसायों की सेवा की गुणवत्ता की देखरेख करेगा और सेवा की गुणवत्ता में सुधार के उपायों हेतु सुझाव देगा।
- नवीनतम नियमों में कहा गया है कि एनएफआरए लेखा परीक्षा मानकों और लेखा परीक्षा मानकों के अनुपालन की स्थापना और पर्यवेक्षण में स्वतंत्र लेखा परीक्षा नियामकों के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग करेगा।
- ये नियम एनएफआरए द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही पर विस्तृत प्रक्रिया भी प्रदान करते हैं। इसने सारांश प्रक्रिया के माध्यम से कारण बताओ नोटिस के समयबद्ध (90 दिनों की अवधि के भीतर) निपटान को अनिवार्य किया है।
- कारण बताओ नोटिस के निपटान आदेश के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी बल्कि यह एक चेतावनी के रूप में होगी और लेखा परीक्षक पर जुर्माना लगाने या लेखा परीक्षक की नियुक्ति से रोकने की कार्रवाई होगी।

सर्वोच्च न्यायालय एवं शिक्षा का अधिकार (Supreme and RTE)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम को लागू करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर आगे सुनवाई से इनकार कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा, "चमत्कार की उम्मीद मत करो। भारत एक विशाल देश है, यहाँ बहुत सी प्राथमिकताएँ हैं और निश्चित रूप से शिक्षा उन प्राथमिकताओं में से एक है। लेकिन न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।"
- शीर्ष अदालत ने इससे पहले याचिकाकर्त्ता एवं पंजीकृत सोसायटी 'अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ' से बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन पर केंद्र सरकार को ज्ञापन सौंपने को कहा था।
- रंजन गोगोई के अतिरिक्त इस पीठ में न्यायमूर्ति एस.के. कौल और न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ शामिल थे। इस पीठ ने याचिकाकर्ता को बताया कि केंद्र ने इस प्रस्ताव के जवाब में कहा था कि वह इस मामले पर ज़रूरी काम कर रहा है।
- आगे हस्तक्षेप से इनकार करते हुए न्यायालय ने आदेश दिया, "हमने याचिकाकर्त्ता के वकील को सुना और प्रासंगिक मामले को समझ लिया है। हम हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं। तद्नुसार रिट याचिका खारिज की जाती है।"
- अखिल दिल्ली प्राथमिक शिक्षक संघ नामक सोसायटी ने 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की शिक्षा के अधिकार के कार्यान्वयन की मांग की थी।
- सोसायटी द्वारा दायर की गई याचिका में कहा गया था कि सरकारी स्कूलों के बंद रहने और इन स्कूलों में लगभग 9.5 लाख शिक्षकों के पद खाली होने की वज़ह से बच्चों को कष्ट उठाना पड़ता है।
- इस जनहित याचिका ने कई रिपोर्टों को संदर्भित किया जिसमें देश भर में बच्चों के लिये नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम, 2009 के अधिकारों की कई विशिष्ट आवश्यकताओं की अनदेखी सहित शिक्षा हेतु बच्चों के अधिकारों के व्यवस्थित और व्यापक उल्लंघन दर्शाए गए हैं।
- आँकड़ों का हवाला देते हुए इस याचिका में यह भी बताया गया कि 14,45,807 सरकारी और पंजीकृत निजी स्कूल देश में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करते हैं और 2015-16 के आँकड़ों के अनुसार, लगभग 3.68 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल नहीं जाते।
- इस सोसायटी ने न्यायालय से अनुरोध किया कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को छह महीने के भीतर इन बच्चों की पहचान करने के लिये निर्देश दिया जाए ताकि यह पता लगाया जा सके कि उनमें से कितने बच्चों को औपचारिक स्कूली शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए।
- इसके अतिरिक्त राज्य और केंद्रशासित प्रदेश उन सभी सरकारी, निजी, सहायता प्राप्त या अवैतनिक स्कूलों की पहचान करें जिनमें बाधा रहित पहुँच, लड़कों और लड़कियों के लिये अलग शौचालय, शिक्षण स्टाफ और शिक्षण संबंधी सामग्री, प्रत्येक शिक्षक के लिये कम-से-कम एक कक्षा के साथ सभी मौसमों के अनुकूल इमारत जैसी उचित आधारभूत संरचना नहीं है।

नोट :

मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना (Maternity Leave Incentive Scheme)

चर्चा में क्यों ?

विशेष रूप से निजी क्षेत्र के नियोक्ताओं को, विस्तारित किये गए 26 सप्ताह के मातृत्व अवकाश नियम को लागू करने के संबंध में प्रोत्साहित करने हेतु श्रम मंत्रालय उन नियोक्ताओं को 7 हफ्तों का पारिश्रमिक वापस करने के लिये प्रोत्साहन योजना पर कार्य कर रहा है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय एक ऐसी प्रोत्साहन योजना पर काम कर रहा है, जिसके तहत 15,000/- रुपए तक की वेतन सीमा वाली महिला कर्मचारियों को अपने यहाँ नौकरी पर रखने वाले और 26 हफ्तों का सवेतन मातृत्व अवकाश देने वाले नियोक्ताओं को 7 हफ्तों का पारिश्रमिक वापस कर दिया जाएगा।
- इसके लिये कुछ शर्तें भी तय की गई हैं और यह अनुमान लगाया गया है कि प्रस्तावित प्रोत्साहन योजना पर अमल करने से भारत सरकार, श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय को लगभग 400 करोड़ रुपए का वित्तीय बोझ वहन करना पड़ेगा।

प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य

- 26 सप्ताह के विस्तारित मातृत्व अवकाश नियम पर अमल करना, सार्वजनिक क्षेत्र के संदर्भ में अच्छा साबित हो रहा है लेकिन रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि यह निजी क्षेत्र के साथ-साथ अनुबंध या ठेके (Contract) पर काम करने वाली महिलाओं के लिये सही साबित नहीं हो रहा।
- आमतौर पर यह धारणा है कि निजी क्षेत्र के निकाय महिला कर्मचारियों को प्रोत्साहित नहीं करते हैं, क्योंकि यदि महिलाओं को रोज़गार पर रखा जाता है तो उन्हें विशेषकर 26 हफ्तों के वेतन के साथ मातृत्व अवकाश देना पड़ता है।
- साथ ही श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय को इस आशय की भी शिकायतें मिल रही हैं कि जब नियोक्ता को यह जानकारी मिलती है कि उनकी कोई महिला कर्मचारी गर्भवती है अथवा वह जब मातृत्व अवकाश के लिये आवेदन करती है तो बिना किसी ठोस आधार के ही उसके साथ किये गए अनुबंध को निरस्त कर दिया जाता है।
- श्रम मंत्रालय को इस संबंध में कई ज्ञापन मिले हैं जिनमें बताया गया है कि किस तरह से मातृत्व अवकाश की बढ़ी हुई अवधि महिला कर्मचारियों के लिये नुकसानदेह साबित हो रही है, क्योंकि मातृत्व अवकाश पर जाने से पहले ही किसी ठोस आधार के बिना ही उन्हें या तो इस्तीफा देने को कहा जाता है अथवा उनकी छँटनी कर दी जाती है।
- इसलिये श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय को इस प्रकार के प्रोत्साहन योजना को लाने की आवश्यकता पड़ी।

प्रोत्साहन योजना का प्रभाव

- प्रस्तावित योजना यदि स्वीकृत और कार्यान्वित कर दी जाती है तो वह इस देश की महिलाओं को पर्याप्त सुरक्षा एवं सुरक्षित परिवेश सुनिश्चित कराने के साथ-साथ रोज़गार एवं अन्य स्वीकृत लाभों तक उनकी समान पहुँच भी सुनिश्चित करेगी।
- इसके अलावा महिलाएँ शिशु की देखभाल के साथ-साथ घरेलू कार्य भी अच्छे ढंग से निपटा सकेंगी।
- श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय फिलहाल आवश्यक बजटीय अनुदान प्राप्त करने और सक्षम प्राधिकरणों से मंज़ूरियाँ प्राप्त करने की प्रक्रिया में है, परंतु फिलहाल मंत्रालय में श्रम कल्याण उपकर (Less) जैसा कोई भी उपकर उपलब्ध नहीं है।

अधिनियम की पृष्ठभूमि

- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961 के दायरे में वे कारखाने, खदानें, बागान, दुकानें एवं प्रतिष्ठान और अन्य निकाय आते हैं, जहाँ 10 अथवा उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं।
- इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य कुछ विशेष प्रतिष्ठानों में शिशु के जन्म से पहले और उसके बाद की कुछ विशेष अवधि के लिये वहाँ कार्यरत महिलाओं के रोज़गार का नियमन करना और उन्हें मातृत्व लाभ के साथ-साथ कुछ अन्य फायदे भी मुहैया कराना है।
- मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम, 2017 के ज़रिये इस अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसके तहत अन्य बातों के अलावा महिला कर्मचारियों के लिये वेतन सहित मातृत्व अवकाश की अवधि 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई है।

नोट :

CBI और राज्य (Why CBI Needs Consent)

संदर्भ

हाल ही में आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों ने राज्य के किसी भी मामले की CBI जाँच पर 'सामान्य सहमति' वापस ले ली। दोनों राज्यों ने यह कहते हुए सहमति वापस ली है कि हाल ही में CBI में शीर्ष अधिकारियों के बीच खुले मतभेद को देखते हुए उन्हें इस शीर्ष जाँच एजेंसी में कोई विश्वास नहीं है। इसके अलावा, समय-समय पर कुछ ऐसे आरोप भी सामने आते रहते हैं जिनमें कहा जाता है कि केंद्र सरकार विपक्षी दलों को लक्षित करने के लिये CBI का दुरुपयोग कर रही है।

क्या होती है सामान्य सहमति ?

- राष्ट्रीय जाँच एजेंसी (NIA) जो अपने स्वयं के NIA अधिनियम द्वारा शासित है और जिसका अधिकार क्षेत्र पूरा देश है के विपरीत, CBI दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम द्वारा शासित है जो राज्य सरकार की उस राज्य में जाँच करने के लिये अनिवार्य है।
- सहमति दो प्रकार की होती है- एक केस-विशिष्ट सहमति और दूसरी, सामान्य सहमति। हालाँकि CBI का अधिकार क्षेत्र केवल सरकारी विभागों और कर्मचारियों तक सीमित है लेकिन राज्य सरकार की सहमति मिलने के बाद यह राज्य सरकार के कर्मचारियों या हिंसक अपराध से जुड़े मामलों की जाँच भी कर सकती है।
- 'सामान्य सहमति' आमतौर पर CBI को संबंधित राज्य में केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों की जाँच करने में मदद के लिये दी जाती है। और लगभग सभी राज्यों द्वारा ऐसी सहमति दी गई है। यदि राज्यों द्वारा सहमति नहीं दी गई है तो CBI को हर एक मामले में जाँच करने से पहले राज्य सरकार से सहमति लेना आवश्यक होगा। उदाहरण के लिये यदि CBI मुंबई में पश्चिमी रेलवे के क्लर्क के खिलाफ रिश्वत के मामले की जाँच करनी चाहती है, तो उस क्लर्क पर मामला दर्ज करने से पहले CBI को महाराष्ट्र सरकार के पास सहमति के लिये आवेदन करना होगा।

सहमति वापस लेने से क्या तात्पर्य है ?

- सहमति वापस लेने का तात्पर्य यह है कि CBI इन दोनों राज्यों की केस-विशिष्ट सहमति के बिना इन राज्यों में केंद्र सरकार के किसी भी कर्मचारी या राज्य में रह रहे किसी भी गैर-सरकारी व्यक्ति के खिलाफ नए मामले दर्ज नहीं कर सकेगी।
- स्पष्टत: यह कहा जा सकता है कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना इन राज्यों में प्रवेश करते ही किसी भी CBI अधिकारी के पुलिस अधिकारी के रूप में सभी अधिकार समाप्त हो जाएंगे।

सामान्य सहमति वापस लेने का प्रावधान

- दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम की धारा 6 के अनुसार, राज्यों (केंद्रशासित प्रदेशों को छोड़कर) की सहमति के बिना दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 की धारा 5 (जो कि CBI के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है) में निहित किसी भी अधिकार का प्रयोग राज्य में नहीं किया जा सकेगा।

आगे की राह

- 'सामान्य सहमति' वापस लेने के बाद भी CBI उन पुराने मामलों की जाँच कर सकेगी जिन्हें उस समय दर्ज किया गया था जब CBI को इन राज्यों में आम सहमति प्राप्त थी। इसके अलावा, CBI को ऐसे मामलों में भी जाँच करने को अनुमति होगी जो देश में किसी अन्य स्थान पर पंजीकृत हुए हों लेकिन आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के लोगों से संबंधित हों ।
- राज्य सरकार की सहमति के बिना पुराने मामलों के संबंध में एजेंसी दोनों राज्यों में से किसी में भी जाँच कर सकती है अथवा नहीं, इस पर अभी तक अस्पष्टता है।
- हालाँकि इसके साथ-साथ कानूनी उपचार भी हैं। CBI हमेशा राज्य में स्थानीय अदालत से सर्च वारंट प्राप्त कर सकती है और संबंधित राज्य में तलाशी कर सकती है।
- यदि जाँच के दौरान अचानक तलाशी की आवश्यकता होती है, तो इसके लिये CrPc की धारा 166 उपलब्ध है जिसके अनुसार, एक क्षेत्राधिकार का पुलिस अधिकारी दूसरे क्षेत्राधिकार के अधिकारी को अपनी ओर से तलाशी करने के लिये कह सकता है।
- यदि पहले अधिकारी को लगता है कि दूसरे अधिकारी की तलाशी से साक्ष्यों को नुकसान पहुँच सकता है तो उपरोक्त धारा के अनुसार, पहला अधिकारी दूसरे अधिकारी को नोटिस देने के बाद स्वयं ही जाँच कर सकता है।

नोट :

वर्तमान परिदृश्य

- सहमति वापस लेने से CBI केवल आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अधिकार क्षेत्र में मामला दर्ज नहीं कर सकेगी। परंतु CBI अब भी दिल्ली में मामला दर्ज कर सकती है और दोनों राज्यों में लोगों की जाँच का कार्य जारी रख सकती है।
- 11 अक्तूबर, 2018 को दिये गए दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया था कि अगर उस राज्य में, जिसने 'सामान्य सहमति' वापस ले ली है और वहाँ मामला दर्ज नहीं किया गया है तो CBI वहाँ जाँच कर सकती है।
- यह आदेश छत्तीसगढ़ (जोकि हर बार मामले के आधार पर सहमति देता है) में भ्रष्टाचार के मामले पर दिया गया था। अदालत ने आदेश दिया था कि CBI छत्तीसगढ़ सरकार की पूर्व सहमति के बिना किसी भी मामले में जाँच कर सकती है क्योंकि यह मामला दिल्ली में पंजीकृत था।
- CBI अभी भी दिल्ली में मामला दर्ज कर सकती है, बशर्ते ऐसे मामलों के कुछ हिस्से दिल्ली से जुड़े हुए हों और इन मामलों के आधार पर CBI मंत्रियों या सांसदों को गिरफ्तार कर उन पर मुक़दमा चला सकती है।

निष्कर्ष

ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब किसी राज्य सरकार ने CBI संबंधी 'सामान्य सहमति' वापस ली है। पिछले कुछ वर्षों में सिक्किम, नगालैंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक समेत कई राज्यों ने ऐसा किया है। लेकिन यदि किसी राज्य सरकार को ऐसा लगता है कि राज्य में सत्तारूढ़ दल के मंत्रियों या सदस्यों को केंद्र सरकार के आदेश पर CBI द्वारा लक्षित किया जा सकता है और सामान्य सहमति को वापस लेकर वे सुरक्षित रह सकेंगे तो शायद यह एक गलत धारणा है।

समग्र योजना एक्रॉस (ACROSS) का कार्यान्वयन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति द्वारा समग्र योजना 'एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च–मॉडलिंग ओब्सर्विंग सिस्टम्स एंड सर्विसेज़' (ACROSS) की नौ उप-योजनाओं को 1450 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से वर्ष 2017 से 2020 तक की अवधि के दौरान जारी रखने हेतु अपनी मंज़ूरी दे दी गई है।

प्रमुख बिंदु

- इन योजनाओं का कार्यान्वयन पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अपनी प्रमुख संस्थाओं यथा, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), भारतीय उष्णकटिबंध मौसम विज्ञान संस्थान (IITM), नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग (NCMRWF) और भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र (INCOIS) के माध्यम से किया जाएगा।
- मंत्रिमंडल की आर्थिक समिति द्वारा 2020-21 और इससे आगे की अवधि के दौरान 130 करोड़ रुपए की वित्तीय प्रतिबद्धता के साथ नेशनल फेसिलिटी फॉर एयरबोर्न रिसर्च (NFAR) की स्थापना करने हेतु भी अपनी मंज़ूरी प्रदान की गई।
- एक्रॉस (ACROSS) योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय से संबंधित है जो चक्रवात, तूफान, लहर, तेज़ गर्मी और गरज के साथ बारिश जैसे विभिन्न पहलुओं से निपटती है।
- एक्रॉस (ACROSS) योजना 9 उप-कार्यक्रमों से मिलकर बनी है जो बहु-विषयक और बहु-संस्थानीय स्वरूप की हैं। इस योजना का उद्देश्य समाज की बेहतरी के लिये एक विश्वसनीय मौसम और जलवायु पूर्वानुमान प्रदान करना है।
- अत: इस योजना का उद्देश्य कृषि-मौसमविज्ञान संबंधी सेवाएँ, विमानन सेवाएँ, पर्यावरण संबंधी निगरानी सेवाएँ, जल-मौसमविज्ञान संबंधी सेवाएँ, जलवायु सेवाएँ, पर्यटन, तीर्थयात्रा, पर्वतारोहण जैसी सभी सेवाओं को अंतिम उपयोगकर्ता तक समय पर पहुँचाने के कार्य को सुनिश्चित करने के लिये सतत् अवलोकनों, गहन अनुसंधान विकास और प्रभावी विस्तार तथा संचार रणनीतियों को प्रभावी रूप से अपनाकर मौसम और जलवायु पूर्वानुमान की कुशलता में सुधार लाना है।
- मौसम आधारित सेवाओं को आम लोगों तक पहुँचाने हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का कृषि विज्ञान केंद्र, विश्वविद्यालय और स्थानीय नगर पालिकाओं जैसी एजेंसियों के इसमें शामिल होने से एवं बड़ी संख्या में वैज्ञानिक तथा तकनीकी कर्मियों के साथ-साथ आवश्यक प्रशासनिक सहायता की ज़रूरत के कारण इस योजना द्वारा बेहतर रोज़गार का सृजन होगा।

नोट :

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय

- दिनांक 12, जुलाई, 2006 को राष्ट्रपति की अधिसूचना के माध्यम से नए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) की स्थापना की गई जिसमें भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD), भारतीय उष्णदेशीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) और राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र (NCRWFM) को इसके प्रशासनिक नियंत्रण में लाया गया।
- सरकार ने अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा आयोग के तर्ज पर पृथ्वी आयोग की स्थापना को भी अनुमोदन प्रदान कर दिया है।
- पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पास मौसम, जलवायु और प्राकृतिक खतरे से संबंधित घटनाओं का पूर्वानुमान करने के लिये क्षमता का विकास एवं सुधार करने हेतु अनुसंधान और विकास गतिविधियों को आयोजित करने का अधिकार है।
- इस दिशा में मंत्रालय ने अवलोकन प्रणालियों और बुनियादी ढाँचे में बढ़ोतरी करने, विशेष अभियानों के माध्यम से प्रक्रियाओं को समझने, मौसम और जलवायु मॉडलिंग, मानसून अनुसंधान, जलवायु परिवर्तन विज्ञान और जलवायु सेवाएँ आदि के माध्यम से विशिष्ट योजनाओं को तैयार करने के लिये कई पहल की हैं।

ब्रेल लिपि में संविधान

संदर्भ

हाल ही में भारत का संविधान ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराने की घोषणा की गई थी। गौरतलब है कि यह पहला मौका है, जब संविधान को ब्रेल लिपि में उपलब्ध कराया जा रहा है। ब्रेल लिपि में मुद्रित संविधान का पहला खंड 26 नवंबर को संविधान दिवस (Constitution Day) से एक दिन पहले यानी 25 नवंबर को प्रस्तुत किया जाएगा।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- सवी फाउंडेशन और स्वागत थोरात के साथ दृष्टि बाधितों हेतु बुद्धिस्ट एसोसिएशन (The Buddhist Association for the blinds) ने संयुक्त रूप से इस योजना का दायित्व लिया है। ध्यातव्य है कि स्वागत थोरात ने भारत का पहला ब्रेल न्यूज़लेटर स्पर्शद्न्यन (Sparshdnyan) शुरू किया था।
- ब्रेल (Braille) लिपि में मुद्रित यह संविधान (Constitution) दृष्टि बाधित लोगों के लिये पाँच खंडों में प्रस्तुत किया जाएगा।

अधिकारों की समानता

- बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने दृष्टि बाधितों हेतु बुद्धवंदना को पहली बार ब्रेल लिपि में प्रकाशित किया था।
- संविधान अब तक दृष्टि बाधितों की पहुँच से दूर रहा है, संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को जानने के लिये यह आवश्यक हो जाता है कि इसे ब्रेल लिपि में अनूदित किया जाए।
- संविधान की आधिकारिक प्रति, जिसका ब्रेल में अनुवाद किया गया है, को डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान (BARTI) से लिया गया है।

संविधान (Constitution)

- भारत का संविधान भारत का सर्वोच्च विधान है, जिसे संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर, 1949 को पारित किया गया तथा यह 26 जनवरी, 1950 से प्रभावी हुआ था।
- 26 नवंबर को भारत के संविधान दिवस के रूप में, जबकि 26 जनवरी को भारत में गणतन्त्र दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- संविधान के उद्देश्यों को प्रकट करने हेतु अक्सर एक प्रस्तावना प्रस्तुत की जाती है। प्रस्तावना द्वारा यह घोषणा की जाती है कि संविधान अपनी शक्ति सीधे जनता से प्राप्त करता है। यही कारण है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना (Preamble of constitution) 'हम भारत के लोग' वाक्य से प्रारंभ होती है।
- भारत अथवा 'इंडिया' राज्यों का एक संघ है। संविधान में इसे संसदीय प्रणाली की सरकार वाला एक स्वतंत्र प्रभुसत्ता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य (SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC) घोषित किया है।

नोट :

- ब्रेल लिपि की वस्तुगत सीमाओं के कारण किसी पुस्तक में 150 से अधिक पृष्ठ नहीं रखे जा सकते हैं। इसलिये अनूदित संविधान को पाँच खंडों में प्रकाशित करने का फैसला लिया गया है और इसका पहला खंड 25 नवंबर को प्रकाशित किया जाएगा।
- इस संविधान श्रृंखला का दूसरा भाग दो महीने बाद प्रकाशित किया जाएगा।
- संविधान के प्रकाशन के साथ ही ब्रेल लिपि में कई अन्य पुस्तिकाओं को भी प्रकाशित किया जाएगा जो दृष्टि बाधित समुदाय से आने वाले यूपीएससी अभ्यर्थियों तथा वकीलों के लिये सहायक होंगी।

सहयोग का परिणाम

- विभिन्न संगठनों के सहयोग के बगैर ब्रेल लिपि में संविधान का प्रकाशन संभव नहीं था।
- संगठनों के बीच आपसी समन्वय तथा सहयोग की वज़ह से ही ब्रेल लिपि में प्रकाशित यह संविधान दृष्टि बाधितों को उनके अधिकार जानने में सहायता प्रदान करेगा।

प्रवासी बच्चों की शिक्षा (Education of migrant children)

संदर्भ

हाल ही में जारी की गई ग्लोबल एजुकेशन मॉनीटरिंग रिपोर्ट 2019 में यह खुलासा किया गया है कि भारतीय शहरों में मौसमी प्रवासी परिवारों के बच्चों के 80 फीसदी हिस्से के लिये कार्यस्थल पर शिक्षा अब भी एक सपना है। अंतत: इन परिवारों के बच्चों का 40 फीसदी हिस्सा स्कूल जाने की जगह काम करना शुरू कर देते हैं, जहाँ उनका शोषण होता है।

हालात

'बिल्डिंग ब्रिज़ेज़ नॉट वॉल्स' नामक इस रिपोर्ट के अनुसार, 2013 में 6 से 14 वर्ष की उम्र के 10.7 मिलियन बच्चे घर में परिवार के किसी ऐसे सदस्य के साथ रहते थे, जो मौसमी प्रवासी था और 15 से 19 वर्ष की उम्र के युवाओं का 28 फीसदी हिस्सा अनपढ़ था।

लोग प्रवास क्यों करते हैं ?

- ग्रामीण इलाकों का कृषि आधार वहाँ रहने वाले सभी लोगों को रोज़गार प्रदान नहीं करता है।
- क्षेत्रीय विकास में असमानता लोगों को ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने के लिये मजबूर करती है।
- शैक्षणिक सुविधाओं की कमी के कारण विशेष रूप से उच्च शिक्षा प्राप्त लोग इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये ग्रामीण लोगों को शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होने के लिये प्रेरित करते हैं।
- राजनीतिक अस्थिरता और अंतर-जातीय संघर्ष के कारण भी लोग अपने घरों से दूर चले जाते हैं। उदाहरण के लिये, पिछले कुछ वर्षों में अस्थिर परिस्थितियों के कारण जम्मू-कश्मीर और असम से बड़ी संख्या में लोग प्रवास कर चुके हैं।
- गरीबी और रोज़गार के अवसरों की कमी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिये प्रेरित करती है।
- बेहतर तृतीयक स्वास्थ्य और वित्तीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिये लोग बेहतर चिकित्सा सुविधाओं की तलाश में अल्पावधि के आधार पर भी प्रवासन करते हैं।

चुनौती अब भी है

- ग्लोबल एजुकेशन मॉनीटरिंग रिपोर्ट स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर भारत द्वारा शुरू की गई पहलों पर ध्यान केंद्रित करती है जिसका उद्देश्य मौसमी प्रवासियों के बच्चों को शिक्षित करने के साथ-साथ मौसमी प्रवास की वज़ह से शिक्षा पर पड़ने वाले प्रभाव को कम करना भी है।
- यह रिपोर्ट भारत द्वारा प्रवासी बच्चों की शिक्षा में सुधार हेतु उठाए गए आवश्यक कदमों के सकारात्मक प्रभावों पर प्रकाश भी डालती है लेकिन अब भी ऐसी अनेक चुनौतियाँ हैं जिनका सामना किया जाना बाकी है।
- शहरों तथा उनके आस पास रहने वाले लोगों की आबादी में वृद्धि होने के साथ ही शिक्षा जैसी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने की आवश्कता होती है। आँकड़ों के बगैर सरकारें ऐसी ज़रूरतों को अनदेखा करती रहती हैं।
- पंजाब में किये गए एक सर्वेक्षण के मुताबिक, 2015-16 में ईंट-भट्टों में काम करने वाले मज़दूरों में 60 फीसदी मज़दूर किसी अन्य राज्य से थे। ईंट भट्टे के आस-पास रहने वाले 5 से 14 वर्ष की उम्र के 65 से 80 फीसदी बच्चे रोज 7 से 9 घंटे काम करते हैं।

नोट :

- ईट भट्टों में काम करने वाले 77 फीसदी मजदूरों के अनुसार, बच्चों की शुरुआती शिक्षा की व्यवस्था नहीं है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार, 2001 से 2011 के मध्य एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास करने की दर दो गुनी हो गई।
- 2011 से 2016 के बीच सलाना लगभग 9 मिलियन लोगों ने एक राज्य से दूसरे राज्य में प्रवास किया था।

महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा मराठों के लिये 16% कोटा को मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में महाराष्ट्र विधानसभा ने सर्वसम्मति से सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में मराठों के लिये 16% आरक्षण का प्रस्ताव करने वाला एक विधेयक पारित किया। इसके साथ ही राज्य की 85% आबादी संविधान के अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तहत संवैधानिक लाभ प्राप्त करने की हकदार होगी।

प्रमुख बिंदु

- इस विधेयक की मंज़ूरी आरक्षण सीमा को वर्तमान के 52% से बढ़ाकर 68% तक कर देगी, इस प्रकार आरक्षण सीमा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निश्चित किये गए 50% की सीमा को पार कर जाएगी।
- मराठों को 16% आरक्षण प्रदान करने के लिये 'उपयुक्त' सुझाव देते हुए यह विधेयक व्यक्त करता है कि, "यह संवैधानिक ढाँचे के अंतर्गत असाधारण समाधान की मांग करने वाली एक असाधारण स्थिति है।"
- विधेयक पारित होने की कार्यवाही की शुरुआत में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (MSBCC) की सिफारिशों पर एक कार्यवाही रिपोर्ट (Action Taken Report-ATR) के साथ दोनों सदनों में विधेयक पेश किया।
- इस मसौदा विधेयक में कहा गया है कि, "महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया है। आयोग द्वारा रोज़गार, शिक्षा, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति एवं जीवन स्तर सहित संपूर्ण अध्ययन किये जाने के आधार पर सरकार ने मराठों को सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) के अंतर्गत रखने की घोषणा की है।"
- अधिनियम के तहत सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के उद्देश्य के लिये क्रीमी लेयर (Creamy Layer) के सिद्धांत को बनाए रखते हुए विधेयक में यह प्रावधान किया गया है कि आरक्षण केवल उन लोगों को उपलब्ध कराया जाए जो क्रीमी लेयर के 'नीचे' हैं।
- राज्य की आबादी में 30% का योगदान करने वाले इस समुदाय के लिये मसौदा विधेयक में कहा गया है कि अकादमिक उत्कृष्टता की स्थिति में मराठों की उपस्थिति 'बहुत ही मामूली' है।
- औसतन 4.30% अकादमिक और शिक्षण पद ही मराठा समुदाय के व्यक्तियों द्वारा धारित हैं और पारंपरिक डिग्री की कमी उन्हें माथाडी, हमाल, डब्बावाला इत्यादि जैसे कार्यों में नियोजित करती है।
- मसौदा विधेयक में कहा गया है कि, "इस समुदाय के लगभग 70% लोग कच्चे घरों में रह रहे हैं, केवल 35.39% लोगों के पास व्यक्तिगत नल का पानी है तथा 31.79% लोग खाना पकाने के लिये लकड़ी के पारंपरिक ईंधन स्रोतों पर निर्भर हैं। वर्ष 2013-18 के बीच हुई कुल 13,368 आत्महत्या के मुकाबले 2,152 मराठा किसानों ने आत्महत्या की है।"

संविधान में आरक्षण का प्रावधान

- संविधान के अनुच्छेद 46 में राज्य से अपेक्षा की गई है कि वह समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों का ध्यानपन रखते हुए उन्हें सामाजिक अन्याय एवं सभी प्रकार के शोषण से संरक्षित रखेगा।
- शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 15(4) में किया गया है।
- पदों एवं सेवाओं में आरक्षण का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 16(4), 16(4क) और 16(4ख) में किया गया है।

नोट :

आर्थिक घटनाक्रम

विश्व बैंक की 'डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट' (doing business report) 2019

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विश्व बैंक ने अपनी नवीनतम 'डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट' (DBR 2019) जारी की। भारत ने DBR- 2019 के 'व्यापार सुगमता सूचकांक' (Ease of Doing Business) में अपनी स्थिति को बेहतर करते हुए 23 पायदान की छलांग लगाई है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- 'डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट' के अनुसार, 2 जून, 2017 से 1 मई, 2018 के बीच रिकॉर्ड 314 नियामक सुधार हुए। दुनिया भर में 128 अर्थव्यवस्थाओं ने पर्याप्त विनियामक सुधार प्रस्तुत किये जिससे डूइंग बिज़नेस द्वारा मापन में शामिल सभी क्षेत्रों में व्यवसाय करना आसान हो गया है।
- डूइंग बिज़नेस 2019 में सबसे उल्लेखनीय सुधार करने वाली अर्थव्यवस्थाएँ अफगानिस्तान, जिबूती, चीन, अज़रबैजान, भारत, टोगो, केन्या, कोट डी आईवर (आइवरी कोस्ट), तुर्की और रवांडा हैं।
- डूइंग बिज़नेस 2019 द्वारा दर्ज किये गए सभी व्यापार नियामक सुधारों में से एक-तिहाई सुधार उप-सहारा अफ्रीका की अर्थव्यवस्थाओं में हुए। कुल 107 सुधारों के साथ उप-सहारा अफ्रीका में हुए सुधारों की संख्या एक रिकॉर्ड है।
- ब्रिक्स अर्थव्यवस्थाओं- ब्राजील, रूसी संघ, भारत और चीन में कुल 21 सुधार हुए, जिसमें सुधार के सबसे आम क्षेत्रों- सीमा-पार व्यापार और विद्युत् उत्पादन में हुआ।
- व्यापार सुगमता सूचकांक की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएँ विनियामक दक्षता और गुणवत्ता की सामान्य विशेषताओं को साझा करती हैं, जिसमें निर्माण के दौरान अनिवार्य निरीक्षण, बिजली कटौती के दौरान सेवा बहाल करने के लिये स्वचालित उपकरणों का उपयोग, दिवालिया कार्यवाही में लेनदारों के लिये उपलब्ध मज़बूत सुरक्षा उपायों की उपलब्धता और स्वचालित विशेषीकृत वाणिज्यिक अदालतें शामिल हैं।

भारत की स्थिति

- विश्व बैंक द्वारा 'डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट' के आकलन में 190 देशों को शामिल किया गया जिसमें भारत 2017 के 100वें पायदान से और ऊपर चढ़कर अब 77वें पायदान पर पहुँच गया है।
- भारत द्वारा 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में लगाई गई 23 पायदानों की ऊँची छलांग निश्चित तौर पर महत्त्वपूर्ण है क्योंकि पिछले वर्ष इस सूचकांक में भारत ने अपनी रैंकिंग में 30 पायदानों की ज़बरदस्त छलांग लगाई थी जो भारत के आकार वाले किसी भी विशाल एवं विविधतापूर्ण देश के लिये एक बड़ी उपलब्धि है।
- 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में भारत पिछले दो वर्षों में 53 पायदान और पिछले चार वर्षों में 65 पायदान ऊपर चढ़ गया।

डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट का महत्त्व

- 'डूइंग बिज़नेस आकलन' से उन 10 पैमानों पर 190 देशों में व्यवसाय या बिज़नेस संबंधी नियम-कायदों और उन पर अमल के वस्तुनिष्ठ लक्ष्यों के बारे में पता चलता है जो किसी भी व्यवसाय के समूचे कारोबारी चक्र पर असर डालते हैं।
- DBR में देशों की रैंकिंग 'डिस्टेंस टू फ्रंटियर (DTF)' के आधार पर की जाती है जो एक विशिष्ट स्कोर है और जो किसी भी अर्थव्यवस्था में अपनाए जाने वाले कारोबारी तौर-तरीकों तथा वैश्विक सर्वोत्तम कारोबारी तौर-तरीकों में अंतर को दर्शाता है। भारत का DTF स्कोर जो पिछले वर्ष 60.76 था, इस वर्ष बढ़कर 67.23 हो गया है।
- भारत 10 संकेतकों में से 6 संकेतकों से जुड़ी अपनी रैंकिंग को बेहतर करने में कामयाब रहा है और इसके साथ ही वह 10 संकेतकों में से 7 संकेतकों पर वैश्विक सर्वोत्तम कारोबारी तौर-तरीकों के और करीब पहुँच गया है।

नोट :

- सबसे उल्लेखनीय सुधार 'निर्माण परमिट' और 'सीमा पार व्यापार' से जुड़े संकेतकों के मामले में देखा गया है। निर्माण परमिट की स्वीकृति देने के मामले में भारत की रैंकिंग वर्ष 2017 की 181वीं से बेहतर होकर वर्ष 2018 में 52वीं हो गई है जो एक ही वर्ष में 129 रैंकिंग के अभूतपूर्व सुधार को दर्शाता है।
- इसी तरह 'सीमा पार व्यापार' से जुड़े संकेतकों के मामले में भारत की रैंकिंग वर्ष 2017 की 146वीं से बेहतर होकर वर्ष 2018 में 80वीं हो गई है जो एक ही वर्ष में 66 रैंकिंग के उल्लेखनीय सुधार को दर्शाता है।

जिन छह संकेतकों पर भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ है वे निम्नलिखित हैं-

- इस वर्ष भारत के प्रदर्शन संबंधी मुख्य बातें
- विश्व बैंक ने वर्ष के दौरान उल्लेखनीय सुधार करने वाले शीर्ष देशों में भारत को भी शामिल किया है।
- उल्लेखनीय सुधार करने वाले शीर्ष देशों में भारत की गिनती लगातार दूसरे वर्ष भी की गई है।
- भारत प्रथम ब्रिक्स और दक्षिण एशियाई देश है जिसे सुधार करने वाले शीर्ष देशों में लगातार दूसरे वर्ष शामिल किया गया है।
- भारत ने दो वर्षों में अपनी रैंकिंग में 53 पायदानों की ऊँची छलांग लगाई है जो डूइंग बिज़नेस आकलन में वर्ष 2011 के बाद किसी भी बड़े देश द्वारा दो वर्षों में की गई सर्वाधिक बेहतरी को दर्शाता है।
- प्रदर्शन में निरंतर सुधार की बदौलत भारत अब दक्षिण एशियाई देशों में प्रथम स्थान पर पहुँच गया है, जबकि वर्ष 2014 में यह छठे स्थान पर था।

डूइंग बिज़नेस- 2019

- 'डूइंग बिज़नेस-2019: ट्रेनिंग फॉर रिफॉर्म' विश्व बैंक समूह का एक महत्त्वपूर्ण प्रकाशन है। यह कारोबार को बढ़ाने और इसमें बाधा उत्पन्न करने वाले नियामकों को मापने वाली वार्षिक गतिविधियों की एक श्रृंखला का 16वाँ संस्करण है।
- डूइंग बिज़नेस, व्यापार नियमों और संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा पर मात्रात्मक संकेतक प्रस्तुत करता है जिनकी तुलना अफगानिस्तान से ज़िम्बाब्वे तक 190 अर्थव्यवस्थाओं के बीच की जा सकती है।
- डूइंग बिज़नेस, व्यापार के 11 क्षेत्रों को प्रभावित करने वाले नियमों की समीक्षा करता है। इन क्षेत्रों में से दस को इस साल की व्यापार सुगमता सूचकांक रैंकिंग में शामिल किया गया है। ये 10 क्षेत्र हैं-
  - किसी व्यवसाय को शुरू करना
  - निर्माण परमिट
  - बिजली प्राप्त करना
  - संपत्ति पंजीकृत करना
  - ऋण प्राप्त करना
  - लघु निवेशकों की रक्षा करना
  - करों का भुगतान करना
  - सीमा पार व्यापार
  - अनुबंधों को लागू करना
  - दिवालियापन की समस्या को हल करना।
- डूइंग बिज़नेस में श्रम बाज़ार विनियमन की भी माप की जाती है लेकिन इस वर्ष की रैंकिंग में इसे शामिल नहीं किया गया है।
- संकेतकों का प्रयोग आर्थिक परिणामों का विश्लेषण करने के लिये तथा यह जानने के लिये किया जाता है कि किन नियमों ने कब और कैसे काम किया।

नोट :

MSMEs सेक्टर के लिये सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम
(Support and Outreach Initiative for MSME sector)

चर्चा में क्यों ?

2 नवंबर, 2018 को प्रधानमंत्री ने सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम (MSMEs) सेक्टर के लिये एक ऐतिहासिक सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत 12 महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ की गई हैं जिनसे देश भर में MSMEs के विकास और विस्तार के साथ-साथ उन्हें सहूलियतें देने में मदद मिलेगी।

सहयोग एवं संपर्क कार्यक्रम के अंतर्गत घोषणाएँ

- MSMEs को आसानी से ऋण उपलब्ध कराने के लिये एक लोन पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की गई। इस पोर्टल के ज़रिये सिर्फ 59 मिनट में एक करोड़ रुपए तक के ऋणों को सैद्धांतिक मंज़ूरी दी जा सकती है। GST पोर्टल के ज़रिये इस पोर्टल का एक लिंक उपलब्ध कराया जाएगा।
- सभी GST पंजीकृत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिये दो प्रतिशत ब्याज सब्सिडी देने की घोषणा। शिपमेंट से पूर्व और बाद की अवधि में ऋण लेने वाले निर्यातकों के लिये ब्याज में छूट तीन प्रतिशत से बढ़ाकर पाँच प्रतिशत करने की घोषणा की गई।
- पाँच सौ करोड़ रुपए से अधिक टर्नओवर वाली सभी कंपनियों को आवश्यक रूप से व्यापार प्राप्तियाँ ई-डिस्काउंटिंग प्रणाली (TREDS) पोर्टल में शामिल किया जाए। इस घोषणा में शामिल होने से उद्यमी अपनी आगामी प्राप्तियों के आधार पर बैंकों से ऋण ले सकेंगे। इससे उनके नकदी चक्र की समस्याएँ हल हो जाएंगी।
- सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को अब 20 प्रतिशत की बजाय अपनी कुल खरीदारी में से 25 प्रतिशत खरीदारी MSMEs से करने के लिये कहा गया है।
- पाँचवी घोषणा महिला उद्यमियों से संबंधित है। MSMEs से की गई आवश्यक 25 प्रतिशत खरीदारी में से 3 प्रतिशत खरीदारी अब महिला उद्यमियों के लिये आरक्षित की गई है।
- केंद्र सरकार के सभी सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब आवश्यक रूप से GeM (Government e-Market place) का हिस्सा होना चाहिये। उन्हें अपने सभी विक्रेताओं को GeM से पंजीकृत कराया जाना चाहिये।
- पूरे देश में स्थित टूल रूम्स अब उत्पाद डिज़ाइन के महत्त्वपूर्ण हिस्से हैं। पूरे देश में इससे संबंधित 22 केंद्र बनाए जाएंगे और टूल रूम के रूप में 100 स्पोक्स स्थापित किये जाएंगे।
- फार्मा क्षेत्र के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिये क्लस्टर बनाए जाएंगे। इन क्लस्टर के निर्माण की लागत का 70 प्रतिशत केंद्र सरकार वहन करेगी।
- 9वीं घोषणा सरकारी प्रक्रियाओं के सरलीकरण के बारे में है। इस घोषणा के तहत आठ श्रम कानूनों और 10 केंद्रीय नियमों के अंतर्गत अब साल में एक ही बार रिटर्न फाइल किये जाएंगे।
- 10वीं घोषणा यह है कि अब प्रतिष्ठानों का निरीक्षक द्वारा किये जाने वाला दौरा कंप्यूटर आधारित औचक आवंटन के जरिये तय किया जाएगा।
- इकाई स्थापित करने के संबंध में उद्यमियों को दो क्लीयरेंस की ज़रूरत होती है- पर्यावरण क्लीयरेंस और इकाई स्थापित करने की रजामंदी। 11वीं घोषणा के अंतर्गत वायु प्रदूषण और जल प्रदूषण नियमों के तहत इन दोनों क्लीयरेंस को एकल अनुमति में समाविष्ट कर दिया गया है। अब रिटर्न, स्व–प्रमाणीकरण के ज़रिये स्वीकार किया जाएगा।
- एक अध्यादेश लाया गया है, जिसके तहत कंपनी अधिनियम के संबंध में मामूली उल्लंघनों के लिये उद्यमी को अदालतों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। उन्हें आसान प्रक्रियाओं के तहत दुरुस्त कर लिया जाएगा।

MSMEs के प्रमुख पहलू

- MSMEs भारत के प्रमुख रोज़गार-दाताओं में से एक है। MSMEs क्षेत्र की सहूलियत से जुड़े पाँच महत्त्वपूर्ण पहलू हैं इस प्रकार हैं-
  - ऋणों तक पहुँच

नोट :

- बाज़ार तक पहुँच
- तकनीकी उन्नयन
- कारोबार में सुगमता
- कर्मचारियों की सुरक्षा की भावना

- उपरोक्त घोषणाओं के माध्यम से इन पाँचों क्षेत्रों के लिये उपयुक्त समाधान प्राप्त हो सकेगा।

MSMEs सेक्टर के कर्मचारियों के लिये सामाजिक सुरक्षा

- इस कार्यक्रम के तहत MSMEs सेक्टर के कर्मचारियों के लिये सामाजिक सुरक्षा का भी उल्लेख किया गया है। साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिये एक मिशन शुरू किया जाएगा कि उन्हें जन-धन खाता, भविष्य निधि और बीमा उपलब्ध हो।

आगे की राह

- इन फैसलों से भारत में MSMEs सेक्टर को मज़बूत बनाने में सहायता मिलेगी। अगले 100 दिनों के दौरान इस आउटरीच कार्यक्रम के कार्यान्वयन की गहन निगरानी की जाएगी।
- ये सभी घोषणाएँ MSMEs क्षेत्र के लिये एक नया अध्याय साबित होंगी।

आर्थिक शिथिलता और क्षतिपूर्ति

चर्चा में क्यों

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) हेतु क्रेडिट उपलब्धता में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा किया जा रहा हस्तक्षेप स्वागत योग्य कदम है जो आर्थिक संवृद्धि में सहायक साबित हो सकता है। यह एक स्वीकार्य तथ्य है कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (MSMEs) विमुद्रीकरण (Demonetisation) के साथ-साथ वस्तु एवं सेवा कर (GST) जैसे कानूनों से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

विमुद्रीकरण (Demonetisation) ने इन इकाइयों के समक्ष मज़दूरों को नकद भुगतान और क्रेडिट हासिल करने की समस्या खड़ी कर दी, जो अनौपचारिक चैनलों के माध्यम से बड़े पैमाने पर होता था।

- इसी तरह वस्तु एवं सेवा कर (GST) ने कागज़ी काम-काज से मुक्त, नकदी में व्यवसाय करने के निहित फायदों से वंचित करते हुए अनुपालन लागत में वृद्धि कर दी।
- तथ्य यह है कि MSMEs का बकाया सकल बैंक क्रेडिट वास्तव में सितंबर 2014 और सितंबर 2018 के बीच 4.71 लाख करोड़ रुपए से घटकर 4.69 करोड़ रुपए हो गया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जैसे पुनर्वित्त योजनाओं के बावजूद औपचारिक ऋण संस्थान आर्थिक शिथिलता को गति देने में असमर्थ रहे हैं।
- यह चिंताजनक इसलिये है क्योंकि MSME क्षेत्र देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30 प्रतिशत, विनिर्माण उत्पादन का 45 प्रतिशत और व्यापार निर्यात का 40 प्रतिशत हिस्सा धारण करता है।
- यह देखते हुए कि GST और विमुद्रीकरण जैसे कानूनों की मार झेलते हुए भी MSME क्षेत्र ने बैंकिंग प्रणाली की गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के संकट में सबसे कम योगदान किया है, अत: सरकार की नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है कि इस क्षेत्र की सहायता की जाए।
- हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को लोन की सुविधा प्रदान की गई है। इससे हफ्तों बैंकों के चक्कर लगाने, बोझिल व जटिल पेपरवर्क करने की कोई जरूरत नहीं होगी।
- केंद्र सरकार ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जिससे 1 करोड़ रुपए तक के बिज़नेस लोन सिर्फ 59 मिनट में मिल जाएंगे।
- छोटे उद्यमियों के लिये यह योजना काफी कारगर साबित होने वाली है और इसके तहत 20-25 दिनों की बजाय सिर्फ 59 मिनट में लोन को मंज़ूरी मिल जाएगी। मंज़ूरी के बाद करीब एक हफ्ते में लोन का वितरण हो जाएगा।
- इस सरकारी वेबसाइट पर एक घंटे से भी कम वक्त में 10 लाख से लेकर एक करोड़ रुपए तक के बिज़नेस लोन को सैद्धांतिक मंज़ूरी मिल चुकी है।

नोट :

- गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों (NBFCs) की स्थिति भी चिंता का विषय है, जिनका MSMEs में कुल औपचारिक क्रेडिट हिस्सा दिसंबर 2015 में करीब 5.5 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2018 में 10 प्रतिशत हो गया है।
- ऐसे संस्थान अब खुद लिक्विडिटी की कमी का सामना कर रहे हैं, जैसे IL&FS का ऋण न चुका पाना।
- शिथिल पड़ती जा रही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को गति प्रदान करने वाले ऐसे उपाय स्वागत योग्य हैं। इसके अलावा सतत् आर्थिक संवृद्धि के लिये सामरिक उपायों को भी अपनाने की आवश्यकता है जो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में आपसी सामंजस्य बैठाते हुए गति प्रदान करने में सक्षम होंगे।

पेंशन तथा बीमा पॉलिसी में बदलाव हेतु सिफारिशें

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में एक पैनल द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (Insurance Regulatory and Development Authority) को पेंशन तथा बीमा प्लांस में कई तरह के बदलाव करने की पेशकश की गई है। इन बदलावों से बीमाधारकों को फायदा होने की उम्मीद है।

प्रमुख बिंदु

- बीमा नियामक को की गई सिफारिशों में कहा गया है कि किसी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी की शुरुआत के बाद, होने वाली सभी स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियों को पॉलिसी के तहत शामिल किया जाना चाहिये, इन्हें स्थायी रूप से बहिष्कृत नहीं किया जा सकता है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया है कि पॉलिसी की शुरुआत के बाद की सभी स्वास्थ्य परिस्थितियों को, इसके अंतर्गत उन स्थितियों को शामिल नहीं किया जाएगा जो पॉलिसी अनुबंध (जैसे बांझपन और मातृत्व) के अंतर्गत शामिल हैं, पॉलिसी के तहत कवर किया जाना चाहिये।
- अर्थात पॉलिसी की शुरुआत के बाद अल्जाइमर, पार्किंसंस, एड्स/एचआईवी संक्रमण, विकृत मोटापे आदि जैसी अनुबंधित बीमारियों का बहिष्कार नहीं किया जा सकता है।
- पैनल ने सिफारिश की है कि किसी भी विशिष्ट बीमारी की स्थिति के लिये पॉलिसी के शब्दों में कोई स्थायी बहिष्करण नहीं होना चाहिये, चाहे वह बीमारी शारीरिक हो, अपजनन संबंधी हो अथवा पुरानी कोई बीमारी हो।
- इन सिफारिशों में 17 स्थितियों का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत मिर्गी, दिल की जन्मजात बीमारी, हृदय रोग और वाल्वुलर हृदय रोग, पुराने यकृत रोग, सुनने में परेशानी, एचआईवी और एड्स, अल्जाइमर, पार्किंसंस आदि को शामिल किया गया है।
- इसके अतिरिक्त यह भी कहा गया है कि बीमाकर्त्ताओं को किसी भी विशिष्ट बीमारी की स्थिति में अधिकतम 4 वर्षों तक की प्रतीक्षा अवधि (अवधि जब दावा स्वीकार्य नहीं है) को शामिल करने की अनुमति दी जा सकती है। उच्च रक्तचाप, मधुमेह, हृदय संबंधी स्थितियों के लिये 30 दिनों से अधिक समय की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
- इस रिपोर्ट में अनुशंसित परिवर्तनों से बीमा पॉलिसी के मूल्य प्रभावित होने की संभावना बढ़ गई है। साथ ही नियामक को भी बहिष्कृत परिस्थितियों के संबंध में भी स्पष्ट परिभाषा देनी होगी ताकि भविष्य में किसी प्रकार के विवाद से बचा जा सकें तथा सभी के लिये बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएँ सुनिश्चित की जा सकें।

ऑपरेशन ग्रीन्स के लिये मार्ग-निर्देश (guidelines for OPERATION GREENS)

चर्चा में क्यों ?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने ऑपरेशन ग्रीन्स के लिये संचालन संबंधी उपायों को अपनी मंज़ूरी दे दी है। उल्लेखनीय है कि देश भर में पूरे वर्ष मूल्यों में बिना उतार-चढ़ाव के टमाटर, प्याज और आलू की आपूर्ति व उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार ने 2018-19 के बजट भाषण में 500 करोड़ रुपए की लागत से ऑपरेशन ग्रीन्स योजना को शुरू करने की घोषणा की थी।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- 2018-19 के बजट में 'ऑपरेशन फ्लड' की तर्ज़ पर किसान उत्पादक संगठनों, कृषि-रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिये 500 करोड़ रुपए के व्यय के साथ एक नई योजना 'ऑपरेशन ग्रीन्स' की घोषणा की गई थी।
- इस योजना को सभी हितधारकों के साथ निरंतर वार्ता के बाद तैयार किया गया है। इसके तहत टमाटर, प्याज और आलू की कीमतों को स्थिर करने के उपायों के बारे में निर्णय लिया गया है।
- इन उपायों का उद्देश्य देश भर में पूरे वर्ष के दौरान सभी परिवारों तक इन सब्जियों की पहुँच को सुनिश्चित करना है।
- इस योजना के तहत विशेष उपाय करने के साथ-साथ अनुदान की रूपरेखा भी तैयार की गई है जिससे इन फसलों का उत्पादन बढ़े और एक मूल्य श्रृंखला कायम हो।

मंत्रालय द्वारा किये गए उपाय

(I) लघुकालिक मूल्य स्थिरीकरण उपाय

- मूल्य स्थिरीकरण उपाय को लागू करने में नैफेड शीर्ष एजेंसी होगी।
- निम्नलिखित दो घटकों पर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 50 प्रतिशत सब्सिडी देगा-
  - उत्पादन स्थल से लेकर भंडार तक आलू, प्याज और टमाटर की फसलों की ढुलाई।
  - टमाटर, प्याज और आलू की फसलों के लिये समुचित भंडार सुविधाओं का किराया।

(II) दीर्घकालिक समन्वित मूल्य श्रृंखला विकास परियोजना

- किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) और उनके केंद्रों कि क्षमता का निर्माण।
- गुणवत्तापूर्ण उत्पादन।
- फसल पश्चात् प्रसंस्करण सुविधा।
- कृषि उपस्कर।
- विपणन / उपभोग केंद्र।
- टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की मांग तथा आपूर्ति प्रबंधन के लिये ई-प्लेटफॉर्म का निर्माण और प्रबंधन।

अनुदान सहायता प्रक्रिया

- सभी क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 50 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता इस प्रणाली में शामिल होगी, बशर्ते प्रति परियोजना यह अधिकतम 50 करोड़ रुपए हो।
- हालाँकि जिस मामले में PIA ही FPO हो, सभी क्षेत्रों में पात्र परियोजना लागत के 70 प्रतिशत की दर से अनुदान सहायता दी जाएगी, बशर्ते प्रति परियोजना यह राशि अधिकतम 50 करोड़ रुपए हो।
- पात्र संगठनों में राज्य कृषि और अन्य विपणन परिसंघ, किसान उत्पादक संगठन, सहकारी संगठन, कंपनी, स्व-सहायता समूह, खाद्य प्रसंस्करणकर्त्ता, उपस्कर ऑपरेटर, सेवा प्रदाता, आपूर्ति श्रृंखला ऑपरेटर, खुदरा एवं थोक श्रृंखला तथा केंद्रीय और राज्य सरकार एवं उनकी इकाइयाँ/संगठन शामिल हैं, जो इस कार्यक्रम में भाग लेने के साथ ही वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये पात्र होंगे।
- इस योजना के तहत पात्रता शर्तें पूरी करने वाले आवेदक संपूर्ण कागज़ात संलग्न करते हुए मंत्रालय के संपदा पोर्टल (https://sampada.gov.in/) पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

नोट :

कौशल विकास योजनाओं से अनभिज्ञ युवा (youth unaware of skill development programmes)

संदर्भ

हाल ही में ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (ORF-WEF) ने यंग 'इंडिया एंड वर्क' नामक एक अध्ययन किया। इसके मुताबिक, भारत के 70 फीसदी युवा सरकार द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास योजनाओं से अनभिज्ञ हैं। हालाँकि 70 फीसदी से अधिक युवा कौशल प्रशिक्षण लेने में गहन रुचि रखते हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस अध्ययन में युवाओं का रोज़गार और रोज़गार के प्रति उनकी आकांक्षा का पता लगाने के लिये 15 से 30 वर्ष की उम्र के लगभग 6,000 युवाओं का सर्वेक्षण किया गया था।
- लगभग तीन-चौथाई युवाओं ने कौशल विकास कार्यक्रम में कभी नामांकन नहीं कराया है।
- प्रत्येक समूह के हर तीसरे युवा ने प्रशिक्षण में कम भागीदारी के पीछे आर्थिक तथा समय की कमी जैसी बाधाओं का होना बताया।
- इस अध्ययन के अनुसार, 26 से 30 वर्ष की महिलाओं का लगभग तीन-चौथाई हिस्सा सरकार द्वारा चलाए जा रहे कौशल योजनाओं से अनभिज्ञ है।
- यह अध्ययन युवाओं तथा सरकार के मध्य जुड़ाव की कमी के साथ-साथ युवाओं तथा उद्योगों के मध्य जुड़ाव की कमी पर भी प्रकाश डालता है।
- 60 प्रतिशत युवाओं का कहना है कि उद्योगों और युवाओं के मध्य जुड़ाव को सरकारी कार्रवाइयों तथा नीति निर्माण के द्वारा बढ़ाया जा सकता है।
- अध्ययन के निष्कर्षों से ज्ञात होता है कि उन औद्योगिक क्षेत्रों की संवृद्धि बहुत कम हुई है जिनकी तरफ युवाओं का झुकाव सबसे ज़्यादा होता है।
- आईटी, संचार और दूरसंचार क्षेत्र युवाओं के सबसे बड़े नियोक्ता के रूप में उभरे हैं।
- लगभग 30 प्रतिशत युवाओं ने बताया कि वे अपने कार्य से संतुष्ट नहीं हैं और कुछ युवा ऐसे भी हैं जो अपने कार्य को लेकर थोड़े संतुष्ट हैं।
- आधे से अधिक युवा सरकारी क्षेत्र की नौकरियों को वरीयता देते हैं, जबकि 23 फीसदी युवा निजी क्षेत्र की नौकरियों को वरीयता देते हैं।

विश्व आर्थिक मंच

- विश्व आर्थिक मंच सार्वजनिक-निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जिसका उद्देश्य विश्व के प्रमुख व्यावसायिक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, शिक्षाविदों, बुद्धिजीवियों तथा अन्य प्रमुख क्षेत्रों के अग्रणी लोगों के लिये एक मंच के रूप में काम करना है।
- यह स्विट्ज़रलैंड में स्थित एक गैर-लाभकारी संस्था है और इसका मुख्यालय जिनेवा में है।
- इस फोरम की स्थापना 1971 मेंयूरोपियन प्रबंधन के नाम से जिनेवा विश्वविद्यालय में कार्यरत प्रोफेसर क्लॉस एम. श्वाब ने की थी।
- इस संस्था की सदस्यता अनेक स्तरों पर होती है और ये स्तर संस्था के काम में उनकी सहभागिता पर निर्भर करते हैं। इसके माध्यम से विश्व के समक्ष मौजूद महत्त्वपूर्ण आर्थिक एवं सामाजिक मुद्दों पर परिचर्चा का आयोजन किया जाता है।
- इस मंच का सबसे चर्चित और महत्त्वपूर्ण आयोजन यही शीतकालीन बैठक होती है, जिसे अन्य नेताओं के अलावा भारत के प्रधानमंत्री ने भी संबोधित किया था।

सीपीएसई ईटीएफ में 4 नई कंपनियाँ शामिल (new companies included in CPSE ETF)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में वित्त मंत्रालय ने सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) को पुनर्गठित किया है और इसमें सार्वजनिक क्षेत्र वाली 4 कंपनियों एनटीपीसी, एसजेवीएन, एनएलसी और एनबीसीसी के शेयरों को शामिल किया गया है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- मंत्रालय ने ईटीएफ बास्केट से भारत की तीन मौजूदा कंपनियों गेल, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) और कंटेनर कॉर्पोरेशन को हटा दिया है और उनके स्थान पर चार नई कंपनियों को शामिल किया है।
- आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, सीपीएसई ईटीएफ में अब राज्य-स्वामित्व वाली 10 कंपनियों के स्थान पर 11 कंपनियाँ हो गई हैं।
- मंत्रालय इस महीने के अंत तक सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) के फॉलो-ऑन सार्वजनिक प्रस्ताव को लॉन्च करने की योजना बना रहा है और मंत्रालय को इससे करीब आठ हजार करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है।
- सीपीएसई ईटीएफ में शामिल अन्य सात सरकारी कंपनियाँ ओएनजीसी, कोल इंडिया, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, ऑयल इंडिया, पीएफसी, आरईसी और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हैं।
- मंत्रालय पहले ही सीपीएसई की तीन खेप से 11,500 करोड़ रुपए जुटा चुका है और इस महीने के अंत तक चौथी किश्त की योजना बनाई जा रही है।

ईटीएफ क्या है ?

- एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) नियमित म्यूच्यूअल फंड के विपरीत स्टॉक एक्सचेंज में साधारण स्टॉक जैसा कारोबार करते हैं।
- ईटीएफ की खरीद-बिक्री मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के पंजीकृत ब्रोकर के ज़रिये की जाती है।
- ईटीएफ यूनिट स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होते हैं बाज़ारों की गति और रुझान के चलते इनके सकल आस्ति मूल्य (NAV) में बदलाव दिखता है।

सार्वजनिक निजी भागीदारी (PPP) के माध्यम से छह हवाई अड्डों को मंज़ूरी

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित के लिये अपनी मंज़ूरी दी है :

- सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति (Public Private Partnership Appraisal Committee-PPPAC) के माध्यम से सार्वजनिक निजी भागीदारी (Public Private Partnership-PPP) के तहत परिचालन, प्रबंधन और विकास के लिये भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के छह हवाई अड्डों - अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु को लीज पर देने के लिये सैद्धांतिक रूप से मंज़ूरी।
- पीपीपीएसी के कार्यक्षेत्र से बाहर के किसी मुद्दे पर निर्णय लेने के लिये नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के नेतृत्व में नागर विमानन मंत्रालय के सचिव, आर्थिक मामलों के विभाग के सचिव तथा व्यय विभाग के सचिव को शामिल करके सचिवों के अधिकारप्राप्त समूह का गठन करना।

लाभ:

- बुनियादी ढांचा परियोजनओं में पीपीपी से सार्वजनिक क्षेत्र में आवश्यक निवेशों को जुटाने के अलावा सेवा आपूर्ति, विशेषज्ञता, उद्यमता और व्यावसायिक कौशल में दक्षता आती है।
- हैदराबाद और बेंगलुरु में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों के विकास के लिये पीपीपी मॉड्ल से बुनियादी ढांचा परियोजना में हवाई अड्डों पर विश्व श्रेणी का बुनियादी ढांचा जुटाने, हवाई अड्डे पर आने वाले यात्रियों को कुशल और समयबद्ध सेवाओं की आपूर्ति करने और बिना किसी निवेश के भारतीय विमान प्राधिकरण की राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने में मदद मिली है। वर्तमान में पीपीपी मॉड्ल के तहत प्रबंध किये जा रहे हवाई अड्डों में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोच्चि शामिल हैं।
- भारत में पीपीपी हवाई अड्डों ने हवाई अड्डा सेवा गुणवत्ता (एएसक्यू) के रूप में हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय परिषद (एसीआई) द्वारा अपनी संबंधित श्रेणियों में शीर्ष पाँच हवाई अड्डों में रैंक हासिल की है।
- इन पीपीपी अनुभवों ने विश्व स्तर के हवाई अड्डों का सृजन करने में मदद की है। इसने देश के अन्य भागों में हवाई अड्डों के विकास और एयर नेवीगेशन बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित करके राजस्व में बढ़ोत्तरी करने में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की मदद भी की है।

नोट :

पृष्ठभूमि:

- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा में बढ़ोतरी के साथ-साथ अधिकांश हवाई अड्डों पर भारी भीड़ तथा एक दशक से अधिक समय पूर्व निजीकरण किए गए पाँच हवाई अड्डों पर मजबूत यातायात वृद्धि ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय परिचालकों और निवेशकों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है। अंतर्राष्ट्रीय दिलचस्पी के रूप में बुनियादी ढांचा क्षेत्रों में हवाई अड्डा क्षेत्र एक शीर्ष प्रतियोगी क्षेत्र है। अंतर्राष्ट्रीय परिषद और निवेशक तीन-चार मिलियन यात्री से अधिक क्षमता वाले ब्राउन फील्ड हवाई अड्डों के विस्तार में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। हवाई अड्डा क्षेत्र पीपीपी मॉड्ल को अपनाने से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) आकर्षित करने का तुरंत अवसर उपलब्ध करा सकता है।
- इसलिए भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण के छह हवाई अड्डों - अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम और मंगलुरु को पहले चरण में लीज पर देने का निर्णय लिया गया है। इससे भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का राजस्व बढ़ने तथा रोजगार सृजन और संबंधित बुनियादी ढांचे के रूप में इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में बढ़ोतरी होने का अनुमान है।

रेटिंग एजेंसियों पर सेबी की सख्ती (Sebi tightens norms for rating agencies)

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड ने भारत के बाज़ार नियामक ने क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिये खुलासा तथा समीक्षा करने संबंधी मानदंडों को सख्त कर दिया है। सेबी द्वारा उठाए गए इस कदम को आईएलऐंडएफएस (IL&FS) संकट के असर के तौर पर देखा जा रहा है।

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को खुलासा करते समय कई कारकों को ध्यान में रखना होगा। इन कारकों में प्रमोटर सपोर्ट, सहयोगी कंपनियों के साथ संबंध और निकट अवधि भुगतान दायित्वों को पूरा करने के लिये नकदी की स्थिति शामिल है।
- यदि रेटिंग का कारक मूल कंपनी या सरकार से समर्थन है तो प्रवर्तक का नाम और किसी भी उम्मीद के लिये दलील को रेटिंग एजेंसी द्वारा मुहैया कराया जाएगा। इसके अलावा जब रेटिंग के लिये सहयोगी कंपनियों या समूह कंपनियों को साथ मिलाया जाता है तो क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को इन सभी कंपनियों की सूची बनानी होगी साथ हही इन कंपनियों के एकीकरण का कारण भी बताना होगा।
- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को रेटिंग एक्शन के बारे में प्रेस रिलीज में नकदी के लिये एक सेक्शन जोडऩे की जरूरत है। इस सेक्शन में यह बताया जाना चाहिए कि निकट अवधि भुगतान दायित्वों को पूरा करने के संबंध में कंपनी की क्या स्थिति है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस कदम से निवेशकों को कंपनी की नकदी की स्थिति को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिलेगी।
- पुनर्भुगतान के कार्यक्रम की निगरानी करते समय क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को कंपनी की नकदी की स्थिति में गिरावट का विश्लेषण करना होगा और साथ ही परिसंपत्ति-देनदारी में किसी तरह की अनियमितता पर भी ध्यान देना होगा।
- सेबी द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के मुताबिक, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को अर्द्धवार्षिक आधार पर (31 मार्च और 30 सितंबर को) 15 दिनों के भीतर इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग श्रेणी में त्वरित रेटिंग कार्यवाही के आधार पर डेटा प्रस्तुत करना होगा।

पृष्ठभूमि

- क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां किसी कंपनी की क्रेडिट योग्यता को प्रभावित करने वाले कारकों की निगरानी और विश्लेषण करती हैं और इस तरह बॉन्ड की कीमत तय करने में मदद करती हैं।
- लेकिन IL&FS मामले में क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के कार्यप्रणाली से भारतीय बाज़ार नियामक संतुष्ट नहीं था। बाज़ार नियामक का मानना है कि क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां कंपनी के शुरुआती संकेतों को भांपने में नाकाम रहीं जिसके चलते उन्होंने इस संबंध में कोई चेतावनी जारी नहीं की थी। इसके बाद सेबी ने रेटिंग एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ कई दौर की बैठकें की तथा अंतत: ये दिशा-निर्देश जारी किये हैं।

नोट :

कृषि व्यापार में सुगमता की जाँच के लिये नया सूचकांक
(New index to check ease of doing agri-business)

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार अगले वर्ष की शुरुआत में कृषि-व्यापार में सुगमता हेतु एक नया सूचकांक शुरू करना चाहती है। यह सूचकांक राज्यों को कृषि में उनके निवेश, उत्पादकता में वृद्धि, इनपुट लागत में कमी और जोखिम शमन उपायों के साथ ही साथ अन्य सुधारों के आधार पर रैंक प्रदान करेगा।

प्रमुख बिंदु

- राज्यों को जल्द ही कृषि-व्यापार को प्रोत्साहित करने में विशेषकर विपणन, भूमि और शासन में सुधारों के संबंध में उनके प्रदर्शन के आधार पर कृषि मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं के लिये अतिरिक्त धनराशि मिलने की शुरुआत हो सकती है।
- सूचकांक के लिये जारी किये गए हालिया अवधारणा नोट में कहा गया है कि कृषि मंत्रालय विभिन्न प्रमुख योजनाओं में उपलब्ध फ्लेक्सी फंडों से आवंटन के साथ प्रदर्शन को जोड़कर उच्च निष्पादित राज्यों को [पूर्ण और वृद्धिशील दोनों शर्तों में] पुरस्कृत करने पर विचार कर सकता है।
- नीति आयोग पहले से ही एक कृषि विपणन और कृषक अनुकूल सुधार सूचकांक जारी करता है, जो इन सुधारों के कार्यान्वयन पर राज्यों को रेटिंग प्रदान करता है। वर्ष 2016 में उस सूचकांक के प्रारंभिक संस्करण में महाराष्ट्र रैंकिंग में पहले स्थान पर रहा, इसके बाद गुजरात का स्थान था।
- इस प्रस्तावित सूचकांक का विस्तार अत्यंत व्यापक है, लेकिन मुख्य केंद्रण अभी भी सुधारों पर है। विपणन सुधार (25%) तथा शासन और भूमि सुधार (20%) इस सूचकांक की मूल्यांकन प्रणाली के मापदंडों के वज़न का लगभग आधा हिस्सा रखते हैं।

मृदा स्वास्थ्य कार्ड

- अन्य मापदंडों के तहत, राज्यों का मूल्यांकन मृदा स्वास्थ्य कार्ड के वितरण तथा जैविक कृषि और सूक्ष्म सिंचाई को प्रोत्साहित करके कृषि आगतों (20% भारांश) की लागत में कमी करने में राज्यों को मिली सफलता के आधार पर किया जाएगा।
- फसल और पशुधन बीमा जैसे जोखिम शमन उपायों का भारांश 15% होगा, जबकि कृषि में उत्पादकता तथा निवेश में वृद्धि इन दोनों का भारांश 10-10% होगा।

प्रक्रिया उन्मुख मापदंड

- अवधारणा नोट के अनुसार, ये मापदंड प्रक्रिया उन्मुख हैं, और जब नए सुधार या पहल प्रस्तावित किये जाते हैं, तब ये विकसित होते हैं।
- चूँकि कृषि एक राज्य विषय है, अत: केंद्र द्वारा प्रस्तावित नीतियों और सुधार पहलों की सफलता राज्यों द्वारा कार्यान्वयन पर निर्भर है।
- इस नोट के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिये कि सरकार के सुधार एजेंडे को सभी राज्य सरकारों द्वारा वांछित गति से लागू किया गया है, राज्यों के बीच एक प्रतिस्पर्द्धी भावना विकसित करने की आवश्यकता है।
- 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने की रणनीतियों की सिफारिश करने के लिये गठित समिति ने भी यह सुझाव दिया था कि राज्यों को उनके सुधार और शासन रिकॉर्ड के आधार पर रैंक प्रदान किया जाना चाहिये।
- यह अवधारणा नोट 15 नवंबर तक सार्वजनिक और हितधारकों की प्रतिक्रिया के लिये उपलब्ध है, जिसके बाद महीने के अंत तक कार्यान्वयन दिशानिर्देश तैयार किये जाएंगे।
- अवधारणा नोट की समय-सारिणी के अनुसार, राज्य के प्रदर्शन पर नज़र रखने के लिये एक ऑनलाइन डैशबोर्ड वर्ष के अंत तक विकसित किया जाएगा और सूचकांक को जारी करने के लिये राष्ट्रीय स्तर की कार्यशाला जनवरी 2019 में आयोजित की जाएगी।

नोट :

सुस्त पड़ती फसल बीमा योजना (Is crop insurance scheme losing steam)

संदर्भ

हाल ही में एक आरटीआई आवेदन के जवाब से यह खुलासा हुआ है कि 2017-2018 के दौरान 84 लाख से अधिक किसानों ने फसल बीमा योजना से अपने हाथ पीछे खींच लिये। गौरतलब है कि यह संख्या 2016-17 में केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई महत्त्वकांक्षी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के पहले वर्ष में बीमाकृत किसानों की संख्या का 15 प्रतिशत है।

बीमा कंपनियों को मुनाफा

- रिलायंस, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और इफ्को तथा अन्य दूसरी बीमा कंपनियों ने योजना की शुरुआत के बाद से लगभग ₹15,795 करोड़ का मुनाफा कमाया है।
- हालाँकि यह मुनाफा अभी और बढ़ सकता है क्योंकि 2017-18 की रबी फसलों की बीमा के दावे अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं। वर्ष 2016-17 के लिये यही मुनाफा लगभग ₹6,459 करोड़ था।
- राजस्थान से 31,25,025; महाराष्ट्र से 19,46,992; उत्तर प्रदेश से 14,69,052 और मध्य प्रदेश से 2,90,312 किसानों ने इस योजना से अपने हाथ वापस खींच लिये।

क्यों असफल हुई योजना ?

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में आरटीआई दायर करने वाले कार्यकर्त्ता ने आँकड़ों का हवाला देते हुए यह आरोप लगाया कि यह योजना किसानों के नाम पर निजी बीमा कंपनियों को मुनाफा पहुँचाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। भारत सरकार बीमा कंपनियों का सहारा लिये बिना ही किसानों की मदद कर सकती थी।
- हालाँकि बीमा कंपनियों ने इस योजना के शुरुआती वर्ष में कई हज़ार करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, लेकिन उसी वर्ष उन्हें तमिलनाडु तथा आंध्र प्रदेश में घाटे का सामना करना पड़ा। तमिलनाडु में ₹1,22,737 लाख के सकल प्रीमियम के मुकाबले बीमा कंपनियों द्वारा चुकाया गया कुल दावा लगभग ₹3,35,562 लाख था।
- इसी तरह, कंपनियों को आंध्र प्रदेश में लगभग ₹3,012 लाख के घाटे का सामना करना पड़ा।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है ?

- किसानों की समस्याओं का संज्ञान लेते हुए भारत सरकार ने वर्ष 2016 में एक महत्त्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य कम पैदावार या पैदावार के नष्ट हो जाने की स्थिति में किसानों को मदद मुहैया कराना था।
- PMFBY राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NAIS) एवं संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (MNAIS) के स्थान पर प्रतिस्थापित योजना है और इसलिये इसे सेवा कर से छूट दी गई है।
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किसानों द्वारा बीमा कंपनियों को निश्चित दर पर प्रीमियम का भुगतान किया जाता है, लेकिन इसके लिये किसानों को पहले अपनी भूमि का पंजीकरण कराना होता है, बदले में बीमा कंपनियाँ उन्हें मुआवज़ा देती हैं।
- किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिये केवल 2% एवं सभी रबी फसलों के लिये 1.5% का एक समान प्रीमियम का भुगतान किया जाता है। वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के मामले में प्रीमियम केवल 5% होगा। किसानों द्वारा भुगतान किये जाने वाले प्रीमियम की दरें बहुत ही कम हैं और शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं में फसल हानि के लिये किसानों को पूर्ण बीमित राशि प्रदान की जाए।
- इसमें न सिर्फ खड़ी फसल बल्कि फसल पूर्व बुवाई तथा फसल कटाई के पश्चात् जोखिमों को भी शामिल किया गया है। इस योजना के तहत स्थानीय आपदाओं की क्षति का भी आकलन किया जाएगा।

योजना के मुख्य उद्देश्य

- प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना।

नोट :

- कृषि में किसानों की सतत् प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिये उनकी आय को स्थायित्व प्रदान करना।
- किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिये प्रोत्साहित करना।
- कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।

अबू धाबी और भारत के बीच समझौता (Abu Dhabi firm inks deal to store crude in India)

चर्चा में क्यों ?

अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (ADNOC) ने इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड (ISPRL) के साथ अबु धाबी में एक समझौता-ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये ताकि कर्नाटक के पदूर में स्थित ISPRL के भूमिगत तेल भंडारण की सुविधा में, ADNOC के कच्चे तेल के भंडारण की संभावना को तलाशा जा सके। इस भूमिगत तेल भंडार सुविधा की क्षमता 2.5 मिलियन टन के करीब है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- इस अवसर पर UAE के मंत्री ने स्वीकार किया कि भारत एक महत्त्वपूर्ण तेल बाज़ार है तथा बताया कि यह समझौता यूएई एवं भारत के मध्य रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी पर केन्द्रित है जिससे यूएई और ADNOC की विशेषज्ञता और तेल संसाधनों का लाभ उठाया जा सकेगा।
- उन्होंने उम्मीद जताई कि इस प्रेमवर्क एग्रीमेंट को नई परस्पर लाभकारी साझेदारी में बदला जा सकेगा और साथ ही ADNOC के लिये उन अवसरों का निर्माण करेगा जिससे भारत के बढ़ते ऊर्जा बाज़ार तक उच्च गुणवत्ता वाले कच्चे तेल की आपूर्ति में वृद्धि हो सकेगी। इस एग्रीमेंट से भारत अपनी बढ़ती ऊर्जा ज़रूरतों की पूर्ति करने के साथ-साथ ऊर्जा सुरक्षा नीति का पालन कर सकेगा।
- ISPRL द्वारा देश के 3 स्थानों पर 5.3 मिलियन टन की क्षमता वाले भूमिगत भंडारों कर निर्माण किया जा चुका है- विशाखापत्तनम (1.33 मिलियन टन), मंगलोर (1.5 मिलियन टन) एवं पदूर (2.5 मिलियन टन)।
- इनके द्वारा देश की तेल जरुरतों के लिए 9.5 दिनों की आपूर्ति पूरी की जा सकती है (पिछले वित्तीय वर्ष के आँकड़ों के अनुसार)।
- जून, 2018 में केंद्र सरकार ने दो नए रिज़र्व्स के निर्माण की घोषणा की। इनमें पहला, 4 मिलियन टन संग्रहण सुविधा के साथ ओड़िशा के चांदीखोल में और दूसरा, कर्नाटक के पदूर में अतिरिक्त 2.5 मिलियन टन भंडारण की सुविधा के साथ निर्मित किया जाएगा।
- भारत के सामरिक पेट्रोलियम भंडार कार्यक्रम में कच्चे तेल के माध्यम से निवेश करने वाली ADNOC एकमात्र विदेशी तेल और गैस कंपनी है।
- वर्तमान में मौजूद एवं नए घोषित रणनीतिक रिज़र्व मिलकर भारत के कच्चे तेल की ज़रूरत को पूरा करने के लिये 21 दिनों की आपातकालीन कवरेज प्रदान कर सकेंगे।

भारत और ADB के बीच समझौता (Agreement between India and ADB)

संदर्भ

एशियाई विकास बैंक और भारत सरकार ने तमिलनाडु राज्य के कम-से-कम दस शहरों में जलवायु-सुदृढ़ जलापूर्ति, सीवरेज और जल निकासी संबंधी बुनियादी ढाँचागत सुविधाओं के विकास से जुड़े 500 मिलियन डॉलर के वित्तपोषण की पहली किस्त के रूप में 169 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- ADB की ओर से मिलने वाले इस सहयोग से अभिनव एवं जलवायु-सुदृढ़ निवेश के साथ-साथ व्यापक संस्थागत सहयोग के ज़रिये इन जटिल शहरी चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी।
- ADB का यह कार्यक्रम तमिलनाडु राज्य के विज़न 'तमिलनाडु 2023' के लिये उसके द्वारा दिये जाने वाले सहयोग का एक हिस्सा है जिसका उद्देश्य सभी की पहुँच जल एवं स्वच्छता तक सुनिश्चित करना और उच्च कार्य निष्पादन वाले औद्योगिक गलियारों में विश्वस्तरीय शहरों का विकास करना है।

नोट :

- पहली किस्त में प्राप्त ऋण राशि से चेन्नई, कोयम्बटूर, राजपालयम, तिरुचिरापल्ली, तिरुनेलवेली और वेल्लोर का विकास किया जाएगा।
- जापान सरकार द्वारा बनाए गए एशियाई स्वच्छ ऊर्जा कोष से प्राप्त 2 मिलियन डॉलर के अनुदान से सौर ऊर्जा से जुड़ी प्रायोगिक (पायलट) परियोजना का वित्त पोषण किया जाएगा।
- इसी तरह ADB से एक मिलियन डॉलर का तकनीकी सहायता अनुदान भी इस कार्यक्रम के लिये मिलेगा, ताकि क्षमता निर्माण में सहयोग दिया जा सके।

भारत का ज़ोर चीन के साथ कृषि रणनीति बढ़ाने पर

संदर्भ

ज्ञातव्य है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ चीन का व्यापार युद्ध जारी है, अत: उसके प्रभाव को कम करने के लिये चीन गैर-यू.एस. आयात के लिये उदारता प्रदर्शित कर रहा है। चूँकि इस बात की अत्यंत कम संभावना है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएँ संभावित संघर्ष विराम पर सहमत हों। अत: इस क्षेत्र में बेहतर निर्यात अवसर की संभावना को देखते हुए भारत का ज़ोर चीन में अपने कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने पर है।

प्रमुख बिंदु

- यह समझते हुए कि चीन व्यापार युद्ध के मद्देनज़र अपने आयातों को विविधता प्रदान कर अपनी खाद्य सुरक्षा को पहली प्राथमिकता देगा, अत: नई दिल्ली ने बीजिंग के साथ अपनी कृषि-कूटनीति को बढ़ा दिया है।
- इसी संदर्भ में पिछले दो महीनों से भारतीय खाद्य और पेय उत्पादकों द्वारा चीन की राजधानी में संगोष्ठियों और रोड-शो का आयोजन किया जा रहा है।
- असम की चाय के लिये विशेष रूप से चीन में अच्छी संभावनाएँ हैं क्योंकि यह दूध के साथ अच्छी तरह से घुल जाती है। चीन परंपरागत रूप से ग्रीन टी का बाज़ार रहा है लेकिन अब युवाओं में ब्लैक टी को पीने का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है।
- इस वर्ष जून में चीन को शुरू किये गए चीनी निर्यात से भारत को भी लाभांश का भुगतान प्राप्त हुआ।
- इस महीने की शुरुआत में वाणिज्य मंत्रालय के एक बयान में कहा गया था कि भारतीय चीनी मिल्स एसोसिएशन ने कॉफ्को (COFCO) के साथ 50,000 टन के पहले चीनी निर्यात अनुबंध पर हस्ताक्षर किये थे।
- चीन ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के क़िंगदाओ शिखर सम्मेलन के दौरान जून में भारत से गैर-बासमती चावल का आयात भी शुरू किया है। अधिकारियों का कहना है कि चीन भारतीय चावल के लिये5- 2 बिलियन डॉलर का एक आकर्षक बाज़ार है।
- इस वर्ष अक्तूबर में भारतीय चावल व्यापारियों के एक प्रतिनिधिमंडल की बीजिंग यात्रा के बाद चीन ने भारत स्थित 24 चावल मिलों के लिये अपने दरवाज़े खोल दिये। ये प्रयास चीन-यू.एस. के बीच जारी व्यापार युद्ध को देखते हुए चीन के कृषि बाज़ार का लाभ उठाने के लिये किये जा रहे हैं।

सोया स्रोत

- यद्यपि भारतीय सोयाबीन का निर्यात स्पष्ट रूप से प्राथमिकता में है, चीन द्वारा विशेष रूप से अमेरिकी आयात पर 25% शुल्क लगाए जाने के बाद भी चीन के बड़े सोयाबीन बाज़ार में अभी तक पूर्ण रूप से सफलता नहीं प्राप्त हुई है, हालाँकि वार्ताओं के माध्यम से इसमें कुछ प्रगति देखी जा सकती है।
- हालाँकि अन्य कृषि उत्पाद चीनी बाज़ार में अपना स्थान बनाने में सोयाबीन से आगे निकल सकते हैं। हाल ही में जय श्री टी एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने चीन सरकार के स्वामित्व वाली कॉफ़्को (COFCO) के साथ ब्लैक टी निर्यात के लिये 1 मिलियन डॉलर के अनुबंध पर हस्ताक्षर किये।

व्यापार असंतुलन

- वृद्धिशील प्रगति के संकेतों के बावजूद भारत का चीन के साथ 63 अरब डॉलर का व्यापार असंतुलन खतरनाक है। फार्मास्यूटिकल्स, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाएँ और पर्यटन के क्षेत्र में भारत का एक महत्त्वपूर्ण वैश्विक पदचिह्न है, लेकिन चीन में इनकी "कमज़ोर उपस्थिति" देखी गई है।

नोट :

- इस साल की शुरुआत में भारत ने डब्ल्यूटीओ में चीन की व्यापार नीति समीक्षा के दौरान अपने प्रतिकूल व्यापार संतुलन के बारे में चिंता व्यक्त की और विशेष रूप से उन बाधाओं का हवाला दिया जिसके कारण चावल, माँस, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी उत्पादों के भारतीय निर्यातकों को चीनी बाज़ार तक पहुँचने में प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा था।

वित्त मंत्रालय एवं आरबीआई के मध्य विवाद

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार ने केंद्रीय बैंक, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की करीबी तौर से निगरानी के लिये नियमों में परिवर्तन हेतु एक प्रस्ताव पेश किया है। मोदी प्रशासन ने अनुशंसा की है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया का बोर्ड, पैनल की स्थापना के लिये विनियमन मसौदे (draft regulation) का निर्माण करेगा। यह पैनल वित्तीय स्थिरता (Financial stability), मौद्रिक नीति हस्तांतरण (monetary policy transmission), विदेशी विनिमय प्रबंधन (Foreign Exchange Management) संबंधित पर्यवेक्षण कार्यों को करेगा।

उद्देश्य

सरकार द्वारा यह कदम उठाने के पीछे नीहित उद्देश्य है, आरबीआई के नियामक बोर्ड को सशक्त करना जिसमें सरकार के उम्मीदवार शामिल होते हैं; और साथ ही इसे पर्यवेक्षी की भूमिक प्रदान करना।

संभावित विवाद

- नवीनतम प्रस्ताव, भारत के वित्त मंत्रालय और केंद्रीय बैंक के बीच तनाव को बढ़ा सकता है। इस संबंध में 19 नवंबर को होने वाली मीटिंग में चर्चा किये जाने वाले विभिन्न मुद्दों पर आपस में टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इन मुद्दों में सरकार को अधिशेष कोष का स्थानांतरण (Transfer of Surplus Funds), खराब ऋण मानदंडों (Bad Loan Norms) को आसान बनाना, शैडो बैंकिंग सेक्टर (Shadow Banking Sector) की तरलता को सुनिश्चित करना आदि शामिल होंगे।
- रिज़र्व ट्रांसफर (Reserve Transfer) के अलावा पूंजी पर्याप्तता अनुपात (Cash Adequacy Ratio), जो कि वर्तमान में 9% है, को भी सरकार और आरबीआई के मध्य टकराव का मुद्दा माना जा रहा है। सरकार का मानना है कि वैश्विक मानदण्डों (बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेप्लमेंट 8% है) की तुलना में यहाँ के मानदंड काफी कठोर हैं।

सरकार एवं आरबीआई के तर्क

- हाल में अधिशेष भंडार (Surplus Reserve) का हस्तांतरण, सरकार और केंद्रीय बैंक के मध्य विवाद का मुद्दा बना हुआ है। सरकार अतिरिक्त फंड (Additional Fund) पर अधिकार प्राप्त करना चाह रही है ताकि सड़क, पोर्ट एवं देश के गरीबों पर होने वाले व्यय में वृद्धि की जा सके।
- वहीं आरबीआई का कहना है कि सरकार को फंड का ट्रांसफर, RBI की स्वतंत्रता को कमज़ोर कर देगा एवं बाज़ार को भी नुकसान पहुँचाएगा।
- 19 नवंबर, 2018 को होने वाली बैठक में सरकार एवं आरबीआई के मध्य सरकार को फंड हस्तांतरण करने संबंधी नियमों को आसान बनाने की बात होगी। साथ ही, कमज़ोर बॉण्ड्स (Weak bonds) के मानदण्डों को उदार बनाना भी शामिल होगा ताकि अर्थव्यवस्था में ऋण को बढ़ावा दिया जा सके।

अन्य बिंदु

- अनुशंसा में कुछ कमेटियों की स्थापना की बात कही गई है जिसमें प्रत्येक का निर्माण 2 से 3 बोर्ड सदस्यों को शामिल कर, किया जाएगा। निकाय को अधिकार है कि वह RBI एक्ट, 1934 की धारा 58 के तहत नियमों का निर्माण कर सकता है और इसके लिये किसी विधायी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं होगी।
- भारत का RBI भी भारतीय बैंकों के लिये जोखिम भार और पूंजी संबंधित नियमों की समीक्षा करेगा जो कि बेसल दिशा निर्देशों की तुलना में अधिक कड़े माने जाते हैं।
- एजेंडा के अन्य प्रस्तावों में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा प्राप्त 250 मिलियन रुपए तक के ऋणों का पुनर्गठन भी शामिल है।

नोट :

- आरबीआई, बैंकिंग क्षेत्र में प्रचलित तंग वित्तीय स्थिति को आसान बनाने के मुद्दे पर भी समने आ सकता है जिसमें बॉण्ड की खुली बाज़ार खरीद के माध्यम से नकद की आपूर्ति शामिल होगी।

शैडो बैंकिंग (Shadow Banking)

- शैडो बैंकिंग का तात्पर्य उन सभी गैर-बैंक वित्तीय मध्यवर्ती संस्थानों (Non-bank financial intermediaries) से है जो पारंपरिक वाणिज्यिक बैंकों की तरह सेवाएँ प्रदान करते हैं।
- सामान्यत: ये पारंपरिक बैंकिंग क्रियाकलाप को करते हैं परंतु ऐसा वे विनियमित डिपॉजिटरी संस्थानों की पारंपरिक प्रणाली से अलग हटकर करते हैं।
- शैडो बैंकिंग, 2007-2008 के सब-प्राइम मार्टगेज (Sub-prime mortgage) संकट और वैश्विक मंदी का एक प्रमुख कारण रहा था।
- शैडो बैंक शब्द का प्रयोग 2007 में पॉल मैकक्यूली द्वारा किया गया था जिसका तात्पर्य उन अमेरिकी गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थानों से था जो लंबी अवधि के ऋणों के लिये शार्ट-टर्म डिपॉजिट्स (short term deposits) का प्रयोग करते थे।
- शैडो बैंकिंग के कार्यों में शामिल हैं- ऋण मध्यस्थता (Credit intermediation), तरलता रूपांतरण (Liquidity transformation) एवं परिपक्वता रूपांतरण (Maturity transformation) आदि।

केरल में खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैटी एसिड्स पर नियंत्रण की पहल

टैग्स: सामान्य अध्ययन-III

- विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन और FSSAI की तकनीकी सहायता से केरल सरकार का स्वास्थ्य विभाग और खाद्य सुरक्षा विभाग एक नई पहल शुरू करने जा रहा है। इसके तहत खाद्य पदार्थों के लिये दिशा-निर्देश लागू किये जाएंगे। इनमें राज्य में व्यावसायिक रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैट एसिड्स, नमक और चीनी की मात्रा कम करने की योजना है। यह पहल राज्य में अस्वास्थ्यकर खाद्य पदार्थों से मेटाबोलिज्म सिंड्रोम में होने वाली बढ़ोतरी तथा असंक्रामक बीमारियों के कारण समय से पहले होने वाली मौतों के बढ़ते आँकड़ों के मद्देनज़र की जा रही है।
- नवीनतम अनुमानों से पता चलता है कि 24 से 33 फीसदी केरलवासियों में मेटाबोलिज्म सिंड्रोम होने की संभावना है। अर्थात् प्रत्येक तीन या चार लोगों में से एक में यह सिंड्रोम पाया जा सकता है। महिलाओं में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है।

क्या है मेटाबोलिज्म सिंड्रोम (Metabolism Syndrome)?

- मेटाबोलिक असामान्यताओं के समूह को मेटाबोलिज्म सिंड्रोम कहते हैं। इन असामान्याताओं में हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड सुगर, पेट निकलना और कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड का असामान्य स्तर शामिल है। ये सभी मिलकर हृदय रोग, स्ट्रोक और डायबिटीज होने का खतरा बढ़ा देते हैं।
- केरल में चिंताजनक बात जो देखने में आई वह है ट्राइग्लिसराइडेमिया। यानी रक्त में ट्राइग्लिसराइड का अधिक होना। यह स्तर 45 फीसदी तक देखने को मिला है। इसका एक बड़ा कारण खाद्य पदार्थों में फैट्स और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा का अधिक होना है। इन हालातों में असंक्रामक बीमारियों के असर को कम करने के लिए आहार में बदलाव की ज़रूरत महसूस की गई। दरअसल, पके हुए खाद्य पदार्थों, फ्राइड चिकन, केले के चिप्स आदि में इस्तेमाल हो रहे इंडस्ट्रियल ट्रांस फैटी एसिड्स और नमक की अधिक मात्रा केरल में मेटाबोलिक सिंड्रोम को बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

फैक्ट शीट (ट्रांस फैटी एसिड्स)

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) का पैमाना

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तय पैमानों के अनुसार Total Energy Intake में ट्रांस फैट्स की मात्रा 1 फीसदी से भी कम होनी चाहिये। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2023 तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से ट्रांस फैटी एसिड्स को खत्म करने की अपील की है। देश में FSSAI ने खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा को 2 फीसदी तक सीमित करने और 2022 तक खाद्य पदार्थों से ट्रांस फैट्स खत्म करने का प्रस्ताव रखा है।

नोट :

हालात की गंभीरता के मद्देनज़र खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैटी एसिड्स की जाँच करने के लिये केरल सरकार का खाद्य सुरक्षा विभाग राज्य भर से सैंपल एकत्र करने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत बाज़ार से लोकप्रिय खाद्य वस्तुओं के कम-से-कम 300 सैंपल उठाकर उनमें मौजूद ट्रांस फैटी एसिड्स की मात्रा लेबोरेटरी में जाँची जाएगी।

राज्य के स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि आधारभूत जानकारी (Baseline Information) मिल जाने के बाद फूड इंडस्ट्री और असंगठित खाद्य क्षेत्र को ट्रांस फैटी एसिड्स का स्तर कानूनी सीमाओं के भीतर रखने को कहा जाएगा। इसके अलावा इस मुद्दे पर लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने के लिये विशेष अभियान चलाने की भी योजना है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) नीति अध्ययन रिपोर्ट

भारत की वर्तमान विशेष आर्थिक क्षेत्र (Special Economic Zone-SEZ) नीति अध्ययन रिपोर्ट केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु को सौंपी गई। इस नीति अध्ययन रिपोर्ट को तैयार करने के लिये देश के प्रसिद्ध उद्योगपति भारत फोर्ज लिमिटेड के चेयरमैन बाबा कल्याणी की अध्यक्षता में समिति गठित की गई थी। इस समिति को सेज़ नीति का आकलन करने और इसे विश्व व्यापार संगठन (World Trade Organisation-WTO) के मानकों के अनुरूप बनाने के लिये सुझाव देने को कहा गया था।

इसके अलावा सेज़ की खाली पड़ी भूमि का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के उपाय सुझाने और अंतर्राष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर सेज़ नीति में आवश्यक बदलाव सुझाने की जिम्मेदारी भी इस समिति को दी गई थी। इनके साथ ही तटीय आर्थिक ज़ोन (Coastal Economic Zone), दिल्ली-मुंबई इकोनॉमिक कॉरीडोर, राष्ट्रीय औद्योगिक विनिर्माण ज़ोन और टेक्सटाइल पार्कों जैसी अन्य सरकारी योजनाओं के साथ सेज़ नीति का विलय करने के बारे में सुझाव देने की जिम्मेदारी भी इस समिति को सौंपी गई थी।

इस रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि भारत को वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था में तब्दील होना है तो विनिर्माण क्षेत्र में प्रतिस्पर्धी क्षमता के साथ-साथ सेवाओं से जुड़े मौजूदा परिवेश में भी बुनियादी बदलाव सुनिश्चित करने होंगे। साथ ही सूचना प्रौद्योगिकी और इससे जुड़ी सेवाओं के क्षेत्र में मिली कामयाबी को स्वास्थ्य सेवाओं, वित्तीय सेवाओं, कानूनी, मरम्मत और डिजाइन सेवाओं जैसे अन्य सेवा क्षेत्रों/सेक्टरों में भी सुनिश्चित करना होगा।

इसके अलावा, रिपोर्ट में कहा गया है कि विनिर्माण क्षेत्र में विकास की गति तेज करने के लिये मौजूदा नीतिगत रूपरेखाओं का आकलन करने की ज़रूरत है। इसके साथ ही संबंधित नीति को WTO के प्रासंगिक नियम-कायदों के अनुरूप बनाने की भी ज़रूरत है।

क्या है सेज़ (Special Economic Zone)?

विशेष आर्थिक क्षेत्र अथवा सेज़ (SEZ) विशेष रूप से पारिभाषित उस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं, जहाँ से व्यापार, आर्थिक क्रियाकलाप, उत्पादन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों को संचालित किया जाता है। ये क्षेत्र देश की सीमा के भीतर विशेष आर्थिक नियम-कायदों को ध्यान में रखकर व्यावसायिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिये विकसित किये जाते हैं। भारत उन शीर्ष देशों में से एक है, जिन्होंने उद्योग तथा व्यापार गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिये विशेष रूप से ऐसी भौगोलिक इकाइयों को स्थापित किया। भारत पहला एशियाई देश है, जिसने निर्यात को बढ़ाने के लिये 1965 में कांडला में एक विशेष क्षेत्र की स्थापना की थी। इसे एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन (EPZ) नाम दिया गया था।

कारोबार में सुगमता (Ease of Doing Business) ग्रैंड चैलेंज

वृद्धि एवं विकास

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों का उपयोग कर कारोबार में सुगमता (Ease of Doing Business) से जुड़ी सात चिह्नित समस्याओं को सुलझाने के लिये 'ग्रैंड चैलेंज' लॉन्च किया। इस चैलेंज का उद्देश्य युवा भारतीयों, स्टार्ट-अप्स और अन्य निजी उद्यमियों की क्षमताओं का दोहन करना है, ताकि वर्तमान अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों की सहायता से जटिल समस्याओं का समाधान निकाला जा सके।

- भारत सरकार लगातार यह प्रयास कर रही है कि कारोबारी माहौल को निरंतर बेहतर बनाने की प्रक्रिया में कोई अवरोध नहीं आना चाहिये। सरकार का प्रयास भारत को दुनिया के उन सबसे आकर्षक स्थलों में शामिल करवाना है, जहाँ कारोबार करना सबसे आसान होगा। ऐसे में यह ग्रैंड चैलेंज सरकार के इस लक्ष्य को प्राप्त करने में मददगार साबित होगा।

नोट :

विश्व बैंक की कारोबार में सुगमता रिपोर्ट (Doing Business Report)

विश्व बैंक ने 31 अक्तूबर को कारोबार में सुगमता रिपोर्ट (Doing Business Report-2019) जारी की थी। इस रिपोर्ट में भारत 23 पायदानों की ऊँची छलांग लगाकर 2017 के 100वें पायदान से ऊपर चढ़कर 77वें पायदान पर पहुँच गया। विश्व बैंक की इस रिपोर्ट में 190 देशों में कारोबारी माहौल का आकलन किया गया है।

- सरकार द्वारा इस दिशा में किये जा रहे निरंतर प्रयासों के परिणामस्वरूप भारत 'कारोबार में सुगमता' सूचकांक में पिछले दो वर्षों में 53 पायदान और पिछले चार वर्षों (2014-2018) में 65 पायदान ऊपर चढ़ चुका है।
- इस रिपोर्ट से 10 पैमानों पर 190 देशों में व्यवसाय या कारोबार संबंधी नियम-कायदों और उन पर अमल के लक्ष्यों के बारे में पता चलता है, जो किसी भी व्यवसाय के समूचे कारोबारी चक्र पर असर डालते हैं। रिपोर्ट के अनुसार, भारत 10 संकेतकों में से 6 संकेतकों से जुड़ी अपनी रैंकिंग को बेहतर करने में कामयाब रहा है। साथ ही 10 संकेतकों में से 7 संकेतकों पर वैश्विक सर्वोत्तम कारोबारी तौर-तरीकों के और करीब पहुँच गया है। जिन छह संकेतकों पर भारत ने अपनी रैंकिंग सुधारी है उनमें शामिल हैं:
- ग्रैंड चैलेंज लॉन्च करते हुए प्रधानमंत्री ने भारत को विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में टॉप-50 देशों में पहुंचाने का लक्ष्य रखा। ग्रैंड चैलेंज का उद्देश्य कारोबार सुगमता का लाभ आम आदमी तक पहुँचाने की अवधारणा पर भी जोर देता है। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश में वृद्धि और विकास के लिये अधिक निवेश की आवश्यकता पर ज़ोर देते हुए भारत को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य भी तय किया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अर्थव्यवस्था के हर सेक्टर में सुधार करने का ज़िक्र भी प्रधानमंत्री ने किया।

स्रोत : द हिंदू

झारखंड विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत सरकार और विश्व बैंक (World Bank) ने झारखंड के लोगों को 24 x 7 विश्वसनीय, गुणवत्ता संपन्न तथा किफायती बिजली प्रदान करने के उद्देश्य से झारखंड विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना (Jharkhand Power System Improvement Project) के लिये 310 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किये।

प्रमुख बिंदु

- विश्व बैंक से से प्राप्त इस ऋण के एक बड़े भाग का उपयोग बिजली ट्रांसमिशन संरचना में सुधार करने हेतु किया जाएगा ।
- परियोजना सरकारी क्षेत्र की बिजली ट्रांसमिशन और वितरण कंपनियों की संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और उनके संचालन में सुधार पर केंद्रित होगी।
- क्या है झारखंड विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना ?
- यह परियोजना भारत सरकार द्वारा 2014 में लॉन्च किये गए 'सबके लिये बिजली' (Power for All) कार्यक्रम का हिस्सा है।
- इस परियोजना में निजी और सार्वजनिक निवेश के माध्यम से 2022 तक बिजली उत्पादन क्षमता में 5 गीगावाट (सौर ऊर्जा से 1.5 गीगावाट उत्पादन सहित) की वृद्धि करने का प्रावधान है।

परियोजना के प्रमुख घटक

परियोजना के प्रमुख घटकों में नए सब-स्टेशनों तथा मुख्य रूप से 132 किलोवाट वोल्टेज स्तर की नई ट्रांसमिशन लाइनों का निर्माण करना और राज्य लोड डिस्पैच सेंटर (State Load Dispatch Centre- SLDC) के संचालन को मज़बूती प्रदान करने के लिये प्रणाली स्थापित करने में झारखंड ऊर्जा संचार निगम लि. (Jharkhand Urja Sancharan Nigam Limited- JUSNL) को समर्थन देना है। इससे राज्य ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा को एकीकृत करने में मदद मिलेगी।

परियोजना के लाभ

- झारखंड विद्युत प्रणाली सुधार परियोजना से झारखंड में नई बिजली ट्रांसमिशन संरचना के निर्माण में मदद मिलेगी और राज्य की बिजली क्षेत्र की कंपनियों की तकनीकी दक्षता और वाणिज्यिक प्रदर्शन में सुधार होगा।

नोट :

- परियोजना से ऑटोमेटेड सब-स्टेशन तथा नेटवर्क विश्लेषण एवं नियोजन उपकरण जैसे आधुनिक टेक्नोलॉजी समाधान लागू करने में मदद मिलेगी। इससे बिजली की विश्वसनीय आपूर्ति संभव होगी।
- यह परियोजना घरों, उद्योगों, कारोबार तथा अन्य उत्पादक क्षेत्रों के लिये बिजली आपूर्ति बढ़ाने में सहायता देगी और गरीबी उपशमन तथा झारखंड के समावेशी विकास में योगदान करेगी।

सेबी (SEBI) ने प्रमोटर्स हेतु जारी किये नए नियम

चर्चा में क्यों ?

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India- SEBI) ने सार्वजनिक निवेशक का दर्ज़ा मांगने वाले प्रवर्तकों या प्रमोटर्स के लिये नए नियम जारी किये हैं।

कौन होता है प्रमोटर या प्रवर्तक ?

- प्रवर्तक का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह से है जो कंपनी के प्रवर्तन के बारे में कार्य करते है। स्पष्ट रूप से यह कहा जा सकता है कि व्यापार/कंपनी शुरू करने वालों को प्रवर्तक कहते हैं।
- क्या कहते हैं सेबी के नए नियम ?
- एक निवर्तमान प्रमोटर को अपने विशेष अधिकारों को छोड़ने के साथ ही सूचीबद्ध फर्म पर अपना नियंत्रण त्यागना होगा। इसके अलावा उन्हें फर्म की 10% से अधिक हिस्सेदारी रखने की अनुमति नहीं होगी।
- प्रमोटर को सूचीबद्ध कंपनी में निदेशक मंडल का प्रतिनिधित्व करने या प्रमुख प्रबंधकीय पद धारण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- सेबी द्वारा 16 नवंबर, 2018 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार जो प्रमोटर पुन: वर्गीकरण की मांग करते हैं, उन्हें विलफुल डिफाल्टर (जानबूझकर क़र्ज़ न लौटाने वाला) या भगोड़ा आर्थिक अपराधी नहीं होना चाहिये।

नए नियमों का उद्देश्य

- सेबी द्वारा जारी किये गए इन मानदंडों का उद्देश्य मौजूदा नियमों को सरल बनाना, उन्हें सुव्यवस्थित करना तथा उनमें अधिक स्पष्टता लाना है।
- ये मानदंड निवर्तमान प्रमोटरों को कंपनी पर सीधे या परोक्ष रूप से अपना नियंत्रण जारी रखने से रोकते हैं।
- पुन: वर्गीकरण हेतु आवेदन करने के लिये योग्यता
- सेबी के अनुसार, यह सुनिश्चित करने के लिये कि केवल सूचीबद्ध संस्थाएँ पुन: वर्गीकरण के लिये आवेदन करने योग्य हैं, निम्नलिखित शर्तें होंगी-
- ऐसी सूचीबद्ध कंपनियों को 25% न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारक आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिये।
- उनके शेयरों को व्यापार से निलंबित न किया गया हो।
- उनके ऊपर नियामक, एक्सचेंजों और जमाकर्त्ताओं की कोई राशि बकाया नहीं होनी चाहिये।
- प्रमोटरों के पुन: वर्गीकरण के सभी मामलों में, प्रस्ताव को सूचीबद्ध इकाई द्वारा शेयरधारकों के समक्ष रखा जाना चाहिये और इस प्रस्ताव को सामान्य संकल्प के माध्यम से अनुमोदित किया जाना चाहिये।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड

- भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की स्थापना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 के प्रावधानों के अनुसार 12 अप्रैल, 1992 को हुई थी।
- इसका मुख्यालय मुंबई में है।

इसके मुख्य कार्य हैं-

- प्रतिभूतियों (securities) में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों का संरक्षण करना।
- प्रतिभूति बाज़ार (securities market) के विकास का उन्नयन करना तथा उसे विनियमित करना और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का प्रावधान करना।

नोट :

चावल के निर्यात हेतु प्रोत्साहन सब्सिडी 5 फीसदी

चर्चा में क्यों ?

धान के लिये न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में 13 फीसदी की बढ़ोतरी के चलते चालू वित्त वर्ष में भारत के चावल के निर्यात में कमी आई है जिसको ध्यान में रखते हुए केंद्र ने अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने की घोषणा की है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- वाणिज्य मंत्रालय के एक नोट में कहा गया है कि गैर-बासमती चावल के निर्यात को 26 नवंबर से लेकर 25 मार्च, 2019 तक भारत से वस्तुओं की निर्यात योजना (MEIS) के तहत 5 फीसदी सब्सिडी मिलेगी।
- उल्लेखनीय है कि वर्ष 2011 में निर्यात की अनुमति दिये जाने के बाद पहली बार गैर-बासमती चावल के निर्यात हेतु केंद्र द्वारा सब्सिडी देने की घोषणा की गई है।
- 2011 में निर्यात हेतु खोले जाने के बाद पहली बार गैर-बासमती चावल के निर्यात को सब्सिडी देने की केंद्र की घोषणा एक महत्त्वपूर्ण कदम है क्योंकि कृषि मंत्रालय के अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश में चावल का उत्पादन लगभग 99.24 मिलियन टन होने की उम्मीद है।
- MEIS के अंतर्गत दी जाने वाली 5 प्रतिशत सब्सिडी निश्चित रूप से विश्व बाज़ार में प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाएगा।
- केंद्र सरकार ने धान की फसल पर MSP प्रति क्विंटल ₹200 बढ़ाते हुए सामान्य वैराइटी वाले धान के लिये ₹ 1,750 और ए ग्रेड वाली धान के लिये 1,770 रुपए MSP का निर्धारण किया है।
- 2011 में गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति मिलने से इसने भारत को पिछले कई वर्षों से सबसे बड़े चावल निर्यातक के रूप में उभारा है।
- उल्लेखनीय है कि गैर-बासमती चावल के लिये प्रमुख बाज़ार अफ्रीकी और एशियाई देश हैं।

सब्सिडी (Subsidy)

- सब्सिडी एक प्रकार की वित्तीय मदद है जो कि सरकार द्वारा किसानों, उद्योगों, उपभोक्ताओं को उपलब्ध करायी जाती है।
- यह आम तौर पर आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों को लाभ पहुँचाने और बढ़ावा देने के उद्देश्य से दी जाती है।
- भारत से वस्तुओं के निर्यात योजना (MEIS) के बारे में
- MEIS वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा लागू भारत सरकार की एक प्रमुख निर्यात संवर्द्धन योजना है।
- इस योजना की घोषणा विदेश व्यापार नीति 2015-20 में की गई।
- यह योजना भारत में निर्मित/उत्पादित एवं अधिसूचित वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देती है।
- 1 अप्रैल, 2015 को घोषित नई विदेश व्यापार नीति में कहा गया है कि देश से वस्तुओं को निर्यात योजना के अंतर्गत जिन प्रमुख क्षेत्रों को समर्थन दिया जाएगा उनमें प्रसंस्कृत, पैकेजिंग, कृषि और ग्रामोद्योग से संबंधित वस्तुएँ शामिल हैं।
- MEIS के अंतर्गत प्रोत्साहन देने के लिये देशों को तीन समूहों में श्रेणीबद्ध किया गया है, इसके अंतर्गत प्रोत्साहन की दरें 2 से लेकर 5 फीसदी तक हैं।

आरबीआई द्वारा बाह्य वाणिज्यिक उधार के लिये हेजिंग मानदंडों को राहत

चर्चा में क्यों ?

रिज़र्व बैंक (RBI) ने बाह्य वाणिज्यिक उधार (ECB) के लिये मौजूदा 100% के अनिवार्य हेजिंग के प्रावधान को कम करके 70% कर दिया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- पिछले छह महीनों में डॉलर की मज़बूती के साथ ही हेजिंग की कीमतें भी बढ़ी है। जिसके चलते ECB फर्मों के लिये यह अप्रिय प्रतीत हो रहा था।

नोट :

- यह कदम भारतीय फर्मों के लिये विदेशी ऋण की अंतिम लागत को कम करने में मदद करेगा, लेकिन यह विदेशी मुद्रा बाज़ारों में अस्थिरता को उजागर कर सकता है।
- ये नए मानदंड ECB की परिपक्वता अवधि के साथ 3 से 5 साल के बीच लागू होंगे।

पृष्ठभूमि

- वैश्विक वित्तीय संकट के बाद हेजिंग बढ़ाने के लिये दबाव शुरू हुआ, जहाँ विदेशी मुद्रा एक्सपोजर के बिना कुछ फर्मों को नुकसान हुआ और इसके बाद RBI ने मध्यम अवधि के बाह्य उधार के लिये 100% हेजिंग अनिवार्य कर दिया। उल्लेखनीय है कि जब किसी निवेश या परिसंपत्ति के लिये 'हेजिंग' नहीं की जाती है तो उसे 'एक्सपोज़र' कहते हैं। इसका आशय यह है कि उस निवेश पर जोखिम की आशंका है।
- RBI ने बैंकों से उन कंपनियों के खिलाफ अतिरिक्त प्रावधानों के लिये कहा जिन्हें विदेशी मुद्रा एक्सपोज़र (Foreign exchange exposure) नहीं मिला था।

हेजिंग (Hedging) क्या है ?

- हेजिंग एक वित्तीय तकनीक है जब कोई क्रेता, विक्रेता या निवेशक अपने कारोबार या परिसंपत्ति को संभावित मूल्य परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभाव से बचाने के उपाय करता है तो उसे 'हेजिंग' कहते हैं।
- यह एक ऐसा बीमा है जो जोखिम को पूरी तरह से खत्म नहीं करता है बल्कि इसके प्रभाव को कम करता है।
- इसमें दो अलग-अलग बाज़ारों में समान रूप या वस्तुओं की समान मात्रा की खरीद या बिक्री शामिल है, इससे उम्मीद की जाती है कि भविष्य में एक बाज़ार में कीमतों के बदलाव से दूसरे बाज़ार में विपरीत बदलाव आ जाएगा।

बाह्य वाणिज्यिक उधार (External Commercial Borrowings)

- यह एक गैर-निवासी ऋणदाता से 3 साल की न्यूनतम औसत परिपक्वता के लिये भारतीय इकाई द्वारा प्राप्त किया गया ऋण है।
- इनमें से अधिकतर ऋण विदेशी वाणिज्यिक बैंक खरीदारों के क्रेडिट, आपूर्तिकर्त्ताओं के क्रेडिट, फ़्लोटिंग रेट नोट्स और फिक्स्ड रेट बॉन्ड इत्यादि जैसे सुरक्षित उपकरणों द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

ECB के लाभ

- यह बड़ी मात्रा में धन उधार लेने का अवसर प्रदान करता है।
- इससे प्राप्त धन अपेक्षाकृत लंबी अवधि के लिये उपलब्ध होता है।
- घरेलू धन की तुलना में ब्याज दर भी कम होती है।
- यह विदेशी मुद्राओं के रूप में होता है। इसलिये यह मशीनरी के आयात को पूरा करने के लिये कॉर्पोरेट को विदेशी मुद्रा रखने में सक्षम बनाता है।
- कॉर्पोरेट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्रोतों, जैसे - बैंक, निर्यात क्रेडिट एजेंसियों, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाज़ार इत्यादि से ECB बढ़ा सकते हैं।

खाद्यान्न से एथेनॉल निष्कर्षण की अनुमति

संदर्भ

हाल ही में केंद्र सरकार ने एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत एथेनॉल निष्कर्षण की परिधि को बढ़ा दिया है। गौरतलब है कि अब मक्का, ज्वार, बाजरा जैसे खाद्यान्नों के अधिशेष और फलों/सब्जियों के अपशिष्ट से भी एथेनॉल निष्कर्षण की अनुमति होगी।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल (EBP) कार्यक्रम के तहत मक्का, जवार तथा बाजरे को शामिल करना किसानों की आय बढ़ाने में सहायक होगा तथा EBP कार्यक्रम को विस्तार भी मिलेगा।
- एथेनॉल की प्राप्ति हेतु लिया गया यह निर्णय आपूर्ति वर्ष 2018-19 से लागू होगा।
- अब तक, ईंधन मिश्रण कार्यक्रम के तहत खरीद के लिये केवल अतिरिक्त गन्ना उत्पादन को एथेनॉल में परिवर्तित करने की अनुमति थी।

नोट :

- राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 (The National Policy on Biofuels 2018) ने अधिशेष उत्पादन की स्थिति में एथेनॉल के उत्पादन के लिये अनाज की अतिरिक्त मात्रा को रूपांतरित करने की अनुमति देने हेतु राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति (National Biofuel Coordination Committee-NBCC) को अधिकार प्रदान किया है।

राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति, 2018

- इस नीति के द्वारा गन्ने का रस, चीनी युक्त सामग्री, स्टार्च युक्त सामग्री तथा क्षतिग्रस्त अनाज, जैसे- गेहूँ, टूटे चावल और सड़े हुए आलू का उपयोग करके एथेनॉल उत्पादन हेतु कच्चे माल के दायरे का विस्तार किया गया है।
- नीति में जैव ईंधनों को 'आधारभूत जैव ईंधनों' यानी पहली पीढ़ी (1G) के बायोएथेनॉल और बायोडीज़ल तथा 'विकसित जैव ईंधनों' यानी दूसरी पीढ़ी (2G) के एथेनॉल, निगम के ठोस कचरे (MSW) से लेकर ड्रॉप-इन ईंधन, तीसरी पीढ़ी (3G) के जैव ईंधन, बायोसीएनजी आदि को श्रेणीबद्ध किया गया है, ताकि प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत उचित वित्तीय और आर्थिक प्रोत्साहन बढ़ाया जा सके।
- अतिरिक्त उत्पादन के चरण के दौरान किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिलने का खतरा होता है। इसे ध्यान में रखते हुए इस नीति में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति की मंज़ूरी से एथेनॉल उत्पादन के लिये (पेट्रोल के साथ उसे मिलाने हेतु) अधिशेष अनाजों के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है।
- NBCC ने EBP कार्यक्रम के लिये फलों/सब्जियों के अपशिष्ट जैसे अन्य फीडस्टॉक से एथेनॉल का उत्पादन करने के प्रस्ताव को भी मंज़ूरी दे दी है।
- पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, कृषि, सहयोग और किसान कल्याण विभाग (DAC&FW) ने EBP कार्यक्रम के तहत एथेनॉल के उत्पादन हेतु आपूर्ति वर्ष 2018-2019 के दौरान खाद्यान्न के अधिशेष (Surplus) का अनुमान लगाया है।
- तेल विपणन कंपनियों का लक्ष्य (Target for OMCs)
- EBP कार्यक्रम के तहत, केंद्र सरकार ने तेल विपणन कंपनियों (OMCs) से 2022 तक एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल को 10 प्रतिशत तक लक्षित करने के लिये कहा है।
- इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन द्वारा संकलित आँकड़ों के मुताबिक, 1 अक्तूबर तक एथेनॉल मिश्रण हेतु देशव्यापी औसत 4.02 प्रतिशत था।
- हालाँकि एथेनॉल में भारी कमी उक्त लक्ष्य को पूरा करने में बाधा है। वर्तमान में, एथेनॉल के उत्पादन में सी-भारी शीरे ('C-heavy' molasses) का इस्तेमाल किया जा रहा है।
- इसे ध्यान में रखते हुए, सरकार ने इस साल की शुरुआत में एक संशोधित जैव ईंधन नीति प्रस्तुत किया था।
- यह नीति उन चीनी मिलों को प्रोत्साहित करती है जो एथेनॉल उत्पादन के लिये 'बी-भारी' शीरा और गन्ने के रस का उपयोग करती हैं।

नोट :

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

UNWTO के 109वें सत्र में भारत की भूमिका

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), श्री के.जे. अल्फोन्स ने मनामा (बहरीन) में आयोजित यूनाइटेड नेशन्स वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गनाइजेशन (UNWTO) के 109वें सत्र में भाग लिया। UNWTO के एक्जीक्यूटिव काउंसिल का तीन दिवसीय सत्र 30 अक्तूबर, 2018 को शुरू हुआ जिसमें वैश्विक पर्यटन क्षेत्र के विकास से संबंधित कुछ मुददों पर चर्चा की जाएगी।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- एक्जीक्यूटिव काउंसिल की मीटिंग की शुरुआत में भारत के पर्यटन मंत्री के.जे. अलफोन्स ने UNWTO सम्मेलन के 'प्रोग्राम एवं बजट कमिटी' की अध्यक्षता की।
- इस सम्मेलन में भारत के पर्यटन मंत्री ने सामाजिक-आर्थिक विकास के लिये पर्यटन की भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पर्यटन की सहायता से नौकरियों का सृजन, उद्यम एवं पर्यावरण विकास और विदेशी मुद्रा का अर्जन संभव हो सकेगा।
- कमिटी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने बताया कि पहली बार UNWTO का बजट 'अधिशेष' की स्थिति में आया है एवं अधिकांश बकायों को चुकता कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त भारत के पर्यटन मंत्री अल्फोन्स, UNWTO के सेक्रेटरी जनरल मिस्टर जुराब पोलोलिकासविली से भी मिले और पर्यटन के विकास तथा सार्वजनिक-निजी भागीदारी की स्थापना में UNWTO की भूमिका पर चर्चा की।
- भारत 2021 तक UNWTO एक्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रोग्राम एवं बजट कमिटी की अध्यक्षता करेगा।

क्या है UNWTO?

- वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गनाइज़ेशन, यूएन की एक विशेषीकृत एजेंसी है जो पर्यटन के क्षेत्र में एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। यह उत्तरदायी, संपोषणीय और सार्वजनिक पहुँच की विशेषता रखने वाले पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये उत्तरदायी है।
- UNWTO का मुख्यालय मैड्रिड (स्पेन) में है।

कार्य

- यह पर्यटन नीति से संबंधित मुद्दों एवं पर्यटन के बारे में जानने हेतु व्यावहारिक स्रोतों के लिये एक वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है।
- अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये यह पर्यटन के क्षेत्र में विकासशील देशों के हितों पर विशेष ध्यान देता है।
- UNWTO तकनीकी हस्तांतरण और वैश्विक सहयोग के लिये एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है ताकि सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा दिया जा सके और पर्यटन संबंधी एथिक्स के वैश्विक कोड के क्रियान्वयन को प्रोत्साहन मिले।

एक्जीक्यूटिव काउंसिल

- UNWTO की एक्जीक्यूटिव काउंसिल, संगठन के प्रशासनिक निकाय का प्रतिनिधित्व करती है। इसका कार्य सभा द्वारा लिये गए निर्णयों और सिफारिशों के क्रियान्वयन हेतु महासचिव के परामर्श से सभी आवश्यक उपायों को अपनाना है।
- एक्जीक्यूटिव काउंसिल का सम्मेलन एक वर्ष में कम-से-कम दो बार होता है।
- परिषद में 35 पूर्ण सदस्य होते हैं जिनका चयन सभा द्वारा इस तरीके से किया जाता है कि निष्पक्ष और समान भौगोलिक वितरण की स्थिति को प्राप्त किया जा सके।

नोट :

50 भारतीय वस्तुएँ अमेरिकी ड्यूटी फ्री लिस्ट से बाहर (US Duty Free List)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अमेरिका ने विदेशों से आयात होने वाले उत्पादों को शुल्क मुक्त प्रविष्टि अथवा ड्यूटी फ्री लिस्ट से बाहर कर दिया है। अब इन वस्तुओं पर अमेरिका द्वारा आयात शुल्क वसूल किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने जिन उत्पादों को ड्यूटी फ्री लिस्ट की श्रेणी से बाहर रखा है, उनमें भारतीय उत्पाद भी शामिल हैं।

प्रमुख बिंदु

- अमेरिका ने विदेशों से आयात होने वाले 90 उत्पादों को जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस (GSP) के शुल्क मुक्त प्रावधानों के अंतर्गत ड्यूटी फ्री लिस्ट की श्रेणी से बाहर कर दिया है। उल्लेखनीय है कि इन उत्पादों में 50 भारतीय उत्पाद भी शामिल हैं।
- अर्जेंटीना, ब्राज़ील, थाईलैंड, सूरीनाम, पाकिस्तान, तुर्की, फिलीपींस, इक्वाडोर और इंडोनेशिया जैसे अन्य देशों के उत्पादों को भी GSP सूची से बाहर कर दिया गया है।
- अमेरिका के नए फैसले के अनुसार, ये उत्पाद GSP प्रोग्राम के तहत शुल्क मुक्त प्रावधान अथवा ड्यूटी फ्री प्रेफरेंस के योग्य नहीं होंगे, लेकिन मोस्ट फेवर्ड नेशन की शुल्क दरों के साथ इनका आयात किया जा सकता है।
- अमेरिका का यह नया फैसला 1 नवंबर, 2018 से लागू हो गया है।

भारत पर असर

- शुल्क मुक्त सूची से बाहर हुए 90 सामानों की समीक्षा करने पर पता चलता है कि ट्रंप प्रशासन का नया फैसला देश आधारित नहीं, बल्कि वस्तु आधारित है।
- चूँकि भारत अमेरिका के GSP कार्यक्रम का सबसे बड़ा लाभार्थी रहा है, इसलिये इस नए फैसले का सबसे अधिक असर भारत पर ही पड़ेगा।
- 2017 में (GSP के तहत) भारत द्वारा अमेरिका को 5.6 बिलियन डॉलर से अधिक का ड्यूटी फ्री निर्यात किया गया।
- ट्रम्प प्रशासन के नवीनतम कदम का अमेरिका में भारत के निर्यात पर क्या प्रभाव पड़ेगा यह स्पष्ट रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन उन उत्पादों की सूची जिन्हें ड्यूटी फ्री प्रावधान की श्रेणी से हटा दिया गया है, दर्शाती है कि इससे बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम आकार के व्यवसाय जैसे - हैंडलूम तथा कृषि क्षेत्र के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है।

GSP क्या है ?

- जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस अर्थात् GSP अमेरिका का सबसे बड़ा और सबसे पुराना व्यापारिक वरीयता कार्यक्रम (U.S. Trade Preference Programme) है।
- इसे लक्षित लाभार्थी देशों के हज़ारों उत्पादों को अमेरिका में ड्यूटी फ्री लिस्ट की अनुमति देकर आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिये लाया गया था।

नीति आयोग-विकास अनुसंधान केंद्र (NITI Aayog-DRC) वार्ता

चर्चा में क्यों ?

- 1 नवंबर, 2018 को मुंबई में नीति आयोग और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राज्य परिषद विकास अनुसंधान केंद्र (DRC) के मध्य चौथी वार्ता का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि जुलाई 2018 में जोहान्सबर्ग में आयोजित ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के मध्य हुई बैठक के बाद भारत और चीन के बीच होने वाली यह दूसरी मंत्री स्तरीय वार्ता है।

प्रमुख बिंदु

- नीति आयोग-DRC वार्ता दोनों देशों के मध्य सतत् बौद्धिक भागीदारी के लिये एक मजबूत मंच उपलब्ध कराता है जिसमें भारत-चीन आर्थिक सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग हेतु विशेषज्ञों द्वारा प्रदत्त जानकारी मदद करती है।

नोट :

- इस वार्ता के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था वैश्वीकरण और दोनों देशों में वृहद आर्थिक नीतियों, नवाचार और आर्थिक बदलाव, भारत एव चीन व्यापार तथा आर्थिक सहयोग की संभावनाओं पर कई सत्रों का आयोजन किया गया।
- दोनों पक्षों ने व्यापार क्षेत्र से संबंधित मुद्दों की जाँच करने और निवेश में मदद करने के लिये उन्नत नीति समन्वय की आवश्यकता पर सहमति व्यक्त की।
- दोनों देशों बीच आयोजित इस वार्ता में इस बात पर भी सहमति व्यक्त की गई कि नीति आयोग और DRC विश्व व्यापार संगठन (WTO) संबंधी सुधारों, शहरीकरण और उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में संयुक्त अनुसंधान की दिशा में कार्य करेंगे।
- नीति-DRC वार्ता का पाँचवाँ संस्करण नवंबर, 2019 में चीन के वुहान में आयोजित किया जाएगा।

कच्चे तेल आयात हेतु नए नियम (India-Iran)

चर्चा में क्यों ?

भारत और ईरान ने कच्चे तेल में अपना व्यापार जारी रखने के लिये नए नियम स्थापित किये हैं, भारत ने विवादित परमाणु कार्यक्रम के कारण फारस खाड़ी के देशों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका से अस्थायी छूट हासिल की है।

प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने भारत और अन्य देशों से चार नवंबर तक ईरान से तेल आयात में कटौती कर उसे समाप्त करने या प्रतिबंधों का सामना करने के लिये तैयार रहने की बात कही थी।
- जहाज़ और कार्गो बीमा की कमी सऊदी अरब और इराक के बाद भारत के तीसरे सबसे बड़े आपूर्तिकर्त्ता ईरान से होने वाले आयात को नुकसान पहुँचाएगी।
- इस बाधा को दूर करने के लिये भारत के नौवहन मंत्रालय ने राज्य द्वारा संचालित तेल रिफाइनरों के माध्यम से द्वारा कच्चे तेल की खरीद के लिये सरकार द्वारा अनिवार्य एक महत्त्वपूर्ण शिपिंग नियम में संशोधन किया है।
- इस नियम के अनुसार लंदन स्थित वैश्विक बीमा समूह द्वारा विस्तारित एक बराबर देयता सीमा के साथ देश में क्रूड ऑयल लाने वाले ईरान के टैंकरों को कवर प्रदान करने हेतु मंत्रालय ने दो ईरानी जहाज़ अंडरराइटर्स - किश पी एंड आई क्लब और क्यूआईटीए पी एंड आई क्लब के लिये फरवरी 2020 तक की अनुमति दी है।
- इस कदम से यह उम्मीद की जा रही है कि प्रतिबंध प्रभावित देश से तेल की आपूर्ति जारी रखने में मदद मिलेगी।
- इस नियम के मुताबिक भारत कच्चे खरीद के लिये ईरान को रूपए में भुगतान करेगा, जिसका ईरान भारत से माल आयात करने के लिये उपयोग करेगा।
- उल्लेखनीय है कि IOCL, MRPL, BPCL और HPCL समेत राज्य संचालित तेल रिफाइनरीज़ ने ईरान के साथ सालाना टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किये थे, इससे पहले अमेरिका ने इसी वर्ष मई 2016 में ईरान के साथ पश्चिमी देशों द्वारा हस्ताक्षरित एक परमाणु समझौते से बाहर निकलने के बाद प्रतिबंधों को दोबारा लागू किया जाने का फैसला किया था। इस फैसले के बाद आधे से अधिक रिफाइनरीज़ ने इन अनुबंधों को छोड़ दिया था।
- नए प्रतिबंधों के लागू होने के बाद FOB आधार पर ईरान के साथ अनुबंधित शेष मात्रा को लागत, बीमा और माल ढुलाई CIF आयात में परिवर्तित करने की आवश्यकता है। अत: इसके लिये जहाज़ मंत्रालय द्वारा अनुमति दी गई है।
- उल्लेखनीय है कि लागत, बीमा और फ्रेट (CIF) एक लागत आधार है जिसका अर्थ है कि, जहाज और बीमा की व्यवस्था विक्रेता करता है, जबकि बोर्ड पर नि: शुल्क (FOB) एक व्यापार शब्द है जो इंगित करता है कि विक्रेता या खरीदार शिपिंग के दौरान क्षतिग्रस्त या नष्ट होने वाले सामानों के लिये उत्तरदायी है या नहीं।
- भारतीय जहाजों को कार्गो समर्थन प्रदान करने के लिये डिज़ाइन की गई फ्लेगशिप नीति है जो FOB आधार पर सभी सरकारी स्वामित्व वाली/नियंत्रित कार्गो की खरीद के लिये ज़रूरी है, जिसमें भारतीय खरीदार को शिपिंग व्यवस्था को अंतिम रूप देना होगा।
- यह इस बात को भी इंगित करता है कि भारतीय रिफाइनरीज़ अधिक अमेरिकी तेल खरीदने की स्थिति में होंगे, जो ज्यादातर CIF आधार पर उपलब्ध है, यह ईरान से तेल की आपूर्ति के नुकसान की भरपाई करने में मदद करेगा।

नोट :

विश्व का पहला ब्लू बॉण्ड (first blue bond of the world)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सेशेल्स ने विश्व का पहला ब्लू बॉण्ड जारी किया है। इस बॉण्ड के माध्यम से सेशेल्स ने अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से 15 मिलियन डॉलर एकत्र कर लिये हैं। इस बॉण्ड के माध्यम से एकत्रित धनराशि द्वारा सतत् सामुद्रिक एवं मत्स्य पालन परियोजनाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

प्रमुख बिंदु

- इस बॉण्ड के माध्यम से कोई भी देश सामुद्रिक संसाधनों के सतत् उपयोग के लिये वित्त हेतु किसी भी प्रकार के पूंजी बाज़ार से धनराशि एकत्र कर सकता है।
- इस बॉण्ड के माध्यम से सरकारी और निजी दोनों स्रोतों से निवेश प्राप्त होगा।
- इस बॉण्ड के ज़रिये सेशेल्स को सतत् मत्स्य पालन को सुनिश्चित करने में सहायता मिलेगी।
- सेशेल्स द्वारा जारी किये गए ब्लू बॉण्ड को विश्व बैंक द्वारा 5 मिलियन डॉलर की गारंटी प्राप्त है।
- उपरोक्त के अतिरिक्त इसे वैश्विक पर्यावरण सुविधा (Global Environment Facility – GEF) की तरफ से 5 मिलियन डॉलर का रियायती ऋण भी उपलब्ध कराया गया है।
- इस बॉण्ड के माध्यम से प्राप्त आय में से कम से कम 12 मिलियन डॉलर स्थानीय मछुआरा समुदायों को कम ब्याज वाले ऋण के रूप में आवंटित किये जाएंगे, जबकि शेष राशि का उपयोग सतत् मत्स्य परियोजनाओं के शोध हेतु वित्तपोषण के लिये किया जाएगा। इस निधि का प्रबंधन सेशेल्स विकास बैंक (Development Bank of Seychelles – DBS) करेगा।
- इंडोनेशिया और अन्य द्वीपीय राष्ट्र सतत् मत्स्य पालन और समुद्री परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिये बॉण्ड बाज़ार को टैप करने में एक मॉडल के रूप में सेशल्स द्वारा जारी ब्लू बॉण्ड संरचना का उपयोग कर सकते हैं।
- ब्लू ग्रांट्स निधि के ज़रिये अनुदान भी दिया जाएगा। इस निधि का प्रबंधन सेशेल्स के संरक्षण एवं जलवायु अनुकूलन न्यास द्वारा किया जाएगा।

बॉण्ड से प्राप्त आय का उपयोग

- संरक्षित समुद्री क्षेत्रों का विस्तार करने के लिये।
- बेहतर मत्स्य पालन के लिये।
- सेशेल्स में नीली अर्थव्यवस्था (Blue Economy) का विकास करने के लिये।

पृष्ठभूमि

आधिकारिक तौर पर इस बॉण्ड की शुरुआत 9 अक्तूबर, 2018 को की गई थी और 10 साल की अवधि वाले इस बॉण्ड को संयुक्त राज्य अमेरिका के तीन सामाजिक प्रभाव वाले निवेशकों- कैलवर्ट इंपैक्ट कैपिटल, नुवेन (nuveen) और प्रुडेंशियल को सीधे स्टैंडर्ड चार्टर्ड जिसने इस कार्य में प्लेसमेंट एजेंट के रूप में काम किया, के माध्यम से बेचा गया।

सेशेल्स

- सेशेल्स हिंद महासागर में स्थित 115 द्वीपों का एक द्वीपसमूह है।
- यह कई समुद्र तटों, प्रवाल भित्तियों और प्राकृतिक भंडार के साथ-साथ दुर्लभ जानवरों जैसे कि विशाल अल्टबरा कछुओं का घर है।
- यह दुनिया के विशाल जैव विविधता वाले क्षेत्रों में से एक है।
- यहाँ पर्यटन के बाद सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण उद्योग मत्स्य पालन है।

नोट :

भारत पुन: ITU परिषद का सदस्य चुना गया (India elected as a Member of the ITU)

चर्चा में क्यों ?

भारत को अगले 4 वर्षों की अवधि (2019-2022) के लिये पुन: अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) परिषद का सदस्य चुना गया है। परिषद का चुनाव दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में चल रहे ITU परिपूर्णता सम्मेलन (ITU Plenipotentiary Conference-2018) के दौरान आयोजित किया गया।

प्रमुख बिंदु

- भारत 165 वोट प्राप्त करके एशिया-आस्ट्रेलेशिया क्षेत्र से परिषद के लिये चुने गए 13 देशों में तीसरे स्थान पर रहा और वैश्विक रूप से परिषद के लिये चुने गए 48 देशों में इसका स्थान 8वाँ रहा।
- ITU के 193 सदस्य देश, परिषद में प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं।

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ

- इसकी स्थापना 17 मई, 1865 को पेरिस में हुई थी।
- अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (International Telecommunication Union- ITU) सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की शीर्ष संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है।
- विश्व के 193 देश 'अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ' के सदस्य हैं।
- इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में है।

प्रमुख कार्य

- सुचारु सेवा के साथ-साथ दूरसंचार की यथासंभव न्यूनतम दरें बनाए रखने की कोशिश करना।
- दूरसंचार संघ के आर्थिक प्रशासन को स्वतंत्र एवं सुस्पष्ट आधार प्रदान करना।
- यह संचार और दूरसंचार के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का नियमन करती है।
- रेडियो आवृत्तियों को निश्चित करना तथा निर्दिष्ट रेडियो आवृत्तियों का आलेखन करना।
- दूरसंचार के दौरान जीवन को किसी प्रकार से क्षति न पहुँचे, इस दृष्टि से विभिन्न उपाय खोजना तथा उन उपायों को लागू करने के उपरांत उनका विस्तार करना।
- दूरसंचार प्रणाली संबंधी विभिन्न अध्ययन करके उपयुक्त सिफारिशें करना तथा इससे संबंधित विभिन्न सूचनाओं को इकट्ठा करके प्रकाशित करना, ताकि सदस्य देश उक्त सूचनाओं से लाभ उठा सकें।

उपराष्ट्रपति की तीन अफ्रीकी देशों की यात्रा (Vice President visits three African countries)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति ने 31 अक्तूबर से लेकर 5 नवंबर, 2018 तक तीन अफ्रीकी देशों क्रमश: बोत्सवाना, जिम्बाब्वे गणराज्य तथा मलावी गणराज्य की आधिकारिक यात्रा की।

प्रमुख बिंदु

- तीन देशों के आधिकारिक दौरे में राष्ट्रपति के साथ बैठक, अपने समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता, प्रतिनिधिमंडल स्तरीय बातचीत, संसद के अध्यक्ष के साथ बैठक तथा व्यापारिक प्रतिनिधियों एवं भारतीय समुदाय के साथ बातचीत करना शामिल है।
- उल्लेखनीय है कि उपराष्ट्रपति के साथ एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी गया था, जिसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर, दो सांसद श्री के. सुरेश और श्री वी. मुरलीधरन तथा अन्य बड़े अधिकारी शामिल थे।

नोट :

बोत्सवाना यात्रा

- उपराष्ट्रपति ने बोत्सवाना में भारतीय समुदाय को संबोधित किया।
- बोत्सवाना में उपराष्ट्रपति ने अपने समकक्ष के साथ प्रतिष्ठित वार्षिक ग्लोबल एक्सपो-2018 का उद्घाटन किया, जिसमें भारत की 28 कंपनियों ने हिस्सा लिया।
- बोत्सवाना ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के अपने फैसले की घोषणा की।
- बोत्सवाना ने भारत द्वारा क्षमता निर्माण में विशेष रूप से आईटीईसी के तहत दी जा रही सहायता की सराहना की।
- पिछले चार वर्षों में, बोत्सवाना ने आईटीईसी, आईएएफएस और आईसीसीआर के तहत 600 से अधिक स्लॉट का उपयोग किया है।
- दोनों पक्ष व्यापार और आर्थिक जुड़ाव को आगे बढ़ाने और विविधता के लिये सहमत हुए।
- बोत्सवाना के साथ हमारे द्विपक्षीय व्यापार ने पिछले साल 26% की प्रभावशाली वृद्धि दर्ज की है जो इसे 1.75 अरब अमेरिकी डॉलर तक ले गई है।
- दोनों पक्ष तांबा खनन आदि जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिये भी सहमत हुए।
- प्रतिनिधिमंडल स्तरीय वार्ता के बाद राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिये वीज़ा से छूट देने के लिये दोनों सरकारों द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

जिम्बाब्वे यात्रा

- उपराष्ट्रपति ने जिम्बाब्वे के अपने समकक्ष किम्बो मोहादी से प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच आपसी संबंधों को मज़बूत किये जाने पर बातचीत हुई। इसके बाद दोनों देशों के बीच छह समझौतों पर हस्ताक्षर हुए इसमें खनन, प्रसारण, आईसीटी और पारंपरिक औषधियाँ शामिल हैं।
- उल्लेखनीय है कि नायडू 21 वर्षों में जिम्बाब्वे की यात्रा करने वाले भारत सरकार के पहले उच्च स्तरीय प्राधिकारी हैं। इससे पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने वर्ष 1996 में जिम्बाब्वे की यात्रा की थी।

क्र.सं.	समझौता ज्ञापन / करार / कार्य योजना का नाम	भारतीय पक्ष के हस्ताक्षरकर्त्ता	जिम्बाब्वे पक्ष के हस्ताक्षरकर्त्ता
1.	भारत गणराज्य और जिम्बाब्वे गणराज्य के बीच कला, संस्कृति और विरासत के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन	टी.एस. तिरुमूर्ति सचिव (पूर्वी क्षेत्र), विदेश मंत्रालय	किर्स्टी कॉवेन्ट्री युवा, खेल, कला और मनोरंजन मंत्री
2.	मेडिसिन और होम्योपैथी की पारंपरिक प्रणालियों के क्षेत्र में सहयोग पर भारत गणराज्य और जिम्बाब्वे गणराज्य के बीच समझौता ज्ञापन	टी.एस. तिरुमूर्ति, सचिव (पूर्वी क्षेत्र), विदेश मंत्रालय	ओबद्याह मोयो स्वास्थ्य और बाल देखभाल मंत्री
3.	प्रसार भारती, भारत और जिम्बाब्वे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, जिम्बाब्वे के बीच प्रसारण और सहयोग पर समझौता ज्ञापन	टी.एस. तिरुमूर्ति सचिव (पूर्वी क्षेत्र), विदेश मंत्रालय	पैट्रिक मावहरा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिम्बाब्वे ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन
4.	भारत गणराज्य और जिम्बाब्वे गणराज्य के बीच भूगोल, खनन और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में समझौता ज्ञापन	टी.एस. तिरुमूर्ति सचिव (पूर्वी क्षेत्र), विदेश मंत्रालय	विंस्टन चित्तांडो खान और खनन विकास मंत्री

नोट :

5.	भारत गणराज्य और जिम्बाब्वे गणराज्य के बीच राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिये वीज़ा आवश्यकताओं के पारस्परिक छूट पर करार	टी.एस. तिरुमूर्ति सचिव (पूर्वी क्षेत्र), विदेश मंत्रालय	कैन गिनीत्शे मैथम गृह और सांस्कृतिक विरासत मंत्री
6.	भारत गणराज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और जिम्बाब्वे गणराज्य के सूचना व संचार प्रौद्योगिकी और कूरियर सेवा मंत्रालय के बीच सूचना व संचार प्रौद्योगिकी में सहयोग पर कार्य-योजना	टी.एस. तिरुमूर्ति सचिव (पूर्वी क्षेत्र), विदेश मंत्रालय	कैन गिनीत्शे मैथम कार्यवाहक विदेश मंत्री और गृह व सांस्कृतिक विरासत मंत्री

मलावी यात्रा

- उपराष्ट्रपति ने मलावी के राष्ट्रपति प्रो. आर्थर पीटर मुतारिका से स्टेट हाउस में मुलाकात की एवं परस्पर हित और सहयोग के मुद्दे पर विचार-विमर्श किया।
- इन नेताओं ने दोनों देशों के मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों को याद किया तथा इसे और आगे ले जाने का निर्णय किया।
- उपराष्ट्रपति ने मलावी में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्यमें 'मानवता के लिये भारत' का उद्घाटन किया।
- उल्लेखनीय है कि भारत विश्व के सभी हिस्सों में प्रसिद्ध 'जयपुर फुट' के शिविरों का आयोजन कर रहा है, ताकि ज़रूरतमंदों की सहायता की जा सके।
- भारत ने भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति के साथ मिलकर 'मानवता के लिये' जैसी पहल कर रहा है। उपराष्ट्रपति ने इस श्रृंखला के अंतर्गत मलावी में सबसे पहले 'जयपुर फुट कैम्प' की शुरुआत की।

दिव्यांग युवाओं के लिये सूचना तकनीकी चुनौती
(global it challenge for youth with disability)

चर्चा में क्यों ?

नई दिल्ली में 9-11 नवंबर, 2018 को ग्लोबल आईटी चैलेंज फॉर यूथ विद डिसैबिलिटी, 2018 का आयोजन सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के डिपार्टमेंट ऑफ पर्सन्स विद् डिसैबिलिटीज़ द्वारा आयोजित होगा। भारत इस वर्ष आयोजन की मेज़बानी कोरियाई सरकार और डिसैबिलिटी इंटरनेशनल के सहयोग से कर रहा है।

क्या है ग्लोबल आईटी चैलेंज फॉर डिसैबिलिटीज़ (GITC)

- यह दिव्यांग युवाओं के लिये एक क्षमता-निर्माण संबंधी प्रोजेक्ट है जो दिव्यांग युवाओं को, उनके बेहतर भविष्य को प्राप्त करने की राह में आने वाली चुनौतियों और उसकी सीमाओं से निपटने में मदद करता है। इसके लिये ICT की मदद ली जाती है।
- इसके द्वारा डिज़िटल अंतराल को भरा जा सकेगा और समाज में दिव्यांग युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सकेगी।

क्या होगा इसके अंतर्गत

- इसके तहत, विकलांगता के चार वर्गों जैसे- विज़ुअल (दृष्टि दिव्यांगता), हीयरिंग (श्रवण दिव्यांगता), लोकोमोटर विकलांगता एवं डेवलपमेंट डिसअबिलिटी (विकास संबंधी विकार) में प्रतियोगिता का आयोजन होगा जिसमें 18 देशों से 13-21 आयु-वर्ग के 100 दिव्यांग युवा भाग लेंगे।
- इस आयोजन में भाग देश लेने वाले देशों में इंडोनेशिया, चीन, वियतनाम, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, मंगोलिया, कंबोडिया, लाओस, फिलीपींस, कोरिया, कज़ाख्स्तान, किर्गिस्तान, यू.ए.ई., भारत और यू.के. शामिल है।
- प्रत्येक वर्ष एशिया-पैसेफिक क्षेत्र में GITC का आयोजन होता है। ऐसे आयोजन पहले कोरिया, चीन, थाईलैण्ड और वियतनाम में हो चुके हैं।

नोट :

उद्देश्य

- एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के दिव्यांग युवकों की समाज में भागीदारी बढ़ाना और डिजिटल विभाजन को कम करना।
- इंचियोन रणनीति (लक्ष्य-3) का क्रियान्वयन।
- यूनाइटेड नेशन्स कन्वेंशन ऑन राइट्स ऑफ पर्सन्स विद् डिसअबिलिटी के अनुच्छेद-21 (सूचना के पहुँच से संबंधित) के क्रियान्वयन पर जोर देना और साथ ही सतत विकास लक्ष्यों (4, 9, 17) को प्राप्त करना।
- विकलांग जनों के तीसरे एशियन और पैसिफिक दशक (2013-2022) का क्रियान्वयन करना जिसे कोरियाई सरकार द्वारा 2012 में अपनाया गया।

आवश्यकता क्यों पड़ी ?

- सूचना तकनीकी, दिव्यांग लोगों की जिंदगियों और उनसे संबंधित देशों को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
- विश्व में विकलांगता से प्रभावित करीब 1 बिलियन लोग है जो वैश्विक जनसंख्या का 15% है। इनका 80% भाग विकासशील देशों में निवास करता है जिनका ICT Development Index निम्न होता है।
- सूचना विभाजन में वृद्धि और विकलांगता के कारण ऐसे लोग समाज से अलग-थलग पड़ जाते हैं और असमानता तथा गरीबी का शिकार बनते हैं।

भारत-सिंगापुर रक्षा संबंध (India-Singapore relations)

चर्चा में क्यों ?

भारत की 'ऐक्ट ईस्ट नीति' पर अमल करते हुए हाल के दिनों में भारत और सिंगापुर के बीच कई उच्च स्तरीय वार्ताएँ और समझौते किये गए हैं जिससे दोनों देशों के बीच परस्पर संबंध और प्रगाढ़ हो रहे हैं।

प्रमुख बिंदु

- भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय वार्ताओं के साथ ही संयुक्त अभ्यासों और अन्य द्विपक्षीय सहयोग के लिए 20 से ज्यादा व्यवस्थाएँ की गई हैं जिन पर हर साल अमल किया जाता है। नवंबर 2015 में दोनों देशों के बीच इन संबंधों को रणनीतिक साझेदारी का रूप दिया गया।
- जून 2018 में शांगरी ला डॉयलॉग से इतर भारत और सिंगापुर ने रक्षा और रणनीतिक साझेदारी के अलावा कई और क्षेत्रों में भी परस्पर सहयोग के कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये।
- इसमें सबसे महत्त्वपूर्ण समझौता भारतीय नौसेना और सिंगापुर की नौसेना के बीच किया गया कार्यान्वयन समझौता था जो आपसी समन्वयन, नौसेना के जहाजों, पनडुब्बियों और नौसेना के विमानों के रखरखाव और लाजिस्टिक्स से संबंधित है।
- इस समझौते के लागू होने के साथ ही दोनों देश अपने नौसैनिक संसाधनों को लॉजिस्टिक्स और सेवाओं के ज़रिये एक-दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं।
- समझौते के माध्यम से भारत और सिंगापुर अपने साझा समुद्री क्षेत्र में अपने सहयोगी देशों के साथ नियमित रूप से संयुक्त अभ्यास करने पर सहमत हुए हैं।

भारत और मोरक्को के बीच समझौता (Morocco & India agree to assist)

संदर्भ

हाल ही में भारत और मोरक्को ने दीवानी एवं वाणिज्यिक अदालतों में पारस्परिक कानूनी सहायता और ज्यादा बढ़ाने से संबंधित समझौते पर हस्ताक्षर किये।

नोट :

समझौते के प्रमुख बिंदु

- सम्मन और अन्य न्यायिक दस्तावेजों या प्रक्रियाओं पर अमल करना
- दीवानी मामलों में साक्ष्य लेना
- दस्तावेजों, रिकॉर्डिंग को प्रस्तुत, पहचान और जांच करना
- दीवानी मामलों में साक्ष्य लेने के लिये अनुरोध पत्र पर तामील
- पंच निर्णायकों के पंचाट को स्वीकार एवं कार्यान्वित करना

समझौते का उद्देश्य

भारत सरकार के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और मोरक्को साम्राज्य के न्याय मंत्रालय के बीच आधुनिकीकरण के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग के क्षेत्र में हुए समझौते का उद्देश्य एक साधन के रूप में आईटी का उपयोग कर अदालतों के आधुनिकीकरण सहित ई-गवर्नेंस को सुदृढ़ करना है, ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं या तौर-तरीकों के आदान-प्रदान, पदाधिकारियों एवं विशेषज्ञों के क्षेत्रीय दौरों और दोनों ही पक्षों द्वारा संयुक्त रूप से निर्धारित अन्य साधनों के जरिए दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभान्वित हो सकें।

समझौते का महत्त्व

- यह समझौता भारत और मोरक्को दोनों ही देशों के नागरिकों के लिये लाभप्रद साबित होगा।
- इस समझौते से दीवानी एवं वाणिज्यिक मामलों में मैत्रीपूर्ण एवं सार्थक सहयोग को मज़बूत करने से संबंधित दोनों देशों की प्रबल इच्छा की भी पूर्ति होगी जो इस समझौते की मूल शैली, भावना एवं सार है।

भारत-मोरक्को संबंध पृष्ठभूमि

- भारत मोरक्को के स्वतंत्रता आंदोलन को अपनी ओर से संयुक्त राष्ट्र में समर्थन प्रदान करने में अत्यंत सक्रिय रहा था और इसके साथ ही भारत ने 20 जून, 1956 को उस समय मोरक्को को मान्यता प्रदान की थी जब वह फ्रांस के साथ की गई संरक्षित व्यवस्था से आजाद हो गया था। इसके साथ ही वर्ष 1957 में राजनयिक मिशन स्थापित किये गए थे।
- आपसी संबंधों के आगाज के समय से ही भारत और मोरक्को के बीच सौहार्दपूर्ण एवं मैत्रीपूर्ण रिश्ते कायम हैं। समय-समय पर भारत और मोरक्को के गणमान्य व्यक्ति एक-दूसरे के यहाँ दौरे पर जाते रहे हैं।
- मोरक्को का दौरा करने वाले भारत के गणमान्य व्यक्तियों में उपराष्ट्रपति डॉ. जाकिर हुसैन (1967) और विधि एवं न्याय मंत्री (2016) शामिल हैं।

ईरान द्वारा न्यूक्लियर डील, 2015 का अनुपालन बरकरार : आईएईए
(Iran Still in Compliance with 2015 Nuclear Deal : IAEA)

चर्चा में क्यों ?

वियना की अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान अभी भी परमाणु समझौते की शर्तों के अनुसार ही अपना परमाणु कार्यक्रम चला रहा है और उसने यूरेनियम परमाणु भंडार की न्यून संवर्द्धन की सीमा को भी पार नहीं किया है। ईरान ने मुख्य शक्तियों के साथ हुई न्यूक्लियर डील, 2015 का अनुपालन करते हुए अपने परमाणु कार्यव्रम की सीमा, डील द्वारा अधिरोपित शर्तों की सीमा के अंदर ही बनाए रखी है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यूनाइटेड स्टेट्स (US) द्वारा तेहरान के विरुद्ध पुन: लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद, ईरान 2015 की न्यूक्लियर डील द्वारा स्थापित न्यूक्लियर प्रतिबंधों का पालन जारी रखे हुए है।
- ईरान के न्यून-संवर्द्धित यूरेनियम (Low-enriched uraniun) की सीमा अभी भी 149.4 किग्रा. है जो डील द्वारा तय 202.8 किग्रा की सीमा के अंदर ही है।

नोट :

- ईरान का भारी-जल (Heavy Water) भंडार अभी भी अपरिवर्तित रहते हुए करीब 122.8 टन है। भारी जल एक कम संवेदनशील पदार्थ माना जाता है जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक (Moderator) के तौर पर प्रयोग किया जाता है। परंतु यह डील के तहत अभी भी प्रतिबंधित है।
- हालाँकि वर्तमान में ईरान ने उत्पादन जारी रखा है परंतु इसमें से 1.7 टन इसने विदेशों में भेजा है, जबकि 1.5 टन का प्रयोग मेडिकल कंपाउंड्स बनाने में किया है।

क्या है न्यूक्लीयर डील, 2015 ?

- 2015 में बराक ओबामा प्रशासन के दौरान अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, फ्रांस और जर्मनी के साथ मिलकर ईरान ने परमाणु समझौता किया था।
- इस डील को ज्वाइंट कांप्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन (JCPOA) नाम दिया गया।
- इस डील के अनुसार, ईरान को संबंधित यूरेनियम के भंडार में कमी लाते हुए अपने परमाणु संयंत्रों को निगरानी के लिये खोलना था।
- इसके बदले ईरान पर आरोपित आर्थिक प्रतिबंधों में रियायत दी गई थी।
- कुछ समय पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इस समझौते से यह कहते हुए अलग हो गए कि ईरान चोरी-छिपे अपने परमाणु कार्यक्रम को अभी भी जारी रखे हुए है। साथ ही उन्होंने ईरान पर तेल एवं बैंकिंग संबंधी प्रतिबंध पुन: आरोपित कर दिये।
- हालाँकि इस डील के अन्य हस्ताक्षरकर्त्ता देश जैसे- जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन अभी भी इस डील को जारी रखे हुए हैं।
- वहीं, ईरान अभी भी इस डील से जुड़ा हुआ है क्योंकि यह डील कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों पर रोक लगाती है। लेकिन यह तभी होगा जब तीन यूरोपियन शक्तियाँ, रूस और चीन अपने व्यापार-लाभों को संरक्षित रखने के लिये प्रतिबद्ध होंगी।
- अमेरिका द्वारा प्रतिबंधों को पुन: बनाए रखने का मकसद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कड़ी सीमाओं के अंतर्गत लाना और इसके द्वारा विकसित किये जा रहे बैलिस्टिक मिसाइल को रोकना तथा मिडल-ईस्ट में होने वाले संघर्षों में प्रॉक्सी बलों को सहायता पहुँचाने से रोकना था।

भारत-यूके कैंसर शोध पहल (Indo-UK Cancer Research Initiative)

संदर्भ

हाल ही में भारत-यूके कैंसर शोध पहल के लिये जैव प्रौद्योगिकी विभाग और कैंसर शोध, यूके के बीच सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किये गए। हम सभी जानते हैं कि कैंसर एक वैश्विक महामारी है और इससे निपटने के लिये बहुराष्ट्रीय प्रयासों की आवश्यकता है। दोनों देशों द्वारा शुरू किये गए इस पहल के माध्यम से भारत और यूके के वैज्ञानिक और शोधकर्त्ता कैंसर के सस्ते इलाज का समाधान ढूंढेंगे।

पहल के बारे में

- 14-16 नवंबर, 2018 तक नई दिल्ली में आयोजित पहले शोधार्थी सम्मेलन के दौरान भारत-यूके कैंसर शोध पहल को लॉन्च किया गया। यह सम्मेलन वैज्ञानिकों, शोधार्थियों, चिकित्साकर्मियों, जनस्वास्थ्य विशेषज्ञों आदि को ज्ञान साझा करने तथा परस्पर संवाद का अवसर प्रदान करने के लिये आयोजित किया गया।
- भारत-यूके कैंसर शोध पहल विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जैव प्रौद्योगिकी विभाग (DBT) तथा कैंसर रिसर्च, यूके (CRUK) के बीच पाँच वर्षों के लिये एक द्विपक्षीय शोध पहल है।
- इस पहल के अंतर्गत कैंसर के सस्ते इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
- DBT और CRUK में से प्रत्येक इन पाँच वर्षों के दौरान 5 मिलियन पाउंड का निवेश करेंगे और अन्य सहयोगियों से अतिरिक्त निवेश प्राप्त करने का प्रयास करेंगे।
- भारत-यूके कैंसर शोध पहल, शोध की ऐसी चुनौतियों की पहचान करेगा जो कैंसर के सस्ते ईलाज, रोकथाम और देखभाल पर आधारित होगी।

नोट :

पृष्ठभूमि

- भारतीय प्रधानमंत्री की यूके यात्रा के दौरान भारत तथा यूके द्वारा दिये गए संयुक्त वक्तव्य के आलोक में यह निर्णय लिया गया है।
- यूके और भारत वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिये अपने अनुभव और ज्ञान को साझा कर रहे हैं।
- भारत का जैव-प्रौद्योगिकी विभाग (डीबीटी) और कैंसर रिसर्च, यूके ने द्विपक्षीय शोध पहल के लिये 10 मिलियन पाउंड के निवेश का प्रस्ताव दिया है।

निष्कर्ष

वर्तमान में कोई भी देश कैंसर से अछूता नहीं है। पूरी दुनिया में हर साल लाखों लोग इस बीमारी की चपेट में आते हैं। कैंसर की चुनौती से निपटने के लिये विश्व के वैज्ञानिकों को साथ मिलकर शोध करने कीआवश्यकता को देखते हुए भारत तथा यूके द्वारा शुरू की गई यह पहल निश्चित रूप से सराहनीय है।

'क्वाड' देशों का तीसरा सम्मेलन (Third Meeting of the 'Quad' Countries)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सिंगापुर में क्वाड देशों-भारत, अमेरिका, जापान तथा ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सचिव स्तर की तीसरी बैठक संपन्न हुई, 'क्वाड' इन चार देशों की अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता है। 13वीं ईस्ट एशिया समिट के दौरान ही क्वाड सम्मेलन का भी आयोजन किया गया था। यह क्वाड सम्मेलन मुख्यत: इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में अवसंरचनात्मक प्रोजेक्ट्स एवं समुद्री सुरक्षा योजनाओं पर केंद्रित था।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस सम्मेलन में चर्चा का केंद्र कनेक्टिविटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, काउंटर टेररिज़्म, नॉन-प्रालिफेरेशन एवं मैरीटाइम और साइबर सिक्यूरिटी जैसे क्षेत्रों में सहयोग करना था। इसका उद्देश्य तेज़ी से विस्तार कर रहे इंटर-कनेक्टेड इंडो-पैसिफिक क्षेत्र, जिसे ये चार देश एक-दूसरे एवं अन्य के साथ साझा करते हैं, में शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देना है।
- अमेरिका, जापान एवं ऑस्ट्रेलिया ने अपने बयान में क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिये 'नियम-आधारित आदेश' (Rules-based order) पर ज़ोर दिया था, हालाँकि भारत इसके पक्ष में नहीं था।
- सभी चार देशों ने आगे भी इस गठबंधन को बनाए रखने की प्रतिबद्धता जाहिर की।
- सभी पक्षों ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के समुद्री इलाके में स्थिरता को समर्थन देने के लिये साथ काम करने के महत्त्व को स्वीकार किया।
- चारों देशों ने विस्तृत आर्थिक विकास का समर्थन किया जिससे क्षेत्र की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके। साथ ही गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के विकास के लिये तेज़ी से कार्य करने की बात कही गई, जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों जैसे- खुलापन, पारदर्शिता, आर्थिक सक्षमता और ऋण स्थिरता पर आधारित हो।
- भारत ने क्वाड का सैन्यीकरण किये जाने पर हमेशा से ही एतराज जताया है उसका मानना है कि क्वाड का उपयोग सिर्फ असैनिक/नागरिक मुद्दों के लिये होना चाहिये।
- वियतनाम के प्रतिनिधि ने ऐसी किसी भी प्रकार की पहल का स्वागत किया है जो इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाएगा लेकिन यह किसी भी प्रकार के सैन्य गठबंधन का विरोध करता है। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के आगामी वियतनाम दौरे के तीन दिन पहले वियतनाम का यह बयान सामने आया है।

क्वाड से इतर

- भारत और जापान ने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं की एक शृंखला की घोषणा भी की है जिसे उन्होंने Asia-African Growth Corridor नाम दिया है।
- भारत और जापान बांग्लादेश में जमुना रेलवे ब्रिज एवं उत्तर-पूर्वी राज्यों में अन्य ब्रिज, आवास व्यवस्था, म्याँमार के रोहिंग्या क्षेत्रों में स्कूल और विद्युत संबंधी परियोजनाओं, श्रीलंका में LNG plant और केन्या में कैंसर हॉस्पीटल जैसे प्रोजेक्ट्स पर मिलकर काम करेंगे।

नोट :

- वहीं ऑस्ट्रेलिया द्वारा भी बुनियादी ढाँचे के वित्तपोषण के लिये 2 बिलियन डॉलर के ऑस्ट्रेलियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग फैसिलिटी फॉर द पैसिफिक (Australian Infrastructure Financing Facility for the Pacific-AIFFP) की घोषणा की गई है। इसके द्वारा ऑस्ट्रेलिया, पड़ोसी देशों जैसे- फिजी, सोलोमन द्वीप एवं वनुआतु में प्रोजेक्ट्स का वित्तीयन करेगा।
- ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने Boe Pacific Security Declaration के तहत निकट रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की बात भी कही। इसके अंतर्गत पपुआ न्यू गिनी में एक नौसैनिक बेस बनाया जाएगा।
- ऑस्ट्रेलिया चाहता है कि भारत उसके Forum for India Pacific Islands Co-operation (FIPIC) योजना में रुचि दिखाए।

क्वाड की पृष्ठभूमि

- 'क्वाड' की अवधारणा सबसे पहले भारत, जापान, यूएस और ऑस्ट्रेलिया द्वारा समुद्री आपदा के समय बड़े पैमाने पर राहत और पुनर्वास संबंधी कार्यों में सहयोग के लिये आई थी।
- बाद में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने चीन के कारण उपजती भू-राजनैतिक और भू-रणनीतिक चिंताओं के मद्देनजर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा भारत के नेतृत्वकर्त्ताओं के परामर्श से 2007 में रणीनतिक वार्ता के रूप में 'क्वाड' की शुरुआत की।
- क्वाड के इस विचार ने आसियान क्षेत्र में एक मिश्रित प्रतिक्रिया को जन्म दिया एवं चीन और रूस खुले तौर पर इसके विरोध में सामने आए।
- हालाँकि 2008 में ऑस्ट्रेलिया द्वारा इस ग्रुप से बाहर आने के कारण यह वार्ता शिथिल पड़ गयी थी लेकिन बाद में वह पुनः इस वार्ता में शामिल हो गया।
- 2017 में, इस अनौपचारिक समूह को पुनर्जीवित किया गया ताकि एशिया में चीन के आक्रामक उदय को संतुलित किया जा सके।
- क्वाड को 'नियम-आधारित आदेश' को ध्यान में रखते हुए पुर्नजीवित किया गया था ताकि नेविगेशन एवं ओवर फ्लाइट की स्वतंत्रता, अंतर्राष्ट्रीय नियम का सम्मान, कनेक्टिविटी का प्रसार एवं समुद्री सुरक्षा को सहयोग के मुख्य तत्त्व के रूप में पहचान मिल सके। इसमें अप्रसार एवं आतंकवाद जैसे मुद्दों को भी शामिल किया गया।
- 'क्वाड' को Quadrilateral Security Dialogue (QSD) के नाम से भी जाना जाता है। इस रणनीतिक वार्ता के साथ-साथ 2002 से मालाबार नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास भी चल रहा है। मालाबार अभ्यास में अमेरिका, जापान और भारत शामिल हैं। ऑस्ट्रेलिया इस अभ्यास में भाग नहीं लेता है।
- इंडो-पैसिफिक क्षेत्र का सिद्धांत है कि यह क्षेत्र मुक्त और समावेशी बने जहाँ विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करें।

13वाँ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit)

चर्चा में क्यों ?

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा सिंगापुर में संपन्न हुए 13वें पूर्वी-एशिया शिखर सम्मेलन (East Asia Summit) में सदस्य देशों के मध्य बहुपक्षीय सहयोग एवं आर्थिक और सांस्कृतिक गठबंधन को बढ़ाने पर चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को शांतिपूर्ण, समावेशी एवं समृद्ध बनाने के लिये भारत की प्रतिबद्धता को भी स्पष्ट किया।

मुख्य बिंदु

- भारतीय प्रधानमंत्री मोदी का यह 5वाँ पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन था। 2005 में इसकी शुरुआत से ही भारत इस सम्मेलन में भाग ले रहा है।
- सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने शांतिपूर्ण, खुले और समावेशी इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के निर्माण, समुद्री सहयोग को मज़बूत करने एवं एक संतुलित रीज़नल कांप्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (Regional Comprehensive Economic Partnership-RCEP) पैक्ट के लिये भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट किया।

पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS)

- यह एशिया-पैसिफिक क्षेत्र के 18 देशों के नेताओं द्वारा संचालित एक अनूठा मंच है जिसका गठन क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और समृद्धि के उद्देश्य से किया गया था।

नोट :

- इसे आम क्षेत्रीय चिंता वाले राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर सामरिक वार्ता और सहयोग के लिये एक मंच के रूप में विकसित किया गया है जो क्षेत्रीय निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- East Asia Grouping की अवधारणा पहली बार 1991 में मलेशिया के प्रधानमंत्री महाथिर-बिन-मोहम्मद द्वारा लाई गई थी परंतु इसकी स्थापना 2005 में की गई।
- EAS के सदस्य देशों में आसियान के 10 देशों (इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, म्याँमार, कंबोडिया, ब्रुनेई और लाओस) के अलावा ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और यूएस शामिल हैं।
- EAS के प्रेमवर्क के अधीन क्षेत्रीय सहयोग के ये 6 प्राथमिक क्षेत्र आते हैं- पर्यावरण और ऊर्जा, शिक्षा, वित्त, वैश्विक स्वास्थ्य संबंधित मुद्दे एवं विश्वव्यापी रोग, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन तथा आसियान कनेक्टिविटी।
- भारत इन सभी 6 प्राथमिक क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग का समर्थन करता है।

ब्रेक्जिट डील मसौदा

चर्चा में क्यों ?

ब्रिटेन के ब्रेक्जिट सेक्रेटरी डोमिनिक राब एवं अन्य मंत्रियों द्वारा ब्रेक्जिट समझौते के ड्राफ्ट के विरोध में त्यागपत्र देने से ब्रिटिश प्रधानमंत्री थेरेसा मे की ब्रेक्जिट रणनीति की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस्तीफा देने वालों में कार्य व पेंशन मंत्री इस्टर मैकवे और एक अन्य मंत्री भी शामिल हैं। इससे थेरेसा मे के नेतृत्व पर भी सवाल उठने लगे है और उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की संभावना जताई जा रही है।

मुख्य बिंदु

- यूरोपीय यूनियन (EU) से ब्रिटेन के अलग होने संबंधी समझौते के मसौदे (Draft) के विरोध में इस्तीफा देने की शुरुआत उत्तरी आयरलैंड मामलों के भारतीय मूल के मंत्री शैलेष वारा ने की। इसके तुरंत बाद ब्रेक्जिट मंत्री राब ने यह कहते हुए इस्तीफे की घोषणा की कि प्रस्तावित समझौता ब्रिटेन की संप्रभुता के लिये खतरा है और यह देशहित में नहीं है।
- इस घटना के थोड़े समय बाद ही ब्रेक्जिट समर्थक जैकब रीस-मांग ने संसद के निचले सदन में थेरेसा मे के नेतृत्व में अविश्वास जताते हुए उन्हें चुनौती दी।
- थेरेसा सरकार को समर्थन दे रही उत्तरी आयरलैंड की डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी (डीयूपी) पहले ही चेतावनी दे चुकी है कि समझौते में उत्तरी आयरलैण्ड के साथ किसी भी प्रकार के भेदभाव की स्थिति में सरकार से समर्थन वापस ले लिया जाएगा।
- यूरोपीय संघ के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने ब्रसेल्स में कहा कि ब्रिटेन के साथ ब्रेक्जिट समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिये यूरोपीय संघ द्वारा 25 नवंबर को विशेष सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।
- इस बीच फ्राँस ने प्रस्तावित ब्रेक्जिट समझौते को की फ्राँस अर्थव्यवस्था के लिये अच्छा बताया है।

ब्रेक्जिट

- यह मुख्यत: दो शब्दों Britain और Exit से मिलकर बना है जिसका अर्थ है ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से बाहर निकलना।
- जून 2016 में इसके लिये ब्रिटेन में जनमत संग्रह कराया गया था। इसमें 71 प्रतिशत मतदान के साथ 30 मिलियन से अधिक लोगों ने मतदान किया था और 52 फीसदी के साथ Brexit के पक्ष में लोगों ने मतदान किया।
- ब्रिटेन की जनता ने ब्रिटेन की पहचान, आज़ादी और संस्कृति को बनाए रखने के उद्देश्य से यूरोपीय संघ से बाहर जाने का फैसला लिया।
- यूरोपीय संघ (निकासी) विधेयक के कानून बन जाने के उपरांत इसने 2017 के यूरोपीय समुदाय अधिनियम का स्थान ले लिया है।
- 29 मार्च, 2019 तक ब्रिटेन को यूरोपीय संघ छोड़ देना है। ब्रेक्जिट डे यानी 29 मार्च, 2019 से ब्रिटिश कानून ही मान्य होंगे। 29 मार्च, 2019 से 21 महीने का संक्रमण चरण (Transition phase) शुरू होगा और यह दिसंबर 2020 के अंतिम दिन खत्म होगा।
- यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन के अलग होने के समझौते के लिये मसौदा तैयार किया गया है जिसे ब्रेक्जिट ड्राफ्ट डील कहा जा रहा है।

नोट :

आगे की वस्तुस्थिति

- 14 नवंबर को ब्रितानी कैबिनेट ने ब्रेक्जिट ड्राफ्ट डील को मंज़ूरी दे दी।
- इस मसौदे पर सहमति के बाद यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के बीच बैठकों का एक और लंबा दौर चलेगा तथा नवंबर के आखिर में ड्राफ्ट डील मंज़ूरी के लिये 25 नवंबर को एक बैठक का आयोजन किया जाएगा जहाँ यूरोपीय संघ द्वारा ब्रेक्जिट समझौते को मंज़ूरी दिये जाने की संभावना है। इसके लिये ज़रूरी है कि यूरोपीय संघ के सभी 27 सदस्य देश इस समझौते को मंज़ूरी दे।
- तदुपरांत इस समझौता प्रस्ताव को ब्रिटेन की संसद में पेश किया जाएगा।
- अगर संसद द्वारा प्रस्ताव के पक्ष में वोट दिया जाता है तो अगले साल की शुरुआत में यूरोपीय संघ से अलग हटने का बिल पेश किया जाएगा। लेकिन संसद द्वारा अस्वीकृत किये जाने की स्थिति में सरकार को 21 दिनों के भीतर नया प्रस्ताव लाना होगा।
- ब्रिटिश संसद से इस प्रस्ताव को मंज़ूरी मिलने के बाद यूरोपीय यूनियन संसद को इसे सामान्य बहुमत से मंज़ूरी देनी होगी। हालाँकि इस संबंध में यूरोपीय संघ और ब्रिटेन को लंबा सफर तय करना है।

मसौदे पर टकराव का मुद्दा

- ब्रेक्जिट मुद्दे पर थेरेसा मे को मंत्रिमंडल का सहयोग प्राप्त हुआ है लेकिन संसद में इस समझौते पर सबको राज़ी करना मुश्किल होगा।
- इसका संकेत ब्रेक्जिट सचिव डोमिनिक राब एवं अन्य के इस्तीफे से मिलता है।
- इस समझौते में आयरलैंड के साथ सीमा मुद्दा सबसे बड़ा चिंता का विषय है।
- यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ को 'एक ही कर क्षेत्र' के रूप में देखा जाएगा जहाँ सीमाओं पर शुल्क नहीं लगाए जाएंगे।
- उत्तरी आयरलैंड को यूरोपीय संघ के एक-बाज़ार नियमों के तहत ही रखने की बात चल रही है ताकि सीमाओं के संबंध में और मुश्किलें उत्पन्न न हों।
- ड्राफ्ट एग्रीमेंट यह छूट देता है कि अगर यह तय समय-सीमा तक पूरा न हो पाया तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है परंतु यह सिर्फ एक बार और सीमित समय के लिये होगा।
- इस्टर मैकवे का इस्तीफा देने के पीछे तर्क था कि यह ज़रूरी है कि उनके पैसे, उनके बार्डर और कानूनों पर उनका नियंत्रण हो एवं स्वयं की स्वतंत्र व्यापार नीति हो परंतु यह समझौता ऐसा करने में असफल रहा।
- वहीं प्रधानमंत्री थेरेसा मे का कहना है कि यह समझौता उनके पैसे, कानूनों और बार्डर पर उनके नियंत्रण को वापस दिलाएगा एवं मुक्त आवागमन को बंद करते हुए नौकरियों, सुरक्षा और उनके संघ का बचाव करेगा।

यूरोपीय संघ (EU)

- 1957 में रोम की संधि द्वारा 6 यूरोपीय देशों की आर्थिक भागीदारी से यूरोपीय संघ का उदय हुआ।
- वर्तमान में ईयू, ब्रिटेन सहित 28 यूरोपीय देशों का आर्थिक एवं राजनैतिक मंच है। इन देशों के बीच आपस में प्रशासकीय साझेदारी भी है।
- यह सदस्य देशों को एकल बाज़ार के रूप में मान्यता देता है।
- इसके कानून सभी यूरोपीय देशों पर लागू होते हैं।
- इसकी 28 आधिकारिक भाषाएँ है।

कोलंबो प्रोसेस (Colombo Process) : काठमांडू डिक्लेरेशन (Kathmandu Declaration)

भारत को शामिल और/या इसके हितों को प्रभावित करने वाले समूह और समझौते

- हाल ही में नेपाल की राजधानी काठमांडू में कोलंबो कंसल्टेशन के वरिष्ठ अधिकारियों की पाँचवीं बैठक और छठा मंत्रिस्तरीय कंसल्टेशन (Consultation) आयोजित हुआ। इस कंसल्टेशन की थीम 'Safe, Regular and Managed Migration: A Win-Win for All' रखी गई थी। इस कंसल्टेशन में 27 बिंदुओं वाले काठमांडू घोषणापत्र को सर्वसम्मति से मंज़ूर किया गया।
- सदस्य देश सदस्य प्रवासी श्रमिकों के स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने और सतत् विकास लक्ष्यों के प्रवास-संबंधी तत्त्वों का कार्यान्वयन करने पर सहमत हुए। साथ ही महिला प्रवासी श्रमिकों के लिये समानता को बढ़ावा देने और प्रवासी श्रमिकों को वाणिज्य दूत (Consular) से सहयोग दिये जाने पर भी रजामंदी हुई।

नोट :

- कोलंबो कंसल्टेशन के सभी 12 सदस्य देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें हिस्सा लिया। इनमें नेपाल, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, कंबोडिया, चीन, भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, फिलीपींस, श्रीलंका, थाईलैंड और वियतनाम शामिल हैं।

कोलंबो प्रोसेस क्या है ?

- कोलंबो प्रोसेस की स्थापना 2003 में हुई थी। कोलंबो प्रोसेस एक क्षेत्रीय सलाहकारी प्रक्रिया (Regional Advisory Process) है।
- यह एशियाई देशों के लिये विदेशी रोज़गार और संविदात्मक (Contractual) श्रम का प्रबंधन करने वाला एक प्लेटफॉर्म है।
- कोलंबो प्रोसेस का मूल उद्देश्य प्रवासी श्रमिक भेजने वाले एशियाई देशों द्वारा अपने अनुभव साझा करना है ताकि उनकी समस्याओं को समझा जा सके। साथ ही विदेश जाने वाले श्रमिकों के सामने आने वाले मुद्दों पर उन देशों के साथ संवाद बढ़ाना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है, जिन देशों में प्रवासी श्रमिक जाते हैं।
- अनुमानों के मुताबिक, हर साल 2.5 मिलियन से अधिक एशियाई श्रमिक अनुबंध के तहत विदेशों में काम करने के लिये अपना देश छोड़ देते हैं। इनमें से दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया से प्रवासी श्रमिकों (Migrant workers) का एक बड़ा हिस्सा विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिये खाड़ी देशों में जाता है।
- इनके अलावा व्यापार और निर्माण क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक काम करने खाड़ी देशों में जाते हैं। साथ ही प्रवासी श्रमिक उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशियाई देशों में भी काम करने जाते हैं। जिस प्रकार एशियाई प्रवासी श्रमिकों की मौजूदगी विश्व के हर कोने में देखी जा रही है, उसी प्रकार उनका प्रभाव भी बढ़ता जा रहा है।

संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दी यौन उत्पीड़न के खिलाफ प्रस्ताव को पहली बार मंज़ूरी

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) की तीसरी समिति ने यौन उत्पीड़न (sexual harassment) के खिलाफ एक प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है, जो इस वैश्विक संगठन (Global organization) में अपनी तरह का पहला प्रस्ताव है। यह यौन उत्पीड़न के खिलाफ एक आदर्श ढाँचे का प्रस्ताव है, जिसमें सदस्य राष्ट्रों से यौन उत्पीड़न सहित महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा की निंदा करने और ऐसी हिंसा को खत्म करने की नीति अपनाने का आग्रह किया गया है।

क्या है इस प्रस्ताव में ?

- इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सभी देशों को महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने के संबंध में अपने दायित्वों से बचने के लिये किसी भी प्रथा, परंपरा या धार्मिक विचार को बीच में नहीं लाना चाहिये। यह प्रस्ताव बाध्यकारी (Binding) नहीं है, इसीलिये इसमें सभी सदस्य देशों से महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ यौन उत्पीड़न रोकने, इसे खत्म करने और इसे लेकर होने वाली सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ितों की रक्षा करने की अपील की गई है।
- प्रस्ताव में सभी राष्ट्रों से यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि सभी क्षेत्रों में नियोक्ता यदि यौन उत्पीड़न के मामलों में कानूनों का पालन करने में विफल रहते हैं, तो उनकी जवाबदेही के लिये आवश्यक कदम उठाए जाएँ। इसके अलावा यौन उत्पीड़न को खत्म करने के दृष्टिकोण के साथ सकारात्मक उपायों को अपनाने के लिये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स (Internet Service Providers) और डिजिटल प्लेटफॉर्मों (Digital platforms) सहित डिजिटल प्रौद्योगिकी कंपनियों को प्रोत्साहित करने को भी कहा गया है। इस प्रस्ताव में सभी महिलाओं और उनके यौन और प्रजनन स्वास्थ्य व प्रजनन अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया गया है।

मृत्युदंड के प्रस्ताव का भारत ने किया था विरोध

आपको बता दें कि कुछ समय पहले भारत ने मृत्युदंड को लेकर संयुक्त राष्ट्र महासभा की ओर से लाए गए मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था। यह प्रस्ताव महासभा की इसी तीसरी समिति ने पेश किया था। इस मसौदा प्रस्ताव के पक्ष में 123 और विरोध में 46 मत पड़े थे। 30 सदस्य देशों ने इस मतदान में हिस्सा नहीं लिया था।

नोट :

संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly)

संयुक्त राष्ट्र चार्टर UN Charter) के तहत 1945 में इसकी जनरल असेम्बली यानी महासभा स्थापित की गई। यह महासभा संयुक्त राष्ट्र में विचार-विमर्श और नीति निर्माण जैसे मुद्दों पर प्रतिनिधि संस्था के रूप में काम करती है। 192 सदस्यों से बनी यह संयुक्त राष्ट्र महासभा अपने चार्टर के तहत कवर किये गए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बहुआयामी और बहुपक्षीय चर्चा के लिये एक बेहतरीन मंच प्रदान करती है।

क्या है महासभा की तीसरी समिति ?

संयुक्त राष्ट्र महासभा ऐसे सामाजिक, मानवीय और सांस्कृतिक मामलों को, जिनसे दुनियाभर के लोग प्रभावित हो सकते हैं, जिस समिति को आवंटित करती है, उसे तीसरी समिति (Third Committee) कहा जाता है। इस तीसरी समिति के कार्य का एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों पर मानवाधिकार परिषद की रिपोर्ट्स पर फोकस करना है। यह समिति महिलाओं की प्रगति, बच्चों क्वे संरक्षण, घरेलू मामलों और शरणार्थियों से होने वाले व्यवहार के मामलों पर भी नज़र रखती है। इनके अलावा, नस्लवाद और नस्लीय भेदभाव को समाप्त करने और आत्मनिर्भरता के अधिकार का प्रचार कर मौलिक स्वतंत्रता को बढ़ावा देने पर भी समिति में चर्चा होती है। साथ ही यह तीसरी समिति युवाओं, परिवार, बढ़ती आयु, दिव्यांगों, अपराध निवारण, आपराधिक न्याय और मादक पदार्थ नियंत्रण जैसे महत्त्वपूर्ण सामाजिक विकास के मुद्दों पर भी गौर करती है।

भारत-यूरोपीय संघ (India-EU) संबंधों के लिये नया रणनीति पत्र

हाल ही में यूरोपीय संघ (Europian Union) ने व्यापार, निवेश, रक्षा, सुरक्षा और आतंकवाद से निपटने सहित कई प्रमुख क्षेत्रों में भारत के साथ संबंधों को मज़बूत बनाने के लिये रणनीति पत्र (strategy paper) पेश किया। यूरोपीय संघ द्वारा यह रणनीति पत्र पेश किये जाने के बाद अब यूरोपीय संसद और यूरोपीय परिषद में इस पर चर्चा की जाएगी।

रणनीति पत्र के प्रमुख प्रावधान

- यूरोपीय संघ और भारत के बीच वर्तमान संबंध यूरोपीय संघ-भारत सहयोग समझौता 1994 द्वारा स्थापित हैं। इस संयुक्त समझौते में निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने और वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से निपटने में सक्षम होने के लिये, यूरोपीय संघ और भारत को व्यापक रणनीतिक साझेदार समझौता (Strategic Partnership Agreement) स्थापित करने पर विचार करना चाहिये।
- यूरोपीय संघ के उच्च प्रतिनिधि/उपराष्ट्रपति और भारत के विदेश मामलों के मंत्री के बीच होने वाली वार्षिक वार्ता को नियमित सामरिक वार्ता के रूप में अपग्रेड किया जाए।
- उचित समायोजन के माध्यम से अफगानिस्तान (Afganistan) और मध्य एशिया के मुद्दे पर होने वाली बातचीत को तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए।
- आतंकवाद से लड़ने, कट्टरपंथ और हिंसक अतिवाद तथा आतंकवादी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिये भारत के साथ तकनीकी सहयोग को मज़बूती प्रदान करना।
- साइबर सुरक्षा (Cyber Security) और विभिन्न खतरों के बारे में विशेषज्ञता का आदान-प्रदान।
- यूरोपोल (Europol) और भारतीय कानून प्रवर्तन संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिये कार्य व्यवस्था की स्थापना करना।
- समुद्री सुरक्षा को बढ़ाने के लिये नीति और परिचालन स्तर दोनों पर भारत के साथ सामान्य कार्यवाही करना। हिंद महासागर और पूर्वी अफ्रीका में तटीय राष्ट्रों की क्षमता बढ़ाने में मदद के लिये भारत और अन्य प्रमुख क्षेत्रीय शक्तियों, जैसे- दक्षिण अफ्रीका के साथ मिलकर काम करना।

पृष्ठभूमि

- लंबे समय से भारत-यूरोपीय संघ संबंधों को आर्थिक संबंधों द्वारा निर्देशित किया जाता रहा है लेकिन भारत को लेकर यूरोपीय संघ का यह रणनीति पत्र 14 वर्षों के बाद पेश किया गया है।
- इससे पहले इस प्रकार की रणनीति वर्ष 2004 में जारी की गई थी।

नोट :

यूरोपीय संघ (EU)

- यूरोपीय संघ 28 देशों की एक आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता है। ये 28 देश संधि के द्वारा एक संघ के रूप में जुड़े हुए हैं जिससे कि व्यापार आसानी से हो सके और लोग एक-दूसरे से कोई विवाद न करें क्योंकि इकॉनमी का एक सिद्धांत है, जो देश आपस में जितना ज़्यादा व्यापार करते हैं उनकी लड़ाई होने की संभावना उतनी ही कम हो जाती है।
- यही कारण है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप में यह कोशिश की गई कि सभी देश आर्थिक रूप से एक साथ आएँ और एकजुट होकर एक व्यापार समूह बनें।
- इसी व्यापार समूह की वजह से आगे चलकर 1993 में यूरोपीय संघ का जन्म हुआ। 2004 में जब यूरो करेंसी लॉन्च की गई तब यह पूरी तरह से राजनीतिक और आर्थिक रूप से एकजुट हुआ।
- एकल बाज़ार सिद्धांत (single market principle) अर्थात् किसी भी तरह का सामान और व्यक्ति बिना किसी टैक्स या बिना किसी रुकावट के कहीं भी आ-जा सकते हैं एवं बिना रोक टोक के नौकरी, व्यवसाय तथा स्थायी तौर पर निवास कर सकते हैं। फ्री मूवमेंट ऑफ़ पीपल एंड गुड्स यूरोपीय संघ की खासियत है।

स्रोत : इंडियन एक्सप्रेस

वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2018

IMD वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग (World Talent Ranking), 2018 हाल ही में जारी की गई है। कुल 63 देशों को दी गई इस रैंकिंग में भारत को 53वाँ स्थान मिला है। यह लगातार पाँचवीं बार है जब इस रैंकिंग में स्विट्ज़रलैंड (Switzerland) पहले और डेनमार्क (Denmark) दूसरे स्थान पर काबिज़ हैं। इनके बाद टॉप-5 में नॉर्वे, ऑस्ट्रिया और नीदरलैंड्स को जगह मिली है।

- स्लोवाक गणराज्य 59वें, कोलंबिया 60वें, मेक्सिको 61वें, मंगोलिया 62वें और वेनेज़ुएला 63वें स्थान पर रैंकिंग में अंतिम पाँच देशों में शामिल हैं।
- एशिया का कोई भी देश टॉप-10 में जगह नहीं बना पाया। एशियाई देशों में सबसे अच्छा प्रदर्शन सिंगापुर का रहा, जिसे 13वाँ रैंक मिला। टैलेंट विकसित करने, उसे आकर्षित करने और बनाए रखने में बेहतर प्रदर्शन करने की वज़ह से सिंगापुर को यह स्थान मिला है।
- ब्रिक्स देशों की बात करें तो कुशल विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने में आने वाली कठिनाइयों तथा अन्य विकसित अर्थव्यवस्थाओं के औसत की तुलना में शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च कम रहने की वज़ह से चीन को 39वाँ रैंक दिया गया है। ब्राज़ील 58वें, दक्षिण अफ्रीका 50वें और रूस 46वें स्थान पर है।

भारत में टैलेंट की स्थिति

- जहाँ तक भारत की बात है तो 53वाँ स्थान हासिल कर वह 2017 की तुलना में दो पायदान नीचे उतरा है। भारत का प्रदर्शन Readiness की गुणवत्ता के मामले में औसत से बेहतर है और इसमें उसे 30वाँ स्थान मिला है। लेकिन अपनी शैक्षणिक प्रणाली की गुणवत्ता तथा सार्वजनिक शिक्षा के क्षेत्र में निवेश की कमी के चलते 'निवेश और विकास' के पैरामीटर पर भारत को 63वें स्थान पर रखा गया है।
- IMD बिज़नेस स्कूल, स्विट्ज़रलैंड द्वारा जारी यह रैंकिंग तीन संकेतकों पर आधारित है। इनमें निवेश (Investment), अपील (Appeal) और तैयारी (Readiness) शामिल हैं। इन संकेतकों में स्थानीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देने, प्रतिभाओं को आकर्षित करने के तरीकों और इसे बनाए रखने में किया गया निवेश भी शामिल है। इस वर्ष रैंकिंग को तैयार करने में 63 देशों में 6,000 से अधिक एग्जीक्यूटिव्स से इनपुट लिये गए थे।

सातवाँ अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट

चर्चा में क्यों ?

भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय 22 से 24 नवंबर तक त्रिपुरा के अगरतला में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन कर रहा है। केंद्रीय पर्यटन विभाग, त्रिपुरा सरकार और पूर्वोत्तर राज्यों के सहयोग से इसका आयोजन हर वर्ष किया जाता है।

नोट :

क्या है अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ?

- अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का यह सातवाँ संस्करण है।
- इस वर्ष पर्यटन मार्ट की थीम Adventure Tourism रखी गई है।
- इसका आयोजन हर वर्ष पूर्वोत्तर क्षेत्र में किया जाता है।
- इसका उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में पूर्वोत्तर क्षेत्र की पर्यटन संभावनाओं को उजागर करना है।
- यह पर्यटन मार्ट आठों पूर्वोत्तर राज्यों के पर्यटन कारोबार जुड़े समुदायों और उद्यमियों को एक साथ मिलने का मंच उपलब्ध कराता है।
- पर्यटन मार्ट के दौरान विश्व भर के कई देशों के साथ-साथ भारत के विभिन्न क्षेत्रों के क्रेता पूर्वोत्तर क्षेत्र के विक्रेताओं के साथ कारोबार संबंधी बैठकें करते हैं।
- इस पर्यटन मार्ट में 18 देशों के 41 विदेशी प्रतिनिधि भी हिस्सा ले रहे हैं।
- इनमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, फ्राँस, इंडोनेशिया, जापान, केन्या, मलेशिया, म्यांमार, नीदरलैंड्स, न्यूज़ीलैंड, रूस, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, स्पेन, थाईलैंड, यूएई और अमेरिका शामिल हैं।
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के पर्यटन उत्पादों के आपूर्तिकर्त्ताओं को अंतर्राष्ट्रीय एवं घरेलू खरीदारों तक अपनी पहुँच सुनिश्चित करने का मौका मिलता है।
- पूर्वोत्तर राज्यों में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का आयोजन बारी-बारी से होता है।
- इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट गुवाहाटी, तवांग, शिलांग, गंगटोक और इम्फाल में आयोजित हो चुके हैं।
- छठा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट दिसंबर 2017 में गुवाहाटी में आयोजित हुआ था।

'एक्ट ईस्ट' नीति के मद्देनज़र भी महत्त्वपूर्ण

अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट के आयोजन का उद्देश्य क्षेत्र में पर्यटन की संभावना को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के सामने प्रस्तुत करना है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा एवं सिक्किम शामिल हैं। इन सभी राज्यों में पर्यटन की दृष्टि से व्यापक आकर्षक विविधताएँ देखने को मिलती हैं। इस पर्यटन मार्ट से भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति के तहत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक आसियान के सदस्य देशों के पर्यटन क्षेत्र और भारत के उभरते हुए पर्यटन बाजार को एक साथ लाकर उसे बढ़ावा देने का अवसर भी मिलता है। आसियान के द्वार के रूप में पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को प्रोत्साहन देने से भारत और इन देशों के लोगों के बीच आपसी संपर्क को भी बढ़ावा मिलता है।

भारत-पाक करतारपुर साहिब गलियारा बनाने पर सहमत

चर्चा में क्यों ?

केंद्र सरकार ने अगले वर्ष देशभर में और पूरे विश्व में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती (प्रकाशोत्सव) शानदार तरीके से मनाने को मंजूरी दे दी है। इसके तहत राज्य सरकारों के साथ और विदेशों में भारतीय दूतावासों के साथ मिलकर कई समारोहों का आयोजन किया जाएगा।

करतारपुर साहिब गलियारे का होगा विकास

- इसके अलावा केंद्र सरकार ने लंबे समय से चर्चा में रहे करतारपुर साहिब गलियारे को विकसित करने का भी फैसला लिया है। पंजाब के गुरदासपुर जिले में डेरा बाबा नानक से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक लगभग 3 किलोमीटर लंबे करतारपुर साहिब गलियारे का निर्माण और विकास किया जाएगा। इससे भारत से तीर्थयात्री आसानी से पाकिस्तान में रावी नदी के तट पर स्थित गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर जा सकेंगे, जहाँ गुरुनानक देवजी ने अपने जीवन के 18 वर्ष बिताए थे। यह गलियारा बन जाने के बाद तीर्थयात्री पूरे वर्ष इस गुरुद्वारे में जा सकेंगे।
- करतारपुर गलियारे का कार्य सरकार की सहायता से एक संयुक्त विकास परियोजना के रूप में किया जाएगा, ताकि सभी आधुनिक सुविधाओं वाले इस मार्ग से तीर्थयात्री सुगमता और सरलता से आ-जा सकें। सरकार तीर्थयात्रियों की आसानी के लिए उपयुक्त सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

नोट :

- पाकिस्तान सरकार भी उचित सुविधाओं के साथ अपने क्षेत्र में ऐसा ही एक 4 किलोमीटर लंबा गलियारा बनाने पर राजी हो गई है।
- करतारपुर साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे बना है। पाकिस्तान के नारोवाल जिले में स्थित यह गुरुद्वारा भारत की सीमा से केवल चार किलोमीटर दूर है।

सुल्तानपुर लोधी बनाया जाएगा धरोहर शहर

- केंद्र सरकार गुरुनानक देवजी के जीवन से जुड़े ऐतिहासिक शहर सुल्तानपुर लोधी को भी ऊर्जा दक्षता सहित स्मार्ट सिटी की तर्ज पर एक धरोहर शहर के रूप में विकसित करेगी। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण के रूप में सुल्तानपुर लोधी को 'पिंड बाबे नानक दा' के तौर पर विकसित किया जाएगा, जिसमें गुरु नानक देवजी के जीवन को दर्शाया जाएगा। सुल्तानपुर लोधी रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण कर उसे सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ विकसित किया जाएगा।
- गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर में सेंटर फॉर इंटर-फेथ स्टडीज़ (Centre for Inter-faith Studies) स्थापित किया जाएगा।
- ब्रिटेन और कनाडा की एक-एक यूनिवर्सिटी में गुरु नानक देवजी की पीठ (Chair) स्थापित की जाएगी।
- गुरु नानक देवजी के जीवन और शिक्षाओं पर नई दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भी आयोजित किया जाएगा।
- गुरु नानक देवजी की 550वीं जयंती के अवसर पर भारत सरकार खास सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेगी।

भारत और ताज़िकिस्तान (MoU between India and Tajikistan)

संदर्भ

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने युवा मामलों में सहयोग के लिये भारत और ताज़िकिस्तान (Tajikistan) के बीच समझौता-ज्ञापन को मंज़ूरी दे दी है।
- यह समझौता-ज्ञापन 5 वर्ष की अवधि के लिये वैध होगा।
- युवा मामलों में सहयोग के क्षेत्रों में युवाओं, युवा संगठनों के प्रतिनिधियों और युवा नीति निर्माण मे संलग्न सरकारी अधिकारियों के आदान-प्रदान सहित दोनों देशों में युवा मामलों पर आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और संगोष्ठियों के लिये निमंत्रण, मुद्रित सामग्रियों, फिल्मों, अनुभवों, युवा मामलों पर शोध एवं अन्य सूचनाओं के आदान-प्रदान, युवा कैंपों, युवा उत्सवों और दोनों देशों में आयोजित होने वाले अन्य युवा कार्यक्रम शामिल हैं।
- इनके अलावा दोनों देशों के नियमों के अनुरूप संयुक्त रूप से स्वीकृत युवा मामलों पर सहयोगी गतिविधियाँ भी इसके दायरे में रखी गई हैं।
- समझौता-ज्ञापन का उद्देश्य ताज़िकिस्तान के साथ युवा मामलों पर सहयोग को प्रोत्साहित करना और उसे मज़बूत बनाना है।

लाभ:

- इस समझौते से युवा मामलों के क्षेत्र में आदान-प्रदान कार्यक्रमों के लिये सुविधा होगी, जिससे युवाओं में विचारों, मूल्यों और संस्कृति के आदान-प्रदान को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी तथा भारत और ताज़िकिस्तान के बीच दोस्ताना रिश्ते मज़बूत होंगे।
- दोनों देशों के बीच इस तरह के द्विपक्षीय आदान-प्रदान कार्यक्रमों से जो लाभ होंगे, उनसे जाति, धर्म और लिंग से इतर सभी युवाओं को समान रूप से लाभ मिलेगा।
- इससे युवाओं में अंतर्राष्ट्रीय समझ विकसित होगी और वे युवा मामलों के क्षेत्र में अपने ज्ञान और विशेषता को बढ़ा सकेंगे।

स्रोत : पी.आई.बी.

भारत और मॉरीशस के बीच समझौता (MoU between India and Mauritius)

संदर्भ

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और मॉरीशस के बीच उपभोक्ता संरक्षण और विधिक माप विद्या (Consumer Protection and Legal Metrology) से संबंधित समझौता ज्ञापन (MoU) को अपनी मंज़ूरी दे दी है।

नोट :

लाभ:

- इससे उपभोक्ता संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने में मदद मिलेगी और सूचना के आदान-प्रदान करने और दोनों देशों में हुए विकास का पारस्परिक लाभ मिलेगा।
- समझौता ज्ञापन से उपभोक्ता संरक्षण तथा विधिक माप विद्या के क्षेत्र में समावेशी सतत् और मज़बूत विकास को प्रोत्साहन मिलेगा जिससे भ्रामक विज्ञापन, टेलीमार्केटिंग, बहु-स्तरीय मार्केटिंग और ई-कॉमर्स जैसी नई चुनौतियों का सामना किया जा सकेगा।
- समझौता ज्ञापन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों की खोज को सुनिश्चित करेगा, जिससे नई चुनौतियों से निपटने में विशेषज्ञता के नए क्षेत्र विकसित होंगे।
- MoU से समय-समय पर सूचना के आदान-प्रदान तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम से सुशासन और उपभोक्ता के हित में लड़ने की लाभकारी विशेषज्ञता सुनिश्चित होगी।

ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया 'विज़न इंडिया 2035'

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ऑस्ट्रेलिया यात्रा पर गए थे। आपसी संबंधों को और मज़बूत बनाने के उद्देश्य से की गई यह भारत के किसी भी राष्ट्रपति की पहली ऑस्ट्रेलिया यात्रा थी। इस यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रपति ने कई गतिविधियों और समारोहों में हिस्सा लिया। राष्ट्रपति ने इस यात्रा के दौरान Australian Financial Review India Business Summit और Australia-India Business Council को संबोधित किया।

पाँच समझौते भी हुए

- अशक्तता (Disability) के लिये हुए समझौते के तहत विशेष रूप से सक्षम लोगों (Differently Abled Persons) के लिये सेवाओं को बेहतर किया जाएगा।
- दोनों देशों के बीच व्यापार में द्विपक्षीय निवेश बढ़ाने के लिये इन्वेस्ट इंडिया और ऑस्ट्रेड (Austrade) के बीच समझौता।
- सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट (Central Mine Planning and Design Institute), रांची और कॉमनवेल्थ साइंटिफिक एंड रिचर्स ऑर्गेनाइज़ेशन (Commonwealth Scientific and Riches Organization), कैनबरा (Canberra) के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने के लिये समझौता
- आचार्य एन.जी. रंगा कृषि विश्वविद्यालय, गुंटूर और यूनिर्विसटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, पर्थ के बीच कृषि शोध में सहयोग बढ़ाने के लिये समझौता।
- इंद्रप्रस्थ सूचना प्रौद्योगकी संस्थान, नई दिल्ली और क्वींसलैंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ब्रिस्बेन के बीच जॉइंट पी.एचडी. समझौता।

ऑस्ट्रेलिया ने लॉन्च किया 'विज़न इंडिया 2035' (इंडिया इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट)

भारत के राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान ऑस्ट्रेलिया सरकार ने विज़न इंडिया 2035 लॉन्च किया। वर्ष 2035 तक यह विज़न डॉक्यूमेंट दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को आकार देगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने 'इंडिया इकोनॉमिक सर्वे' (India Economic Survey) रिपोर्ट लागू करने की भी घोषणा की। गौरतलब है कि इंडिया इकोनॉमिक सर्वे पूर्व ऑस्ट्रेलियाई दूत पीटर वर्गीस द्वारा तैयार एक रिपोर्ट है, जिसे इस वर्ष की शुरुआत में जारी किया गया था। ऑस्ट्रेलिया अगले बारह महीनों के दौरान इस रिपोर्ट की कुछ महत्त्वपूर्ण सिफारिशों को लागू करने पर सहमत हो गया है। इनमें फूड पार्टनरशिप, खनन कारोबार का विस्तार और हवाई संपर्क को बेहतर बनाना शामिल है। ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा, कृषि व्यवसाय, संसाधन और पर्यटन मामलों के मंत्री सरकार की प्रतिक्रिया की प्रगति की निगरानी करेंगे और इंडिया इकोनॉमिक के कार्यान्वयन की निरंतर निगरानी करेंगे।

इस रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया और भारतीय राज्यों के बीच संबंधों को मज़बूत करके भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों में सुधार के लिये व्यापक सिफारिशें की गई हैं। यह रिपोर्ट भारत के साथ ऑस्ट्रेलिया के आर्थिक भविष्य का रोडमैप प्रदान करती है। ऑस्ट्रेलिया यह मानता है कि भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है और अगले 20 सालों में ऑस्ट्रेलियाई कारोबार के लिये किसी भी अन्य एकल बाज़ार की तुलना में अधिक अवसर प्रदान करता है।

नोट :

ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू इंडिया बिज़नेस समिट (Australian Financial Review India Business Summit) से इस बात को बल मिला कि दोनों देश फिन-टेक तथा लॉजिस्टिक्स, औद्योगिक डिज़ाइन, बायोटेक और कैपिटल मार्किट में सहयोग कर एक-दूसरे की विशेषज्ञता का लाभ उठा सकते हैं। हालिया समय में भारत द्वारा उठाए गए वित्तीय तथा नियामक कदम, ढाँचागत संवर्द्धन और निवेश नीति का उद्देश्य देश को वैश्विक कारोबार का केंद्र बनाना है। भारत विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र, कृषि उद्योग के साथ-साथ उभरती टेक्नोलॉजी का केंद्र बन सकता है। ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों और निवेशकों के लिये भारत में काफी बड़ा उपभोक्ता आधार (Consumer Base) है और लाभ की भी काफी गुंजाइश है।

क्या है इन्वेस्ट इंडिया (Invest India)?

विदेशों के साथ व्यावसायिक तथा कारोबारी संबंधों को बढ़ावा देने का काम इन्वेस्ट इंडिया करता है। यह भारत की राष्ट्रीय निवेश संवर्धन और सुविधा एजेंसी (National investment promotion and facilitation agency) है जो देश में निवेशकों द्वारा सहयोग बढ़ाने तथा निवेश में सहूलियत के लिये बनाई गई है। इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार की आधिकारिक निवेश संवर्धन एवं सुविधा प्रदाता एजेंसी है, जिसे देश में निवेश को सुविधाजनक बनाने की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। यह देश में संभावित वैश्विक निवेशकों के लिये सबसे पहला केंद्र है।

हाल ही में इनवेस्ट इंडिया को सतत् विकास में निवेश को प्रोत्साहन के लिये संयुक्त राष्ट्र का विशिष्टता पुरस्कार भी मिला है। यह पुरस्कार आर्मेनिया के राष्ट्रपति अरमन सरकिसियन ने इनवेस्ट इंडिया के CEO दीपक बागला को जिनेवा में विश्व निवेश मंच में दिया। यह पुरस्कार व्यापार एवं निवेश पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा दिया जाता है।

ब्रेक्ज़िट पर यूरोपीय संघ ने लगाई मुहर

चर्चा में क्यों ?

- 25 नवंबर को बेल्जियम के ब्रसेल्स में हुए यूरोपीय संघ के विशेष शिखर सम्मेलन में 27 देशों के नेताओं ने ब्रिटेन के 'ब्रेक्ज़िट' प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी। अब अगले वर्ष 29 मार्च को यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर आने की राह के लगभग सभी अवरोध दूर हो गए हैं।
- क्या हुआ शिखर सम्मेलन में?
- ब्रिटेन की प्रधानमंत्री थेरेसा मे की अनुपस्थिति में यूरोपीय संघ के 27 नेताओं ने ब्रसेल्स में आयोजित यूरोपीय संघ के विशेष शिखर सम्मेलन में ब्रेक्ज़िट समझौते पर मुहर लगा दी। यह मंज़ूरी ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के बीच हुए ब्रेक्ज़िट समझौते का सबसे अहम परिणाम है।

ब्रेक्ज़िट क्या है ?

- आइये, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि जिसकी आज दुनियाभर में चर्चा हो रही है, आखिर वह ब्रेक्ज़िट है क्या ? दो शब्दों- Britain+Exit से मिलकर बना है Brexit, जिसका अर्थ है ब्रिटेन का बाहर निकलना। यूरोपीय संघ से बाहर निकलने या न निकलने के मुद्दे पर यूनाइटेड किंगडम में जून 2016 में जनमत संग्रह हुआ था। इसमें बहुत कम मतों के अंतर से लोगों ने यूरोपीय संघ से बाहर निकलने के पक्ष में निर्णय दिया था। इसके पीछे ब्रिटेन की संप्रभुता, संस्कृति और पहचान बनाए रखने का तर्क दिया गया।
- आपको बता दें कि ग्रेट ब्रिटेन में तीन देश शामिल हैं- इंग्लैंड, वेल्स तथा स्कॉटलैंड...और जब हम बात यूनाइटेड किंगडम की करते हैं तो उत्तरी आयरलैंड भी इन तीनों के साथ शामिल हो जाता है।

मुद्दा क्या है ?

ब्रिटेन में बहुत से लोग मानते हैं कि यूरोपीय संघ में शामिल होने के बाद इसका दखल ब्रिटेन में काफी बढ़ गया है। ब्रेक्ज़िट के समर्थक यह मानते हैं कि यूरोपीय संघ पहले जैसा नहीं रहा और यह ब्रिटेन वासियों के दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। दरअसल, ब्रेक्ज़िट ने ब्रिटेन में अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। यूरोपीय संघ से बाहर आने (ब्रेक्ज़िट) के ब्रिटेन के फैसले से कई बड़े सवाल उठ खड़े हुए हैं। जैसे-

- ब्रिटेन जब अलग होगा तो क्या उसकी अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो जाएगी?
- यूरोप के देशों से आकर ब्रिटेन में रहने वालों की नागरिकता क्या होगी?
- उन्हें ब्रिटेन में रहने की अनुमति होगी या नहीं? यूरोप में ब्रिटेन के नागरिकों को रहने की इज़ाज़त होगी या नहीं?

नोट :

- क्या दोनों पक्षों के देशों के नागरिकों को बग़ैर वीज़ा के प्रवेश करने की आज़ादी होगी ?
- आपसी व्यापार पहले की तरह फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अंतर्गत होगा या नहीं ?

इसके अलावा ब्रिटेन के हाई कोर्ट ने भी सरकार के सामने मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। यूरोपीय संघ से अलग होने के पहले अब ब्रिटेन सरकार को इस मसले पर संसद में मतदान कराना होगा। हाई कोर्ट के निर्देशानुसार ब्रिटिश संसद को इस मसले पर मतदान करना होगा कि यूरोपीय संघ से अलग होने की प्रक्रिया आरंभ की जा सकती है या नहीं।

यूरोपीय संघ क्या है ?

यूरोपीय संघ की शुरुआत छह सदस्य देशों के साथ 1957 में हुई थी। तब रोम की संधि के तहत ये छह देश आर्थिक भागीदारी करने के लिये इकठ्ठा हुए थे। आज यूरोपीय संघ में यूनाइटेड किंगडम सहित कुल 28 सदस्य देश हैं। यह सदस्य देशों को एकल बाज़ार (Single Market) के रूप में मान्यता देता है। यूरोपीय संघ की 23 आधिकारिक भाषाएँ हैं और इसके कानून यूरोप के सभी देशों पर लागू होते हैं।

यूरोपीय संघ में यूनाइटेड किंगडम

- यूनाइटेड किंगडम 1973 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय का सदस्य बना था।
- इसके बावजूद ब्रिटेन ने पाउंड को ही अपनी मुद्रा के रूप में अपनाया, जबकि अधिकांश यूरोपीय संघ के देशों में बतौर मुद्रा (Currency) यूरो का चलन है।
- शेंगेन सीमा मुक्त क्षेत्र (Schengen Border-free Zone) में भी ब्रिटेन शामिल नहीं हुआ, जो यूरोपीय संघ में पासपोर्ट मुक्त यात्रा की सुविधा देता है।

पहले भी हो चुका है जनमत संग्रह

जून 2016 में ब्रेक्ज़िट पर हुए जनमत संग्रह से पहले भी यूनाइटेड किंगडम में इस मुद्दे पर जनमत संग्रह हो चुका है। 1975 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय (तब यूरोपीय संघ का यही नाम था) के साथ बने रहने के मुद्दे पर देश में विरोधी स्वर उठने पर तत्कालीन प्रधानमंत्री हैरोल्ड विल्सन ने जनमत संग्रह कराया था। इस जनमत संग्रह में 67 प्रतिशत लोगों ने इसमें बने रहने के पक्ष में राय दी थी।

- ब्रेक्ज़िट समझौते के अनुसार, अगले साल 29 मार्च को ब्रिटेन औपचारिक रूप से ईयू से अलग हो जाएगा।
- इसके बाद 21 महीने तक दोनों पक्षों के बीच Transition Period होगा यानी इस अवधि के दौरान ब्रिटेन एकल बाज़ार में बना रहेगा।
- इस अवधि में ब्रिटेन यूरोपीय साझा बाज़ार और यूरोपीय सीमा शुल्क संघ में ज़ीरो टैरिफ का लाभ ले सकेगा।

भारत पर क्या असर पड़ेगा ?

- ब्रिटेन भारत को एक बड़े बाज़ार की तरह से देखता है। वर्ष 2000 से अब तक ब्रिटेन की कंपनियों ने भारत में लगभग 16 अरब डॉलर का निवेश किया है, जिसके कारण लाखों लोगों को रोज़गार मिला है।
- भारत की लगभग 800 कंपनियों ने ब्रिटेन में निवेश किया है, जिनसे बड़ी संख्या में ब्रिटेन में लोगों को रोज़गार के अवसर उपलब्ध हुए हैं।

ब्रेक्ज़िट के बाद इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और इनका बिज़नेस किस प्रकार चलेगा, विशेषकर उन कंपनियों का जो यूरोपीय संघ के देशों के साथ व्यापार कर रही हैं। ब्रेक्ज़िट के बाद यदि यूरो और पाउंड का अवमूल्यन होता है तो भारत के शेयरबाज़ार और मुद्रा बाज़ार पर भी इसका असर पड़ेगा।

- ब्रिटेन में भारतीय मूल के लगभग 30 लाख लोग रहते हैं, जिनके बारे में चिंतित होना भारत की बड़ी चिंताओं में से एक है।
- भारत से बड़ी संख्या में लोग हर साल ब्रिटेन जाते हैं, जिनमें पर्यटक, बिज़नेसमैन, प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स तो होते ही हैं, साथ ही वहाँ रहने वाले भारतीयों के रिश्तेदार भी बड़ी संख्या में होते हैं।

लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के बाद जो अस्थिरता का माहौल बनेगा उसमें भारत जैसे देशों के लिये और अधिक अवसरों की संभावना बन सकती है। ऐसे में एक बड़े बाज़ार के नाते भारत को नज़रअंदाज़ करना ब्रिटेन के लिये आसान नहीं होगा, बल्कि उसके लिये भारत से बेहतर संबंध रखना पहले से अधिक अहम होगा।

स्रोत: The Hindu, Indian Express

नोट :

घर : महिलाओं के लिये सबसे असुरक्षित स्थान

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (United Nations Office on Drugs and Crime- UNODC) ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके अनुसार, महिलाओं के लिये सबसे सुरक्षित माना जाने वाला घर ही उनके लिये सबसे असुरक्षित है।

क्या कहती है UNODC की रिपोर्ट ?

- वर्ष 2017 में 87,000 महिलाओं की हत्या हुई जिनमें से लगभग 50,000 या 58% महिलाओं की हत्या उनके पार्टनर या परिवार के सदस्यों द्वारा की गई।
- उपरोक्त आँकड़े यह दर्शाते हैं कि हर एक घंटे में लगभग 6 महिलाओं की हत्या उनके परिचितों द्वारा ही की गई।
- इस अध्ययन के अनुसार, पार्टनर या पारिवारिक सदस्यों द्वारा महिलाओं की हत्या की वैश्विक दर प्रति 100,000 महिला आबादी पर 1.3 थी।
- भौगोलिक वितरण के आधार पर अफ्रीका और अमेरिका ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पार्टनर या परिवार के सदस्यों द्वारा महिलाओं की हत्या किये जाने का जोखिम सबसे अधिक है।
- अफ्रीका में प्रति 100,000 महिला आबादी में पीड़ित महिलाओं की दर 3.1 थी, जबकि अमेरिका में यह दर 1.6, ओशिनिया (Oceania) में 1.3 और एशिया में 0.9 थी। यूरोप में यह दर सबसे कम यानी 100,000 महिला आबादी पर 0.7 थी।
- अध्ययन के अनुसार, महिलाओं के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिये बने कानून और कार्यक्रमों के बावजूद, पार्टनर/पारिवारिक सदस्यों से महिलाओं की सुरक्षा के मामलों में कोई वास्तविक प्रगति नहीं हुई है।

आगे की राह

- लैंगिक आधार पर होने वाली हत्याओं को रोकने और समाप्त करने के लिये लक्षित आपराधिक न्याय प्रतिक्रियाओं की आवश्यकता है।
- UNODC द्वारा जारी यह शोध महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिये प्रभावी अपराध निवारण और आपराधिक न्याय प्रतिक्रिया की आवश्यकता को उजागर करता है।
- पुलिस और न्याय प्रणाली के साथ-साथ स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं के बीच अधिक समन्वय स्थापित करने के साथ ही प्रारंभिक शिक्षा के माध्यम से समाधान प्रक्रिया में पुरुषों को शामिल करने की आवश्यकता है।
- अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस (International Day for the Elimination of Violence Against Woman)
- 25 नवंबर को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है।
- इस दिवस का उद्देश्य पूरी दुनिया में महिलाओं के खिलाफ हो रही हिंसा के प्रति लोगों को जागरूक करना है।
- वर्ष 2018 के लिये इस दिवस की थीम 'ऑरेंज द वर्ल्ड: # हियरमीटू' ('Orange the World: #HearMeToo') है।
- इसमें ऑरेंज अर्थात् नारंगी, एकजुटता के सूत्र में बांधने वाला रंग है और #HearMeToo हैशटैग का चुनाव स्पष्ट रूप से यह संदेश देने के लिये किया गया है कि महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा अब बंद होनी चाहिये और इसके लिये सबको अपनी भूमिका निभानी चाहिये।

UNODC के बारे में

- UNODP संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत एक कार्यालय है जिसकी स्थापना वर्ष 1997 में यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम (United Nations International Drug Control Program-UNDCP) और संयुक्त राष्ट्र में अपराध निवारण और आपराधिक न्याय विभाग (Crime Prevention and Criminal Justice Division) के संयोजन द्वारा की गई थी।
- उस समय इसकी स्थापना दवा नियंत्रण और अपराध निवारण कार्यालय (Office for Drug Control and Crime Prevention) के रूप में की गई थी। वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर संयुक्त राष्ट्र ड्रग्स और अपराध कार्यालय (United Nations Office on Drugs and Crime- UNODC) किया गया।

नोट :

- इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है।
- वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट (World Drug Report) इस कार्यालय द्वारा प्रकाशित प्रमुख रिपोर्ट है।

भारत और चीन के बीच DTAA में संशोधन के लिये समझौता

चर्चा में क्यों ?

- भारत और चीन ने दोहरे कराधान से बचने और आयकर के संदर्भ में वित्तीय अनियमितता की रोकथाम के लिये दोहरे करवंचना समझौते (Double Taxation Avoidance Agreement- DTAA) में संशोधन के लिये एक सहमति-पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं।
- इस सहमति-पत्र में नवीनतम अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों में सूचना के आदान-प्रदान के लिये मौजूदा प्रावधानों को अपडेट किया गया है।
- इसमें आधार क्षरण एवं लाभ हस्तांतरण (Base Erosion and Profit Shifting- BEPS) प्रोजेक्ट की कार्यशील रिपोर्ट के तहत संधि से संबंधित न्यूनतम मानदंडों को लागू करने के लिये आवश्यक बदलावों को शामिल किया गया है, जिसमें भारत ने समान रूप से भागीदारी की थी।
- इस संधि में दोनों पक्षों की सहमति के आधार पर BEPS एक्शन रिपोर्ट के अनुसार कई बदलाव किये गए हैं।

दोहरा कराधान क्या है ?

दोहरे कराधान (Double Taxation) का तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें एक ही कंपनी या व्यक्ति (करदाता) की एकल आय एक से अधिक देशों में कर योग्य हो जाती है। ऐसी स्थिति विभिन्न देशों में आय पर कराधान के भिन्न नियमों के कारण उत्पन्न होती है।

DTAA

- दोहरे कराधान से मुक्ति के लिये दो देशों की सरकारें 'दोहरा कराधान अपवंचन समझौता' (Double Taxation Avoidance Agreement- DTAA) निष्पादित करती हैं जिसका उपयोग परस्पर दोहरे कराधान की समस्या से राहत प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है।
- भारत में आयकर अधिनियम की धारा 90 द्विपक्षीय राहत से संबंधित है। इसके अंतर्गत भारत की केंद्रीय सरकार ने दूसरे देशों की सरकारों के साथ दोहरे कराधान की समस्या से निपटने के लिये समझौते किये हैं इन समझौतों को 'दोहरा कराधान अपवंचन समझौता (DTAA)' कहा जाता है।

BEPS

- BEPS का तात्पर्य टैक्स प्लानिंग रणनीतियों से है जिसके तहत टैक्स नियमों में अंतर और विसंगतियों का लाभ उठाया जाता है तथा मुनाफे को कृत्रिम तरीके से कम कर अथवा बिना कर वाले क्षेत्राधिकारों को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियाँ या तो नहीं होती हैं या मामूली आर्थिक गतिविधियाँ होती हैं। ऐसे में संबंधित कंपनी द्वारा या तो कोई भी कॉरपोरेट टैक्स अदा नहीं किये जाते हैं अथवा मामूली कॉरपोरेट टैक्स का ही भुगतान किया जाता है।
- जून 2017 में भारत ने पेरिस स्थित OECD के मुख्यालय में आयोजित एक समारोह में आधार क्षरण एवं लाभ स्थानांतरण (BEPS) की रोकथाम हेतु कर संधि से संबंधित उपायों को लागू करने के लिये बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किये थे।
- इस समझौते का उद्देश्य कृत्रिम ढंग से कर अदायगी से बचने की प्रवृत्ति पर रोक लगाना, संधि के दुरुपयोग की रोकथाम सुनिश्चित करना और विवाद निपटान की व्यवस्था को बेहतर करना है।

OECD

- आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organisation for Economic Co-operation and Development -OECD) की स्थापना 1961 में हुई थी।
- वर्तमान में इसके सदस्य देशों की संख्या 35 है।

नोट :

- इसका मुख्यालय पेरिस (फ्राँस) में है। दुनिया भर में लोगों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण में सुधार लाने वाली नीतियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना OECD का प्रमुख उद्देश्य है।
- इसके सदस्य देश इस प्रकार हैं- ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, कनाडा, चिली, चेक गणतंत्र, डेनमार्क, एस्तोनिया, फिनलैंड, फ्राँस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आइसलैंड, आयरलैंड, इज़रायल, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, लक्जमबर्ग, लातविया, मेक्सिको, नीदरलैंड, न्यूज़ीलैंड, नॉर्वे, पोलैंड, पुर्तगाल, स्लोवाक गणराज्य, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, स्विट्ज़रलैंड, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका।

भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक वार्ता

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत और रूस के बीच रणनीतिक आर्थिक वार्ता (India-Russia Strategic Economic Dialogue) का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- भारत और रूस के बीच आयोजित होने वाली यह अपनी तरह की पहली वार्ता है।
- भारत-रूस रणनीतिक आर्थिक वार्ता का आयोजन रूस के सेंट पीटर्सबर्ग (St Petersburg) में किया गया।
- इस वार्ता में भारत का प्रतिनिधित्व नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने और रूस का प्रतिनिधित्व वहाँ के आर्थिक विकास मंत्री मैक्सिम ऑरेश्किन (Maxim Oreshkin) ने किया।

दोनों देशों के बीच आयोजित यह वार्ता 5 प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित थी –

- परिवहन बुनियादी ढाँचा (Transport Infrastructure),
- कृषि एवं कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र (Agriculture and Agro-processing sector),
- छोटे और मध्यम व्यापार के लिये समर्थन (Small & Medium Business upport),
- डिजिटल परिवर्तन और सीमा प्रौद्योगिकी (Digital Transformation & Frontier Technologies)
- औद्योगिक एवं व्यापारिक सहयोग (Industrial & Trade Cooperation)

वार्ता के परिणाम

- भारत और रूस ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence- AI) और ब्लॉकचेन प्रणाली (Blockchain System) के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी दोनों देश साथ मिलकर काम करने की संभावनाएँ तलाशेंगे।
- दोनों देशों के बीच पर्यटन, डिजिटल फ्रंट, वित्तीय तकनीक और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी।
- भारत और रूस के बीच अगली आर्थिक रणनीतिक वार्ता का आयोजन जुलाई/अगस्त 2019 में भारत में किया जाएगा।
- भारत-रूस संबंध (India-Russia Relations)
- भारत तथा रूस के राजनयिक संबंध 70 वर्षों से भी अधिक पुराने हैं।
- 1950 के दशक से ही USSR (Union of Soviet Socialist Republics) के साथ भारत का मैत्रीपूर्ण संबंध रहा है तथा 1971 के भारत-सोवियत मैत्री संधि द्वारा संबंधों को और अधिक मज़बूत किया गया।
- दोनों देश विशेष संबंधों के साथ तब जुड़े जब अक्तूबर 2000 में भारत-रूस सामरिक साझेदारी की घोषणा पर हस्ताक्षर किये गए।
- दिसंबर 2010 में सामरिक साझेदारी को विशेष एवं विशेषाधिकार प्राप्त सामरिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ा दिया गया।
- सोवियत काल के बाद भारत-रूस संबंधों ने राजनीति, सुरक्षा, व्यापार और अर्थव्यवस्था, रक्षा, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी एवं संस्कृति सहित द्विपक्षीय संबंधों के लगभग सभी क्षेत्रों में सहयोग के उन्नत स्तर के साथ गुणात्मक रूप से नया चरित्र हासिल किया है।

(टीम दृष्टि इनपुट)

स्रोत : टाइम्स ऑफ़ इंडिया

नोट :

यूक्रेन में मार्शल लॉ की घोषणा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में यूक्रेन की संसद ने सीमावर्ती क्षेत्रों में 30 दिनों की अवधि के लिये मार्शल लॉ लागू करने हेतु राष्ट्रपति पेट्रो पोरोशेंको के अनुरोध के पक्ष में मतदान किया।

प्रमुख बिंदु

- यूक्रेन द्वारा मार्शल लॉ की घोषणा किये जाने के तुरंत बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को किसी भी 'लापरवाह कृत्य' करने के खिलाफ चेतावनी दी है। रूस द्वारा यूक्रेन के तीन नौसैनिक जहाज़ों को जब्त किये जाने के बाद यूक्रेन द्वारा प्रतिक्रियास्वरूप मार्शल लॉ की घोषणा की गई।
- कुछ दिनों पहले रूसी सेनाओं ने क्रीमिया के तट पर यूक्रेन के तीन जहाज़ों पर गोलाबारी की और तीनों पर कब्ज़ा कर लिया, इस घटना के कारण पूर्व सोवियत पड़ोसियों के बीच अब तक का सबसे बड़ा तनाव पैदा हो गया है।
- यह घटना मॉस्को और यूक्रेन के बीच लंबे समय तक चलने वाले संघर्ष और देश के पूर्व में रूस द्वारा अलगाववादियों को समर्थन दिये जाने के बाद से समुद्र में पहला बड़ा टकराव था।
- इस घटना ने बड़े पैमाने पर भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया है और संयम बरतने के लिये अंतर्राष्ट्रीय आह्वान को प्रेरित किया है। दोनों देशों के मध्य संघर्ष के कारण वर्ष 2014 से अब तक 10,000 से अधिक लोग मारे गए हैं।
- मार्शल लॉ यूक्रेनी अधिकारियों को सैन्य अनुभव रखने वाले नागरिकों को संगठित करने, मीडिया को नियंत्रित करने और प्रभावित क्षेत्रों में सार्वजनिक रैलियों को प्रतिबंधित करने की शक्ति देता है।
- रूसी अधिकारियों के अनुसार, जर्मन चांसलर एंजेला मार्केल के साथ हुई एक फोन वार्तालाप में श्री पुतिन ने मार्शल लॉ के लागू होने पर 'गंभीर चिंता' व्यक्त की।
- रूस ने यूक्रेन पर आरोप लगाया है कि अगले वर्ष होने वाले चुनाव से पहले श्री पोरोशेंको के समर्थन को बढ़ाने और पश्चिमी देशों की सरकारों को रूस पर और प्रतिबंध लगाने के लिये राजी करने के उद्देश्य से यूक्रेन द्वारा एक उकसावे के रूप में इस टकराव की योजना बनाई गई थी।
- जहाज़ों को ज़ब्त करने के एक दिन बाद रूसी राज्य टेलीविज़न ने रूस की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा पकड़े गए नाविकों से प्रश्न किये जाने के कुछ फुटेज प्रसारित किये।
- पकड़े गए नाविकों में से एक को यह कहते सुना गया कि "कर्च जलडमरूमध्य में यूक्रेन के सशस्त्र जहाज़ों की कार्रवाई उकसाने वाली प्रकृति की है।"
- इस बीच रूसी-कब्ज़े वाले क्रीमिया में एक अदालत ने तीन यूक्रेनी नाविकों को दो महीने के लिये हिरासत में रखने का आदेश दिया।

सतत् नीली अर्थव्यवस्था सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में केन्या की राजधानी नैरोबी में सतत् नीली अर्थव्यवस्था सम्मेलन (Sustainable Blue Economy Conference) का आयोजन किया गया।

प्रमुख बिंदु

- सतत् नीली अर्थव्यवस्था सम्मेलन, नीली अर्थव्यवस्था के विषय पर आयोजित किया जाने वाला पहला सम्मलेन है।
- इसका आयोजन केन्या ने कनाडा तथा जापान के सहयोग से किया है।
- सम्मेलन का उद्देश्य यह सीखना था कि नीली अर्थव्यवस्था का विकास कैसे किया जाए, जिसके अंतर्गत सभी के जीवन को बेहतर बनाने के लिये दुनिया के महासागरों और जल निकायों की क्षमता का उपयोग किया जाता है।
- इस सम्मेलन की थीम थी- नीली अर्थव्यवस्था और सतत् विकास के लिये 2030 एजेंडा (The blue economy and the 2030 Agenda for Sustainable Development)।

नोट :

सम्मेलन के दौरान किन बातों पर विचार किया गया ?

- नीली अर्थव्यवस्था नियोजन में समुद्री संरक्षित क्षेत्रों का महत्त्व।
- कैसे सतत् विकास सामाजिक प्रगति और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाता है।
- सतत् विकास के लिये 2030 एजेंडा में उल्लिखित लक्ष्यों को कैसे पूरा किया जाए?
- स्थायी अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते हुए कौन सी चुनौतियाँ सामने आती हैं तथा उन चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए?

सम्मेलन की आवश्यकता क्यों ?

- महासागरों तथा सागरों में बढ़ते प्लास्टिक प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के प्रभाव ने पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित किया है। इसके साथ ही सभी को लाभ पहुँचाने के लिये इस बात की भी आवश्यकता महसूस की गई है कि इन सागरों के विकास के लिये समावेशी और टिकाऊ तरीके अपनाने की आवश्यकता है।
- सतत् नीली अर्थव्यवस्था सम्मेलन का आयोजन सतत् विकास के लिये संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडा, पेरिस में 2015 में आयोजित जलवायु परिवर्तन सम्मेलन और संयुक्त राष्ट्र महासागर सम्मेलन 2017 के 'कॉल टू एक्शन' के आधार पर किया गया।

भारत और नीली अर्थव्यवस्था

- हिन्द महासागर क्षेत्र में भारत रणनीतिक स्थान पर है और इसी आधार पर भारत सतत् समावेशी और जन केंद्रित रूप में हिन्द महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) के ढांचे के माध्यम से नीली अर्थव्यवस्था के विकास को स्वीकृति देता है।
- भारत के महत्त्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम के अंतर्गत 600 से अधिक परियोजनाएँ चिह्नित की गई हैं और इनमें 2020 तक लगभग 8 लाख करोड़ रुपए (120 बिलियन डॉलर) के निवेश का प्रावधान है।
- भारत अपने मैरीटाइम ढाँचे के साथ-साथ अंतर्देशीय जलमार्गों तथा महत्त्वाकांक्षी सागरमाला कार्यक्रम के माध्यम से तटीय जहाजरानी (Coastal Shipment) को विकसित कर रहा है।

नीली अर्थव्यवस्था

नीली अर्थव्यवस्था का तात्पर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से सागरों अथवा महासागरों से जुडी हो।

नीली अर्थव्यवस्था का संरक्षण

- सतत् वैश्विक विकास काफी हद तक नीली अर्थव्यवस्था की मज़बूती पर निर्भर करता है। सतत् विकास का एजेंडा 2030 तथा सतत् विकास लक्ष्य इस संबंध को प्रमुखता से रेखांकित करते हैं।
- नीली अर्थव्यवस्था का संबंध जलीय संसाधनों के दीर्घकालिक उपयोग तथा उनके संरक्षण से है, जिसमें शामिल हैं:
- समुद्र
- झीलें
- नदियाँ
- महासागर
- बहुत से देशों ने इन संसाधनों की असीमित क्षमता का उपयोग कर लाभ प्राप्त किया है तथा अपने सामाजिक-आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के लिये अब भी इन संसाधनों का उपयोग लकर रहे हैं।
- यदि इन जलीय संसाधनों का उचित प्रबंधन और संरक्षण किया जाए तो ये सतत् तथा समावेशी विकास में योगदान दे सकते हैं।

नोट :

विज्ञान एवं प्रद्योगिकी

सेना की मारक क्षमता में इजाफा (Army fire power gets booster shot)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय सेना के बेड़े में अमेरिका के M-777 अल्ट्रालाइट होवित्ज़र तोप और दक्षिण कोरियाई K-9 वज्र तोप को आधिकारिक तौर पर शामिल किया गया। इसके अतिरिक्त एक गन टावर को भी सेना में शामिल किया गया।

प्रमुख बिंदु

- सेना द्वारा आखिरी बार 1980 के दशक की शुरुआत में एक तोपखाना प्रणाली- बोफोर्स तोप स्वीडन से खरीदी गई थी। उसके बाद से नई तोपों को खरीदने के प्रयासों में कोई प्रगति नहीं हुई।
- रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की उपस्थिति में दोनों प्रकार की तीन तोपें सेना में शामिल की गईं। कुल मिलाकर सेना को इस वर्ष 10 K-9 तोपें मिलेंगी।
- इसके अतिरिक्त सेना में शामिल किया जाने वाला तीसरा उपकरण है- आम गन टावर जो कि क्रॉस-कंट्री क्षमता वाला 6X6 वाहन है। भारतीय कंपनी अशोक लेलैंड द्वारा निर्मित यह वाहन मध्यम रेंज की तोपों को ढोने के अनुकूल है।
- अप्रैल 2017 में, भारतीय इंजीनियरिंग समूह लार्सन एंड टुब्रो (एलएंडटी) और दक्षिण कोरिया के हनवा टेकविन ने K-9 वज्र-टी तोप बनाने के लिये एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया था।
- व्यापक परीक्षणों के बाद सेना द्वारा हाल ही में इस तोप को शामिल किया गया। यह सौदा 100 तोपों के लिये 4,500 करोड़ रुपये मूल्य का है।
- K-9 वज्र-टी 155 मिमी, 52-कैलिबर की स्व-चालित तोपें है जिनकी मारक क्षमता अधिकतम 40 किमी है। इसकी अग्नि नियंत्रण प्रणाली को रेगिस्तानी स्थितियों के लिये अनुकूलित किया गया है।
- इस समझौते के तहत, पहली 10 तोपें दक्षिण कोरिया से आयात की जाएंगी और शेष भारत में एलएंडटी द्वारा निर्मित की जाएंगी। पहली रेजिमेंट की तैनाती जुलाई 2019 तक होगी और सभी 100 तोपें 2020 तक प्राप्त की जाएंगी।

अमेरिका के साथ होवित्ज़र सौदा

- भारत ने 145 M-777 अल्ट्रालाइट होवित्ज़र तोपों के लिये विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत नवंबर 2016 में अमेरिका के साथ 737 मिलियन डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किये थे।
- इस समझौते के तहत पच्चीस तोपें आयात की जाएंगी और बाकी को महिंद्रा ग्रुप के साथ साझेदारी में भारत में तैयार किया जाएगा। इनका वितरण 2020 के मध्य तक पूरा हो जाएगा।
- M-777 एक 155 मिमी, 39 कैलिबर की ढोए जाने वाली तोप है। महज चार टन वजनी होने के कारण इसका वहन हेलीकॉप्टर द्वारा भी किया जा सकता है।
- सेना के फील्ड आर्टिलरी रेशनलाइजेशन योजना 1999 के अनुसार, 220 तोपखाना रेजिमेंट्स के लिये विभिन्न प्रकार की 3,000 तोपों को शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

ओउमुआमुआ एलियन अंतरिक्ष यान या क्षुद्रग्रह ?
(Oumuamua: Asteroid, comet or alienspaceship ?)

संदर्भ

19 अक्तूबर, 2017 को हवाई के माउ में 'पैनोरमिक सर्वे टेलिस्कोप एंड रैपिड रिस्पांस सिस्टम' (Pan-STARRS) के उपकरण 1 का संचालन करने वाले खगोलविदों ने पृथ्वी से 32 मिलियन किलोमीटर दूर नक्षत्र लाइरा से बाहर की तरफ किसी अज्ञात गंतव्य की ओर आते हुए एक असामान्य पिंड को देखा।

नोट :

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इस पिंड की चमक नाटकीय ढंग से 7 से 8 घंटे के अंतराल पर परिवर्तित होती रहती है। सिगार जैसे आकार का यह पिंड 800 मीटर लंबा तथा 80 मीटर चौड़ा है। यह सौरमंडल में देखा गया पहला इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है।
- वैज्ञानिकों ने इसका नाम 'ओउमुआमुआ' या 'स्काउट' (भेदिया) या 'सुदूर से भेजा गया संदेश वाहक' रखा है।

क्षुद्र ग्रह होने की संभावना

- शुरुआत में वैज्ञानिकों ने ओउमुआमुआ को धूमकेतु माना था, लेकिन बाद में धूमकेतु के मूल गुणधर्म (कोर के चारों ओर धूल और गैस का आवरण या पूँछ) की अनुपस्थिति की वज़ह से इस अवधारणा को नकार दिया गया।
- 'पैनोरमिक सर्वे टेलिस्कोप एंड रैपिड रिस्पांस सिस्टम' (Pan-STARRS) के उपकरण 1 की सहायता से ओउमुआमुआ का पता लगाने वाले खगोलविदों के अनुसार, रंग तथा अध्यारोपित गुणधर्मों के आधार पर यह पहले से ज्ञात कुछ क्षुद्र ग्रहों से मेल खाता है।
- संभव है कि यह लाइरा के वेगा तारे से संबंधित हो, जो कि ऐसे मलबे के लिये जाना जाता है। हालाँकि इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि 'ओउमुआमुआ अरबों वर्षों से आकाशगंगा की कक्षा में चक्कर लगा रहा हो।'

धूमकेतु होने की संभावना

- जून 2018 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोफेसर मार्को मिशेली ने ओउमुआमुआ के धूमकेतु होने की संभावना व्यक्त की थी और इसके तहत धूमकेतु का पता लगाने हेतु एक नया तरीका प्रस्तावित किया था।
- जनवरी 2018 में हबल स्पेस टेलिस्कोप ने पाया कि इसकी गति 40 हज़ार किलोमीटर तक बढ़ चुकी है और यह अपने अनुमानित प्रक्षेप वक्र से काफी आगे है।
- डॉक्टर मिशेली के अनुसार, सूर्य तथा अन्य ग्रहों द्वारा आरोपित गुरुत्वीय बल के अलावा किसी अन्य बल की अनुपस्थिति ही इसके त्वरण को प्रभावित कर सकती है।
- संभव है कि यह त्वरण वाष्पशील पदार्थ या गैसों के निष्कासन की वज़ह से लगने वाले धक्के के कारण हो जैसा कि धूमकेतु की स्थिति में होता है।

एलियन अंतरिक्ष यान

- द एस्ट्रोफिजिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित होने के लिये स्वीकृत एक पत्र में अब्राहम लोएब और उनके सहयोगी श्मुएल बिली ने यह तर्क (बढ़ते त्वरण की व्याख्या में) दिया है कि ओउमुआमुआ पूरी तरह से संचालित अंतरिक्ष यान हो सकता है जिसे जान-बूझकर किसी एलियन सभ्यता द्वारा पृथ्वी के आसपास भेजा गया हो।
- हालाँकि ओउमुआमुआ के एलियन अंतरिक्ष यान होने की संभावना को 'पैनोरमिक सर्वे टेलिस्कोप एंड रैपिड रिस्पांस सिस्टम' (Pan-STARRS) के उपकरण 1 के खगोलविदों द्वारा नकारा जा चुका है। खगोलविदों के अनुसार, अवलोकन से पता चलता है कि यह पूरी तरह से एक प्राकृतिक पिंड है।

भारतीय पवन टरबाइन प्रमाणीकरण योजना
(Indian Wind Turbine Certification Scheme-IWTCS)

चर्चा में क्यों ?

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान, चेन्नई के परामर्श से भारतीय पवन टरबाइन प्रमाणीकरण योजना (IWTCS) नाम की नई योजना का प्रारूप तैयार किया है।

प्रमुख बिंदु

- इस प्रारूप में टरबाइन प्रमाणीकरण योजना के विभिन्न दिशा-निर्देशों को शामिल किया गया है।
- IWTCS प्रासंगिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मानकों (IS/IEC/IEEE), केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा जारी तकनीकी विनियमों तथा आवश्यकताओं, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय दिशा-निर्देशों का संकलन है।

नोट :

- प्रारूप में पवन ऊर्जा परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये अन्य देशों के विशिष्ट श्रेष्ठ व्यवहारों को शामिल करने का प्रयास किया गया है।
- प्रारूप योजना में अवधारणा से लेकर पवन टरबाइन के जीवन से जुडे सभी हितधारकों के लाभ के लिये दिशा-निर्देश हैं। इनमें भारतीय किस्म का स्वीकृत मॉडल (Indian Type Approved Model- ITAM), भारतीय प्रकार की प्रमाणीकरण योजना (Indian Type Certification Scheme- ITCS), पवन कृषि परियोजना प्रमाणीकरण योजना (Wind Farm Project Certification Scheme- WFPCS) तथा पवन टरबाइन सुरक्षा और कार्य प्रदर्शन प्रमाणीकरण योजना (Wind Turbine Safety & Performance Certification Scheme-WTSPCS) शामिल हैं।
- IWTCS योजना निम्नलिखित हितधारकों की सहायता के लिये बनाई गई है
  - मूल उपकरण निर्माता (Original Equipment Manufacturers -OEMs)
  - एंड यूजर-यूटिलिटी, एसएनए, डेवलपर्स, आईपीपी, मालिक, प्राधिकारी, निवेशक तथा बीमाकर्त्ता
  - प्रमाणीकरण संस्थान
  - जाँच प्रयोगशालाएँ

पृष्ठभूमि

- पवन ऊर्जा पिछले कई दशकों से भारत में नवीकरणीय विद्युत उत्पादन का मुख्य स्रोत हो गई है।
- पवन ऊर्जा क्षेत्र के विकास में विभिन्न कार्य और सुरक्षा मानकों के साथ तरह-तरह के पवन टरबाइन देखने को मिले हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने विभिन्न नीतियों और योजनाओं के माध्यम से पवन ऊर्जा क्षेत्र के विकास में सहायता दी है।
- मंत्रालय द्वारा भारत में प्रमाणीकरण योजनाओं की मान्यता के लिये जारी दिशा-निर्देश भारत में स्थापित गुणवत्ता संपन्न पवन टरबाइन की सफलता के लिये आवश्यक था।
- मान्यता प्राप्त योजनाओं की सफलता से पवन टरबाइन को मॉडलों तथा निर्माताओं की संशोधित सूची में स्थान मिला है।

निष्कर्ष

पवन ऊर्जा परियोजनाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये एक ऐसे विस्तृत दस्तावेज की जरूरत है, जिसमें हितधारकों यानी OEM, स्वतंत्र बिजली उत्पादकों, पवन कृषि डेवलपरों, वित्तीय संस्थानों आदि द्वारा सुरक्षित और विश्वसनीय संचालन के लिये पवन टरबाइन द्वारा संकलित संपूर्ण तकनीकी आवश्यकताओं का प्रावधान हो।

2030 तक न्यूमोनिया के कारण 17 लाख भारतीय बच्चों की मृत्यु संभावित : ग्लोबल स्टडी
(Pneumonia Can Kill 17 Lakh Indian Children By 2030 : Global Study)

चर्चा में क्यों ?

12 नवंबर, 'वर्ल्ड न्यूमोनिया डे' के अवसर पर जारी एक वैश्विक अध्ययन के मुताबिक, भारत में 2030 तक 17 लाख से अधिक बच्चे न्यूमोनिया के कारण मौत के मुँह में जा सकते हैं। यह अध्ययन जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी एवं यूनाइटेड किंगडम की ग्लोबल चैरिटी ऑर्गनाइज़ेशन 'सेव द चिल्ड्रेन' के विश्लेषण पर आधारित है।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- अध्ययन में 2030 तक पूरे विश्व में न्यूमोनिया के कारण 5 साल से कम उम्र के करीब 1.1 करोड़ बच्चों के मरने की आशंका जताई गई है। यह रोग उपचार योग्य होने के बावजूद बड़ी संख्या में मौतों का कारण बनता जा रहा है।
- नाइजीरिया, 17.3 लाख बच्चों की संभावित मृत्यु के साथ इस भार को सबसे ज्यादा वहन करने वाले देश के रूप में सामने आया है। भारत करीब 17.1 लाख के आँकड़े के साथ दूसरे स्थान पर है। इसके बाद पाकिस्तान और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो का स्थान आता है।
- यह पूर्वानुमान जॉन हॉपकिन्स रिसर्चर्स द्वारा विकसित एक मॉडल 'द लाइव्स सेव्ड टूल' (LiST) पर आधारित है।
- इसके अनुसार 'समेकित कार्यवाही' जिसमें टीकाकरण, उपचार एवं पोषण शामिल है, के द्वारा 1.1 करोड़ मौतों में से 40 लाख से अधिक को आसानी से टाला जा सकता है।

नोट :

- 2030 तक इन तीन उपायों के हस्तक्षेप द्वारा कुल 41 लाख मौतों को टाला जा सकता है।
- वर्ल्ड बैंक के आँकड़ों के अनुसार 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की 16% मौतों के लिये न्यूमोनिया को ज़िम्मेदार माना गया है जिससे 2015 में 9,20,136 बच्चों की मौत हुई थी।
- जबकि यह दर्शाता है कि बैक्टीरिया के कारण होने वाले न्यूमोनिया का उपचार एंटीबायोटिक द्वारा किया जा सकता है, तब भी इस रोग से पीड़ित सिर्फ एक-तिहाई बच्चे ही सही समय पर एंटीबायोटिक प्राप्त कर पाते हैं।
- न्यूमोनिया: न्यूमोनिया फेफड़े का एक संक्रमण है जिसमें सामान्यतया बैक्टीरिया एवं वायरस द्वारा सभी उम्र के लोगों में यह रोग उत्पन्न हो सकता है। बच्चों के टीकाकरण द्वारा इस रोग का बचाव किया जा सकता है।

किलोग्राम की नई परिभाषा (New definition of kilogram)

चर्चा में क्यों ?

- वैज्ञानिकों ने किलोग्राम की परिभाषा को परिवर्तित कर दिया है और इस नई परिभाषा को 50 से ज़्यादा देशों ने अपनी मंज़ूरी भी दे दी है।
- कैसे परिभाषित किया गया है किलोग्राम को ?
- वर्तमान में किलोग्राम को प्लेटिनम से बनी एक सिल जिसे 'ली ग्रैंड के' कहा जाता है, के वज़न द्वारा परिभाषित किया जाता है। इस प्रकार की एक सिल पश्चिमी पेरिस में इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ़ वेट्स एंड मीज़र्स के वॉल्ट में वर्ष 1889 से सुरक्षित है।
- लंदन में निर्मित 'ली ग्रैंड के' 90% प्लेटिनम और 10% इरिडियम का बना 4 सेंटीमीटर का एक सिलेंडर है।
- 'वेट एंड मीज़र्स पर आयोजित सम्मेलन में लिया गया फैसला
- हाल ही में फ्राँस के वर्साइल्स में 'वेट एंड मीज़र्स' पर एक बड़े सम्मलेन का आयोजन किया गया और इस सम्मेलन में किलोग्राम की परिभाषा बदलने के लिये मतदान किया गया और मतदान के बाद किलोग्राम की परिभाषा को बदलने के फ़ैसले पर मुहर लगा दी गई।
- सम्मेलन के दौरान अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना था कि किलोग्राम को यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा के आधार पर परिभाषित किया जाए।

किलोग्राम के बदलाव से क्या प्रभाव पड़ेगा ?

किलोग्राम की परिभाषा में बदलाव होने से लोगों का दैनिक जीवन प्रभावित नहीं होगा बल्कि उद्योग और विज्ञान में इसका व्यावहारिक प्रयोग होगा क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ सटीक माप की आवश्यकता होती है।

बदलाव की आवश्यकता

- अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली में किलोग्राम सात मूल इकाइयों में से एक है। सात मूल इकाइयाँ हैं- मीटर, किलोग्राम, सेकंड, एम्पियर, कैल्विन, मोल, कैन्डेला, कूलम्ब या कूलाम)। किलोग्राम अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में अंतिम मूल इकाई है जिसे अभी तक एक भौतिक वस्तु (physical Object) द्वारा परिभाषित किया जाता रहा है।
- चूँकि भौतिक वस्तुओं से परमाणु का ह्रास आसानी से हो सकता है या ये वस्तुएँ हवा से अणुओं को अवशोषित कर सकती हैं इसलिये इसकी मात्रा माइक्रोग्राम में कई बार बदली गई थी।
- इसका तात्पर्य यह है कि किलोग्राम को मापने के लिये दुनिया भर में एक प्रतिमान (prototype) का उपयोग किया जाता है और यह प्रतिमान अशुद्ध माप बताता है।
- सामान्यत: जीवन में इस तरह के मामूली बदलाव को महसूस नहीं किया जा सकता लेकिन एकदम सटीक वैज्ञानिक गणनाओं के लिये यह हमेशा से एक बड़ी समस्या रही है।

आगे की राह

- आने वाले समय में किलोग्राम की माप किब्बल या वाट बैलेंस (एक ऐसा उपकरण जो यांत्रिक और विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उपयोग करके सटीक गणना करता है) की सहायता से की जाएगी।
- नई परिभाषा लागू होने के बाद किलोग्राम की परिभाषा को न तो बदला जा सकेगा और न ही इसे किसी प्रकार की क्षति पहुँचाई जा सकेगी।
- किब्बल केवल फ्राँस में ही नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी वैज्ञानिकों को एक किलोग्राम की सटीक माप उपलब्ध करवाएगा।

नोट :

चिन्नार वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी में दुर्लभ पक्षी प्रजाति

चर्चा में क्यों ?

केरल के चिन्नार वाइल्डलाइफ सेंक्चुरी में श्रीलंकन प्रॉगमाउथ (Srilankan Frogmouth) नामक एक दुर्लभ पक्षी देखा गया है जिसके बाद से यह पक्षी विज्ञानियों की रुचि का विषय बना हुआ है। पहली बार इसे पश्चिमी घाट के पूर्वी इलाके में देखा गया है।

श्रीलंकन प्रॉगमाउथ

- यह पक्षी बाट्राकॉस्टोमस मॉनीलिजर प्रजाति (Batrachostomus Moniliger Species) से संबंधित है जिसे चिन्नार सेंक्चुरी में देखा गया है।
- इसका आवास सामान्यत: पश्चिमी घाट के जंगलों के पश्चिमी भाग तक ही सीमित रहता है।
- यह यूरोप एवं शीतोष्ण एशिया में प्रजनन करने वाले सायंकालीन और रात्रिचर (Nocturnal) पक्षी, नाइटजार (Nightjar) का संबंधी माना जाता है।
- इसका पंसदीदा आवास वैसे शुष्क एवं खुले क्षेत्र होते हैं जहाँ कुछ मात्रा में छोटे वृक्ष या झाड़ियाँ पाई जाती हैं।
- श्रीलंकन प्रॉगमाउथ सामान्यतया दिन के समय छोटे वृक्ष की शाखाओं पर आराम करते हैं। इनकी शांतिपूर्ण उपस्थिति के कारण इन पर गौर करना मुश्किल हो जाता है।
- नाइटजार पक्षी की तरह यह पक्षी भी कीड़ों को खाता है एवं मुख्यत: रात के समय ही शिकार की तलाश करता है।
- इस पक्षी की मुख्य विशेषता यह है कि अप्रैल-मई के मेटिंग सीज़न के बाद यह एक साल में एक ही अंडा देता है।
- इसका घोंसला मॉस, लाइकेन और मुलायम पौधों की पत्तियों तथा पेड़ की छाल की मदद से तैयार होता है।
- जन्म के कुछ समय बाद नर पक्षी घोंसले को तोड़कर नवजात पक्षी के साथ उड़ जाता है।
- पक्षी विज्ञानियों के अनुसार, श्रीलंका में इस पक्षी का अनूठा आवास पाया जाता है और साथ ही यह मत भी है कि ये थट्टेकड बर्ड सेंक्चुरी में भी पाए जाते हैं।

थट्टेकड बर्ड सेंक्चुरी, केरल

- 'सलीम अली बर्ड सेंक्चूरी' को ही थट्टेकड बर्ड सेंक्चुरी के नाम से भी जाना जाता है।
- यह पेरियार नदी के उत्तरी किनारे पर स्थित ऐर्नाकुलम ज़िले के कोठामंगलम तालुक में अवस्थित है।
- 'बर्डमैन ऑफ इंडिया' डॉ. सलीम अली की अनुशांसाओं के आधार पर 1983 में इस सेंक्चुरी को अधिसूचित किया गया था।
- काफी समय से इसकी उपस्थिति दर्ज नहीं किये जाने के कारण इस प्रजाति को राज्य से विलुप्त माना जाने लगा था। परंतु 1976 में थट्टेकड में इसे पुन: देखा गया था।
- केरल में थट्टेकड बर्ड सेंक्चुरी के अतिरिक्त नेलियामपैथी, चिम्मिनी, परंम्बकुलम, थेनमाला एवं वायनाड में भी इसे देखे जाने की रिपोर्ट पहले आ चुकी है।
- यह पक्षी कर्नाटक, गोवा एवं महाराष्ट्र में भी पाया जाता है।

ग्रोथ-इंडिया टेलीस्कोप (GROWTH-India Telescope)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारत के हनले, लद्दाख (Hanle, Ladakh) में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला (Indian Astronomical Observatory) में 0.7m ग्रोथ-इंडिया दूरबीन ने अपना पहला वैज्ञानिक अवलोकन किया है, उल्लेखनीय है कि यह अवलोकन नोवा विस्फोट (nova explosion) का अनुवर्ती (follow up) अध्ययन है।

नोट :

टेलीस्कोप के बारे में

- ग्रोथ इंडिया नामक इस टेलीस्कोप ने 6 माह पहले ही काम करना शुरू किया है।
- नोवा M31N-2008 का अवलोकन इस दूरबीन द्वारा प्राप्त पहला वैज्ञानिक अवलोकन है। उल्लेखनीय है कि M31N-2008 नामक आवर्ती नोवा में कई बार विस्फोट हुआ है लेकिन हालिया विस्फोट नवंबर 2018 में हुआ।
- संभवत: यह दूरबीन पूरी तरह से रोबोटिक है, अत: यह स्वयं कार्य करने में सक्षम है।
- यह लगभग 10 से 15 सेकंड में आकाश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में अपना ध्यान केंद्रित कर सकता है।
- इसका कैमरा हज़ारों-लाखों प्रकाश वर्ष दूर स्थित खगोलीय पिंडों को देख सकता है।

नोवा क्या है ?

- नोवा किसी सफ़ेद बौने तारे की सतह पर हाइड्रोजन एकत्रित होने के बाद उसमें होने वाला एक तीव्र विस्फोट है। इस विस्फोट में अनियंत्रित गति से नाभिकीय संलयन (Nuclear Fusion) होता है। इसके कारण तारे की चमक में अस्थायी वृद्धि होती है।
- सुपरनोवा के विपरीत यह तारा विस्फोट के बाद अपनी पहले की अवस्था में वापस लौट आता है।

अवलोकन का महत्त्व

नोवा विस्फोट का अवलोकन खगोल विज्ञान में भले ही एक छोटा कदम हो लेकिन भारतीय वैज्ञानिकों के लिये यह एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह इस दूरबीन द्वारा प्राप्त यह पहला अवलोकन है।

GROWTH के बारे में

- ग्रोथ-इंडिया टेलीस्कोप ग्लोबल रिले ऑफ़ ऑब्जरवेटरी वाचिंग ट्रांजिएंट्स हैपन (Global Relay of Observatories Watching Transients Happen) का हिस्सा है।
- भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, ताइवान, यूके और इज़राइल के विश्वविद्यालय और अनुसंधान संस्थान इस पहल का हिस्सा हैं।

इस पहल के तीन लक्ष्य हैं-

- जब भी लीगो (LIGO) समूह बाइनरी न्यूट्रॉन स्टार के विलय की पहचान करता है तब उसके आस-पास के क्षेत्रों में विस्फोटों की खोज करना
- उसके पास स्थित युवा सुपरनोवा (supernova) विस्फोटों का अध्ययन करना
- आस-पास के क्षुद्र ग्रहों (asteroids) का अध्ययन करना।

प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण'

चर्चा में क्यों ?

केरल की भीषण बाढ़ के बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) द्वारा वर्षा के कारण नदियों और जलाशयों के जल स्तर में वृद्धि का आकलन करने के लिये 'प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण' (Impact Based Forecasting Approach) नामक एक नई तकनीक विकसित की गई है, जिससे राज्य सरकारों को वर्षा के प्रभाव की निगरानी करने में मदद मिल सकती है।

तकनीक का लाभ

- 'प्रभाव आधारित पूर्वानुमान दृष्टिकोण' (Impact Based Forecasting Approach) नामक यह तकनीक "प्री-इवेंट परिदृश्य" (pre-event scenario) को दर्शाती है।
- यह तकनीक अधिकारियों को वास्तविक समय में निर्णय लेने में मदद कर सकती है।
- यह तकनीक निर्णय लेने में मददगार है कि जलाशयों या नदियों से कब पानी छोड़ा जाए और कब नहीं।
- यह प्रत्येक राज्य प्राधिकरण को निर्णय लेने में सहायता प्रदान करेगी और हम इस प्रणाली को प्री-इवेंट परिदृश्य के माध्यम से चला सकते हैं।

नोट :

- उल्लेखनीय है कि पिछले महीने ही केरल में भारी बारिश के कारण लगभग 500 लोगों की मौत हो गई और 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का आर्थिक नुकसान भी हुआ।

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के बारे में

- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान प्रेक्षण, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यभार संभालने वाली सर्वप्रमुख एजेंसी है।
- IMD विश्व मौसम संगठन के छह क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्रों में से एक है।
- वर्ष 1864 में चक्रवात के कारण कलकत्ता में हुई क्षति और 1866 तथा 1871 के अकाल के बाद, मौसम विश्लेषण और डाटा संग्रह कार्य के एक ढाँचे के अंतर्गत आयोजित करने का निर्णय लिया गया।
- इसके परिणामस्वरूप वर्ष 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की स्थापना हुई।
- भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- IMD में उप महानिदेशकों द्वारा प्रबंधित कुल 6 क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र आते हैं।
- ये चेन्नई, गुवाहाटी, कोलकाता, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली और हैदराबाद में स्थित हैं।
- हेनरी फ्राँसिस ब्लैनफर्ड को विभाग के पहले मौसम विज्ञान संवाददाता के रूप में नियुक्त किया गया था।
- IMD का नेतृत्व मौसम विज्ञान के महानिदेशक द्वारा किया जाता है।
- IMD का मुख्यालय वर्ष 1905 में शिमला, बाद में 1928 में पुणे और अंतत: नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया।
- स्वतंत्रता के बाद भारतीय मौसम विज्ञान विभाग 27 अप्रैल 1949 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन का सदस्य बना।

कार्य

- इसका प्रमुख कार्य उत्तरी हिंद महासागर क्षेत्र, जिसमें मलाका स्ट्रेट्स, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और फारस की खाड़ी भी शामिल है, के लिये उष्णकटिबंधीय चक्रवातों संबंधी चेतावनियों की भविष्यवाणी, उनका नामकरण और वितरण करना है।
- इस विभाग द्वारा भारत से लेकर अंटार्कटिका भर में सैकड़ों प्रक्षेण स्टेशन चलाये जाते हैं।

मारिजुआना (Marijuana) निर्मित दवाओं का अध्ययन

चर्चा में क्यों ?

भारत के तीन प्रमुख विज्ञान समर्पित संस्थान - वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR), भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR) और बायोटेक्नोलॉजी विभाग (DBT) हर्बल दवाओं में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिये एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिनमें मारिजुआना से निर्मित नई दवाएँ भी शामिल हैं।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

- इस तरह के पहले अध्ययनों में CSIR और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन (IIIM) तथा टाटा मेमोरियल सेंटर (TMC), मुंबई के भी संयुक्त रूप से शामिल होने की संभावना है।
- शोधकर्त्ताओं द्वारा जम्मू के CSIR-IIIM परिसर में उगाए जाने वाले मारिजुआना से उम्मीद है कि यह स्तन कैंसर, सिकल सेल एनीमिया के साथ-साथ "बायो-समकक्ष" के उपचार में समान रूप से प्रभावी हो सकता है।
- उल्लेखनीय है कि मारिजुआना से निर्मित दवाएँ पहले से ही संयुक्त राज्य खाद्य एवं औषधि प्रशासन (US FDA) द्वारा अनुमोदित हैं।
- मारिजुआना को औपचारिक रूप से वाणिज्यिक खेती हेतु अवैध मान जाता है, हालाँकि, यह देश के कई हिस्सों में खरपतवार के रूप में अक्सर देखने को मिल जाता है।

मारिजुआना (Marijuana/Cannabis)

- मारिजुआना को कई देशों में नशे के रूप में प्रयोग किया जाता है और यही कारण है कि यह कई देशों में प्रतिबंधित है।

नोट :

- मारिजुआना को कैनबिस, गांजा और भांग के नामों से भी पुकारा जाता है।
- इसका उपयोग कीमोथेरेपी के वक्त मतली और उल्टी कम करने, एचआईवी / एड्स के रोगियों में भूख सुधार और माँसपेशियों की ऐंठन को दूर करने हेतु भी किया जाता है।
- उत्तराखंड, जम्मू और इसी महीने उत्तर प्रदेश ने भी चिकित्सा अनुसंधान के लिये इस पौधे की प्रतिबंधित खेती को पुन: अनुमति प्रदान की है।
- मारिजुआना की चिकित्सकीय क्षमता के विषय में अध्ययन से जड़ी बूटियों और पौधों से प्राप्त नई दवाओं को बनाने के लिये यह एक बड़ा सरकारी प्रयास है जिसका वर्णन आयुर्वेद और अन्य पारंपरिक दवा निर्माण प्रणालियों में किया गया है।

अध्ययन में शामिल प्रमुख संस्थानों के विषय में

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (CSIR)

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विविध क्षेत्रों में अपने अग्रणी अनुसंधान एवं विकास ज्ञानाधार के लिये ज्ञात यह एक समसामयिक अनुसंधान एवं विकास संगठन है।
- सीएसआईआर रेडियो और अंतरिक्ष भौतिकी, महासागर विज्ञान, भूभौतिकी, रसायन, औषध, जीनोमिकी, जैव-प्रौद्योगिकी और नैनो-प्रौद्योगिकी से लेकर खनन, वैमानिकी उपकरण, पर्यावरणीय इंजीनियरिंग तथा सूचना प्रौद्योगिकी तक विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के व्यापक विषयों व क्षेत्रों में कार्य कर रहा है।

भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (ICMR)

- ICMR जैव चिकित्सा अनुसंधान के समन्वय और प्रचार के लिये दुनिया के सबसे पुराने चिकित्सा अनुसंधान निकायों में से एक है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग द्वारा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है।

बायोटेक्नोलॉजी विभाग (DBT)

- DBT विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक भारतीय सरकारी विभाग एवं नोडल एजेंसी है जो अनुसंधान विज्ञान और जीवन विज्ञान में इसके अनुप्रयोगों का समर्थन करता है तथा देश में जैव प्रौद्योगिकी के विकास और उपयोग को गति को बढ़ावा देता है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी।

सिटी गैस वितरण परियोजना (City Gas Distribution- CGD Scheme)

चर्चा में क्यों ?

22 नवंबर, 2018 को प्रधानमंत्री ने CDG बोली प्रक्रिया के नौवें दौर के तहत 129 ज़िलों के 65 भौगोलिक क्षेत्रों में सिटी गैस वितरण परियोजना की आधारशिला रखी।

प्रमुख बिंदु

- भारत सरकार गैस आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में अग्रसर होने के लिये देश भर में ईंधन/कच्चे माल के रूप में पर्यावरण अनुकूल स्वच्छ ईंधन अर्थात् प्राकृतिक गैस के उपयोग को बढ़ावा देने पर विशेष ज़ोर दे रही है।
- मौजूदा समय में देश के ऊर्जा मिश्रण (energy mix) में गैस की हिस्सेदारी 6 प्रतिशत से कुछ ही अधिक है और इस आँकड़े को 15 प्रतिशत के स्तर पर पहुँचाने का लक्ष्य है, जबकि इस मामले में वैश्विक औसत 24 प्रतिशत है।
- CGD नेटवर्क विकास का उद्देश्य देश के नागरिकों के लिये स्वच्छ रसोई ईंधन (अर्थात् PNG) और स्वच्छ परिवहन ईंधन (अर्थात् CNG) की उपलब्धता को बढ़ाना है।

नोट :

CGD योजना के लाभ

- CGD सरकार की विभिन्न स्वच्छ ऊर्जा पहलों जैसे- एथेनॉल ब्लेंडिंग, संपीड़ित बायोगैस संयंत्र स्थापित की स्थापना, LPG कवरेज में वृद्धि और ऑटोमोबाइल के लिये बीएस -6 ईंधन की शुरुआत आदि को समर्थन प्रदान करेगा।
- CGD प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का भी समर्थन करेगा क्योंकि शहरों में पाइप लाइन के माध्यम से गैस प्राप्त करने से ग्रामीण इलाकों में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में वृद्धि होगी।
- CGD नेटवर्क के विस्तार से औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयाँ भी लाभान्वित होंगी क्योंकि इसके तहत प्राकृतिक गैस की अबाधित आपूर्ति सुनिश्चित होगी।

सरकार की स्वच्छ ऊर्जा पहल

- सरकार देश में स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये प्रतिबद्ध है तथा इस दिशा में सरकार द्वारा LED बल्ब, बीएस VI ईंधन, जैव ऊर्जा, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जैसे कई पहलों की शुरुआत की गई है।
- अधिक-से-अधिक शहरों में पाइप के ज़रिये स्वच्छ गैस की आपूर्ति करना भी इस दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- प्राकृतिक गैस ही क्यों?
- कोयला एवं अन्य द्रव ईंधनों की तुलना में प्राकृतिक गैस एक बेहतर ईंधन है क्योंकि यह पर्यावरण अनुकूल, सुरक्षित और सस्ता ईंधन है।
- प्राकृतिक गैस की आपूर्ति ठीक उसी तरह से पाइपलाइनों के ज़रिये की जाती है, जैसे कि किसी व्यक्ति को नल के ज़रिये पानी प्राप्त होता है।
- इसके लिये किचन में सिलेंडर रखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अत: इस स्थान का उपयोग किसी और कार्य के लिये किया जा सकता है।

चीन में तैयार किये गए दुनिया के पहले आनुवंशिक रूप से संपादित बच्चे

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक चीनी शोधकर्त्ता ने दावा किया कि उसने इस महीने पैदा हुई दुनिया के पहले आनुवंशिक रूप से संपादित बच्चों- जुड़वाँ लड़कियों को बनाने में मदद की। शोधकर्त्ता के अनुसार, उसने जुड़वाँ बच्चों के डीएनए को जीवन के महत्त्वपूर्ण लक्षणों को पुनर्संपादित करने में सक्षम एक शक्तिशाली नए उपकरण के द्वारा परिवर्तित कर दिया।

प्रमुख बिंदु

- शोधकर्त्ता हे जियानकुई के अनुसार, उसने प्रजनन उपचार के दौरान सात जोड़ों के लिये भ्रूण में परिवर्तन किया, इस प्रकार गर्भावस्था का एक परिणाम प्राप्त हुआ।
- शोधकर्त्ता का लक्ष्य आनुवंशिक बीमारी का इलाज या उसे रोकना नहीं है, बल्कि कुछ लोगों को स्वाभाविक रूप से प्राप्त एचआईवी, एड्स वायरस के भविष्य में संभावित संक्रमण का प्रतिरोध करने की क्षमता की विशेषता को अन्य लोगों को प्रदान करने की कोशिश करना है।
- उसके दावे की कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है, और न ही इसे किसी पत्रिका में प्रकाशित किया गया है, जहाँ इसका अन्य विशेषज्ञों द्वारा निरीक्षण किया गया हो।
- इस तरह का जीन संपादन संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रतिबंधित है क्योंकि डीएनए परिवर्तन भविष्य की पीढ़ियों तक पहुँच सकते हैं और यह अन्य जीनों को नुकसान पहुँचा सकते हैं।
- हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने जीन संपादन का अपेक्षाकृत आसान तरीका खोजा है, जिसमें शरीर को नियंत्रित करने वाले डीएनए स्ट्रैंड का संपादन एक उपकरण के द्वारा किया जाता है अर्थात् एक आवश्यक जीन की आपूर्ति करके या समस्या पैदा करने वाले जीन को अक्षम करके जीन संपादन किया जाता है।
- हाल ही में वयस्कों में घातक बीमारियों का इलाज करने की कोशिश की गई है, और परिवर्तन उस व्यक्ति तक ही सीमित हैं। शुक्राणु, अंडे या भ्रूण संपादित करना इससे अलग है – ये परिवर्तन आनुवंशिक हो सकते हैं। अमेरिका में प्रयोगशाला अनुसंधान को छोड़कर और कहीं इसकी अनुमति नहीं है। चीन में मानव क्लोनिंग अवैध है लेकिन विशेष रूप से जीन संपादन नहीं।

नोट :

एचआईवी से सुरक्षा हेतु प्रयोग

- इस चीनी वैज्ञानिक ने कहा कि उसने एचआईवी के लिये भ्रूण के जीन संपादन का प्रयास चुना क्योंकि एचआईवी संक्रमण चीन में एक बड़ी समस्या है। उसने CCR5 नामक एक जीन को अक्षम करने का प्रयास किया जो एड्स वायरस एचआईवी को एक कोशिका में प्रवेश करने की अनुमति देने के लिये प्रोटीन द्वार बनाता है।
- शोधकर्त्ता ने बताया कि यह जीन संपादन आईवीएफ या प्रयोगशाला में निषेचन के दौरान हुआ था। सबसे पहले, शुक्राणु को वीर्य से अलग करने के लिये "धोया गया" था, ताकि तरल पदार्थ में एचआईवी छिप न सके।
- एक भ्रूण बनाने के लिये एक शुक्राणु को एक ही अंडे में रखा गया था। फिर जीन संपादन उपकरण का इस्तेमाल किया गया था। जब भ्रूण 3 से 5 दिन पुराने हो गए, तो कुछ कोशिकाओं को हटा दिया गया और संपादन के लिये चेक किया गया।
- शोध में शामिल पुरुष एड्स से ग्रसित थे जबकि महिलाएँ सुरक्षित थीं। इन जोड़ों के पास यह विकल्प था कि गर्भावस्था के प्रयासों के लिये संपादित या अनियमित भ्रूण का उपयोग करना है या नहीं। उसने कहा कि जुडवाँ गर्भावस्था प्राप्त करने से पहले छह प्रयासों में ग्यारह भ्रूणों का इस्तेमाल किया गया था।
- इस परीक्षण से पता चलता है कि जुडवाँ बच्चों में से एक में इच्छित जीन की दोनों प्रतियाँ बदल गई थीं और दूसरे में सिर्फ एक प्रति में ही बदलाव आया था, अन्य जीनों को नुकसान पहुँचाने का कोई सबूत नहीं था।
- कई वैज्ञानिकों ने परीक्षण के बाद चीनी वैज्ञानिक द्वारा उपलब्ध कराई गई उन सामग्रियों की समीक्षा की और कहा कि अब तक किये गए परीक्षण निष्कर्ष निकालने के लिये अपर्याप्त हैं।

क्रिस्पर Cas9 तकनीक

- क्रिस्पर-कैस 9 (CRISPR-Cas9) एक ऐसी तकनीक है जो वैज्ञानिकों को अनिवार्य रूप से डीएनए काटने और जोड़ने की अनुमति देती है, जिससे रोग के लिये आनुवंशिक सुधार की उम्मीद बढ़ जाती है।
- क्रिस्पर (Clustered Regualarly Interspaced Short Palindromic Repeats) डीएनए के हिस्से हैं, जबकि कैस-9 (CRISPR-ASSOCIATED PROTEIN9-Cas9) एक एंजाइम है। हालाँकि, इसके साथ सुरक्षा और नैतिकता से संबंधित चिंताएँ जुड़ी हुई हैं।

मंगल पर पहुँचा इनसाइट

चर्चा में क्यों ?

- मंगल ग्रह के अध्ययन के लिये भेजा गया नासा का इनसाइट यानी इंटीरियर एक्सप्लोरेशन यूजिंग सिस्मिक इन्वेस्टिगेशंस जियोडेसी एंड हीट ट्रांसपोर्ट (Interior Exploration Using Seismic Investigations, Geodesy and Heat Transport-INSIGHT), 26 नवंबर, 2018 को मंगल ग्रह की सतह पर उतरा।
- मंगल ग्रह की सतह पर पहुँचने के लिये इनसाइट ने लगभग सात माह तक अंतरिक्ष में यात्रा की और इस दौरान लगभग 300 मिलियन मील की दूरी तय की।
- पहली बार दो एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट्स ने किसी अंतरिक्षयान का पीछा करते हुए उस पर नजर रखी। ये दोनों सैटेलाइट इनसाइट से छह हज़ार मील पीछे चल रहे थे।
- अमेरिका द्वारा लॉन्च किया गया यह 21वाँ मंगल मिशन है।
- इनसाइट, 2012 में 'क्यूरियोसिटी रोवर' के बाद मंगल पर उतरने वाला नासा का पहला अंतरिक्ष यान है।
- यह अगले 2 वर्षों तक मंगल ग्रह की सतह का अध्ययन करेगा।
- इनसाइट ने इलीशियम प्लैनिशिया (Elysium Planitia, एक सपाट स्थान जहाँ सीस्मोमीटर लगाना आसान था) पर लैंड किया।
- इस यान को कैलिफोर्निया के वेंडेनबर्ग वायुसेना बेस से एटलस वी रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया था। उल्लेखनीय है कि यह पश्चिमी तट से लॉन्च किया जाने वाला पहला मिशन है। इससे पूर्व अमेरिका के पूर्वी तट पर स्थित कैनेडी स्पेस सेंटर (फ्लोरिडा) से ही अधिकांश इंटरप्लेनेट्री मिशन लॉन्च किये जाते थे।
- नासा के इस मिशन से वैज्ञानिकों को मंगल, पृथ्वी और चंद्रमा जैसे चट्टानी ग्रहों के निर्माण के बारे में जानकारी प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

नोट :

इनसाइट की विशेषताएँ

- मंगल ग्रह की आतंरिक संरचना का अध्ययन करने के लिये इनसाइट सिस्मोमीटर का प्रयोग करेगा और इसकी आंतरिक स्थिति के बारे में जानकारी एकत्र करेगा।
- इस यान का वज़न 880 पौंड (360 किग्रा.) है।
- इनसाइट में आँकड़ों के संग्रहण के लिये कई प्रकार के संवदेनशील उपकरणों को स्थापित किया गया है।
- इसमें मंगल ग्रह पर भूकंप की जाँच हेतु अति संवेदनशील सिस्मोमीटर (seismometer) लगाया गया है। इस सिस्मोमीटर को फ्राँस के नेशनल स्पेस सेंटर द्वारा तैयार किया गया है।
- सौर ऊर्जा और बैटरी से चलने वाले इस यान को 26 महीने तक काम करने के लिये डिज़ाइन किया गया है।

इसरो ने किया HySIS का प्रक्षेपण

संदर्भ

हाल ही में इसरो (ISRO) ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसरो ने PSLV-C43 की मदद से कुल 31 सैटेलाइट प्रक्षेपित किये जिसमें भारत का हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट (HySIS) भी शामिल है। HySIS के अलावा इसमें अन्य 8 देशों के 30 दूसरे सैटेलाइट शामिल हैं जिसमें एक माइक्रो तथा 29 नैनो सैटेलाइट हैं।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- इसरो के अनुसार, हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट को ध्रुवीय कक्षा (polar synchronous orbit) में स्थापित किया जाएगा।
- स्पेस एजेंसी इसरो ने अप्रैल 2008 में हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग टेक्नोलॉजी का परीक्षण किया था।
- अक्तूबर, 2008 में ही इसरो ने चंद्रयान-1 पर एक HySI या हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजर को लगा दिया था और खनिजों का पता लगाने हेतु चंद्रमा की सतह को स्कैन करने में इसका इस्तेमाल किया था।
- भारत का हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग उपग्रह (HySIS) इस मिशन का प्राथमिक सैटेलाइट है। इसरो ने इमेजिंग सैटेलाइट को पृथ्वी की निगरानी हेतु विकसित किया है।
- अन्य 30 उपग्रहों के प्रक्षेपण हेतु इसरो के वाणिज्यिक विभाग के साथ व्यावसायिक करार किया गया था।

HySIS की महत्ता

- हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटलाइट का प्राथमिक उद्देश्य इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के दृश्यमान, निकट अवरक्त और शॉर्टवेव इन्फ्रारेड क्षेत्रों में पृथ्वी की सतह का अध्ययन करना है।
- हाइपर स्पेक्ट्रल इमेजिंग सैटेलाइट ज़मीन से 630 किमी की दूरी पर भी 55 वर्णक्रम या कलर बैंड में विभेद कर सकता है।
- 'Hyspex' इमेजिंग, अंतरिक्ष से किसी दृश्य के प्रत्येक पिक्सेल हेतु स्पेक्ट्रम की पहचान करते हुए पृथ्वी पर वस्तुओं, सामग्री या प्रक्रियाओं की अलग पहचान की सुविधा प्रदान करती है।
- यह प्रणाली किसी संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति को चिह्नित करने और उसे पृष्ठभूमि (Background) से अलग करने में अत्यधिक उपयोगी हो सकती है।
- यह सीमापार या अन्य गुप्त गतिविधियों का पता लगाने में सहायता प्रदान कर सकती है।
- इसका उपयोग वायुमंडलीय गतिविधि और जलवायु परिवर्तन, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, कृषि, वानिकी, जल प्रबंधन, तटीय क्षेत्रों का अध्ययन और खनिजों की तलाश जैसी गतिविधियों से लेकर सैन्य निगरानी तक सभी तरह के कार्यों के लिये किया जा सकता है।

नोट :

पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी

वैश्विक मृदा जैव विविधता (soil biodiversity) एटलस

यूरोपीयन कमीशन जॉइंट रिसर्च सेंटर (European Commission Joint Research Centre) द्वारा तैयार वैश्विक मृदा जैव विविधता एटलस के अनुसार, भारत की मृदा जैव विविधता गंभीर खतरे में है।

प्रमुख बिंदु

- WWF का 'जोखिम सूचकांक या रिस्क इंडेक्स' – ज़मीन के ऊपर जैव विविधता में कमी, प्रदूषण, पोषक तत्त्वों की ओवरलोडिंग, ओवरग्रेज़िंग,गहन कृषि, आग, मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण और जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले खतरों को इंगित करता है।
- इस एटलस पर लाल रंग वाले क्षेत्रों में पाकिस्तान, चीन, अफ्रीका और यूरोप के कई देश तथा उत्तरी अमेरिका के अधिकांश देश शामिल हैं।
- ये निष्कर्ष 'लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट' 2018 का हिस्सा हैं। उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाती है।
- इस साल की रिपोर्ट का एक प्रमुख पहलू मृदा जैव विविधता और परागण के प्रमुख घटकों [जैसे मधुमक्खियाँ] के लिये खतरा है।

मृदा जैव विविधता के घटक

मृदा जैव विविधता में सूक्ष्म जीवों, सूक्ष्म प्राणीजात [उदाहरण के लिये सूत्रकृमी (Nematodes) और टारडीग्रेड्स (Tardigrades)] तथा सूक्ष्म-जीव (चीटियाँ, दीमक, और केंचुए) की उपस्थिति शामिल है।

भारत की स्थिति

- यह सूचकांक भारत को उन देशों के बीच दर्शाता है जिनकी मृदा जैव विविधता जोखिम के उच्चतम स्तर का सामना कर रही है।
- तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय द्वारा किये गए एक अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग 50 मिलियन हेक्टेयर कृषि भूमि की परागण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये 150 मिलियन मधुमक्खी कॉलोनियों की आवश्यकता थी जबकि केवल 1.2 मिलियन कॉलोनी मौजूद थीं।

वैश्विक स्थिति

- 1970 से 2014 तक मछली, पक्षियों, स्तनधारियों, उभयचर और सरीसृपों की आबादी में औसतन 60% की कमी हुई है और इसी अवधि में ताज़े पानी में रहने वाली प्रजातियों की आबादी में 83% की कमी आई है।
- 1960 से अब तक वैश्विक पारिस्थितिकीय पदचिह्न (footprint) में 190% से अधिक की वृद्धि हुई है।
- वैश्विक स्तर पर 1970 से अब तक आर्द्रभूमि की सीमा में 87% की कमी हुई है।
- WWF ने अपनी रिपोर्ट में यह भी शामिल किया कि जैव विविधता में हानि के दो प्रमुख कारक प्राकृतिक संसाधनों और कृषि का अधिक शोषण थे।
- WWF के अनुसार, भारत की उच्च आबादी ने इसे पारिस्थितिक संकट के प्रति संवेदनशील बना दिया है।

पारिस्थितिकी पदचिह्न

- पारिस्थितिकी पदचिह्न, पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र पर मानवीय मांग का एक मापक है।
- यह इंसान की मांग की तुलना पृथ्वी की पारिस्थितिकी के पुनरुत्पादन की क्षमता से करता है।
- इसका प्रयोग करते हुए यह अनुमान लगाया जा सकता है कि अगर प्रत्येक व्यक्ति एक निश्चित जीवनशैली का अनुशरण करे तो मानवता की सहायता के लिये पृथ्वी के कितने हिस्से की ज़रूरत होगी।

नोट :

समाधान

- उपरोक्त चुनौतियों का समाधान करने के लिये, WWF ने तीन आवश्यक उपाय भी सुझाए हैं:
- जैव विविधता की पुन: प्राप्ति के लिये स्पष्ट रूप से एक लक्ष्य निर्दिष्ट करना।
- प्रगति के मापनीय और प्रासंगिक संकेतकों का एक सेट विकसित करना।
- उन कार्यों के एक समूह पर सहमति, जो सामूहिक रूप से आवश्यक समयसीमा में लक्ष्य प्राप्त कर सकें।
- (प्रिय विद्यार्थियों, द हिंदू न्यूज़पेपर द्वारा इन न्यूज़ में कुछ परिवर्तन किया गया है है, जो हम आपको अपडेट कर रहे हैं।
- यूरोपीयन कमीशन जॉइंट रिसर्च सेंटर (European Commission Joint Research Centre) द्वारा तैयार वैश्विक मृदा जैव विविधता एटलस के अनुसार, भारत की मृदा जैव विविधता गंभीर खतरे में है। इसे पहले वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के नाम से लिखा गया, जिसे बदलकर यूरोपीयन कमीशन जॉइंट रिसर्च सेंटर (European Commission Joint Research Centre) कर दिया गया है।)

8 सालों में 461 हाथियों की मृत्यु (461 Elephants electrocuted in 8 years)

चर्चा में क्यों ?

अगस्त से अक्तूबर 2018 के बीच भारत के पूर्वी और उत्तर-पूर्वी हिस्से में बिजली के तारों के संपर्क में आने के कारण एक दर्ज़न से अधिक हाथियों की मृत्यु हो गई। इनमें से 7 हाथियों की मृत्यु ओडिशा के ढेंकनाल ज़िले में हुई। ऐसे समय में जब मानव-हाथी संघर्ष नीति-निर्माताओं और संरक्षणविदों के लिये चिंता का प्रमुख विषय बना हुआ है, बिजली के तारों के संपर्क में आने के कारण होने वाली हाथियों की मृत्यु का मामला, हाथी आबादी के प्रबंधन के क्षेत्र में एक आलोचनात्मक मुद्दे के रूप में उभरकर सामने आया है। निश्चित रूप से यह गंभीर चिंता का विषय है।

प्रति वर्ष 50 हाथियों की मृत्यु

- 2009 से नवंबर 2017 के बीच बिजली के तारों के संपर्क में आने से होने वाली हाथियों की मौत से संबंधित आँकड़ों के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि हर साल लगभग 50 हाथी बिजली का करेंट लगने के कारण मर जाते हैं। इस समयावधि के दौरान विद्युतीकरण की वज़ह से कुल 461 हाथियों की मौत हुई हैं।
- आँकड़ों के गहन अध्ययन से यह भी ज्ञात होता है कि अधिकांश मौतें देश के पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों में हुई हैं। इस दौरान विद्युतीकरण के कारण ओडिशा में 90, असम में 70, पश्चिम बंगाल में 48 और छत्तीसगढ़ में 23 हाथियों की मौत हुई।
- कर्नाटक जहाँ हाथियों की आबादी सबसे अधिक है, वहाँ बिजली के कारण सबसे अधिक 106 हाथियों की मौत हुई है। जबकि इसी समयावधि के दौरान तमिलनाडु में 50 हाथियों की मौत हुई, जिनमें से 17 हाथियों की मौत बिजली के कारण हुई।
- उपर्युक्त आँकड़े पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं।

हाथियों की संख्या

हाथियों की अखिल भारतीय जनगणना के अनुसार, 2017 में हाथियों की कुल 27, 312 थी। हाथियों की उच्चतम आबादी वाले राज्य हैं- कर्नाटक (6,049), असम (5,719) और केरल (3,054)।

मानव-हाथी संघर्ष

- इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस (IISC), बंगलूरू के प्रसिद्ध हाथी विशेषज्ञ और प्रोफेसर, रमन सुकुमार के अनुसार, देश के पूर्व-मध्य और पूर्वोत्तर हिस्सों में मानव-हाथी संघर्ष का कारण यह है कि हाथियों द्वारा अपने क्षेत्र में विस्तार किया जा रहा है और ये जंगलों से निकलकर कृषि क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं।
- पूर्व-मध्य भारतीय परिदृश्य में, हाथी उन क्षेत्रों में भी नज़र आ रहे हैं जहाँ उन्हें दशकों या सदियों पहले कभी नहीं देखा गया था। उदाहरण के लिये सदियों से छत्तीसगढ़ में कोई हाथी नहीं दिखा और अब यहाँ मानव-हाथी संघर्ष की घटनाएँ सामने आ रही हैं।

नोट :

आगे की राह

- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंट के अंतर्गत 2017 में वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया (WTI) के प्रतिनिधियों ने देश के 101 हाथी गलियारों में आवागमन के अधिकार के संबंध में प्रस्ताव प्रकाशित कर हाथी गलियारों की अधिक निगरानी और सुरक्षा की आवश्यकता पर ज़ोर दिया था।
- अवैध विद्युत बाड़ लगाने से रोकने के उपायों और उच्च क्षमता वाले विद्युत तारों की ऊँचाई को बनाए रखने के लिये उचित दिशा-निर्देश लागू करने के साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिये कि किन क्षेत्रों से हाथी आवागमन कर सकते हैं तथा किन क्षेत्रों में उनके आवागमन पर रोक लगाई जानी चाहिये, के संबंध में एक उचित क्षेत्रवार प्रबंधन योजना लागू करने की आवश्यकता है।
- हाथियों के आवागमन वाले क्षेत्रों से गुजरने वाले विद्युत तारों की निरंतर निगरानी किये जाने की आवश्यकता है. इसके लिये वन विभाग और बिजली विभाग सहित विभिन्न एजेंसियों के बीच अधिक-से-अधिक समन्वय होना भी आवश्यक है।

स्वच्छ हवा अभियान (Clean air campaign)

चर्चा में क्यों ?

1 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में स्वच्छ हवा अभियान की शुरुआत की गई। यह अभियान 10 नवंबर, 2018 तक जारी रहेगा।

प्रमुख बिंदु

- प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियों पर करीबी नज़र रखने एवं इस बारे में जानकारी देने के साथ-साथ त्वरित कदम सुनिश्चित करने के लिये केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री और दिल्ली सरकार के मंत्री द्वारा संयुक्त रूप से 52 टीमों को रवाना किया गया।
- ये टीमें दिल्ली और इसके समीपवर्ती शहरों यथा फरीदाबाद, गुरुग्राम, गाज़ियाबाद और नोएडा के विभिन्न हिस्सों का दौरा करेंगी।
- इसमें स्थानीय सब डिवीज़नल मजिस्ट्रेट टीम लीडर होंगे।
- पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB), दिल्ली नगर निगम और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के प्रतिनिधि भी इन टीमों में शामिल होंगे।
- प्रदूषण में कमी करने के प्रयासों में तेज़ी लाते हुए एक पायलट परियोजना 'पर्यायंत्र' का भी शुभारंभ किया गया।
- इस यंत्र को शहरों में चलने वाली बसों की छतों पर लगाया जाएगा जिसमें एक फिल्टर लगा होगा। फिल्टर में प्रवेश करने वाली हवा बस के चलने पर सूक्ष्म कणों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाती है।
- इस पायलट परियोजना के तहत 30 बसों की छतों पर ये उपकरण लगाए गए हैं।

पोलैंड जलवायु वार्ता (Poland climate talk)

चर्चा में क्यों ?

आगामी दिसंबर माह में पोलैंड के Katowice में आयोजित होने वाली जलवायु वार्ता से पहले, भारत, LMDC यानी 'लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज़' (भारत, चीन, वेनेज़ुएला और ईरान) और बेसिक (ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन) के साथ दो महत्त्वपूर्ण बैठकें आयोजित कर रहा है। ये दोनों समूह, विश्व के समक्ष विकासशील देशों की चिंताओं को मज़बूती के साथ प्रस्तुत करने में अहम भूमिका निभाते है। 1 नवंबर, 2018 को LMDC के साथ पहली बैठक आयोजित की गई।

190 देश

- सीओपी (Conference of Parties-COP), संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCC) के हस्ताक्षरकर्त्ता देशों (कम-से-कम 190 देशों) का एक समूह है, जो हर साल जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को हल करने के उपायों पर चर्चा करने के लिये बैठक आयोजित करता है।

नोट :

- कुछ समय पहले 'द हिंदू' नामक समाचार पत्र के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त हुई थी कि भारत चीन सहित कम-से-कम 40 देशों के साथ मिलकर एक गठबंधन तैयार करने की कोशिश कर रहा है।
- इसका उद्देश्य एक मज़बूत गठबंधन के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिये पर्याप्त वित्त एवं प्रौद्योगिकी प्रदान करने के विकसित देशों के वादे को पूरा करने के लिये दबाव डालना है।

ये दोनों बैठकें कितनी महत्त्वपूर्ण हैं ?

ये दोनों बैठकें काफी महत्त्वपूर्ण हैं। इन बैठकों का मूल उद्देश्य वर्ष 2015 में हुए पेरिस समझौते को वर्ष 2020 में उसके सही प्रारूप में लागू करने हेतु एक आम मोर्चा तैयार करना है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस समझौते को किस प्रकार नियंत्रित किया जाएगा।

चीन ने हटाया वन्यजीवों के व्यापार से प्रतिबंध
(China Lifts Ban on Trade of Tiger Bones and Rhino Horns)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में चीन ने बाघ की हड्डियों और गैंडे के सींग के वैज्ञानिक और चिकित्सा उपयोग पर लगाए गए 25 वर्षीय प्रतिबंध को हटा लिया है।

प्रमुख बिंदु

- संरक्षणवादियों के मुताबिक, इस प्रतिबंध को हटाने का परिणाम लुप्तप्राय प्रजातियों के लिये विश्व स्तर पर विनाशकारी होगा।
- उल्लेखनीय है कि पारंपरिक चीनी दवा (TCM) में बाघ की हड्डी और गैंडे के सींग का उपयोग किया जाता है और इस दवा को अनिद्रा तथा गठिया के इलाज के लिये उपयोग किया जाता है।

पृष्ठभूमि

- बाघ के हिस्सों को आधिकारिक TCM फार्माकोपिया, जो कि चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा नियंत्रित एक सूची है, से हटा दिया गया,जब देश ने पहली बार वर्ष 1993 में बाघ के शरीर के विभिन्न हिस्सों के व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- वर्ष 2010 में बीजिंग में स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी चीनी चिकित्सा सोसाइटीज के विश्व फेडरेशन ने अपने सदस्यों से बाघ के हिस्सों या अन्य लुप्तप्राय वन्यजीवों के हिस्सों का उपयोग रोकने आग्रह किया।
- चीन ने राष्ट्रपति शी जिनपिंग के शासन के दौरान, वन्यजीवन और प्राकृतिक संसाधनों के लिये कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू करने और स्वयं को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के रूप में प्रदर्शित करने की मांग की।
- वर्ष 2016 में, चीन ने हाथीदाँत की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था क्योंकि गले के कैंसर के इलाज के लिये हाथी के शिकार किये जाने की घटनाएँ शिकार बढ़ गई थीं।
- हालाँकि, इस अधिक कठोर नियम से चीनी सरकार दवा निर्माता कम्पनियाँ के बीच संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
- इसके अलावा, उच्च जीवन स्तर हेतु पशु भागों की चीनी मांग में वृद्धि हुई है, जो उनकी जीवन-विस्तारित शक्तियों के लिये मूल्यवान है।

भारत की चिंता

- असम में अधिकारी और वन्यजीव संरक्षणवादी राज्य के एक सींग वाले गैंडों पर हानिकारक प्रभाव को लेकर चिंतित हैं क्योंकि चीन ने गैंडे के सींग और बाघ की हड्डी के उत्पादों के उपयोग और व्यापार पर 25 वर्षीय प्रतिबंध हटा लिया है।
- नवीनतम आँकड़ों के मुताबिक, असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सींग वाले गैंडों की संख्या 2,413 हैं और इनमें से पाँच गैंडे वर्ष 2018 में शिकारियों के हाथों मारे गए। चिंता की मुख्य वज़ह यह है कि यहाँ से शिकार किये गए से गैंडे के सींग चीन के बाज़ारों में 'कानूनी' उत्पादों के रूप में बदल जाएंगे और यह ऐसे उत्पादों के लिये बाज़ार खोलने का अप्रत्यक्ष तरीका है।
- इससे गैंडे के शिकारियों और तस्करी करने वालों को बढ़ावा मिलेगा, जो कि अपने अवैध उत्पादों को चीन में कानूनी रूप से स्वीकार्य उत्पादों के तौर पर भेजने की आशा के साथ अपनी गतिविधियों में वृद्धि का प्रयास कर सकते हैं।

नोट :

- कई शोध और अध्ययन पत्रों ने उल्लेख किया है कि असम से शिकार किये गए गैंडों के सींग म्याँमार के माध्यम से चीन भेजे जाते हैं। वर्ष 2017 में आईयूसीएन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि म्याँमार का शान राज्य एक कुख्यात वन्यजीव तस्करी केंद्र है जिसके माध्यम से चीन में गैंडे के सींग ले जाए जाते हैं।
- वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड ने चीन से प्रतिबंध बनाए रखने को कहा है क्योंकि ऐसा व्यापार वैश्विक स्तर पर विनाशकारी परिणाम देगा।

प्रकृति संरक्षण हेतु विश्वव्यापी कोष (Worldwide Fund for Nature-WWF)

- WWF का गठन वर्ष 1961 में हुआ तथा यह पर्यावरण के संरक्षण, अनुसंधान एवं रख-रखाव संबंधी विषयों पर कार्य करता है।
- इससे पूर्व, इसका नाम विश्व वन्यजीव कोष (World Wildlife fund) था।

उद्देश्य

- आनुवंशिक जीवों और पारिस्थितिक विभिन्नताओं का संरक्षण करना।
- यह सुनिश्चित करना कि नवीकरण योग्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग पृथ्वी के सभी जीवों के वर्तमान और भावी हितों के अनुरूप हो रहा है।
- प्रदूषण, संसाधनों और उर्जा के अपव्ययी दोहन और खपत को न्यूनतम स्तर पर लाना।
- हमारे ग्रह पर प्राकृतिक पर्यावरण के बढ़ते अवक्रमण को रोकना और अंततः इस प्रक्रिया को पलट देना तथा एक ऐसे भविष्य के निर्माण में सहायता करना जिसमें मानव प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित कर रह सके।

लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट (Living Planet Report), 2018

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में WWF (World Wildlife Fund) ने अपनी लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2018 जारी की है। इस रिपोर्ट में वन्यजीवन पर मानवीय गतिविधियों के भयानक प्रभाव के साथ-साथ जंगलों पर पड़ने वाले प्रभाव, प्रजातियों के विलुप्तिकरण, सीमाओं के संकुचन तथा समुद्र पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी चर्चा की गई है। रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है कि 1970 के बाद मानवीय गतिविधियों की वजह से वन्यजीवों की आबादी में 60 प्रतिशत तथा वेटलैंड्स में 87 प्रतिशत की कमी आई है।
- इस रिपोर्ट में प्रजातियों का वितरण, विलुप्त होने का जोखिम और सामुदायिक संरचना में आने वाले बदलावों को मापने वाले तीन अन्य संकेतकों के बारे में भी चर्चा की गई। ये तीनों मानक गंभीर गिरावट या परिवर्तन को प्रदर्शित करते हैं।

लिविंग प्लैनेट इंडेक्स

- लिविंग प्लैनेट इंडेक्स (Living Planet Index - LPI), दुनिया भर से प्रजातियों की कशेरुकी (vertebrate) आबादी में आने वाले रुझानों के आधार पर वैश्विक जैविक विविधता की स्थिति का संकेतक है।
- सर्वप्रथम, वर्ष 1998 में इसे प्रकाशित किया गया था। यह रिपोर्ट वर्ष में दो बार प्रकाशित की जाती है।
- जैव विविधता के सम्मेलन (Convention of Biological Diversity-CBD) द्वारा 2011-2020 के लक्ष्य 'जैव विविधता के नुकसान को रोकने के लिये प्रभावी और तत्काल कार्रवाई करने' की दिशा में प्रगति के संकेतक के रूप में इसे अपनाया गया है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट के इस संस्करण में मृदा जैव विविधता का खंड नया है। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक मृदा जैव विविधता पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। वेटलैंड्स का गायब होना भारत के लिये गंभीर चिंता का विषय है।
- इस रिपोर्ट में प्राकृतिक आवास का ह्रास या कमी, संसाधनों का अत्यधिक दोहन, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण एवं आक्रामक प्रजातियों से होने वाले खतरों को भी सूचीबद्ध किया गया है।

नोट :

जनसंख्या में कमी (1970-2014)

- जैव विविधता में गिरावट का मुख्य कारण कृषि योग्य भूमि रूपांतरण की अतिवृद्धि है।
- कशेरुकी (vertebrate) जानवरों की संख्या में 60 प्रतिशत की गिरावट।
- ताज़े पानी के जीवों की आबादी में 80% गिरावट।
- लैटिन अमेरिका में 90% वन्यजीवन की क्षति।

विलुप्त होती प्रजातियाँ

- 1970 से 2014 तक मछली, पक्षियों, स्तनधारियों, उभयचर और सरीसृपों की आबादी में औसतन 60% की कमी हुई है और इसी अवधि में ताज़े पानी में रहने वाली प्रजातियों की आबादी में 83% की कमी आई है।
- 1960 से अब तक वैश्विक पारिस्थितिकीय पदचिह्न (footprint) में 190% से अधिक की वृद्धि हुई है।
- वैश्विक स्तर पर 1970 से अब तक आर्द्रभूमि की सीमा में 87% की कमी हुई है।

सिकुड़ते वन क्षेत्र

- वन क्षेत्र में ह्रास का मुख्य कारण मानव द्वारा दिनों-दिन बढ़ता वन संसाधनों का उपभोग है। ऊर्जा, भूमि और पानी की बढ़ती मांग के चलते प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन जारी है। उपभोग संकेतक जैसे - पारिस्थितिक पदचिह्न (Ecological Footprint), इस समग्र संसाधन उपभोग की एक तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, जो इस बात का प्रमाण है कि किस सीमा तक पर्यावरण क्षतिग्रस्त हो चुका है।
- पिछले पाँच दशकों में अमेज़न वर्षावन का लगभग 20 प्रतिशत हिस्सा (दुनिया का सबसे बड़ा वर्षावन) विलुप्त हो गया है। उष्णकटिबंधीय वनों की कटाई भी लगातार जारी है, मुख्य रूप से सोयाबीन, ताड़ के वृक्ष और मवेशियों के चरागाह के रूप में इनका इस्तेमाल दिनोंदिन बढ़ता जा रहा है।
- वैश्विक स्तर पर वर्ष 2000 से 2014 के बीच दुनियाभर में 920,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र नष्ट हो गया, जो लगभग पाकिस्तान या फ्राँस और जर्मनी के आकार के बराबर क्षेत्र था।

क्षीण होते महासागर

- दुनिया भर के सभी प्रमुख समुद्री परिवेशों में प्लास्टिक प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है, महासागरों के किनारों, सतही जल यहाँ तक की गहरे समुद्री हिस्सों तक इसकी मौजूदगी के साक्ष्य पाए जाते हैं, जिसमें दुनिया की सबसे गहरी समुद्री खाई मारियाना ट्रेंच (Mariana Trench) भी शामिल है।
- झीलों, नदियों और आर्द्रभूमि जैसे ताज़े पानी के आवासीय क्षेत्र सबसे अधिक खतरे में हैं। ये सभी आवासीय क्षेत्र रूपांतरण, विखंडन और विनाश सहित विदेशी प्रजातियों के आक्रमण, प्रदूषण, बीमारियों और जलवायु परिवर्तन जैसे अन्य कारकों से भी प्रभावित होते हैं।
- जलवायु परिवर्तन और प्रदूषण के कारण सबसे अधिक नुकसान कोरल रीफ को पहुँचा है।
- तटीय मैंग्रोव वन, जो तीव्र समुद्री तूफानों से बचने में सहायक होते है, की संख्या पिछले 50 वर्षों में घटकर आधे से भी कम हो गई है।

आगे की राह

- दो प्रमुख वैश्विक नीति प्रक्रियाओं यथा वर्ष 2020 तक सीबीडी (Convention on Biological Diversity-CBD) और सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals) को लागू किये जाने से आशा की किरण नज़र आती है। संभवत: इन दोनों के अनुपालन से इस समस्त परिदृश्य में कुछ बदलाव आए और ये आँकड़ें जीवन के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करने में सहायक साबित हों।
- अन्य महत्त्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों, जैसे- जलवायु परिवर्तन के संबंध में प्रत्येक अंतर्संबंधित इकाई भले ही वह सरकार हो या व्यापार अथवा वित्त, अनुसंधान, नागरिक समाज और व्यक्ति सभी को अपने-अपने स्तर पर आवश्यक प्रयास करने चाहिये ताकि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सटीक एवं प्रभावी कदम उठाए जा सकें।

नोट :

नेट ज़ीरो एनर्जी' इमारतों हेतु ग्रीन रेटिंग प्रणाली

संदर्भ

भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने वर्ल्ड ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल तथा यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट (USAID) के सहयोग से 'नेट ज़ीरो एनर्जी' इमारतों हेतु ग्रीन रेटिंग प्रणाली की शुरुआत की है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- ग्रीन बिल्डिंग कॉन्ग्रेस 2018 के अवसर पर शुरू की गई यह रेटिंग प्रणाली राष्ट्रीय संवर्द्धित ऊर्जा दक्षता मिशन और राष्ट्रीय सौर मिशन के पूरक की तरह कार्य करने का प्रयास करती है।
- ग्रीन बिल्डिंग कॉन्ग्रेस 2018 की थीम 'ग्रीन बिल्ट एन्वायरनमेंट फॉर पीपल एंड प्लैनेट' थी।
- भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल 'नेट ज़ीरो एनर्जी' की अवधारणा को भारत में बढ़ावा देने की योजना बना रही है।
- भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ने पहाड़ी इलाकों के लिये भी 'ग्रीन बिल्डिंग रेटिंग सिस्टम' की शुरुआत की है।
- भारत में 'नेट ज़ीरो एनर्जी' की अवधारणा का लक्ष्य, राष्ट्रीय औसत की तुलना में सकल ऊर्जा खपत में 40 से 50 प्रतिशत तथा कीमतों में 30 प्रतिशत तक की कटौती करना है।

'नेट ज़ीरो एनर्जी' इमारतें

- 'नेट ज़ीरो एनर्जी' इमारतों की ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति अक्षय ऊर्जा स्रोतों से होती है। अर्थात् ऐसी इमारतें खुद के लिये आवश्यक ऊर्जा का उत्पादन करती हैं।
- ऐसे घर या इमारतें, जो लगभग अपने खपत के बराबर ऊर्जा का उत्पादन करने में सक्षम होते हैं 'नियर-ज़ीरो एनर्जी' बिल्डिंग कहलाते हैं।
- 'नेट ज़ीरो एनर्जी' स्थिति प्राप्त करने के लिये सोलर पैनल, हीट रिकवरी प्रणाली, जियोथर्मल हीटिंग और विंड टरबाइन जैसी तकनीकों का उपयोग किया जा सकता है।

'नेट ज़ीरो एनर्जी' इमारतों की आवश्यकता क्यों ?

- एक अनुमान के मुताबिक 2030 तक भारत की 40 प्रतिशत आबादी शहरों में रहना शुरू कर देगी।
- बढ़ते शहरीकरण के कारण यह आवश्यक हो गया है कि शुरुआत से ही शहरों को ऊर्जा दक्ष बनाया जाए।
- किसी भी इमारत में आरामदेह स्थिति के लिये पर्याप्त प्रकाश, हवा, गर्म पानी की उपलब्धता तथा वातानुकूलन की दशाएँ आवश्यक होती हैं किंतु इन सुविधाओं की वजह से अतिरिक्त ऊर्जा की मांग बढ़ जाती है।
- अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्रीन हाउस गैसों की मात्रा में अत्यधिक वृद्धि होने लगती है और पर्यावरण को नुकसान पहुँचता है।
- वैश्विक स्तर पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का 33 प्रतिशत हिस्सा इमारतों से होता है।
- 'नेट ज़ीरो एनर्जी' या ग्रीन इमारतों के निर्माण में स्थानीय सामग्रियों, पारिस्थितिक तंत्र का ध्यान रखा जाता है और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन्हें बिजली, पानी तथा भौतिक आवश्यकताओं को कम करने के लिये बनाया जाता है। ऐसी इमारतें पर्यावरण के अनुकूल तथा संसाधन कुशल होती हैं।

भारत स्थित न्यूट्रीनो वेधशाला को NGT का समर्थन (environmental clearance to INO)

चर्चा में क्यों ?

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal- NGT) ने भारत स्थित न्यूट्रीनो वेधशाला (India-based Neutrino Observatory- INO) को दी जाने वाली पर्यावरण संबंधी मंज़ूरी का समर्थन किया है।

नोट :

पृष्ठभूमि

- मार्च, 2018 में पर्यावरण और वन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति ने इस परियोजना को मंज़ूरी दी थी लेकिन विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा दी गई मंज़ूरी को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि परियोजना के नियमों और वर्गीकरण के अनुसार, इस परियोजना का आकलन तमिलनाडु के राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (State Environment Impact Assessment Authority -SEIAA) द्वारा किया जाना चाहिये था न कि पर्यावरण और वन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा।
- लेकिन संयोगवश, SEIAA ने परियोजना का आकलन करने से इनकार कर दिया तथा इसे पर्यावरण और वन मंत्रालय की विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति को संदर्भित कर दिया।
- हाल ही में NGT ने विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा की गई इस परियोजना के पर्यावरणीय आकलन को सही ठहराते हुए याचिका को ख़ारिज कर दिया।
- यह दूसरी बार है जब INO का मामला राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के समक्ष पहुँचा इससे पहले NGT की चेन्नई खंडपीठ ने 2011 में दी गई पर्यावरण मंज़ूरी को इसलिये निलंबित कर दिया था क्योंकि यह परियोजना इडुक्की जिले के मथिकेत्तन शोला नेशनल पार्क के 5 किमी. के क्षेत्र के अंतर्गत आती थी और उस समय राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड के समक्ष मंज़ूरी के लिये कोई आवेदन नहीं किया गया था। तब NGT ने परियोजना को राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड के अनुमोदन के साथ पर्यावरण मंज़ूरी लेने का निर्देश दिया था।

INO क्या है?

- भारत स्थित न्यूट्रीनो वेधशाला (INO) एक बड़ी वैज्ञानिक परियोजना है।
- इसका उद्देश्य न्यूट्रीनो नामक कणों का अध्ययन करना है। न्यूट्रीनो मूल कण होते हैं जिनका सूर्य, तारों एवं वायुमंडल में प्राकृतिक रुप से निर्माण होता है।
- INO की योजना न्यूट्रीनो भौतिकी के क्षेत्र में प्रयोगों के लिये छात्रों को विश्व स्तरीय अनुसंधान सुविधा प्रदान करने की है।
- INO परियोजना के लाभ
- INO परियोजना से वैज्ञानिक मानवशक्ति में वृद्धि होगी जिससे संपूर्ण देश को लाभ होगा।
- INO ने आवश्यकता के अनुसार अपनी डिज़ाइन व विकास के लिये अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाया है। इससे ऐसी पीढ़ी सामने आएगी जो देश को तकनीकी रुप से अधिक मज़बूत बनाएगी।
- INO में प्रयुक्त संसूचकों (detectors) का चिकित्सीय प्रतिबिंबन जैसे क्षेत्रों में भी प्रयोग होता है। इस तरह की परियोजना से विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संपर्क बढ़ेगा व मानव जाति को लाभ होगा।

राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण

- पर्यावरण से संबंधित किसी भी कानूनी अधिकार के प्रवर्तन तथा व्यक्तियों एवं संपत्ति के नुकसान के लिये सहायता और क्षतिपूर्ति देने या उससे संबंधित या उससे जुड़े मामलों सहित, पर्यावरण संरक्षण एवं वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्रगामी निपटारे के लिये राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के अंतर्गत 18.10.2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई।
- यह एक विशिष्ट निकाय है जो बहु-अनुशासनात्मक समस्याओं वाले पर्यावरणीय विवादों के निपटान के लिये आवश्यक विशेषज्ञता द्वारा सुसज्जित है।
- अधिकरण, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया द्वारा बाध्य नहीं है, लेकिन इसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित किया जाता है।

नोट :

होप आइलैंड (Hope Island)

चर्चा में क्यों ?

एक लंबे अंतराल के बाद कोरिंगा वन्यजीव अभयारण्य (Coringa Wildlife Sanctuary) के होप आइलैंड में ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्षी दिखाई दिया है। शीतकाल की शुरुआत होते ही देश के विभिन्न क्षेत्रों में प्रवासी पक्षियों का आगमन शुरू हो जाता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है, जो सदियों से चली आ रही है। लेकिन इधर हाल ही में देश में प्रदूषण और इनकी राह असुरक्षित होने के कारण इनकी संख्या में कमी आई है।

पृष्ठभूमि

- विश्व में लगभग 13 हज़ार से अधिक प्रजातियों के पक्षी पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 1300 प्रजातियाँ हमारे देश में पाई जाती हैं।
- इन पक्षियों के जीवन का एक महत्त्वपूर्ण पक्ष है स्थलांतरण अर्थात् प्रवासन, लेकिन इस विषय में लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं है।
- हज़ारों-लाखों विदेशी पक्षी लंबी उड़ान भरकर प्रतिवर्ष शीतकाल में हमारे देश के विभिन्न भागों में आते हैं और मार्च के अंत में गर्मी का मौसम शुरू होने पर वापस अपने देश चले जाते हैं।

कैसे पता चलता है प्रवासन का समय ?

- पक्षी बदलते मौसम की पहचान आकाश में सूर्य से आने वाले प्रकाश की मात्रा और दैनिक प्रकाश की राशि के आधार पर करते हैं।
- ऐसे में जब वे महसूस करते हैं कि प्रवास का समय आ गया है तो वे अपनी लंबी यात्रा प्रारंभ कर देते हैं। प्रवास का सही समय निर्धारित करने में उपलब्ध भोजन की आपूर्ति, खराब मौसम या तूफान, हवा का तापमान और उसका पैटर्न जैसे कारकों की भूमिका अहम् होती है।
- प्रवास की यात्रा के दौरान पक्षी अपनी यात्रा को सुरक्षित बनाने के अपने व्यवहार में भी परिवर्तन करते हैं।

क्यों करते हैं प्रवासन ?

- तापमान और खाद्यान्न की उपलब्धता पक्षी प्रवास के प्रमुख कारणों में से हैं। सर्दियों में पूर्वी यूरोप तथा यूरेशिया के देशों में भयंकर ठंड पड़ती है और बर्फीले क्षेत्रों में खाद्यान्न की उपलब्धता भी कम हो जाती है।
- ऐसे में उस क्षेत्र से लाखों-करोड़ों पक्षी प्रतिवर्ष अपेक्षाकृत कम ठंडे देशों (अधिकांशत: अफ्रीकी देश) की ओर उड़ चलते हैं। वैसे तो यह प्रवास अधिकांशत: शीतकाल में होता है, लेकिन कमोबेश इसे गर्मियों तथा मानसून के समय भी देखा जा सकता है।
- उत्तर और दक्षिण ध्रुवों पर रहने वाले लगभग 50% पक्षी शीतकाल में अपना ठिकाना छोड़कर सुरक्षित ठिकाने की तलाश में उड़ जाते हैं और सर्दियाँ समाप्त होते ही ये अपने मूल स्थानों की ओर लौट जाते हैं।

ग्रेटर फ्लेमिंगो

- यह गुजरात का राज्य पक्षी है। ग्रेटर फ्लेमिंगो सभी प्रकार के फ्लेमिंगो में आकार में सबसे बड़ा होता है।
- ग्रेटर फ्लेमिंगो अफ्रीका के विभिन्न क्षेत्रों, एशिया के दक्षिण-पूर्वी हिस्सों के साथ-साथ दक्षिणी यूरोप में भी पाए जाते हैं। एशियाई क्षेत्र में यह भारत और पाकिस्तान के तटीय क्षेत्रों में पाया जाता है।
- ये क्षारीय और नमकीन झीलों में वास करते है।
- यह प्रजाति मॉलस्क (mollusks), क्रस्टेसियन (crustaceans), कीड़े, केकड़ों और छोटी मछलियों का सेवन करती है। इनके आहार में विभिन्न पौधे जैसे-शैवाल आदि भी शामिल है।
- ये तटीय आर्द्रभूमि में पाई जाने वाली ब्राइन श्रिंप और शैवाल के सेवन से विशेष गुलाबी रंग प्राप्त करते हैं। फ्लेमिंगो एक स्वस्थ तटीय पर्यावरण के संकेतक है।

कोरिंग वन्य जीवन अभ्यारण्य

- यह भारत में पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र है। यह आंध्रप्रदेश में अवस्थित है।
- यहाँ मैंग्रोव की कुल 24 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इन प्रजातियों में 94 प्रवासी पक्षियों सहित पक्षियों की कुल 266 प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

नोट :

ओज़ोन परत में सुधार (ozone layer is recovering)

संदर्भ

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किये गए एक अध्ययन में पता चला है कि क्षतिग्रस्त ओज़ोन परत में प्रति दशक 1 से 3 प्रतिशत की दर से सुधार हो रहा है। गौरतलब है कि कैंसर पैदा करने वाली खतरनाक सौर किरणों से ओज़ोन परत रक्षा करती है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की चार-वर्षीय समीक्षा के दौरान ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों में कमी तथा परिणामस्वरूप ओज़ोन परत में सुधार पाया गया।
- अंटार्कटिक ओज़ोन होल की घटना अब भी जारी है परंतु इसमें लगातार सुधार भी हो रहा है।
- मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाए जाने के परिणामस्वरूप ही हम वर्तमान में ओज़ोन परत क्षरण की भयावहता से बचने में सफल हो पाए हैं।

अंटार्कटिक ओज़ोन होल

- यह उम्मीद की जाती रही है कि 2060 तक अंटार्कटिक ओज़ोन होल में पूर्ण सुधार हो जाएगा।
- अध्ययनकर्त्ताओं द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अनुसार, वर्ष 2000 के बाद से क्षतिग्रस्त ओज़ोन परत में प्रति दशक 1 से 3 प्रतिशत की दर से सुधार हो रहा है।
- उक्त अनुमानित दर से उत्तरी गोलार्द्ध और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में 2030 तक, दक्षिणी गोलार्द्ध क्षेत्रों में 2050 तक और ध्रुवीय क्षेत्रों में 2060 तक ओज़ोन परत में पूर्ण सुधार हो जाएगा।
- पूरे विश्व में मीटरडोज़ इनहेलर (MDI) को छोड़कर बाकी सभी प्रकार के उत्पादों में क्लोरोफ्लोरो कार्बन (जिसका रेफ्रीजरेटर में उपयोग होता था), कार्बन टेट्रा क्लोराइड, हैलोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- इसके बाद से ही अंटार्कटिक ओज़ोन होल, आकार तथा गहराई दोनों में कम हो रहा है।
- हालाँकि ओज़ोन परत को क्षति पहुँचाने वाले सभी प्रकार के पदार्थों को प्रतिबंधित कर दिया गया है लेकिन फिर भी समय-समय पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के उलंघन की खबरें आती रहती हैं जिसमें पूर्वी एशिया में CFC-11 के उत्पादन तथा उत्सर्जन की खबरें भी शामिल हैं।

मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल

ओज़ोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले विभिन्न पदार्थों के उत्पादन तथा उपभोग पर नियंत्रण के उद्देश्य के साथ विश्व के कई देशों ने 16 सितंबर, 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किये थे। जिसे आज विश्व का सबसे सफल प्रोटोकॉल माना जाता है। गौरतलब है कि इस प्रोटोकॉल पर विश्व के 197 पक्षकारों ने हस्ताक्षर किये हैं। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत तीन पैनल आते हैं-

- वैज्ञानिक आकलन पैनल।
- प्रौद्योगिकी और आर्थिक आकलन पैनल।
- पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पैनल।

ड्रिंकिंग वाटर एटीएम (drinking water ATM)

संदर्भ

पूरे भारत में हज़ारों समुदायों के लिये पीने का पानी प्राप्त करने की प्रक्रिया अब एटीएम से नकदी पाने की प्रक्रिया के समान ही है। उल्लेखनीय है कि देश में अभी भी 82 करोड़ लोग जिनकी पाइप के पानी तक पहुँच नहीं है और देश में उपलब्ध कुल पीने योग्य पानी का 70 प्रतिशत, प्रदूषकों की मौजूदगी के कारण दूषित हो चुका है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- सुरक्षित पेयजल की चुनौती को देखते हुए सरकार वैकल्पिक समाधान के रूप में सरकार एटीएम तथा जल शुद्धिकरण यंत्र जैसे छोटे जल उद्यमों को तेज़ी से मान्यता दे रही है।

नोट :

- सेफ वॉटर नेटवर्क (SWN) द्वारा जारी एक नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को लगभग 37 करोड़ लोगों को सुरक्षित पेयजल प्रदान करने के लिये 2.2 लाख छोटे जल उद्यमों पर 44,000 करोड़ रुपए खर्च करने की आवश्यकता है।
- इनमें से अधिकांश शहर के झुग्गी-झोपड़ियों वाले क्षेत्र (जहाँ पाइप का पानी उपलब्ध कराने के लिये बुनियादी ढाँचे का विकास करना मुश्किल है) और दूषित जल स्रोतों वाले ग्रामीण क्षेत्र हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि इस तरह के उद्यमों को स्थापित करने में पाइप का पानी उपलब्ध कराने वाले ढाँचे का मात्र एक छोटा सा हिस्सा खर्च करना पड़ता है, साथ ही नीति परिवर्तन और कम से कम दोगुनी टैरिफ की ज़रूरत होती है ताकि सुरक्षित जल अंतराल को कम करने में मदद मिल सके।
- भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (Comptroller and Auditor General of India -CAG) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, ग्रामीण आबादी में से केवल 18% लोगों की पहुँच पाइप द्वारा उपलब्ध पीने योग्य पानी तक है जिसका तात्पर्य यह है कि वर्ष 2017 तक 50% लोगों को पीने का सुरक्षित पानी मुहैया कराने में हम विफल रहे हैं।

70% पेयजल है दूषित

पृथ्वी आयोग के अनुसार, जल गुणवत्ता सूचकांक में भारत 122 देशों में से 120वें स्थान पर है। सूचकांक के अनुसार, देश का 70% जल दूषित हो चुका है।

क्या है वाटर एटीएम ?

बहुत से लोग जो RO (reverse osmosis system) का खर्च वहन कर सकते हैं वे पानी को शुद्ध करने के लिये इसे खरीदते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिये RO का खर्च वहन कर पाना संभव नहीं है। सामुदायिक शुद्धिकरण प्लांट स्थानीय स्तर पर जल शोधन का कार्य करते हैं। वाटर एटीएम, एक वितरण प्रणाली है जो सिक्का, स्मार्ट कार्ड या मैनुअल के माध्यम से संचालित हो सकता है। अनिवार्य रूप से यह कहा जा सकता है कि वाटर एटीएम एक सामुदायिक RO है।

आगे की राह

- SWN के मुताबिक, सामुदायिक जलशोधन संयंत्रों की संख्या वर्ष 2014 में 12,000 थी जो 2018 में बढ़कर लगभग 50,000 हो गई है, क्योंकि उन्हें सरकारी नियोजन में शामिल किया गया है।
- सरकारी आँकड़ों के अनुसार, 2030 तक सरकार के 'हर घर जल' के अंतर्गत 100% पाइप वाले पानी के लक्ष्य तक पहुँचने के लिये बुनियादी ढाँचे में लगभग 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता होगी।
- SWN का अनुमान है कि यदि सरकार पानी के लिये छोटे उद्यमों पर उस राशि का 10% से कम खर्च करने को तैयार है तो यह लागत के एक अंश पर सुरक्षित पेयजल प्रदान कर सकती है।

सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश (First country to ban sunscreen)

संदर्भ

वैज्ञानिकों का मानना है कि सनस्क्रीन में मौजूद रसायन प्रवाल भित्तियों (coral reefs) को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाते हैं। वैज्ञानिकों के इस अध्ययन का अनुसरण करते हुए पश्चिमी प्रशांत के देश पलाऊ ने सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया है और ऐसा करने वाला वह पहला देश बन गया है।

प्रमुख बिंदु

- यह प्रतिबंध वर्ष 2020 से प्रभावी होगा। इस प्रतिबंध के अंतर्गत देश में प्रवेश करने वाले पर्यटकों के पास यदि सनस्क्रीन है तो उसे ज़ब्त कर लिया जाएगा और यदि कोई खुदरा विक्रेता इसे बेचता है तो उस पर 1,000 डॉलर तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
- हालाँकि जलवायु परिवर्तन से दुनिया भर की प्रवाल भित्तियों को नुकसान पहुँचा है लेकिन इस बात के पर्याप्त साक्ष्य हैं कि सनस्क्रीन में निहित रसायन, जो अलग-अलग माध्यम से महासागर में प्रवेश करते हैं, भी प्रवाल भित्तियों को बहुत अधिक नुकसान पहुँचाते हैं।
- पलाऊ के राष्ट्रपति के अनुसार, यह एक सही समय पर लिया गया फैसला है। इस फैसले के पीछे प्रमुख कारक 2017 में प्रकाशित एक रिपोर्ट थी जिसमें देश की यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में से एक जेलीफ़िश झील में सनस्क्रीन उत्पादों को व्यापक रूप से पाया गया था।

नोट :

प्रवाल भित्तियों पर सनस्क्रीन का प्रभाव

- यह अनुमान लगाया गया है कि हर साल दुनिया के महासागरों में 14,000 टन सनस्क्रीन महासागरों में समाहित हो जाता है।
- ऑस्ट्रेलिया में क्वींसलैंड विश्वविद्यालय के शोधकर्त्ताओं के अनुसार, पानी में सनस्क्रीन की कम सांद्रता भी युवा प्रवाल के विकास को बाधित कर सकती है।
- विभिन्न अध्ययनों से पता चला है कि सनस्क्रीन में रसायन स्थानीयकृत कोरल ब्लीचिंग का कारण बन सकते हैं और उनके हार्मोनल सिस्टम में हस्तक्षेप करके मछली प्रजनन को भी बाधित कर सकते हैं।
- 2015 के एक अध्ययन में पाया गया कि सनस्क्रीन में मौजूद ऑक्सीबेंज़ोन प्रवाल वृद्धि को रोकता है और यह भित्तियों के भीतर रहने वाले शैवाल के लिये ज़हरीला होता है।

पलाऊ के बारे में

- पलाऊ पश्चिमी प्रशांत महासागर में माइक्रोनेशिया क्षेत्र का हिस्सा है तथा 500 से अधिक द्वीपों का एक द्वीपसमूह है।
- कोरोर द्वीप जिसे कोरोर के नाम से भी जाना जाता है, देश की पूर्व राजधानी है और द्वीपों का वाणिज्यिक केंद्र है।
- इसकी वर्तमान राजधानी बाबेल्डाओब (Babeldaob) है।

नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क (Nandankanan Zoological Park)

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने ओडिशा के सतकोसिया टाइगर रिज़र्व से पकड़ी गई बाघिन को नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क में स्थानांतरित करने के कदम का विरोध किया है।

राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति, 1998 के अनुसार, अनुमोदित प्रजनन कार्यक्रम के लिये जानवरों को प्राप्त करने और इनब्रिड समूहों में नए खून के संचार को छोड़कर, कोई चिड़ियाघर जंगल से जानवरों का चयन नहीं करेगा।

नंदनकानन जूलॉजिकल पार्क

- नंदनकानन, जिसका शाब्दिक अर्थ है गार्डन ऑफ हेवन, ओडिशा के भुवनेश्वर के समीप अवस्थित है।
- देश में अन्य चिड़ियाघरों के विपरीत, नंदनकानन को जंगल के अंदर स्थापित किया गया है। यह एक पूरी तरह से प्राकृतिक वातावरण में स्थापित जूलॉजिकल पार्क है।
- यह सफेद पीठ वाले गिद्ध (White-backed vulture) के संरक्षित प्रजनन के लिये चयनित छः प्रमुख चिड़ियाघरों में से एक है।

इस पार्क की विशेषताएँ

- सफेद बाघ और मेलेनिस्टिक टाइगर की ब्रीडिंग वाला दुनिया का पहला चिड़ियाघर।
- व्हाइट टाइगर बंगाल टाइगर का एक दुर्लभ रूप है जिसमें एक अद्वितीय (अवशिष्ट) जीन होता है जो इसे सफेद रंग प्रदान करता है। सफेद बाघ, बाघ की कोई उप-विशिष्ट प्रजाति नहीं होती है। दो बंगाल टाइगर, जिनमें एक अवशिष्ट जीन होता है (वैसा जीन, जो इनकी त्वचा के रंग को प्रभावित करता है), के अंतर्संबंध से सफेद बाघ का जनम होता है।
- मेलेनिस्टिक टाइगर काला धारीदार होता है, इसे यह रंग इसके आनुवंशिक कारणों से मिलता है। शरीर में मेलेनिन वर्णक के विकास के कारण इनके शरीर पर काली धारियाँ बन जाती है। मेलेनिस्टिक टाइगर दुर्लभ प्रजाति है।
- दुनिया में भारतीय पांगोलिन का एकमात्र संरक्षित प्रजनन केंद्र।
- यह भारत का एकमात्र जूलॉजिकल पार्क है जो वाज़ा (World Association of Zoos and Aquarium - WAZA) का संस्थागत सदस्य बना है।
- वर्ष 1980 में विश्व में पहली बार नंदानकानन जूलॉजिकल पार्क में घडियालों का संरक्षित प्रजनन कराया गया।
- यह भारत का पहला चिड़ियाघर है, जहाँ लुप्तप्राय रटेल का संरक्षित प्रजनन हुआ।

नोट :

केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (Central Zoo Authority)

- केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, एक सांविधिक निकाय (statutory body) है जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में जानवरों के रख-रखाव और स्वास्थ्य देखभाल के लिए न्यूनतम मानकों तथा मानदंडों को लागू करना है।
- चिड़ियाघरों को वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अनुसार विनियमित तथा राष्ट्रीय चिड़ियाघर नीति, 1992 द्वारा निर्देशित किया जाता हैं। 1991 में केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण स्थापित करने के लिये वन्य जीवन संरक्षण को संशोधित किया गया था।

'वैश्विक शीतलन नवाचार' शिखर सम्मेलन (Global Cooling Innovation Summit)

चर्चा में क्यों ?

12 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में दो दिवसीय वैश्विक शीतलन नवाचार (Global Cooling Innovation) शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- यह शिखर सम्मेलन अपनी तरह का समाधान (solution) केंद्रित ऐसा प्रथम आयोजन है, जिसमें विश्व भर के विशेषज्ञ एकजुट होकर रूम एयर कंडीशनरों की बढ़ती मांग के कारण जलवायु को हो रहे भारी नुकसान से निपटने के लिये ठोस उपायों की तलाश करेंगे।
- यह सम्मेलन भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, एलायंस फॉर एन एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी (AEEE), कंजर्वेशन X लैब्स और CEPT विश्वविद्यालय के सहयोग से संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा।
- इस शिखर सम्मेलन के दौरान 'ग्लोबल कूलिंग पुरस्कार' की शुरुआत की जाएगी, जो एक मिशन नवाचार से जुड़ा चैलेंज है और जिसका उद्देश्य ऐसे आवासीय शीतलन (कूलिंग) सॉल्यूशन के विकास में तेजी लाना है, जिसका जलवायु पर मौजूदा मानक सॉल्यूशन की तुलना में न्यूनतम पाँचवाँ हिस्सा असर ही पड़ेगा।
- वैश्विक शीतलन पुरस्कार एवं नवाचार शिखर सम्मेलन में विश्व भर के प्रतिष्ठित वक्ता भाग लेंगे, जिनमें अन्वेषक, परोपकारी, उद्यम पूंजीपति और अन्य औद्योगिक हस्तियां शामिल हैं।

ग्लोबल कूलिंग पुरस्कार

- 'ग्लोबल कूलिंग पुरस्कार' वैश्विक पहुँच एवं भागीदारी वाली एक प्रतिस्पर्द्धा है, जिसका उद्देश्य एक ऐसी शीतलन प्रौद्योगिकी को विकसित करना है, जिसे परिचालन में लाने के लिये अत्यंत कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें प्रशीतकों (refrigerant) का इस्तेमाल होगा एवं ओजोन का क्षय नहीं होगा तथा इससे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव भी कम होगा। यही नहीं, बड़े पैमाने पर निर्माण करने की स्थिति में संबंधित उपकरण किफायती भी होगा।
- इस पुरस्कार कार्यक्रम के लिये विश्व भर से उल्लेखनीय विचार आमंत्रित करने के लिये पूरी दुनिया का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाएगा।
- इस पुरस्कार के जरिए अभिनव उत्पाद पेश करने वालों का अभिनंदन किया जाएगा और इसके साथ ही उन्हें आवश्यक प्रोत्साहन एवं सहयोग भी दिया जाएगा।
- यह पुरस्कार एक ऐसा सहयोगात्मक प्लेटफॉर्म बनाने में भी सक्षम साबित होगा, जो अनुसंधानकर्ताओं की क्षमताओं का उपयोग कर सकेगा ताकि नवाचार को बढ़ावा देने में सार्वजनिक अनुसंधान उल्लेखनीय योगदान दे सके तथा सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से इसका सकारात्मक असर हो।
- इस पुरस्कार के जरिए न केवल स्वच्छ ऊर्जा से जुड़े अनुसंधान एवं विकास में अहम योगदान देने वालों का अभिनंदन किया जाएगा, बल्कि इससे युवा अनुसंधानकर्त्ताओं को स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में अभिनव उत्पादों को विकसित करने के लिये प्रेरित भी किया जाएगा, ताकि स्वच्छ पर्यावरण या जलवायु की दृष्टि से यह दुनिया और बेहतर हो सके।

नोट :

ऊर्जा सक्षमता और भारत (INSPIRE, 2018)

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में विद्युत मंत्री ने INSPIRE, 2018 का उद्घाटन किया और साथ ही # Innovate TOINSPIRE Challenge के विजेताओं को अवार्ड भी प्रदान किया।

क्या है INSPIRE, 2018

- INSPIRE : International Symposium to Promote Innovation & Research in Energy Efficiency
- तीन दिन तक चलने वाली यह विचार संगोष्ठी भारत में ऊर्जा सक्षमता के लिये ग्रिड-प्रबंधन, ई-मोबिलिटी, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को बढ़ावा देने पर केंद्रित रहेगी।
- INSPIRE का यह दूसरा संस्करण था जिसे Energy Efficiency Services Limited (EESL) और World Bank के द्वारा आयोजित किया गया था।
- INSPIRE एक ऊर्जा सक्षम आयोजन है जो नीति निर्माताओं, प्रभावशाली व्यक्तियों, विचारक, अनुसंधानकर्त्ता, अग्रणी ऊर्जा कुशल कंपनियों, सरकारी एजेंसियों, व्यापारिक नेता और अन्य हितधारकों को एक साथ लाता है। ये सभी ऊर्जा सक्षमता की पूर्ण क्षमताओं का लाभ उठाने के लिये प्रमुख ऊर्जा नीतियों, बाज़ार परिवर्तन रणनीतियों एवं धारणीय बिज़नेस मॉडल्स पर अपने विचार रखते हैं।
- INSPIRE 2018 को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफीसिएंसी (BEE), द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट (TERI), एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB), द यूनाइटेड नेशंस एन्वायरमेंट प्रोग्राम (UNEP), द एडमीनिस्ट्रेटिव स्टॉफ कॉलेज ऑफ इंडिया (ASCI) के सहयोग से आयोजित किया गया था।
- #Innovate TOINSPIRE अपनी तरह की प्रथम ऊर्जा नवाचार चुनौती (Energy Innovation Challenge) है जिसे EESL (Energy Efficiency Services Limited) और WRI (World Resources Institute) द्वारा 21 अगस्त से 12 अक्तूबर, 2018 के बीच आयोजित किया गया था।
- #Innovate TOINSPIRE के साथ ही, इसके एक भाग के रूप में स्वच्छ ऊर्जा और ऊर्जा सक्षमता में 4 अग्रणी नवाचारों को अवार्ड भी प्रदान किये गए। 'इनोवेशन चैलेन्ज' ऊर्जा सक्षमता को बढ़ावा देने के लिये एक बेहतरीन विचार माना गया।
- INSPIRE, 2018 के दौरान, EESL और GAIL (गेल इंडिया लिमिटेड की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी) ने भारत में कर्मिशयल और इंडस्ट्रीयल क्षेत्र में प्राकृतिक गैस आधारित कोजेनेरेशन और ट्राईजेनेरशन प्रोजेक्ट्स के विकास के लिये एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किये।
- इस समझौता ज्ञापन से विभिन्न उद्योगों यथा- होटल, हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, कमर्शियल मॉल, कामर्शियल/गवर्नमेंट बिल्डिंग्स, इंटीग्रेटेड रेजीडेंसियल काम्प्लेक्स, एजुकेशन से इंस्टीट्यूशन्स और डाटा सेंटर को लाभ होगा।
- नए, नवाचारी, मापनीय बिज़नेस मॉडल्स में निवेश को समर्थन देने के लिये EESL और Asian Development Bank (ADB) ने 13 मिलियन अमेरिकी डॉलर के GFF के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं ताकि एक EERF (Energy Efficiency Revolving Fund) की स्थापना की जा सके।
- EERF का उद्देश्य है, भारत में ऊर्जा दक्षता बाज़ार में निवेश का विस्तार करना और उसे बनाए रखना, साथ ही बाज़ार विविधीकरण का निर्माण करना और वर्तमान प्रौद्योगिकियों को बढ़ाना देना।

क्या है EESL ?

- EESL, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासन के अधीन ऊर्जा सक्षमता को मुख्यधारा में लाने के लिये कार्य कर रहा है और देश में विश्व के सबसे बड़े एनर्जी एफीशियंसी पोर्टफालियो का क्रियान्वयन कर रहा है।
- EESL के मिशन अधिक सक्षम, ज़्यादा पारदर्शी, ज़्यादा रूपांतरण एवं ज़्यादा नवाचार के साथ ही इसका उद्देश्य है भविष्य के लिये तैयार रूपांतरित समाधान हेतु बाज़ार तक पहुँच का निर्माण करना ताकि प्रत्येक हितधारक को लाभ की स्थिति प्राप्त हो।

नोट :

- 2020 तक EESL, 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर की कंपनी बनना चाहता है।
- EESL ने कई अभिनव व्यावसायिक दृष्टिकोण पेश किये हैं ताकि बड़े पैमाने पर कार्यक्रमों का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन किया जा सके जिससे मूल्य श्रृंखला (Value Chain) में प्रोत्साहन हेतु अनुमति मिले और परिवर्तनीय प्रभाव में तेज़ी आए।
- EESL का उद्देश्य पोर्टफोलियो के विविधीकरण के लिये नए विदेशी बाज़ार अवसरों का पता लगाना भी है।
- इस समय तक EESL ने यूनाटेड किंग्डम, दक्षिण एशिया और साउथ-ईस्ट एशिया में संचालन शुरू कर दिया है।

आयोजन की आवश्यकता क्यों ?

- ऊर्जा सक्षमता (Energy Efficiency) पर्यावरण को बचाता है और बिजनेस को ज्यादा प्रतियोगी बनाता है।
- भारत को ऐसे संवृद्धि की आवश्यकता है जो ज़िम्मेवार तरीके से प्राप्त की गई हो।
- ऊर्जा सक्षमता के क्षेत्र में नवाचार हमारे देश के हरितगृह गैसों के लक्ष्य को पूरा करने के संदर्भ में महत्त्वपूर्ण है।

बन्नेरघट्टा पार्क के इको-सेंसिटिव ज़ोन में कमी
(Bannerghatta Park's Eco-Sensitive Zone Reduced)

चर्चा में क्यों ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के लिये एक नई अधिसूचना जारी की है। नई अधिसूचना के तहत बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के इको-सेंसिटिव ज़ोन में कमी की गई है।

प्रमुख बिंदु

- बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के लिये पहली अधिसूचना लगभग ढाई साल पहले जारी की गई थी जिसमें नेशनल पार्क के 268.96 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदी क्षेत्र या इको-सेंसिटिव ज़ोन (Eco-Sensitive Zones- ESZs) घोषित किया गया था।
- नवीनतम अधिसूचना में पार्क के इको-सेंसिटिव ज़ोन को घटाकर 169 वर्ग किमी. कर दिया गया है।
- इको-सेंसिटिव ज़ोन जो जंगल को नुकसान पहुँचाने वाली कुछ निश्चित गतिविधियों को नियंत्रित और प्रतिबंधित करता है, में कमी तेज़ी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहे बंगलूरू शहर के आस-पास खनन तथा वाणिज्यिक विकास के लिये और अधिक क्षेत्र उपलब्ध करा सकता है।
- वह क्षेत्र जहाँ ESZ में बहुत अधिक कमी की गई है, वहाँ या तो खनन किया जा रहा है या वे संभावित खनन क्षेत्र हैं। ESZ में कमी के चलते लाभ प्राप्त करने वाला एक अन्य क्षेत्र रियल एस्टेट भी है क्योंकि अब बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क के निकटवर्ती राजमार्गों के आस-पास की ज़मीन पर्यावरणीय बाधाओं से मुक्त हो गई है।

क्या है इको-सेंसिटिव ज़ोन ?

- इको-सेंसिटिव ज़ोन या पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किसी संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य के आसपास के अधिसूचित क्षेत्र हैं।
- इको-सेंसिटिव ज़ोन में होने वाली गतिविधियाँ 1986 के पर्यावरण (संरक्षण अधिनियम) के तहत विनियमित होती हैं और ऐसे क्षेत्रों में प्रदूषणकारी उद्योग लगाने या खनन करने की अनुमति नहीं होती है।
- सामान्य सिद्धांतों के अनुसार, इको-सेंसिटिव ज़ोन का विस्तार किसी संरक्षित क्षेत्र के आसपास 10 किमी. तक के दायरे में हो सकता है। लेकिन संवेदनशील गलियारे, कनेक्टिविटी और पारिस्थितिक रूप से महत्त्वपूर्ण खंडों एवं प्राकृतिक संयोजन के लिये महत्त्वपूर्ण क्षेत्र होने की स्थिति में 10 किमी. से भी अधिक क्षेत्र को इको-सेंसिटिव ज़ोन में शामिल किया जा सकता है।
- राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आस-पास इको-सेंसिटिव ज़ोन के लिये घोषित दिशा-निर्देशों के तहत निषिद्ध उद्योगों को इन क्षेत्रों में काम करने की अनुमति नहीं है।
- ये दिशा-निर्देश वाणिज्यिक खनन, जलाने योग्य लकड़ी के वाणिज्यिक उपयोग और प्रमुख जल-विद्युत परियोजनाओं जैसी गतिविधियों को प्रतिबंधित करते हैं।

नोट :

- कुछ गतिविधियों जैसे कि पेड़ गिराना, भूजल दोहन, होटल और रिसॉर्ट्स की स्थापना सहित प्राकृतिक जल संसाधनों का वाणिज्यिक उपयोग आदि को इन क्षेत्रों में नियंत्रित किया जाता है।
- मूल उद्देश्य राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों के आसपास कुछ गतिविधियों को नियंत्रित करना है ताकि संरक्षित क्षेत्रों की निकटवर्ती संवेदनशील पारिस्थितिक तंत्र पर ऐसी गतिविधियों के नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके।

पर्यावरण संवेदी क्षेत्र का महत्त्व

- औद्योगीकरण, शहरीकरण और विकास की अन्य पहलों के दौरान भू-परिदृश्य में बहुत से परिवर्तन होते हैं जो कभी-कभी भूकंप, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाओं का कारण बन सकते हैं।
- विशिष्ट पौधों, जानवरों, भू-भागों वाले कुछ क्षेत्र/क्षेत्रों को संरक्षित करने के लिये सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य आदि के रूप में घोषित किया है।
- उपरोक्त के अलावा, शहरीकरण और अन्य विकास गतिविधियों के प्रभाव को कम करने के लिये ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के निकटवर्ती क्षेत्रों को इको-सेंसिटिव ज़ोन घोषित किया गया है।
- राष्ट्रीय वन्यजीव कार्य-योजना (National Wildlife Action Plan- NWAP) 2017-2031 जैव विविधता वाले खंडों के पृथक्करण/विनाश को रोकने के लिये संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के बाहर के क्षेत्रों को सुरक्षित रखने प्रयास करती है।
- इको-सेंसिटिव ज़ोन (ESZ) घोषित करने का उद्देश्य संरक्षित क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों की गतिविधियों को विनियमित और प्रबंधित करके संभावित जोखिम को कम करना है।

बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क

- बंगलूरू, कर्नाटक के पास बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1970 में की गई थी और 1974 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था।
- 2002 में उद्यान का एक हिस्सा, जैविक रिज़र्व बन गया जिसे बन्नेरघट्टा जैविक उद्यान कहा जाता है।
- यह एक चिड़ियाघर, एक पालतू जानवरों का कार्नर, एक पशु बचाव केंद्र, एक तितली संलग्नक, एक मछलीघर, एक सांपघर और एक सफारी पार्क के साथ ही एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है।
- कर्नाटक का चिड़ियाघर प्राधिकरण, कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, बंगलूरू और अशोक ट्रस्ट फॉर रिसर्च इन इकोलॉजी एंड एन्वायरमेंट (ATREE), बंगलूरू इसकी सहयोगी एजेंसियाँ हैं।

संरक्षण हेतु पक्षियों का चुनाव (selection of Birds for conservation)

संदर्भ

ट्रेंड के तौर पर महाराष्ट्र के कुछ शहरों में लोगों ने पक्षियों को आइकॉन के रूप में चुनना शुरू किया है ताकि उन्हें संरक्षित करने हेतु उचित कदम उठाया जा सके। इस प्रकार पूरे शहर द्वारा सबसे ज़्यादा पसंद किया गया पक्षी उस शहर का प्रतिनिधित्व करेगा।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- 54 दिनों के अथक अभियान के बाद इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस के मौके पर महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में वर्धा के लोगों ने नीलपंख या इंडियन रोलर को अपने शहर का आइकॉन चुना।
- चयन की प्रक्रिया बहर नेचर फाउंडेशन और वर्धा नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी जिसे मतदान द्वारा संपन्न किया गया।
- यहाँ तक कि वर्धा से बाहर रहने वाले 3,621 प्रवासियों द्वारा ऑनलाइन मतदान भी किया गया था।

इस दावेदारी हेतु अन्य पक्षी इस प्रकार हैं-

- श्वेतकण्ठ कौड़िल्ला (White-Throated Kingfisher)
- ब्लैक-विंग काइट (The Black-Winged Kite)

नोट :

- स्पॉटेड आउलेट (The Spotted Owlet)
- कॉपरस्मिथ बार्बेट (the coppersmith barbet)

- कुल मिलाकर 51,267 मत डाले गए थे जिसमें से 29,865 मतों के साथ नीलपंख स्पष्ट रूप से विजेता रहा। श्वेतकण्ठ को 6,950 मत, ब्लैक-विंग काइट को 4,886 मत, जबकि स्पॉटेड आउलेट और कॉपरस्मिथ बार्बेट दोनों में प्रत्येक को 4,805 मत मिले।
- प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी और वन्यजीवन संरक्षणवादी मारुती चितम्पल्ली ने विजेता की घोषणा की।
- शहर का बर्ड आइकॉन चुनने वाला वर्धा महाराष्ट्र का दूसरा, जबकि विदर्भ क्षेत्र में पहला शहर है।
- सबसे पहले कोंकण के सतवंतवाड़ी शहर ने दो साल पहले अपना बर्ड आइकॉन चुना था।
- महाराष्ट्र के अन्य शहर जैसे-जलगाँव और उमरखेड़ भी इसी राह पर आगे बढ़ रहे हैं।
- इस नए प्रयोग ने प्रकृति, पक्षियों और उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि पैदा की है।
- अद्वितीय चुनाव, वाल पेंटिंग, पक्षी विहार, फोटो प्रदर्शनी, साइकिल रैली और 'नो योर सिटी बर्ड्स' जैसे अनूठे कार्यक्रमों के माध्यम से जोर-शोर से प्रचार प्रसार किया गया था।
- वर्धा के सांसद, महापौर, कलेक्टर और शीर्ष पुलिस अधिकारियों ने भी इस कार्यक्रम को प्रोत्साहन दिया था।
- खास बात यह है कि शहर के सुविधाजनक स्थान पर नीलपंख पक्षी की एक मूर्ति स्थापित किये जाने का प्रस्ताव भी है।

निष्कर्ष

- भारत पक्षियों की सुरक्षा तथा संरक्षण की दिशा में आज भी दुनिया के कई देशों से बहुत पीछे है। जिस भूखंड का वातावरण तथा जलवायु जीवन के अनुकूल हो और वहाँ हरे-भरे पेड़ पौधे तथा वनस्पतियाँ पाई जाती हों, वहाँ पक्षियों के साथ-साथ अन्य जीव–जंतुओं का पाया जाना सुखद होता है। किसी भी क्षेत्र विशेष में पक्षियों और जीव–जंतुओं की उपस्थिति से वहाँ की जलवायु का ठीक-ठाक अनुमान लगाया जा सकता है।
- भारत जैसे देश में ऐसे नए प्रयासों का स्वागत किया जाना चाहिये तथा पक्षियों के संरक्षण हेतु शुरू किये गए इस प्रयोग को पूरे भारत में बढ़ावा दिया जाना चाहिये।

एसी यूनिट्स में वृद्धि से जलवायु को खतरा

एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में एयर कंडीशनिंग यूनिट्स (AC units) की संख्या जितनी तेज़ी से बढ़ रही है उससे वर्ष 2022 तक भारत में प्रयोग की जा रही एयर कंडीशनिंग यूनिट्स की संख्या पूरी दुनिया में उपयोग की जा रही एयर कंडीशनिंग यूनिट्स की संख्या का चौथाई हिस्सा हो सकती है तथा इसके चलते जलवायु को और अधिक खतरा हो सकता है।

प्रमुख बिंदु

- शीतलक (refrigerants) जिनका प्रयोग कूलिंग के लिये किया जाता है, ग्लोबल वार्मिंग के लिये प्रमुख कारकों में से एक है और यदि इन्हें नियंत्रित नहीं किया गया तो ये वैश्विक तापमान में 0.5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि कर सकते हैं।
- रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई 'सॉल्विंग द ग्लोबल कूलिंग चैलेंज' नामक रिपोर्ट के अनुसार, एक ऐसे तकनीकी समाधान की आवश्यकता है जो इस प्रभाव को 1/5 हिस्से तक कम करने में मदद करे और एयर कंडीशनिंग इकाइयों के संचालन के लिये आवश्यक बिजली की मात्रा में 75% तक कमी सुनिश्चित कर सके।
- रिपोर्ट के मुताबिक, उभरती अर्थव्यवस्थाओं में पाँच गुना वृद्धि के साथ-साथ वर्ष 2050 तक लगभग 50 बिलियन रूम एयर कंडीशनर लगाए जाने का अनुमान है जो वर्तमान में स्थापित यूनिट्स की संख्या का लगभग चार गुना होगा।
- एक तकनीकी समाधान न केवल बिजली ग्रिड पर पड़ने वाले बोझ को कम करेगा बल्कि 109 ट्रिलियन रुपए (1.5 ट्रिलियन डॉलर) की बचत करेगा।

हाइड्रोफ्लोरोकार्बन (HFCs) को हटाना

- भारत उन 107 देशों में से एक है जिन्होंने वर्ष 2016 में उस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे जिसका उद्देश्य वर्ष 2045 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन

नोट :

(HFC) नामक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस को काफी हद तक कम करना और वर्ष 2050 तक वैश्विक तापमान में होने वाली 0.5 डिग्री सेल्सियस की संभावित वृद्धि को रोकने के लिये कदम उठाना था।

- HFCs गैसों का एक परिवार है जिसका उपयोग मुख्यत: घरों और कारों में प्रयोग किये जाने वाले एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेंट्स के रूप में किया जाता है। HFCs ग्लोबल वार्मिंग में लगातार योगदान देती हैं। भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप HFCs के उपयोग में 2045 तक 85% तक कमी लाने के लिये प्रतिबद्ध हैं।

क्या प्रयास किये जा रहे हैं ?

- हाल ही में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग तथा ऊर्जा मंत्रालय समेत भारत में कई विभागों ने एक अमेरिकी संस्थान रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और प्रौद्योगिकी पर समाधान उपलब्ध कराने वाली कंपनी कंज़र्वेशन एक्स लैब्स के साथ साझेदारी की घोषणा की। इस साझेदारी के ज़रिये वैश्विक शीतलन पुरस्कार का गठन किया जाएगा जिसका उद्देश्य दुनिया भर की शोध प्रयोगशालाओं को अत्यधिक कुशल शीतलन प्रौद्योगिकियाँ विकसित करने हेतु प्रेरित करना है।
- दो साल की प्रतियोगिता अवधि के दौरान 21 करोड़ रुपए (3 मिलियन डॉलर) पुरस्कार के रूप में आवंटित किये जाएंगे। अंतिम सूची में शामिल 10 प्रतिस्पर्द्धी प्रौद्योगिकियों में से प्रत्येक प्रौद्योगिकी को उनके अभिनव आवासीय शीतलन प्रौद्योगिकी डिज़ाइनों और प्रोटोटाइप के विकास का समर्थन करने के लिये मध्यवर्ती पुरस्कारों के रूप में 1.4 करोड़ रुपए (2,00,000 डॉलर) तक की राशि प्रदान की जाएगी।

हड़प्पा सभ्यता और जलवायु परिवर्तन

संदर्भ

हाल ही में किये गए एक अध्ययन में यह खुलासा किया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने की वजह जलवायु परिवर्तन हो सकता है। अध्ययन के मुताबिक, लगभग 3000-4500 वर्ष पहले वायु तथा वर्षा के पैटर्न में बदलाव की वजह से तीक्ष्ण शीतकालीन मानसून का ह्रास होना शुरू हुआ होगा। सबसे पहले नमीयुक्त शीतकालीन मानसून ने शहरी हड़प्पाई समाज को ग्रामीण समाज में बदल दिया होगा, जिसके परिणामस्वरूप हड़प्पा वासियों ने घाटी से हिमालय के मैदानी क्षेत्रों में पलायन करना शुरू कर दिया होगा। इसके बाद शीतकालीन मानसून का और अधिक ह्रास ग्रामीण हड़प्पा सभ्यता के नष्ट होने की वजह बना होगा।

महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष

- वैज्ञानिकों के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह द्वारा किये गए इस अध्ययन का शीर्षक 'नियोग्लेशियल क्लाइमेट एनॉमलीज़ एंड हड़प्पाई मेटामॉरफोसिस (Neoglacial climate anomalies and the Harappan metamorphosis)' था।
- वैज्ञानिकों ने अरब सागर के पाकिस्तान के महाद्वीपीय मार्जिन से तलछट इकठ्ठा किया, पिछले 6,000 वर्षों के भारतीय शीतकालीन मानसून जैसा वातावरण पुनर्निर्मित किया और समुद्री जीवाश्म तथा समुद्री डीएनए की जाँच की।
- सिंधु घाटी के तापमान तथा मौसम के पैटर्न में बदलाव की वजह से ग्रीष्मकालीन मानसूनी बारिश में धीरे-धीरे कमी आने लगी जिस वजह से हड़प्पाई शहरों के आस-पास कृषि कार्य किया जाना मुश्किल या असंभव हो गया।
- वैज्ञानिकों के अनुसार, सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों में बाढ़ की तीव्रता और संभाव्यता लगातार कम होती गई जिससे कृषि पर बुरा प्रभाव पड़ा। सरस्वती का जलमार्ग, घग्गर-हकरा संभवत: उस दौरान ही शुष्क हुआ होगा।
- जलवायु में इस प्रकार के परिवर्तनों की वजह से ही हड़प्पा सभ्यता के विनाश की शुरुआत हुई होगी।
- जलवायु से संबंधित इन विसंगतियों की समाप्ति के बाद 3000-3300 वर्ष के दौरान शीतकालीन मानसून के ह्रास की शुरुआत हुई।

सिंधु घाटी और मानसून

- यह सभ्यता सिंधु नदी के जलोढ़ मैदानों तथा उसके आसन्न क्षेत्रों पर विकसित हुई थी।
- अध्ययन के अनुसार, हड़प्पा सभ्यता में शहरों के नज़दीक बड़े पैमाने पर नहरों द्वारा सिंचाई के माध्यम से जल संसाधनों को नियंत्रित करने के लिये बहुत कम प्रयास किये गए थे। हड़प्पावासी मुख्य रूप से सर्दियों की फसलों के लिये नदियों पर तथा गर्मियों की फसलों के लिये बारिश पर निर्भर रहते थे।

नोट :

- यद्यपि शहरी हड़प्पाई सभ्यता के विनाश की वजह ग्रीष्मकालीन मानसून था, अध्ययन इस ओर भी इंगित करता है कि हड़प्पा की कृषि अर्थव्यवस्था जल-उपलब्धता पर बहुत ज़्यादा निर्भर थी।
- हालाँकि उत्तर हड़प्पाई सभ्यता की दीर्घकालिक उत्तरजीविता अब भी अध्ययन का विषय है।

साक्ष्य

- शोधकर्त्ताओं की टीम सिंधु नदी के उद्गम स्थल के पास समुद्र तल की तलछट पर केंद्रित थी, जहाँ ऑक्सीजन की बहुत कम मात्रा होने की वजह से उत्पन्न या मृत होने वाली चीज़ें तलछटों में बहुत अच्छी तरह से संरक्षित होती हैं।
- नमूने या साक्ष्य का संग्रह सामरिक स्थानों पर कोरिंग (किसी भी वस्तु का केंद्रीय भाग काटकर निकालना) के माध्यम से किया गया था जिन्हें चर्प (ध्वनि) का उपयोग करके चुना गया था। चर्प एक ध्वनिक उप-तल प्रोफाइलर होता है जो समुद्री शैवाल पर तलछट का चित्रण करता है।
- कोरिंग करने वाले पिस्टन की सहायता से सागर की तली से तलछट का एक बेलन निकाला गया। वैज्ञानिक तली से निकाले गए ऐसे ही नमूनों से कैल्शियम कार्बोनेट के छोटे शेल निकालकर उनकी गिनती करते हुए यह अवलोकन करते हैं कि उनमें से कितने शीतकालीन मानसून की स्थितियों हेतु विशिष्ट हैं।

कार्य-क्षेत्र और सीमाएँ

- हालाँकि यह अध्ययन हड़प्पाई बस्तियों में गर्मी और सर्दियों की वर्षा में विविधता के व्यापक स्थानिक और लौकिक पैटर्न प्रदर्शित करता है लेकिन साथ ही यह भी स्वीकार करता है कि इसमें 'स्थानीय हाइड्रोक्लाइमेट पहलुओं' पर पूरी तरह से विचार नहीं किया गया है।
- सिंधु सभ्यता की कहानी आज इसलिये महत्त्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि यह जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों से संबंधित विभिन्न ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत करती है। सिंधु घटी सभ्यता के लोग बुद्धिमान थे और जलवायु परिवर्तन से निपट सकते थे। लेकिन वे विस्थापित हो गए और नई परिस्थितियों के अनुरूप ढल गए। एक बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिरकार उन्होंने यह कुर्बानी किसलिये दी?

क्लाइमेट फाइनेंस के लिये BASIC का दबाव

चर्चा में क्यों?

दिसंबर 2018 में संयुक्त राष्ट्र का कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टीज़ (Conference of Parties- COP) की 24वीं बैठक से पहले दिल्ली में ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन (Brazil, South Africa, China and India- BASIC) के पर्यावरण मंत्रियों और शीर्ष जलवायु परिवर्तन वार्ताकारों के बीच बैठक का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय है कि BASIC चार देशों ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, भारत और चीन का समूह है जिसका गठन वर्ष 2009 में हुआ था।

प्रमुख बिंदु

- BASIC समूह के देशों ने विकसित देशों से विकासशील देशों को वर्ष 2020 तक क्लाइमेट फाइनेंस के रूप में हर साल 100 बिलियन डॉलर प्रदान करने की प्रतिबद्धता को पूरा करने की मांग की। BASIC समूह में शामिल देशों का मानना है कि अभी तक विकसित देशों द्वारा वास्तव में इस राशि का केवल एक अंश ही प्रदान किया गया है।
- इसके अलावा BASIC समूह के देशों ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि यदि विकसित देश अपनी प्रतिबद्धता को 2020 तक पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसे आगे भी जारी रखा जाए।
- इस बैठक के बाद BASIC समूह के देशों के बीच COP-24 तथा G-77 सहित अन्य कई मंचों पर पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रतिबद्धताओं का पालन करते विकासशील देशों के हितों के संरक्षण की आवाज़ एकजुट होकर उठाने पर सहमति बनी है।
- BASIC समूह के देशों ने विकसित देशों को वित्तीय समर्थन को बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया और NDCs (Nationally Determined Contributions) के माध्यम से भविष्य की कार्रवाई के लिये पार्टियों को सूचित करने हेतु नए सामूहिक वित्तीय लक्ष्य को अंतिम रूप देने की मांग की। NDCs का तात्पर्य जलवायु परिवर्तन के अनुकूलन हेतु उत्सर्जन को कम करने के लिये देशों द्वारा की गईं प्रतिबद्धताओं से है।

नोट :

भारत का राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (india's Nationally Determined Contribution)

- पेरिस समझौते के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (Nationally Determined Contribution) की संकल्पना को प्रस्तावित किया गया है, इसमें प्रत्येक राष्ट्र से यह अपेक्षा की गई है कि वह ऐच्छिक तौर पर अपने लिये उत्सर्जन के लक्ष्यों का निर्धारण करे।
- एन.डी.सी. राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों (Nationally Determined Contributions -NDCs) का बिना शर्त क्रियान्वयन और तुलनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप पूर्व औद्योगिक स्तरों के सापेक्ष वर्ष 2100 तक तापमान में लगभग 2°C की वृद्धि होगी, जबकि यदि राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों का सशर्त कार्यान्वयन किया जाएगा तो इसमें कम-से-कम 0.2% की कमी आएगी।
- जीवाश्म ईंधन और सीमेंट उत्पादन का ग्रीनहाउस गैसों में 70% योगदान होता है। रिपोर्ट में 2030 के लक्षित उत्सर्जन स्तर और 2°C और 5°C के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये अपनाए जाने वाले मार्गों के बीच विस्तृत अंतराल है।
- वर्ष 2030 के लिये सशर्त और शर्त रहित एनडीसी के पूर्ण क्रियान्वयन हेतु तापमान में 2°C की बढ़ोतरी 11 से 5 गीगाटन कार्बन-डाइऑक्साइड के समान है।

ग्लोबल एन्वायरनमेंट फेसिलिटी (GEF)

- इसका गठन वर्ष 1991 में किया गया था।
- यह विकासशील व संक्रमणशील अर्थव्यवस्थाओं को जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय जल, भूमि अवमूल्यन, ओजोन क्षरण, पर्सिसटेन्ट आर्गेनिक प्रदूषकों के संदर्भ में परियोजनाएँ चलाने के लिये वित्तपोषित करता है।
- इससे प्राप्त धन अनुदान व रियायती फंडिंग के रूप में आता है।
- यह फेसिलिटी यू.एन. अभिसमय के तहत् दो अन्य कोषों- लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ फंड (LDCF) और स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड (SCCF) को प्रशासित करता है।

अल्पविकसित देश कोष (LDCF)

- इस कोष का गठन अल्पविकसित देशों को 'नेशनल एडैप्टेशन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन' (NAPAs) के निर्माण व क्रियान्वयन में सहायता करने के लिये किया गया था।
- एनएपीए के ज़रिये अल्पविकसित राष्ट्रों के एडैप्टेशन एक्शन की वरीयता की पहचान की जाती है।
- इस कोष के तहत अल्पविकसित देशों को कृषि, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, जलवायु सूचना सेवाएं, जल संसाधन प्रबंधन, तटीय क्षेत्र प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि नज़रिये से मूल्यांकित किया जाता है।

विशेष जलवायु परिवर्तन कोष (SCCF)

- इस कोष का गठन यूएनएफसीसीसी के तहत् वर्ष 2001 में किया गया था। इसे एडैप्टेशन, तकनीकी हस्तांतरण, क्षमता निर्माण, ऊर्जा, परिवहन, उद्योग, कृषि, वानिकी और अपशिष्ट प्रबंधन एवं आर्थिक विविधीकरण से संबंधित परियोजनाओं के वित्तीयन के लिये गठित किया गया था।
- यह जीवाश्म ईंधन से प्राप्त आय पर अत्यधिक निर्भर देशों में आर्थिक विविधीकरण (Economic Diversification) व जलवायु परिवर्तन राहत हेतु अनुदान देता है।

एडैप्टेशन फंड

- इस कोष का गठन भी वर्ष 2001 में किया गया था। इसका उद्देश्य 1997 के क्योटो प्रोटोकॉल के साझेदार विकासशील देशों में ठोस एडैप्टेशन परियोजनाओं व कार्यक्रमों का वित्तपोषण करना था।
- ऐसे राष्ट्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है जो जलवायु परिवर्तन के सर्वाधिक गंभीर खतरों का सामना कर रहे हैं।
- इस कोष को राशि क्लीन डेवलपमेंट मेकेनिज्म (CDM) से प्राप्त होती है। एक सीडीएम प्रोजेक्ट गतिविधि के लिये जारी 'सर्टीफाइड एमीशन रिडक्शन (CERs) का 2 प्रतिशत इस कोष में जाता है।

नोट :

हरित जलवायु कोष (GCF)

- यह यूएनएफसीसीसी के तहत् एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है।
- वर्ष 2009 में कोपेनहेगन में हुए संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में हरित जलवायु कोष के गठन का प्रस्ताव किया गया था जिसे 2011 में डरबन में हुए सम्मेलन में स्वीकार कर लिया गया।
- यह कोष विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से निपटने के लिये सहायता राशि उपलब्ध कराता है।
- कोपेनहेगेन व कॉनकून समझौते में विकसित देश इस बात पर सहमत हुए थे कि वर्ष 2020 तक लोक व निजी वित्त के रूप में हरित जलवायु कोष के तहत् विकासशील देशों को 100 बिलियन डॉलर उपलब्ध कराया जाएगा।
- वहीं 19वें संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (वारसा में) में 2016 तक 70 बिलियन डॉलर देने का लक्ष्य तय किया गया जिसे विकासशील राष्ट्रों ने अस्वीकार किया था।
- उल्लेखनीय है कि नवंबर 2010 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के 16वें सत्र (Cop-16) में स्टैंडिंग कमिटी ऑन फाइनेंस के गठन का निर्णय किया गया था ताकि विकासशील देशों की जरूरतों का ध्यान रखा जा सके।

कॉन्फ्रेंस ऑफ़ पार्टीज़ (Conference of Parties-COP)

यह संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCC) के हस्ताक्षरकर्त्ता देशों (कम-से-कम 190 देशों) का एक समूह है, जो हर साल जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों को हल करने के उपायों पर चर्चा करने के लिये बैठक आयोजित करता है।

कार्बन पदचिह्न (Carbon Footprint) में कमी करने हेतु आभासी जलवायु शिखर सम्मेलन

चर्चा में क्यों ?

शीघ्र ही विश्व के प्रमुख नेता एक नवाचारी जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन (Virtual Climate change summit) में भाग लेंगे जो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा, इस प्रकार यह कार्बन तटस्थ होगा।

प्रमुख बिंदु

- यह पर्यावरण अनुकूल आयोजन उन कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक शिखर सम्मेलनों के बिलकुल विपरीत है, जिसमें हज़ारों प्रतिनिधि दुनिया भर से जेट वायुयानों द्वारा यात्रा करके एक स्थान पर पहुँचते हैं और जहाँ वे वातानुकूलित आरामदायक परिवेश में ठहरते हैं।
- आभासी जलवायु शिखर सम्मेलन, मार्शल आइलैंड्स की राष्ट्रपति हिल्डा हेइन के मस्तिष्क की उपज है। मार्शल आइलैंड्स (Marshall islands) प्रशांत महासागर में स्थित एक निम्नस्थ द्वीपीय राष्ट्र है जो वैश्विक तापन (Global Warming) के निरंतर जारी रहने के फलस्वरूप समुद्र तल में वृद्धि के कारण समुद्र में डूब जाएगा।
- यह पहली वैश्विक राजनीतिक बैठक होगी जो ऑनलाइन (online Climate change summit) आयोजित की जाएगी। फ्राँसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडेव इसमें भाग लेने वाले प्रमुख प्रतिभागी होंगे।
- सुश्री हेइन ने कहा कि अत्याधुनिक सेटअप यह दिखाने के लिये डिज़ाइन किया गया है कि मार्शल आइलैंड्स जैसे छोटे राष्ट्र भी रचनात्मक, जलवायु-अनुकूल समाधानों का उपयोग करके विश्व स्तर पर बड़ा प्रभाव डाल सकते हैं।
- यह शिखर सम्मेलन सुश्री हेइन की अध्यक्षता में 48 राष्ट्रों वाले जलवायु सुभेद्य मंच द्वारा आयोजित किया जा रहा है।
- आभासी शिखर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को वैश्विक तापन को पूर्व-औद्योगिक स्तर (Pre-industrial level) से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर तक रखने के लिये प्रोत्साहित करना है।
- संयुक्त राष्ट्र (UN) की एक रिपोर्ट ने पिछले महीने चेतावनी दी थी कि विश्व 2030 से पहले उत्सर्जन की दहलीज तक पहुँच सकता है जब तक कि उत्सर्जन में कटौती हेतु पुन: अभूतपूर्व वैश्विक कार्रवाई न हो।
- संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता (United Nations Climate Talks) का नवीनतम दौर COP-24, तीन साल पहले हुए पेरिस समझौते (Parish Agreement) को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से 2 दिसंबर को दक्षिणी पोलिश शहर केटोवाइस में शुरू हो जाएगा।

नोट :

- सुश्री हेइन ने कहा कि यह आभासी शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन से सर्वप्रथम प्रभावित होने वालों के लिये एक मौका है जो चाहते हैं कि उनकी आवाज़ सुनी जाए।
- इस आयोजन के विपरीत, 2015 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र की COP-21 वार्ता के आयोजकों ने अनुमान लगाया कि इसने 43,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न किया, हालाँकि इसमें से अधिकतर को कार्बन-क्रेडिट योजनाओं के माध्यम से बाद में प्रतिसंतुलित किया गया था।

एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार

चर्चा में क्यों ?

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण (United Nation Environment) ने सीमापार से होने वाले पर्यावरण संबंधी अपराधों से निपटने के लिये वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (Wildlife Crime Control Bureau- WCCB) को एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार, 2018 (Asia Environment Enforcement Awards, 2018) से सम्मानित किया है।
- पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन WCCB को संबंधित क्षेत्र में किये गए उत्कृष्ट कार्यों के लिये सम्मानित किया गया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

यह पुरस्कार उत्कृष्ट व्यक्तियों और/अथवा सरकारी संगठनों/टीमों को दिया जाता है जो निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी एक में सीमापार से होने वाले पर्यावरण संबंधी अपराधों से निपटने के लिये राष्ट्रीय कानूनों को लागू करने में उत्कृष्टता और नेतृत्व का परिचय देते हैं :

- सहयोग (collaboration)
- प्रभाव (impact)
- नवोन्मेष (innovation)
- अखंडता (integrity)
- जेंडर लीडरशिप (gender leadership), इसे पहली बार शामिल किया गया है।
- WCCB को यह पुरस्कार नवोन्मेष (Innovation) श्रेणी में दिया गया है।
- ब्यूरो ने नवीन प्रवर्तन तकनीक अपनाई जिससे भारत में सीमापार से होने वाले पर्यावरण संबंधी अपराधों के संबंध में दबाव बना।

ब्यूरो ने एक ऑनलाइन वन्यजीव अपराध डेटाबेस प्रबंध प्रणाली (Wildlife Crime Database Management- WCDM system) विकसित की है ताकि भारत में वन्यजीव अपराधों को रोकने और उनका पता लगाने के लिये प्रभावी उपाय किये जा सकें साथ ही अपराधों की प्रवृत्ति का विश्लेषण करने के लिये आँकड़े प्राप्त किये जा सकें।

WCCB की WCDM प्रणाली का महत्त्व

WCCB की इस प्रणाली से निम्नलिखित में मदद मिली है

रुझानों का विश्लेषण करने में

- निवारक उपायों में मदद करने के साथ-साथ ऑपरेशन सेव कुर्मा (SAVE KURMA), थंडरबर्ड (THUNDERBIRD), वाइल्डनेट (WILDNET), लेस्कनो (LESKNOW), बिरबिल (BIRBIL), थंडरस्टॉर्म (THUNDERSTORM), लेस्कनो-II (LESKNOW-II) जैसे अन्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ सफलतापूर्वक संचालन करने में।
- इस प्रक्रिया के परिणामस्वरूप 350 वन्यजीव अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और अलग-अलग राज्यों से बाघ/तेंदुए की त्वचा/हड्डियों, गेंडे के सींग, हाथी दांत, कछुए, मंगूज़, संरक्षित पक्षियों, समुद्री उत्पादों, आदि को ज़ब्त करने में मदद मिली है।

नोट :

भारत के अलावा अन्य पुरस्कार विजेता

अखंडता की श्रेणी में

- ले थाई हैंग (Le Thi Hang), वियतनाम,
- पिलर 4 सेंट्रल इंवेस्टीगेशन ब्यूरो (Pillar 4 Central Investigation Bureau) नेपाल पुलिस,
- विचियन चिन्नावोंग (Wichien Chinnawong), थंग्याई नरेशुआन वन्यजीव अभयारण्य (Thungyai Naresuan Wildlife Sanctuary), थाईलैंड के चीफ

प्रभाव की श्रेणी में

- थाईलैंड की एक टीम जिसमें थाई सीमा शुल्क (Thai Customs), रॉयल थाई पुलिस (Royal Thai Police) और राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीवन व पौध संरक्षण विभाग (Department of National Parks, Wildlife and Plant Conservation) शामिल हैं।
- वांग वेई (Wang Wei), चीनी सीमा शुल्क विभाग के तस्कर विरोधी ब्यूरो में इन्वेस्टीगेशन-II (Investigation II of Anti-Smuggling Bureau of General Administration of China Customs) के निदेशक

नवोन्मेष की श्रेणी में

- निदेशक डेचा विचैडिट (Decha Wichaidit) के तहत रॉयल थाई सीमा शुल्क की जांच और दमन विभाग-III (Investigation and Suppression Division III of the Royal Thai Customs) की टीम
- कोरिया सीमा शुल्क सेवा का अंतर्राष्ट्रीय जाँच विभाग, (International Investigation Division, Korea Customs Service)
- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय), भारत सरकार

सहयोग की श्रेणी में

जोइल बिन बमबोन (Joil bin Bombon), वन्यजीव और राष्ट्रीय उद्यान प्रायद्वीपीय मलेशिया (Wildlife and National Parks Peninsular Malaysia) के पूर्व विभाग अध्यक्ष एवं आर.एस शरथ, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो, भारत के पूर्व अध्यक्ष

पुरस्कार के बारे में

एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार 2018 संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UN Development Programme), औषधि एवं अपराध पर संयुक्त कार्यालय (UN Office on Drugs and Crime), USAID, इंटरपोल, फ्रीलैंड फाउंडेशन (Freeland Foundation) और स्वीडन सरकार के साथ साझेदारी में प्रदान किये गए हैं।

वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो (WCCB)

- वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो देश में संगठित वन्यजीव अपराध से निपटने के लिये पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन भारत सरकार द्वारा स्थापित एक सांविधिक बहु अनुशासनिक इकाई है।
- ब्यूरो का मुख्यालय नई दिल्ली में है तथा नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई और जबलपुर में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय; गुवाहाटी, अमृतसर और कोचीन में तीन उप क्षेत्रीय कार्यालय और रामनाथपुरम, गोरखपुर, मोतिहारी, नाथूला और मोरेह में पाँच सीमा ईकाइयाँ अवस्थित हैं।
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, (Wild Life Protection Act) 1972 की धारा 38 (Z) के तहत, ब्यूरो को निम्नलिखित कार्यों के लिये अधिकृत किया गया है:
- अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु संगठित वन्यजीव अपराध गतिविधियों से संबंधित सूचना/जानकारी इक्कठा करने, उसका विश्लेषण करने व उसे राज्यों व अन्य प्रवर्तन एजेंसियों को प्रेषित करने के लिये।
- एक केंद्रीकृत वन्यजीव अपराध डेटा बैंक स्थापित करने के लिये।

नोट :

- अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के संबंध में विभिन्न एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्रवाई करवाने के लिये।
- संबंधित विदेशी व अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को वन्यजीव अपराध नियंत्रण में समन्वय व सामूहिक कार्यवाही हेतु सहायता करने के लिये।
- वन्यजीव अपराधों में वैज्ञानिक और पेशेवर जाँच के लिये वन्यजीव अपराध प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण एवं वन्यजीव अपराधों से संबंधित मुकदमों में सफलता सुनिश्चित करने के लिये राज्य सरकारों की सहायता करने के लिये।
- भारत सरकार को वन्यजीव अपराध संबंधित मुद्दों, जिनका राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव हो, पर प्रासंगिक नीति व कानूनों के संदर्भ में सलाह देने के लिये।
- यह कस्टम अधिकारियों को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (Wild Life Protection Act), CITES और आयात-निर्यात नीति (EXIM Policy) के प्रावधानों के अनुसार वनस्पति व जीवो की खेप के निरीक्षण में भी सहायता करता है व सलाह प्रदान करता है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण (UN Environment) कार्यक्रम

- संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (United Nations Environment Programme -UN Environment) एक अग्रणी वैश्विक पर्यावरण प्राधिकरण है जो वैश्विक पर्यावरण कार्य-सूची (agenda) का निर्धारण करता है, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के तहत सतत् विकास के पर्यावरणीय आयाम के सुसंगत कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है और वैश्विक पर्यावरण के लिये एक आधिकारिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है।
- इसकी स्थापना 5 जून, 1972 को की गई थी।
- इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या (Nairobi, Kenya) में है।

UN 'ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन' (Greenhouse gas bulletin) रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

संयुक्त राष्ट्र में मौसम विज्ञान से जुड़ी संस्था विश्व मौसम विज्ञान संगठन (World Meteorological Organisation) ने हाल ही में 'ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन' नामक एक वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार, वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा रिकॉर्ड स्तर पर पहुँच गई है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने 2018 में की गई प्रतिबद्धताओं पर यह रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट 2017 के आँकड़ों पर आधारित है।

रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु

- कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर पूर्व औद्योगिक स्तर से काफी अधिक और इसमें कमी होने की कोई संभावना दूर-दूर तक नहीं दिखाई दे रही।
- कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीनहाउस गैसों में कटौती किये बिना जलवायु परिवर्तन (Climate change) का खतरा तेज़ी से बढ़ता जाएगा और पृथ्वी पर इसका अपरिवर्तनीय प्रभाव पड़ेगा।
- कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती नहीं की गई तो जलवायु परिवर्तन का पृथ्वी के जीव-जगत पर विनाशकारी असर होगा।
- वातावरण में मौजूद आवश्यकता से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को हटाने के लिये वर्तमान में कोई प्रभावी उपाय नहीं है।
- कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की मात्रा में भारी कटौती करना ही जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने का एकमात्र रास्ता है।

क्या हैं ग्रीनहाउस गैसें ?

- कार्बन डाइऑक्साइड (Co_2): वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 2015 और 2016 के मुकाबले 2017 में ज़्यादा बढ़ी है। 2017 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 405.5 parts per million (ppm) वैश्विक औसत पर पहुँच गया, जो औद्योगिक क्रांति से पहले की तुलना में ढाई गुना अधिक है। 2016 में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर 403.3 ppm और 2015 में 400.1 ppm था।

नोट :

- मीथेन (Methane) : 2017 में वायुमंडल में मीथेन 1859 ppb (part per billion) के नए ऊँचे स्तर पर पहुँच गया। यह पूर्व-औद्योगिक स्तर से 257 फीसदी ज़्यादा है।
- नाइट्रस ऑक्साइड (Nitrous Oxide): वायुमंडल में नाइट्रस ऑक्साइड का स्तर 2017 में 329.9 ppb रहा। यह पूर्व-औद्योगिक स्तर का 122 फीसदी है।
- CFC-11: इनके अलावा ओज़ोन (Ozone) परत को नुकसान पहुँचाने वाली CFC-11 गैसों का स्तर भी वायुमंडल में काफी अधिक बढ़ा है। यह एक शक्तिशाली ग्रीनहाउस गैस है जो ओज़ोन परत के क्षरण के लिये ज़िम्मेदार है। CFC-11 गैसों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (Montreal Protocol) के तहत विनियमित किया गया है।
- विश्व मौसम विज्ञान संगठन के प्रमुख Petteri Taalas के अनुसार, "कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में भारी कटौती नहीं की गई तो जलवायु परिवर्तन का पृथ्वी पर जीवन के लिये विनाशकारी असर होगा। इस समस्या से मुकाबला करने का अवसर लगभग खत्म हो चुका है। ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन कम करने के लिये तुरंत कुछ बड़े कदम उठाने होंगे।"

विश्व मौसम विज्ञान संगठन

इसकी शुरुआत 1873 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन के रूप में हुई थी। इसके बाद 23 मार्च, 1950 को WMO कन्वेंशन के अनुमोदन से विश्व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना हुई। यह पृथ्वी के वायुमंडल की परिस्थिति और व्यवहार, महासागरों के साथ इसके संबंध, मौसम और परिणामस्वरूप जल संसाधनों के वितरण के बारे में जानकारी देने के लिये संयुक्त राष्ट्र (UN) की आधिकारिक संस्था है। 191 सदस्यों वाले विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जिनेवा (Geneva) में स्थित है।

ग्लोबल वार्मिंग (Global warming) पर IPCC की रिपोर्ट

कुछ समय पहले जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) द्वारा भी इसी प्रकार की एक विशेष रिपोर्ट जारी की गई थी। तब IPCC को विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग पर पेरिस समझौते (Paris agreement) में तय किये गए 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान की वैज्ञानिक व्यवहार्यता का पता लगाने के लिये कहा गया था। IPCC की आकलन रिपोर्ट में भी पृथ्वी के भविष्य की खतरनाक तस्वीर उजागर की गई थी।

IPCC क्या है ?

- जलवायु परिवर्तन पर अंतर-सरकारी पैनल (IPCC) जलवायु परिवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक आकलन करने हेतु संयुक्त राष्ट्र का एक निकाय है, जिसमें 195 सदस्य देश हैं। इसे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) और विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) द्वारा 1988 में स्थापित किया गया था।
- इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन, इसके प्रभाव और भविष्य के संभावित जोखिमों के साथ-साथ अनुकूलन तथा जलवायु परिवर्तन को कम करने हेतु नीति निर्माताओं को रणनीति बनाने के लिये नियमित वैज्ञानिक सूचनाएँ प्रदान करना है। IPCC सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक सूचनाएँ प्रदान करता है और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिये अंतर्राष्ट्रीय वार्ताओं में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
- आपको बता दें कि अगले महीने पोलैंड (Poland) में CoP 24 जलवायु शिखर सम्मेलन (Climate summit) का आयोजन होने जा रहा है। ऐसे में विश्व मौसम संगठन द्वारा 'ग्रीनहाउस गैस बुलेटिन' नामक यह वार्षिक रिपोर्ट और इससे पहले IPCC द्वारा रिपोर्ट जारी करना बहुत मायने रखता है। इन रिपोर्टों के माध्यम से CoP 24 जलवायु शिखर सम्मेलन के पहले संयुक्त राष्ट्र एक बार फिर 2015 पेरिस समझौते में तय किये गए तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की कमी लाने के लक्ष्य के लिये सरकारों पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है।

दुधवा टाइगर रिज़र्व की गश्त हेतु एसएसबी

चर्चा में क्यों ?

दुधवा टाइगर रिज़र्व और सशस्त्र सीमा बल (SSB) दुधवा के जंगलों और इसके समृद्ध वन्यजीवन को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने के लिये एक साथ मिलकर काम करने हेतु तैयार हो गए हैं।

नोट :

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- SSB द्वारा गश्त का यह कार्य वन्यजीव और वन अपराधियों की गतिविधियों के बारे में विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय एवं जानकारी साझा करने हेतु किया जा रहा है।
- उल्लेखनीय है कि सशस्त्र सीमा बल यानी SSB भारत का एक अर्धसैनिक बल है जिस पर 1,751 किलोमीटर लंबी भारत-नेपाल सीमा की सुरक्षा की ज़िम्मेदारी है।

दुधवा टाइगर रिज़र्व के बारे में

यह उत्तर प्रदेश के लखीमपुर-खीरी ज़िले में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में सबसे अच्छे प्राकृतिक जंगलों और घास के मैदानों का प्रतिनिधित्व करता है।

इस तराई आर्क लैंडस्केप (TAL) के अंतर्गत तीन महत्त्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र शामिल हैं :

- दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
- किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य
- कतर्निया घाट वन्यजीव अभयारण्य
- तीनों संरक्षित क्षेत्रों को राज्य में रॉयल बंगाल टाइगर के अंतिम व्यवहार्य घर होने के नाते प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger) के तहत दुधवा टाइगर रिजर्व के रूप में संयुक्त रूप से गठित किया गया है।

प्रोजेक्ट टाइगर (Project Tiger)

- भारत सरकार ने 1973 में राष्ट्रीय पशु बाघ को संरक्षित करने के लिये 'प्रोजेक्ट टाइगर' लॉन्च किया।
- वर्तमान में 'प्रोजेक्ट टाइगर' के तहत संरक्षित टाइगर रिज़र्व की संख्या 50 हो गई है।
- 'प्रोजेक्ट टाइगर' पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की एक सतत केंद्र प्रायोजित योजना है जो नामित बाघ राज्यों में बाघ संरक्षण के लिये केंद्रीय सहायता प्रदान करती है।
- वर्ष 1987 में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत दुधवा टाइगर रिज़र्व में शामिल किया गया था, जबकि कतर्निया वन्यजीव अभयारण्य को वर्ष 2000 में दुधवा टाइगर रिज़र्व में शामिल किया गया था। यह भारत के 47 टाइगर रिजर्व में से एक है।

तराई आर्क लैंडस्केप (TAL)

- TAL भारत और नेपाल ट्रांस-सीमा संरक्षित पारिस्थितिकी तंत्र से बना है इसमें हिमालय के पास की तलहटी और नेपाल तथा भारत के 14 संरक्षित क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
- यह क्षेत्र लगभग 12.3 मिलियन एकड़ (5 मिलियन हेक्टेयर) तक फैला हुआ है और इसमें पूर्व में नेपाल की बागमती नदी और पश्चिम में भारत की यमुना नदी शामिल है।
- TAL कई लुप्तप्राय स्तनधारियों का निवास स्थल है जिसमें बंगाल के बाघ, भारतीय गैंडे, गौर, जंगली एशियाई हाथी, स्लॉथ भालू, दक्षिण एशियाई नदी डॉल्फ़िन और चीतल के साथ - साथ पक्षियों की 500 से अधिक प्रजातियों भी पाई जाती हैं।

स्रोत: द हिंदू

भारतीय जीव प्रजातियों का दसवाँ हिस्सा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (ZSI) द्वारा जारी किये गए एक प्रकाशन, 'फौनल डाइवर्सिटी ऑफ़ बायोजिओग्राफिक ज़ोंस: आईलैंड्स ऑफ़ इंडिया' नामक शीर्षक में पहली बार अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पाए गए सभी जीवित प्रजातियों के डेटाबेस को एकत्र किया गया है, जिसमें समस्त प्रजातियों की संख्या 11,009 दर्ज की गई है।

नोट :

प्रमुख बिंदु

- यह दस्तावेज़ साबित करता है कि यह द्वीप समूह, जिसमें भारत के भौगोलिक क्षेत्र का केवल 0.25% हिस्सा शामिल है, देश के जीवों की प्रजातियों के 10% से अधिक का आवास है।
- नारकॉन्डम हॉर्नबिल, इसका आवास एक अकेले द्वीप तक ही सीमित है; निकोबार मेगापोड, एक पक्षी जो ज़मीन पर घोंसला बनाता है; निकोबार ट्रेशू, छछूंदर जैसा एक छोटा स्तनपायी; लांग-टेल निकोबार मकाक और अंडमान डे गेको, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर पाए गए उन 1,067 स्थानिक प्रजातियों में से हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते।
- हालाँकि यह प्रकाशन चेतावनी देता है कि पर्यटन, अवैध निर्माण और खनन द्वीपों की जैव विविधता के लिये खतरा पैदा कर रहे हैं, जो अस्थिर जलवायु कारकों के प्रति पहले से ही सुभेद्य है।
- अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का कुल क्षेत्रफल लगभग 8,249 वर्ग किमी. है, जिसमें 572 द्वीप, छोटे टापू और चट्टानी उभार शामिल हैं। इस द्वीप समूह की कुल आबादी 4 लाख से अधिक नहीं हैं, जिसमें विशेष रूप से छह कमज़ोर जनजातीय समूह (PVTG)- ग्रेट अंडमानी, ओंग, जारवा, सेंटिनेलिस, निकोबारी और शोम्पेन्स शामिल हैं।
- नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, 4.87 लाख पर्यटक सालाना इन द्वीपों की यात्रा करते हैं जो कि इन द्वीपों पर रहने वाले लोगों की संख्या से अधिक है।
- ज्ञातव्य है कि हाल ही में भारत सरकार ने विदेशी (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के तहत अधिसूचित कुछ विदेशी नागरिकों के लिये प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (RAP) मानदंडों में 31 दिसंबर, 2022 तक अपने 29 आवासित द्वीपों की यात्रा के लिये ढील दी है। इसने द्वीपों के पारिस्थितिक तंत्र पर बढ़े हुए मानवजनित दबावों से संबंधित चिंताओं को जन्म दिया है।

प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट

- RAP सूची से हटाए गए कुछ द्वीपों में उत्तरी सेंटीनेल द्वीप के मामले में सेंटिनेलिस जैसे पीवीटीजी को छोड़कर कोई आवास नहीं है और नारकोंडम द्वीप पर पुलिस चौकी के अलावा कुछ भी नहीं है।
- इस जगह पर सूक्ष्म स्तर पर किये जाने वाले विकास के प्रतिमान जो अंतरिक्ष, निर्माण और सैन्य विकास के क्षेत्र में हो रहे हैं, को पारिस्थितिकीय नाजुकता (स्थानिकता), भूगर्भीय अस्थिरता (भूकंप और सुनामी) और स्थानीय समुदायों पर उनके प्रभाव के असर को ध्यान में रखकर नहीं किया जा रहा है।
- 49 अध्यायों और 500 पृष्ठों में जारी किया गया यह प्रकाशन, न केवल जानवरों की विशेष श्रेणी में पाए जाने वाले प्रजातियों का डेटाबेस तैयार करता है, बल्कि उनमें से सबसे सुभेद्य का भी उल्लेख करता है।
- यहाँ पाई जाने वाली 46 स्थलीय स्तनधारी प्रजातियों में से तीन प्रजातियों- अंडमान श्रेव (Crocidura andamanensis), जेनकिन श्रेव (C. jenkinsi) और निकोबार श्रेव (C. nicobarica) को गंभीर रूप से लुप्तप्राय श्रेणी के रूप में वर्गीकृत किया गया है। IUCN के मुताबिक, पाँच प्रजातियों को लुप्तप्राय, नौ प्रजातियों को सुभेद्य और एक प्रजाति को संकट के निकट श्रेणी के अंतर्गत सूचीबद्ध किया गया है।
- इन द्वीपों पर पाए जाने वाले समुद्री जीवों की दस प्रजातियों में से ड्युगोंग/समुद्री गाय और भारत-प्रशांत क्षेत्र की हंपबैक डॉल्फिन, दोनों को IUCN (इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्ज़र्वेशन ऑफ़ नेचर) के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- यहाँ पाए जाने वाले पक्षियों में स्थानिकता काफी अधिक है, जहाँ 364 प्रजातियों में से 36 प्रजातियाँ केवल इन्हीं द्वीपों पर पाई जाती हैं। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम (WPA) के तहत संकटग्रस्त प्रजातियों की IUCN रेड लिस्ट में इन पक्षी प्रजातियों में से कई को रखा गया है।

समुद्री विविधता

- इसी प्रकार, उभयचर की आठ प्रजातियाँ और सरीसृप की 23 प्रजातियाँ जो इन द्वीपों के लिये स्थानिक हैं, पर संकटग्रस्त होने का उच्च जोखिम है। द्वीपों के पारिस्थितिक तंत्र की एक और अनोखी विशेषता इसकी समुद्री जीव विविधता है, जिसमें प्रवाल चट्टानें और इससे संबंधित जीव शामिल हैं।

नोट :

- कुल मिलाकर, इस द्वीप समूह के पारिस्थितिक तंत्र में स्क्लेरैक्टिनियन कोरल (कठोर या चट्टानी प्रवाल) की 555 प्रजातियाँ पाई जाती हैं और वे सभी WPA की अनुसूची 1 के तहत रखी जाती हैं। इसी प्रकार, गोरगोनियन (सी फैन्स) और कैल्सरस स्पंज की सभी प्रजातियाँ WPA के विभिन्न अनुसूचियों के तहत सूचीबद्ध हैं।
- लंबे समय तक मुख्य भूमि से अलगाव के कारण ये द्वीप कई प्रजातियों के उद्भव (नई और विशिष्ट प्रजातियों का गठन) के लिये हॉटस्पॉट बने जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों स्थानिक प्रजातियाँ और उप-प्रजातियाँ यहाँ विकसित हुईं।
- इस प्रकाशन के लेखकों ने रेखांकित किया है कि किसी भी संकट का द्वीपों की जैव विविधता पर दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है, जो कि किसी भी स्थानिक जीव की आबादी के आकार को नष्ट करते हुए, इसके बाद सीमित समयावधि में उसे विलुप्तता तक पहुँचा सकता है।

तितली 'अति दुर्लभ' साइक्लोन

संदर्भ

अफ्रीका और एशिया में आपदा की पूर्व चेतावनी देने वाली 45 देशों की संस्था 'रीजनल इंटीग्रेटेड मल्टी-हैज़र्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम (Regional Integrated Multi-Hazard Early Warning System-RIMES)' ने अक्तूबर में आए भयावह साइक्लोन तितली (Titli) को अति दुर्लभ के रूप में नामित किया है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- 'रिम्स' के अनुसार, ओडिशा तट पर चक्रवातों के 200 से अधिक वर्षों के इतिहास पर एक नजर डालने से पता चलता है कि तितली चक्रवात अपनी विशेषताओं के मामले में अति दुर्लभ है, जैसे-भूमि से टकराने के बाद पुनरावृत्ति और टकराने के बाद भी दो दिनों तक अपनी विनाशकारी क्षमता को बरकरार रख पाने जैसी विशेषताएँ।
- इससे पहले, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने तितली की बनावट को 'अति दुर्लभ' घटना के रूप में परिभाषित किया था। इस तीव्र तूफ़ान ने ज़मीन से टकराने (Landfall) के बाद अपना रास्ता बदल दिया था।
- तितली नामक चक्रवाती तूफान की वज़ह से मुख्य रूप से अंदरूनी गजपति ज़िले में भू-स्खलन के कारण 60 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। ओडिशा जो कि आपदा से निपटने हेतु तैयारियों को लेकर अत्यधिक मुस्तैद रहता है, के अंदरूनी ज़िलों में तितली के कारण जीवन तथा संपत्ति दोनों का नुकसान उठाना पड़ा।
- तितली की वज़ह से सबसे ज़्यादा मौतें गजपति ज़िले के बरघारा गाँव में भू-स्खलन की वज़ह से हुई थीं क्योंकि इस चक्रवात को लेकर कोई भी सटीक चेतवानी नहीं दी जा सकी थी।

तितली

- भयावह चक्रवात तितली अक्तूबर में ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश के तटों पर टकराया था।
- अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में इतने ताकतवर चक्रवाती तूफान दुर्लभ ही उत्पन्न होते हैं। तितली का नामकरण पाकिस्तान द्वारा किया गया है।
- सक्रिय अंत:उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) तट की तरफ दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू हो गया था। समुद्र में हलचल के पीछे यही मुख्य कारक था। यह चक्रवात ITCZ का ही उपशाखा के रूप में था।
- इसके अलावा, मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन (MJO) भी हिंद महासागर के निकट था।
- अंत:उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ)
- अंत:उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र या ITCZ पृथ्वी पर भूमध्य रेखा के पास वृत्ताकार क्षेत्र है। यह पृथ्वी पर वह क्षेत्र है, जहाँ उत्तरी और दक्षिणी गोलार्द्धों की व्यापारिक हवाएँ, यानी पूर्वोत्तर व्यापारिक हवाएँ तथा दक्षिण-पूर्व व्यापारिक हवाएँ एक जगह मिलती हैं।
- भूमध्य रेखा पर सूर्य का तीव्र तापमान और गर्म जल ITCZ में हवा को गर्म करते हुए इसकी आर्द्रता को बढ़ा देते हैं जिससे यह उत्प्लावक बन जाता है।
- व्यापारिक हवाओं के अभिसरण (Convergence) के कारण यह ऊपर की तरफ उठने लगता है। ऊपर की तरफ उठने वाली यह हवा फैलती है और ठंडी हो जाती है, जिससे भयावह आँधी तथा भारी बारिश शुरू हो जाती है।

नोट :

मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन (MJO)

- मैडेन-जूलियन ऑसीलेशन उष्णकटिबंधीय परिसंचरण और वर्षा में एक प्रमुख उतार-चढ़ाव है जो भूमध्य रेखा के साथ पूर्व की ओर बढ़ता है तथा 30-60 दिनों की अवधि में पूरे ग्लोब की परिक्रमा करता है।
- इसलिये MJO हवा, बादल और दबाव की एक चलती हुई (Moving) प्रणाली है। यह जैसे ही भूमध्य रेखा के चारों ओर घूमती है वर्षा की शुरुआत हो जाती है।
- 'रिम्स' के अनुसार, राजकीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ओडिशा (OSDMA) को तितली के प्रभावों से निपटने में इसलिये परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि उनके पास कार्रवाई-योग्य पूर्व सूचना उपलब्ध नहीं थी।
- तितली तूफ़ान से मिली सीख का उपयोग करते हुए राजकीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ओडिशा (OSDMA) भविष्य में तितली जैसे तूफानों से निपटने में सक्षम होगा।
- 'रिम्स' ने सिफारिश की है कि ओडिशा में तितली द्वारा किये गए विनाश के संदर्भ में जोखिमों को समझने हेतु विस्तृत जोखिम मूल्यांकन किया जाना चाहिये।

उत्सर्जन गैप रिपोर्ट (emissions gap report), 2018

संदर्भ

हाल ही में यूनाइटेड नेशन एन्वायरनमेंट प्रोग्राम (UNEP) ने उत्सर्जन रिपोर्ट (emissions Report) प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग (Global warming) से निपटने के लिये तमाम देशों द्वारा उठाए जा रहे कदम पर्याप्त नहीं है। यह रिपोर्ट ऐसे समय में आई है जब कुछ ही दिनों के अंतराल पर पेरिस समझौते (Paris agreement) में लिये गए निर्णयों के कार्यान्वयन पर चर्चा करने हेतु दुनिया के सभी देश पोलैंड के काटोविस (Katowice) में उपस्थित होंगे।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

उत्सर्जन गैप रिपोर्ट में इस बात पर ज़ोर दिया गया है कि यदि 2030 तक उत्सर्जन गैप को खत्म नहीं किया गया तो वैश्विक तापमान (Global temperature) को 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सीमित करना दुनिया के लिये एक चुनौती बन जाएगा।

क्या है उत्सर्जन गैप (Emission gap)?

- 2030 तक वैश्विक स्तर पर किये जाने वाले वास्तविक उत्सर्जन तथा ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने हेतु वैज्ञानिक विधियों से ज्ञात प्रत्याशित उत्सर्जन स्तरों के बीच के अंतर को उत्सर्जन गैप कहा जाता है। दूसरे शब्दों में 'हम कितना उत्सर्जन करने वाले हैं' और 'हमें कितना करना चाहिये' के बीच का अंतर।
- यूनाइटेड नेशन एन्वायरनमेंट प्रोग्राम (United Nations Environment Program) ने अपनी उत्सर्जन गैप रिपोर्ट में कहा है कि 2015 में पेरिस समझौते के दौरान 194 देशों द्वारा किया गया वादा यानी 'राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान' उत्सर्जन गैप के खात्मे के लिये पर्याप्त नहीं है।
- यदि 2030 तक उत्सर्जन गैप के खात्मे हेतु उपाय नहीं किये गए तो वैश्विक तापमान को औद्योगिक क्रांति पूर्व तापमान से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सीमित कर पाना मुश्किल हो जाएगा।
- यदि तापमान वर्तमान दर से बढ़ता रहा तो 2100 तक आते-आते वैश्विक तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड का आँकड़ा भी पार कर जाएगा।
- हालाँकि यूनाइटेड नेशन एन्वायरनमेंट प्रोग्राम पेरिस समझौते के पश्चात् हर एक वर्ष के अंतराल पर उत्सर्जन गैप रिपोर्ट को पिछले तीन वर्षों से एक चेतावनी के तौर पर जारी कर रहा है।

अदम्य उत्सर्जन

- वैज्ञानिक समुदाय के अनुसार, यदि 2100 तक वैश्विक तापमान को औद्योगिक क्रांति पूर्व तापमान से 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर सीमित कर दिया जाए तो मानव जाति ग्लोबल वार्मिंग के ऐसे परिणामों से निपट सकती है।

नोट :

- पेरिस में दुनिया के सभी देशों ने वैज्ञानिक समुदाय के उक्त कथन से सहमत होते हुए 2 डिग्री के लक्ष्य को निर्धारित किया था।
- 2 डिग्री के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये उत्सर्जन को बढ़ाने की अनुमति अधिकतम 2020 तक दी जानी चाहिये थी। अर्थात् 2020 के बाद उत्सर्जन स्तर को कम करना तय था।
- किंतु उत्सर्जन गैप रिपोर्ट के अनुसार, 2020 के बाद उत्सर्जन में कमी आना असंभव प्रतीत होता है क्योंकि राष्ट्रों द्वारा उठाए जा रहे कदम अपर्याप्त हैं।

निष्कर्ष

हमारे समक्ष सुखद बात यह है कि दुनिया के कई देश ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में आवश्यक कदम उठा रहे हैं। किंतु एक सच्चाई यह भी है कि वर्तमान में उठाए गए ये कदम अपर्याप्त हैं। आज ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी चुनौती के रूप में है जिसका सामना आसानी से किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसी रेस है जिसे आज ही आसानी से जीता जा सकता हैं क्योंकि कल बहुत देर हो जाएगी।

दृष्टि The Vision

नोट :

भूगोल एवं आपदा प्रबंधन

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंडमान-निकोबार द्वीप समूह के नॉर्थ सेंटिनेल नामक एक द्वीप पर एक अमेरीकी व्यक्ति की हत्या का मामला सामने आया। उल्लेखनीय है कि यह हत्या उस क्षेत्र में हुई है जहाँ सेंटिनली जनजाति निवास करती है।

नार्थ सेंटिनल द्वीप (North Sentinel Island)

- नार्थ सेंटिनल द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान द्वीप समूह का एक द्वीप है।
- यह द्वीप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण अंडमान प्रशासनिक ज़िले के अंतर्गत आता है।

सेंटिनली जनजाति

- ये लोग अंडमान के नार्थ सेंटिनल द्वीप पर रहनी वाली निग्रिटो (अश्वेत तथा छोटे कद वाले) समुदाय के हैं इन्होंने कभी भी आकस्मिक हमले का सामना नहीं किया है और बाहरी लोगों से ये शत्रुवत व्यवहार करते हैं।
- शोधकर्त्ताओं के अनुसार, ये लोग शारीरिक बनावट तथा भाषाई समानताओं के आधार पर जारवा समुदाय (Jarawas) से जुड़े हुए हैं।
- भारत के मानव विज्ञान सर्वेक्षण ने कार्बन डेटिंग के आधार पर यह पुष्टि की है कि इन द्वीपों पर सेंटिनली जनजाति के लोगों की उपस्थिति 2,000 साल पहले से है।
- जीनोम अध्ययन के अनुसार, संभव है कि यह जनजाति 30,000 साल पहले भी अंडमान द्वीप पर रहती हो।
- आनुवंशिक रूप से इस जनजाति समूह द्वारा बोली जाने वाला भाषा सेंटिनलीज़ है। इस भाषा को समझना भी बहुत मुश्किल है क्योंकि द्वीप के आस-पास के क्षेत्रों में ऐसी भाषा बोले जाने के कोई साक्ष्य नहीं मिलते।
- सेंटिनली जनजाति को अंडमान की 5 सबसे असार्वजनिक जनजातियों में सबसे असार्वजनिक माना जाता है। अन्य चार जनजातियाँ हैं- ग्रेट अंडमानीज (Great Andamenese), ओंज (the Onge), शोम्पेन (the Shompen) और जारवा (the Jarawas)।
- यह उन जनजातियों में से है जो 2004 के सुनामी से बाहरी दुनिया की मदद के बिना सुरक्षित बचने में सफल रही।
- माना जाता है कि सेंटीनली दुनिया की एकमात्र जनजाति है जो नवपाषाण काल से पूर्व की जनजाति है। इसका तात्पर्य यह है कि उनकी संस्कृति ऐसी है जो पाषाण युग की मध्य अवधि में मौजूद थी। इन लोगों द्वारा धातुओं का उपयोग किये जाने के बारे में कोई विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है लेकिन कई शोधकर्त्ताओं का मानना है कि ये लोग हथियारों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिये धातुओं का उपयोग नहीं करते हैं।

संरक्षित जनजाति

- भारत सरकार ने जनजातियों के कब्ज़े वाले पारंपरिक क्षेत्रों को संरक्षित घोषित करने के लिये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (आदिवासी जनजातियों का संरक्षण) विनियमन, 1956 जारी किया और इस क्षेत्र में प्राधिकरण के अलावा अन्य सभी व्यक्तियों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया।
- जनजाति सदस्यों की फोटो लेना या फिल्मांकन का कार्य करना भी एक अपराध है।
- लेकिन हाल ही में कुछ द्वीपों के प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश संबंधी नियमों में छूट दी गई थी।

व्यवहार

- सेंटिनली लोगों का बाहरी व्यक्तियों के प्रति व्यवहार अत्यधिक शत्रुतापूर्ण रहा है। लेकिन 1991 में उन्होंने भारतीय मानव विज्ञानविदों और प्रशासकों की एक टीम से कुछ नारियल स्वीकार किये थे।

नोट :

- कुछ शोधकर्त्ताओं का मानना है कि सेंटिनली लोगों को औपनिवेशिक काल से ही अकेला छोड़ दिया गया था क्योंकि अन्य जनजातियों जैसे कि ओंज, जारवा और ग्रेट अंडमानीज़ (Great Andamanese) के विपरीत इस जनजाति ने जिस भूमि पर कब्ज़ा किया है, उसके प्रति वाणिज्यिक आकर्षण नहीं है।

जनजाति के लोगों की संख्या

- 1901 से 1921 तक उनकी संख्या अनुमानत: 117 थी।
- 1931 में यह संख्या घटकर 50 हो गई और 1961 की जनगणना के लिये भी यही संख्या इस्तेमाल की गई थी।
- 1991 में इनकी संख्या 23 थी और 2001 की जनगणना के अनुसार, इनकी संख्या 39 (21 पुरुष 18 महिलाएँ) थी।
- 2011 की जनगणना के लिये जनगणना अधिकारी केवल 15 सेंटिनली लोगों को ढूंढ सके जिनमें 12 पुरुष और तीन महिलाएँ थीं। हालाँकि, उनकी संख्या 40 से 400 के बीच भी हो सकती है।

दृष्टि The Vision

नोट :

सामाजिक मुद्दे

भ्रष्टाचार नहीं है भारत में व्यवसाय करने हेतु प्रमुख बाधा

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में जारी की गई यूके इंडिया बिज़नेस काउंसिल की व्यापार में सुगमता रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण के अनुसार, यू.के. के व्यवसायियों के बीच यह धारणा कि भ्रष्टाचार, भारत में व्यवसाय करने में एक बड़ी बाधा है, ऐसा मानने वाले लोगों की संख्या में 2015 की रिपोर्ट की तुलना में आधे की कमी आई है।

प्रमुख बिंदु

- रिपोर्ट में कहा गया है कि "जब पहली रिपोर्ट जारी की गई थी, तब से लेकर अब तक 'भ्रष्टाचार' को एक प्रमुख बाधा के रूप में देखने वाली कंपनियों की संख्या में साल दर साल गिरावट देखी गई है।"
- वर्ष 2015 में भ्रष्टाचार को प्रमुख बाधा मानने वाली कंपनियाँ जहाँ 51% थीं, वहीं 2016 में 34% तथा 2017 में लगभग आधी या 25% रह गई हैं।
- यह गिरावट एक बड़े सुधार को दर्शाती है, जो इस बात का संकेत है कि वर्तमान सरकार के भ्रष्टाचार को कम करने के प्रयास मूर्त और अधिक वांछित परिणाम देने वाले प्रतीत हो रहे हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि "इस सर्वेक्षण के चार साल की अवधि के दौरान वर्तमान में भारत में व्यवसाय करने वाले लोगों के बीच उन लोगों की तुलना में जो कि वर्तमान में भारत में सक्रिय नहीं हैं, एक बड़े बाधा के रूप में 'भ्रष्टाचार' की पहचान करने वालों में नाटकीय रूप से गिरावट आई है [पिछले दो वर्षों में 27% की गिरावट], जहाँ इसे अब शीर्ष तीन बाधाओं के रूप में नहीं देखा जाता।"
- रिपोर्ट में कहा गया है कि आधार, सरकारी दस्तावेज़ों के इलेक्ट्रॉनिक सबमिशन, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर की स्वीकृति और करों को ऑनलाइन फाइल करने पर ज़ोर जैसी सभी पहलों ने आमने-सामने की परस्पर क्रियाओं को कम किया है, जहाँ भ्रष्टाचार की सर्वाधिक संभावना होती है।
- डिजिटलीकरण का विस्तार यद्यपि विभिन्न क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से भिन्न है किंतु बुनियादी ढाँचा परियोजनाओं में शामिल लोग अभी भी भ्रष्टाचार से संबंधित महत्त्वपूर्ण मुद्दों की शिकायत करते हैं।
- रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रमश: 36% उत्तरदाताओं द्वारा कराधान के मुद्दों और 29% द्वारा 'मूल्य बिंदु' को प्रमुख बाधाओं के रूप में चिह्नित किया गया है तथा इन दोनों बाधाओं ने भ्रष्टाचार को पीछे छोड़ दिया है।
- हालाँकि, 'कराधान मुद्दों' की पहचान करने वाले उत्तरदाताओं का अनुपात 2017 की तुलना में 2018 में 3% कम था, जो बताता है कि व्यवसाय जीएसटी को समायोजित करने का कार्य शुरू कर सकते हैं।
- वर्तमान में भारत में व्यवसाय करने वाले लोग लगातार बाधा के रूप में 'कराधान मुद्दों' का हवाला देते हैं, जबकि भारतीय बाज़ार में प्रवेश के इच्छुक लोग 2017 से 2018 तक 'कानूनी और नियामक बाधाओं' की शिकायतों में काफी गिरावट आने के बाद 'उपयुक्त भागीदार की पहचान' को अपने सबसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे के रूप में मानते हैं।
- उन लोगों के लिये महत्त्वपूर्ण मुद्दा भारत के बाहर अपने उत्पादों और सेवाओं हेतु तेज़ी से बाज़ार की मांग के सापेक्ष सरकारी और नौकरशाही से संबंधित बाधाएँ हैं।
- हालाँकि अधिकांश उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की कि तेज़ी से मंज़ूरी के लिये शुरू की गई सरकार की 'ई-बिज़' पहल कारोबारी माहौल में सुधार करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि व्यापार अनुमोदन के संबंध में पारदर्शिता की कमी से जुड़ी महत्त्वपूर्ण शिकायतें, विशेषकर निवेश के लिये सांविधिक मंज़ूरी के मामले में बनी हुई हैं।

नोट :

ग्लोबल एजुकेशन मॉनीटरिंग रिपोर्ट

चर्चा में क्यों ?

बर्लिन में यूनेस्को (UNESCO) की 2019 ग्लोबल एजुकेशन मॉनीटरिंग रिपोर्ट, प्रवासन, विस्थापन और एजुकेशन (Global Monitoring Report, Migration, Displacement and Education) जारी की गई। यूनेस्को द्वारा जारी इस रिपोर्ट के अनुसार, पूरी दुनिया में वर्ष 2000 के बाद आप्रवासी तथा स्कूल जाने की उम्र वाले शरणार्थी बच्चों की संख्या में 26% की वृद्धि हुई है।

वैश्विक परिदृश्य

- यह रिपोर्ट आप्रवासी तथा शरणार्थी बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा का लाभ प्राप्त करने के अधिकार (एक ऐसा अधिकार जो शिक्षार्थी तथा समुदाय जिसमें वे रहते हैं, के हित में कार्य करता है) क्षेत्र में देशों की उपलब्धियों तथा त्रुटियों को प्रमुखता से दर्शाती है।
- इन बच्चों के लिये गुणवत्तापरक शिक्षा के अधिकार को प्रतिदिन कक्षाओं और स्कूलों के प्रांगण में चुनौती दी जाती है तथा कुछ देशों की सरकारों द्वारा यह अधिकार प्रदान करने से इनकार भी किया जाता है।
- इसके बावजूद शरणार्थियों को आश्रय प्रदान करने वाले शीर्ष 10 देशों में से 8 में राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में शरणार्थी बच्चों को शामिल करने की दर में वृद्धि हुई है। शरणार्थियों की हिमायत करने वाले इन देशों में चाड, इथियोपिया और युगांडा जैसे निम्न आय वाले देश शामिल हैं। कनाडा और आयरलैंड आप्रवासियों के लिये समावेशी शिक्षा नीतियों को लागू करने में सबसे आगे हैं।

शरणार्थियों के बारे में क्या कहती है रिपोर्ट ?

- पूरी दुनिया में विस्थापित लोगों की संख्या में आधे से अधिक 18 वर्ष तक की आयु वाले हैं फिर भी बहुत से देश ऐसे हैं जो इन शरणार्थियों को अपनी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली से बाहर रखते हैं।
- ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, इंडोनेशिया, मलेशिया और मेक्सिको जैसे देशों में यदि शरणार्थी बच्चों की शिक्षा तक पहुँच है भी, तो वह सीमित है।
- बांग्लादेश में रोहिंग्या (Rohingyas) शरणार्थी, यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ़ तंज़ानिया (United Republic Of Tanzania) में बुरुंडी (Burundian) शरणार्थी, थाईलैंड (Thailand) में करेन (Karen) शरणार्थी और पाकिस्तान में बहुत से अफगान शरणार्थी केवल अलग, गैर-संगठित, समुदाय आधारित या निजी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, इनमें से कुछ तो प्रमाणित भी नहीं हैं। उदाहरण के लिये-
- केन्या शरणार्थियों को अपनी राष्ट्रीय शैक्षणिक पाठ्यक्रम का लाभ उठाने की अनुमति तो देता है लेकिन पूरी तरह से उन्हें समावेशित नहीं कर पाता है क्योंकि ये शरणार्थी कैंपों में रहते हैं जहाँ वे अपने केन्याई समकक्षों से बातचीत करने में असमर्थ होते हैं।
- लेबनॉन और जॉर्डन दोनों ऐसे देश हैं जहाँ प्रति व्यक्ति के हिसाब से शरणार्थियों की संख्या सबसे अधिक है, लेकिन इनके पास शरणार्थियों हेतु और अधिक स्कूलों का निर्माण करने के लिये संसाधनों की कमी है। इसलिये इन देशों ने अपने देश के नागरिकों और शरणार्थियों के लिये मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में स्कूलों की व्यवस्था की है जिससे इन दोनों समूहों के बीच सीमित बातचीत होती है।
- यह रिपोर्ट रवांडा और इस्लामिक गणराज्य ईरान जैसे देशों द्वारा शरणार्थियों तथा नागरिकों को एक साथ शिक्षा उपलब्ध कराने के क्रम में किये गए महत्त्वपूर्ण निवेश को स्वीकार करती है। पूर्वी अफ्रीका के 7 देशों की तरह तुर्की भी वर्ष 2020 तक सभी शरणार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में शामिल करने के लिये प्रतिबद्ध है। युगांडा पहले ही यह वादा पूरा कर चुका है।
- निम्न तथा माध्यम आय वाले देशों में लगभग 89% शरणार्थी रहते हैं लेकिन इन देशों में शरणार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये धन की कमी है। ऋण दाता देशों को शरणार्थी बच्चों की शिक्षा और लंबी अवधि तक समर्थन को सुनिश्चित करने के लिये अपने व्यय को तीन गुना करने की आवश्यकता है।

आप्रवासियों (Immigrants) के बारे में क्या कहती है रिपोर्ट ?

- उच्च आय वाले देशों में वर्ष 2005 से 2017 के बीच आप्रवासी पृष्ठभूमि वाले छात्रों की संख्या 15% से बढ़कर 18% हो गई। अब इनकी संख्या 36 मिलियन है जो कि पूरे यूरोप में स्कूल जाने वालों छात्रों की संख्या के बराबर है। यदि इनकी संख्या में इसी दर से वृद्धि होती रही तो वर्ष 2030 तक यह वृद्धि 22% तक हो सकती है।

नोट :

- वर्ष 2017 में यूरोपीय संघ में आप्रवासी छात्रों ने स्थानीय छात्रों की तुलना में अधिक पहले स्कूल छोड़ दिया। वर्ष 2015 में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (Organization for Economic Cooperation and Development- OECD) में शामिल देशों में पहली पीढ़ी के आप्रवासी छात्रों की संख्या पढ़ने, गणित और विज्ञान में बुनियादी कौशल हासिल करने में स्थानीय छात्रों की तुलना में 32% कम थी।
- कनाडा में जहाँ आप्रवासियों की संख्या का प्रतिशत, सात सबसे अधिक समृद्ध देशों के बीच सर्वाधिक है, यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे दूसरी कक्षा से ही आप्रवासन के बारे में जानें और इसने अपने संविधान में बहु-संस्कृतिवाद को भी शामिल किया है।
- आयरलैंड, जहाँ पहली पीढ़ी के आप्रवासियों की संख्या यूरोपीय संघ में सर्वाधिक है, गंभीर वित्तीय संकट के बावजूद अंतर-सांस्कृतिक शैक्षणिक रणनीति को वित्तपोषित करने में सफल रहा है।

भारत के परिदृश्य में

- रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2013 में भारत में, 6 से 14 वर्ष के 10.7 मिलियन बच्चे ग्रामीण परिवारों में रहते थे ये ऐसे परिवार हैं जो मौसम के अनुसार प्रवास करते हैं। इन परिवारों में 15 से 19 वर्ष की आयु के 28% युवा या तो अशिक्षित थे या इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा भी पूरी नहीं की थी।
- सात शहरों में मौसमी प्रवासी बच्चों की कुल संख्या का 80% ऐसा था जिनके कार्यस्थल के पास शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी और 40 प्रतिशत संख्या ऐसी थी जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने के स्थान पर कार्य का चुनाव करना पड़ा तथा इन बच्चों ने दुर्व्यवहार और शोषण का अनुभव भी किया।
- रिपोर्ट के अनुसार, निर्माण क्षेत्र में अल्पकालिक प्रवासियों की संख्या बहुत अधिक होती है। 2015-16 में पंजाब राज्य में 3,000 ईंट भट्ठी श्रमिकों पर किये गए एक सर्वेक्षण में पाया गया कि इन श्रमिकों में 60% संख्या अंतर्राज्यीय प्रवासियों की थी। भट्टों में रहने वाले 5 से 14 वर्ष के सभी बच्चों में से 65% से 80% के बीच ऐसे बच्चे थे जो प्रतिदिन 7-9 घंटे काम करते थे। लगभग 77% भट्ठी श्रमिकों ने अपने बच्चों की प्राथमिक शिक्षा तक पहुँच की कमी के बारे में सूचना दी।
- रिपोर्ट के अनुसार, अंतर्राज्यीय प्रवासन की दर 2001 और 2011 के बीच दोगुनी हो गई है। अनुमानत: 2011 से 2016 तक 9 मिलियन लोगों ने राज्यों के बीच प्रवासन किया।
- यह उन बच्चों की शिक्षा पर नकारात्मक प्रभाव की भी चेतावनी देता है जिनके माता-पिता उन्हें छोड़कर कार्य करने के लिये चले गए।

हालाँकि रिपोर्ट में भारत द्वारा इस क्रम में किये गए कुछ प्रयासों की सराहना भी की गई है। जो इस प्रकार हैं-

- 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून के तहत स्थानीय निकायों में प्रवासी बच्चों के प्रवेश को अनिवार्य बनाया जाना।
- राष्ट्रीय स्तर पर दिशा-निर्देश जारी किये गए जो कि बच्चों की प्रवेश प्रक्रिया को आसान बनाने, गतिशील (mobile) शिक्षा के समर्थन के लिये परिवहन और स्वयंसेवकों की उपलब्धता, मौसमी प्रवासियों के लिये छात्रावास बनाने और ज़िलों तथा राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने की अनुमति देता है।
- कुछ राज्यों द्वारा भी प्रवासी बच्चों की शिक्षा के लिये महत्त्वपूर्ण प्रयास किये गए। हालाँकि ये प्रयास उन प्रवासी लोगों के सामने आने वाली चुनौतियों का सामना करने की बजाय बच्चों को सामुदायिक गृहों में रखने पर केंद्रित हैं जो पहले से ही सक्रिय हैं।
- यह रिपोर्ट उस पहल कि असफलता को भी दर्शाती है जिसकी शुरुआत 2010-11 में राजस्थान में ईंट भट्टा साइटों पर ऐसे बच्चों के लिये की गई थी जिन्होंने स्कूल जाना छोड़ दिया था।
- इन साइटों पर शिक्षकों ने संस्कृति, भाषा, जीवनशैली, सफाई और कपड़ों को उनके और भट्ठी पर काम करने वाले समुदाय के बीच प्रमुख बाधाओं के रूप में उद्धृत किया। शिक्षक और छात्र अनुपस्थिति भी व्यापक रूप से देखी गई।
- रिपोर्ट के अनुसार, भारत में झोपड़ियों और अनौपचारिक बस्तियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है जहाँ स्कूल होना दुर्लभ ही होता है।

रिपोर्ट में दिए गए सुझाव

- आप्रवासियों तथा विस्थापित लोगों के लिये शिक्षा का अधिकार सुरक्षित किया जाए।
- आप्रवासियों तथा शरणार्थियों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में शामिल किया जाए।
- आप्रवासियों तथा शरणार्थियों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं को समझा जाए तथा उन्हें पूरा करने के लिये योजना बनाई जाए।

नोट :

- पूर्वाग्रह को समाप्त करने के लिये शिक्षा में आप्रवासन तथा विस्थापन को सही ढंग से शामिल किया जाए।
- विभेद तथा मुसीबतों को समाप्त करने के लिये आप्रवासियों तथा शरणार्थियों के लिये शिक्षक तैयार किये जाएँ।
- प्रवासियों तथा विस्थापित लोगों की सामर्थ्य को उपयोग में लाया जाए।
- मानवतावादी तथा विकास संबंधी सहायता राशि के माध्यम से आप्रवासियों तथा विस्थापित लोगों की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं का समर्थन किया जाए।

निष्कर्ष

- चीन और भारत दोनों ऐसे देश हैं जहाँ की एक बड़ी आबादी आतंरिक रूप से प्रवासन करती है और रिपोर्ट से पता चलता है कि मौसमी प्रवासन का शिक्षा पर महत्त्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।
- इसलिये, यूनेस्को की रिपोर्ट नीति निर्माताओं से झोपड़ियों में रहने वाले ग्रामीण प्रवासी बच्चों के लिये सार्वजनिक शिक्षा को मज़बूत करने का आग्रह करती है।
- प्रवासन और विस्थापन दोनों वैश्विक चुनौतियाँ हैं जिन्हें सामान्य रूप से 17 सतत् विकास लक्ष्यों (Sustainable Development Goals- SDGs) और विशेष रूप से SDG 4 यानी 'विशेष रूप से समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्तापरक शिक्षा सुनिश्चित करना और सभी के लिये आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा देना' है।

अंग्रेज़ी माध्यम स्कूल और छात्रों की बौद्धिक प्रगति

संदर्भ

हाल ही में वैज्ञानिकों ने भारतीय शिक्षा प्रणाली में अध्ययन-अध्यापन में प्रयुक्त होने वाली अंग्रेज़ी भाषा को लेकर चौंकाने वाले खुलासे किये हैं। वैज्ञानिकों का दावा है कि अध्ययन-अध्यापन में अंग्रेज़ी भाषा का इस्तेमाल बच्चों, खासतौर से उन बच्चों जिनके परिवार में कोई अन्य भाषा बोली जाती है, को शुरुआती कौशल प्रशिक्षण से दूर कर रहा है।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

- गौरतलब है कि इस चार वर्षीय प्रोजेक्ट को ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग (University of Reading) और कर्नाटक, हैदराबाद तथा नई दिल्ली स्थित सहयोगियों के साथ मिलकर पूरा किया जा रहा है।
- इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य उन कारणों का पता लगाना है जिसकी वज़ह से कोई देश, जहाँ बहुभाषावाद (Multilingualism) आम बात हो फिर भी वह इसका लाभ नहीं उठा पा रहा है।
- शोधकर्त्ता इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों बच्चे, पश्चिम के बहुभाषी बच्चों की तरह ज्ञान-संबंधी बातें सीखने में गहन रुचि नहीं ले रहे हैं।
- कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी (University of Cambridge) के एक प्रोफेसर के मुताबिक, इस विरोधाभास का जवाब दिल्ली, हैदराबाद और बिहार से पिछले दो वर्षों में एकत्र किये गए 1,000 स्कूली बच्चों से संबंधित आँकड़ों में छुपा है।
- इस प्रोजेक्ट के तहत दो वर्षों के दौरान टीम ने तीन अलग-अलग क्षेत्रों में विभिन्न सरकारी स्कूलों में शिक्षा के प्रावधान में काफी भिन्नता पाई है जिसमें शिक्षण पद्धति और मानक भी शामिल हैं।

संभावित कारण

- उक्त 1000 बच्चों की पुन: परीक्षा ली जाएगी जिसमें केवल परीक्षा के परिणाम ही नहीं बल्कि अन्य कारकों जैसे शिक्षण पद्धति, वातावरण तथा मानकों का भी ध्यान रखा जाएगा।
- परीक्षा में ख़राब प्रदर्शन की एक वज़ह छात्र-केंद्रित (Pupil-Centred) शिक्षण पद्धति का अभाव भी हो सकता है जिसमें शिक्षक छात्रों पर हावी हो जाते हैं। हावी होने की इस प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप कक्षा में खुलकर सवाल पूछने वाले छात्रों की संस्था में कमी आने लगती है।
- हालाँकि ये निष्कर्ष अभी प्रारंभिक अवस्था में हैं किंतु शोधकर्त्ताओं का मानना है कि स्कूलों में अध्ययन-अध्यापन का माध्यम, खासतौर से अंग्रेज़ी, ही वह कारण है जो इस भाषा से अनभिज्ञ छात्रों के पिछड़ने की वज़ह बन रहा है।

नोट :

वैश्विक पोषण रिपोर्ट- 2018

चर्चा में क्यों ?

- हाल ही में पोषण पर विश्व की सबसे व्यापक रिपोर्ट 'वैश्विक पोषण रिपोर्ट' (Global Nutrition Report- 2018) प्रस्तुत की गई, जो कुपोषण के सभी रूपों में प्रसार और उसकी सर्वव्यापकता को दर्शाती है।
- अपने पाँचवें संस्करण में वैश्विक पोषण रिपोर्ट ने कुपोषण को दूर करने के मामले में देशों की प्रगति के साथ-साथ वैश्विक स्तर पर कुपोषण रुपी समस्या का समाधान करने वाले उपायों को प्रमुखता से दर्शाया है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- हालाँकि कुपोषण को कम करने के मामले में कुछ प्रगति हुई है लेकिन यह प्रगति काफी धीमी है और कुपोषण के सभी रूपों तक इसकी पहुँच नहीं है।
- पाँच साल से कम आयु के बच्चों में स्टंटिंग के मामले में वैश्विक स्तर पर गिरावट दर्ज की गई है लेकिन अफ्रीका में इनकी संख्या बढ़ रही है और देशों के स्तर पर इस प्रगति में बहुत अधिक असमानताएँ हैं। वैश्विक स्तर पर पाँच साल से कम उम्र के बच्चों के बीच स्टंटिंग का स्तर वर्ष 2000 के 32.6% से घटकर 2017 में 22.2% पर पहुँच गया।
- वैश्विक स्तर पर महिलाओं के बीच कम वजन और एनीमिया की समस्या को हल करने में प्रगति बहुत धीमी रही है, वयस्कों में अधिक वज़न और मोटापे की समस्या में वृद्धि हुई है तथा पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में मोटापे की उच्च दर पाई गई है। वर्ष 2000 से अब तक अंडरवेट महिलाओं की संख्या में मामूली कमी आई है, जो वर्ष 2016 में 11.6% से घटकर 9.7% तक पहुँच गई।
- रिपोर्ट के अनुसार, प्रजनन योग्य आयु (Reproductive Age) की एक तिहाई महिलाएँ एनीमिक (Anemic) हैं, जबकि दुनिया के 39% वयस्क अत्यधिक वज़न या मोटापे से ग्रस्त हैं और हर साल करीब 20 मिलियन बच्चे अंडरवेट पैदा होते हैं।
- 194 देशों में से केवल 94 देश 2025 के लिये निर्धारित वैश्विक पोषण लक्ष्यों में से कम से कम एक को पूरा करने के मार्ग पर निश्चित रूप से अग्रसत हैं लेकिन अधिकांश देश एक भी लक्ष्य प्राप्त करने से काफी पीछे हैं।
- नए विश्लेषण से इस बात की पुष्टि होती है कि कुपोषण के विभिन्न रूप एक-दूसरे से संबद्ध होते जा रहे हैं।
- दुनिया भर में तेज़ी से बढ़ते संकट (सामाजिक-आर्थिक) कुपोषण के सभी रूपों से निपटने में काफी बाधा उत्पन्न करते हैं।
- कुपोषण को समाप्त करने के लिये प्रतिबद्धताओं में वृद्धि हुई है लेकिन इन प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिये एक लंबा रास्ता तय करना होगा।
- राष्ट्रीय पोषण नीतियों और पोषण लक्ष्यों की संख्या और विस्तार में वृद्धि हुई है लेकिन, इन लक्ष्यों को पूरा करने में सबसे अहम चुनौती है वित्तपोषण और कार्रवाई।
- ऋणदाताओं ने 2013 में Nutrition for Growth (N4G) शिखर सम्मेलन में किये गए वित्तपोषण प्रतिबद्धता को पूरा किया है, लेकिन विश्व स्तर पर अभी भी वित्तपोषण में भारी कमी है।
- प्रारंभिक संकेतों से पता चलता है कि कम और मध्यम आय वाले देशों में सरकारें पोषण पर अधिक घरेलू व्यय कर रही हैं।
- कुपोषण के सभी रूपों को समाप्त करने के लिये आहार में सुधार पर तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।
- अधिक से अधिक बेहतर डेटा से यह समझने में मदद मिलती है कि लोग क्या खा रहे हैं और यह क्यों मायने रखता है, लेकिन इस रिपोर्ट के आँकड़े दर्शाते हैं कि सभी देशों और संपत्ति समूहों में आहार, पोषण लक्ष्यों को प्राप्त करने के क्रम में एक महत्त्वपूर्ण खतरा पैदा करता है।
- स्वस्थ आहार नीतियाँ और कार्यक्रम देश, शहरों और समुदायों में प्रभावी साबित हो रही हैं लेकिन व्यापक स्तर एक समग्र कार्यवाही वाली नीति की कमी है।
- हालाँकि डेटा में भी सुधार हो रहा है लेकिन कुछ बुनियादी अंतराल ऐसे हैं जिन्हें भरना अभी शेष है तथा अधिक प्रभावी कार्रवाई को लागू करने के लिये और अधिक निवेश की आवश्यकता है।

नोट :

रिपोर्ट में सुझाए गए पाँच महत्त्वपूर्ण कदम

- कुपोषण के सभी रूपों में को समाप्त करने के लिये एकीकृत दृष्टिकोण और एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है।
- कार्रवाई के प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करें और आवश्यक डेटा को प्राथमिकता दें तथा निवेश में वृद्धि करें।
- पोषण कार्यक्रमों के लिये वित्त पोषण में वृद्धि करें और उसमें विविधता एवं नवीनता लाएँ।
- स्वस्थ आहार को बढ़ावा देने के लिये दुनिया भर में स्वस्थ खाद्य पदार्थों को सस्ता किया जाए और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।
- कुपोषण के सभी रूपों में समाप्त करने के लिये बेहतर प्रतिबद्धताओं को अपनाएँ और उन्हें पूरा करने का प्रयास करें - वैश्विक पोषण लक्ष्यों को पूरा करने के लिये एक महत्वाकांक्षी, परिवर्तनीय दृष्टिकोण को अपनाएँ।

वैश्विक पोषण रिपोर्ट और भारत

- वैश्विक पोषण रिपोर्ट के अनुसार, भारत में कुपोषण खतरनाक स्तर पर पहुँच गया है। पूरी दुनिया में में स्टंटेड (कुपोषण के कारण अविकसित रह जाने वाले) बच्चों की कुल संख्या में लगभग 31 प्रतिशत बच्चे भारतीय हैं। कुपोषण पीड़ित बच्चों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में पहले स्थान पर है।
- इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (International Food Policy Research Institute) के अध्ययन पर आधारित इस रिपोर्ट के अनुसार, वैश्विक स्तर पर 5 साल से कम उम्र के 150.8 मिलियन बच्चे स्टंटिंग और 50.5 मिलियन बच्चे वेस्टिंग (उम्र के अनुसार वज़न में कमी) का शिकार हैं।
- कुपोषण के कारण ओवरवेट होने वाले बच्चों की संख्या भारत में 10 लाख से अधिक है जिसके कारण भारत उन 7 देशों में शामिल है जहाँ कुपोषण के कारण ओवरवेट बच्चों की संख्या अधिक है। इस लिस्ट में शामिल अन्य देश हैं- अमेरिका, चीन, पाकिस्तान, मिस्र, ब्राजील और इंडोनेशिया। उल्लेखनीय है कि पूरी दुनिया में कुपोषण के कारण ओवरवेट का शिकार होने वाले बच्चों की संख्या 38.3 मिलियन है।

स्टंटिंग से पीड़ित बच्चों की संख्या के अनुसार शीर्ष 3 देश

- भारत- 46.6 मिलियन
- नाइजीरिया- 13.9 मिलियन
- पाकिस्तान- 10.7 मिलियन

वेस्टिंग से पीड़ित बच्चों की संख्या के अनुसार शीर्ष 3 देश

- भारत- 25.5 मिलियन
- नाइजीरिया- 3.4 मिलियन
- इंडोनेशिया- 3.3 मिलियन

वैश्विक पोषण रिपोर्ट के बारे में

- वैश्विक पोषण रिपोर्ट दुनिया भर में कुपोषण की स्थिति पर दुनिया का सबसे प्रमुख प्रकाशन है।
- वैश्विक पोषण रिपोर्ट की परिकल्पना वर्ष 2013 में न्यूट्रीशन फॉर ग्रोथ (Nutrition for Growth-N4G) शिखर सम्मेलन में की गई थी। वर्ष 2014 में इस रिपोर्ट का पहला संस्करण प्रकाशित किया गया था।
- यह डेटा संचालित रिपोर्ट है तथा वार्षिक रूप से प्रकाशित की जाती है।
- यह वैश्विक पोषण लक्ष्यों पर प्रगति को ट्रैक करता है, जिसमें आहार से संबंधित NCDs से लेकर मातृ, शिशु और युवा बाल पोषण शामिल होते हैं।
- 2018 वैश्विक पोषण रिपोर्ट मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा करती है, कुपोषण का मुकाबला करने में हुई प्रगति पर प्रकाश डालती है, चुनौतियों की पहचान करती है और उन्हें हल करने के तरीकों का प्रस्ताव देती है।
- यह दुनिया के अग्रणी शिक्षाविदों, शोधकर्ताओं और सरकारी प्रतिनिधियों के एक स्वतंत्र विशेषज्ञ समूह (Independent Expert Group- IEG) द्वारा किये गए शोध और विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है।
- विश्व बैंक (World Bank) इस रिपोर्ट का वैश्विक भागीदार है।

नोट :

कला एवं संस्कृति

ढोकरा शिल्प कला (Dhokra sculptures)

संदर्भ

ढोकरा कला दस्तकारी की एक प्राचीन कला है। बस्तर ज़िले के कोंडागाँव के कारीगर ढोकरा मूर्तियों पर काम करते हैं जिसमें पुरानी मोम-कास्टिंग तकनीक का उपयोग करके मूर्तियाँ बनाई जाती हैं।

ढोकरा शिल्पकारों की समस्या

- ढोकरा कारीगरों के अनुसार, वर्तमान में इन कारीगरों की सबसे बड़ी समस्या है- जीएसटी। नई टैक्स प्रणाली का पालन कर पाना मुश्किल है और इसके कारण इनके द्वारा निर्मित मूर्तियों की बिक्री लगभग आधी हो गई है।
- वर्तमान बाज़ार में इस कला के पारंपरिक स्वरुप बदल गया है। मधुमक्खियों से प्राप्त मोम जो कि इस कला की प्राथमिक आवश्यकता थी, अब उसका अधिक उपयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि यह इतनी महँगी हो चुकी है कि इसे खरीदना आसान नहीं है।
- पारंपरिक पशु मूर्तियों- घोड़े, हाथी, ऊँट और ऐसी ही अन्य मूर्तियाँ- धीरे-धीरे पेपरवेट्स, पेन होल्डर, मोमबत्ती होल्डर जैसी अधिक कार्यात्मक चीज़ों द्वारा प्रतिस्थापित की जा रही हैं।

पृष्ठभूमि

- भारत एक ऐसा देश है, जहाँ विभिन्न कलाओं व संस्कृतियों का मिश्रण देखने को मिलता है। सभी प्रकार की कलाएँ किसी-न-किसी रूप में इतिहास से जुड़कर अपनी गौरवशाली गाथा का बखान करती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर ज़िले की ढोकरा कला भी इन्हीं कलाओं में से एक है। इस कला का दूसरा नाम घढ़वा कला भी है। यह कला प्राचीन होने के साथ-साथ असाधारण भी है।
- इस कला में तांबा, जस्ता व रांगा (टीन) आदि धातुओं के मिश्रण की ढलाई करके मूर्तियाँ, बर्तन, व रोज़मर्रा के अन्य सामान बनाए जाते हैं।
- इस प्रक्रिया में मधुमक्खी के मोम का इस्तेमाल होता है। इसलिये इसे मोम क्षय विधि (Vax Loss Process) भी कहते हैं।
- इस कला का उपयोग करके बनाई गई मूर्ति का सबसे पुराना नमूना मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त नृत्य करती हुई लड़की की प्रसिद्ध मूर्ति है।

ओडिशा सरकार बनाम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (It's Odisha govt vs ASI)

संदर्भ

ओडिशा स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने वर्ष 1984 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया था और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस मंदिर का संरक्षक है। लेकिन हाल ही में एक क्षेत्रीय समाचार पत्र ने अपनी रिपोर्ट में मंदिर की मरम्मत में अनियमितता की जानकारी दी। मंदिर की मरम्मत में अनियमितता की बात सामने आते ही ओडिशा सरकार ने इसकी जाँच के लिये समिति बनाने की मांग की है।

ओडिशा सरकार का तर्क

मंदिर की नक्काशी ओडिशा के गर्व का प्रतीक है जिसमें समकालीन जीवन और दैनिक गतिविधियों को परिष्कृत और प्रतीकात्मक चित्रण के माध्यम से दर्शाया गया है। ऐसे में क्षेत्रीय समाचार पत्र की रिपोर्ट में मौजूदा कोणार्क सूर्य मंदिर के कलात्मक नक्काशी वाले 40% पत्थरों को हटाकर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा उनके स्थान पर सादे पत्थर लगाए जाने की बात सामने आना गंभीर चिंता का विषय है।

नोट :

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का तर्क

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मंदिर के कलात्मक पत्थरों के प्रतिस्थापन के आरोपों को ख़ारिज करते हुए कहा है कि कोणार्क सूर्य मंदिर से एक भी नक्काशीयुक्त पत्थर को प्रतिस्थापित नहीं किया गया है और न ही विश्व धरोहर स्थलों की मरम्मत से संबंधित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन किया गया है।

कोणार्क सूर्य मंदिर

- बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर भगवान सूर्य के रथ का एक विशाल प्रतिरूप है। यह मंदिर ओडिशा के पुरी ज़िले में स्थित है।
- रथ के 24 पहियों को प्रतीकात्मक डिज़ाइनों से सजाया गया है और सात घोड़ों द्वारा इस रथ को खींचते हुए दर्शाया गया है।
- यह भारत के चुनिंदा सूर्य मंदिरों में से एक है।
- भारतीय उपमहाद्वीप के पूर्वी तट पर स्थित कोणार्क सूर्य मंदिर, मंदिर वास्तुकला और कला के उत्कृष्ट उदाहरणों में से एक है।

दृष्टि The Vision

नोट :

एथिक्स

स्वत: संचालित कार और नैतिकता
(Ethics in a self-driving car: whom should it opt to save in an accident ?)

हाल ही में स्वत: संचालित वाहनों के संदर्भ में नेचर पत्रिका में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया था जिसमें स्वत: संचालित वाहनों के विषय में नैतिकता की कसौटी पर कुछ प्रश्न उठाए गए थे।

केस स्टडी

- अध्ययन में दो स्वत: संचालित कारों की स्थितियाँ प्रदर्शित की गई थीं, पहली परिस्थिति में स्वत: संचालित कार के रूप में दो-लेन राजमार्ग पर स्वत: संचालित उस वाहन की कल्पना की गई है जिसके ब्रेक अचानक से फेल हो जाएँ और यदि यह वाहन उसी गति से आगे बढ़ता रहता है तो सड़क पार करने वाले दो पुरुषों को और साथ ही वही वाहन के लेन से बाहर निकलते ही यह कुछ कुत्तों को मार देगा।
- वहीं, एक दूसरी परिस्थति में बताया गया है कि एक स्वत: संचालित वाहन एक आदमी, एक महिला, एक बच्चा और एक कुत्ते को ले जा रहा है।
- इस वाहन के आगे से एक गर्भवती महिला, एक बुज़ुर्ग महिला, एक डाकू, एक लड़की और एक गरीब व्यक्ति सड़क पार कर रहे हैं और ब्रेक खराब हो जाता है, ऐसी स्थिति में अगर वाहन वापस घूमने का विकल्प चुनता है, तो यह एक बेरिकेड्स में दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा, जिससे संभवत: सवार यात्रियों को जान गवाँनी पड़ेगी।
- अत: अब प्रश्न यह है कि दोनों ही स्थितियों में वाहन को किन्हें बचाने का विकल्प चुनना चाहिये ?

परिणाम

- औसतन, सभी देशों के उत्तरदाताओं ने जानवरों की बजाय मानव जीवन का चयन किया और बड़ी संख्या में युवाओं के जीवन को बचाने को प्राथमिता दी गई।
- वहीं, अन्य पहलुओं पर विभिन्न देशों के उत्तरदाताओं के बीच काफी असहमति थी।
- इस केस स्टडी में सुझाव दिया गया कि ऐसी परिस्थिति में एक 'सार्वभौमिक नैतिक कोड' बनाना मुश्किल होगा।
- इस अध्ययन के भारतीय प्रतिभागियों ने पैदल चलने वालों की बजाय बुजुर्गों और महिलाओं को बचाने की दिशा में काफी हद तक अपनी राय व्यक्त की है।
- हालाँकि, हम सभी मनोवैज्ञानिक सीमाओं से परे मनुष्यों की अपेक्षा स्वत: संचालित कारों को अधिक नैतिक तरीके से संचालित करने के लिये प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार

पाकिस्तान की मानवाधिकार कार्यकर्त्ता आसमा जहाँगीर को मरणोपरांत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह 25 अक्तूबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस पुरस्कार के लिये घोषित चार विजेताओं में से एक थीं। इस पुरस्कार के तीन और विजेता इस प्रकार हैं-

1. तंजानिया की कार्यकर्त्ता रेबेका गयुमी (Rebecca Gyumi)
2. ब्राज़ील की पहली स्थानीय अधिवक्ता जोएनिया वापीचना (Joenia Wapichana)
3. आयरलैंड का मानवाधिकार संगठन 'फ्रंट लाइन डिफेंडर्स' (Front Line Defenders)

नोट :

- उल्लेखनीय है कि पाकिस्तान में आसमा जहाँगीर से पहले बेगम राणा लियाकत अली खान (1978), बेनज़ीर भुट्टो (2008) मलाला युसूफजई (2013) को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।
- इन पुरस्कारों का वितरण 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस के अवसर पर किया जाएगा।
- 66 वर्षीय जहाँगीर, जिनका 11 फरवरी को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था, को स्पष्टवादी स्वभाव और मानव अधिकारों के क्षेत्र में किये गए निरंतर प्रयास के लिये जाना जाता था। वह पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में सेवा करने वाली पहली महिला थीं।

दृष्टि The Vision

नोट :

चर्चा में

धर्म गार्जियन-2018

भारत और जापान सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिये प्रथम संयुक्त सैन्य अभ्यास 'धर्म गार्जियन-2018' का आयोजन 01 नवंबर से 14 नवंबर, 2018 तक भारत के वैरेंटे में स्थित काउंटर इन्सर्जेंसी वारफेयर स्कूल में किया जाएगा।

- इस सैन्य अभ्यास में भारतीय सेना और जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स भाग लेंगे।
- भारतीय दल का प्रतिनिधित्व 6/1 गोरखा रायफल्स और जापानी दल का प्रतिनिधित्व जापान ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स की 32 इन्फैंट्री रेजीमेंट करेगी।
- इस 14 दिवसीय सैन्य अभ्यास के दौरान दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच अंतर-परिचालन पर विशेष ज़ोर दिया जाएगा।
- दोनों पक्ष शहरों में युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर संभावित खतरों के निराकरण के लिये सामरिक सैन्य अभ्यासों हेतु संयुक्त रूप से प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं योजना बनाने के साथ-साथ उनका समुचित कार्यान्वयन भी करेंगे।
- 'धर्म गार्जियन-2018' दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग सहित सामरिक संबंधों को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- इस सैन्य अभ्यास से पारस्परिक समझ विकसित करने और एक-दूसरे की सेनाओं के प्रति सम्मान भाव उत्पन्न करने में काफी मदद मिलेगी। इससे आतंकवाद से जुड़े वैश्विक घटनाक्रम पर करीबी नज़र रखने में भी आसानी होगी।

ट्राईडेंट जंक्चर- 2018

25 अक्तूबर, 2018 को नार्वे में नाटो का सैन्य अभ्यास 'ट्राईडेंट जंक्चर- 2018' शुरू हुआ जो 7 नवंबर, 2018 तक चलेगा।

- शीतयुद्ध के बाद यह नाटो का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास है।
- नाटो के 29 देश तथा 2 साझेदार देशों के 50,000 सैनिक, 10,000 वाहन, 65 पोत तथा 250 वायुयान इस अभ्यास में भाग ले रहे हैं।
- इस अभ्यास में जल, थल और वायु तीनों सेनाएँ शामिल हैं।
- इस अभ्यास का आयोजन पहली बार 2015 में स्पेन तथा पुर्तगाल में किया गया था।

नासा का केप्लर टेलीस्कोप

अंतरिक्ष में नौ वर्षों तक डेटा एकत्र करने के बाद नासा का केप्लर टेलीस्कोप रिटायर हो गया है।

- उल्लेखनीय है कि इन 9 वर्षों में केप्लर ने 2,600 से अधिक एक्सोप्लैनेट्स की खोज की है।
- नासा ने केप्लर दूरबीन को 6 मार्च, 2009 को लॉन्च किया था।
- नासा ने इस टेलीस्कोप को रिटायर करने का फैसला इसका ईंधन ख़त्म होने के कारण लिया।
- इस दूरबीन ने वैज्ञानिकों को हमारे सौरमंडल से परे अरबों ग्रहों से अवगत कराया और ब्रह्मांड को समझने में उनकी मदद की।

सेहल वर्क ज़ेवड़े

- इथियोपिया की संसद ने 69 वर्षीय सेहल वर्क ज़ेवड़े को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है। उल्लेखनीय है कि इथियोपिया के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त की जाने वाली वह प्रथम महिला हैं।
- 25 अक्तूबर, 2018 को फ़ेडरल पार्लियामेंट्री असेंबली ने सर्वसम्मति से सेहल वर्क को राष्ट्रपति के रूप में चुना। उन्होंने मुलातु तेशोमे का स्थान लिया। सेहल का कार्यकाल 6 वर्षों का होगा।

नोट :

पंकज आडवाणी

- 19 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पंकज आडवाणी ने चीन में आयोजित एशियाई टूर 10 रेड्स स्नूकर 2018 का खिताब जीता। उल्लेखनीय है कि एशियाई टूर 10 रेड्स स्नूकर का खिताब जीतने वाले वह पहले भारतीय हैं।इस चैंपियनशिप का आयोजन जीनान, चीन में किया गया था।
- फाइनल मुकाबले में पंकज ने चीन के जु रेती को हराकर यह खिताब जीता।
- वर्ष 2003 में पंकज ने चीन में ही अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता था और अब 15 वर्षों के बाद उन्होंने चीन की भूमि पर एक और खिताब जीता है।

CSIR द्वारा विकसित कम प्रदूषण वाले पटाखे

- CSIR के वैज्ञानिकों ने कम प्रदूषण फैलाने वाले ऐसे पटाखे विकसित किये हैं जो न केवल पर्यावरण के अनुकूल हैं बल्कि परंपरागत पटाखों की तुलना में 15 से 20 प्रतिशत सस्ते हैं।
- इन पटाखों को सेफ वाटर रिलीज़र (SWAS), सेफ मिनिमल एल्युमिनियम(SAFAL) और सेफ थर्माइट क्रैकर (STAR) नाम दिया गया है।
- CSIR के इस प्रयास का उद्देश्य प्रदूषण से जुड़ी चिंताओं को दूर करने के साथ ही इस व्यापार में लगे लोगों की आजीविका की रक्षा करना है। उल्लेखनीय है कि भारतीय पटाखा उद्योग की कुल वार्षिक बिक्री लगभग 6,000 करोड़ रुपए है और यह 5 लाख से अधिक परिवारों को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से रोज़गार के अवसर प्रदान करता है।
- भारत में पहली बार CSIR-NEERI में उत्सर्जन परीक्षण सुविधा स्थापित की गई है और उत्सर्जन तथा आवाज़ की निगरानी के लिये परंपरागत और हरित पटाखों का विस्तृत परीक्षण किया जा रहा है।

आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर समझौते को मंज़ूरी

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आपराधिक मामलों में पारस्परिक कानूनी सहायता पर भारत और मोरक्को के बीच समझौते को अपनी स्वीकृति दे दी है।

लाभ :

- यह समझौता भारत और मोरक्को के बीच अपराध की जाँच तथा अभियोजन, रोकथाम, अपराध से हुई प्राप्तियों और अपराध के साधनों की ज़ब्ती तथा अपराध के तरीकों से निपटने के लिये व्यापक कानूनी ढाँचा प्रदान करेगा।
- इसका उद्देश्य अपराध की जाँच और अभियोजन को अधिक कारगर बनाना तथा समाज को आवश्यक शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करना है।
- यह समझौता संगठित अपराधियों और आतंकवादियों के तौर-तरीकों के बारे में जानकारी हासिल करने में सहायता प्रदान जिसके परिणामस्वरूप आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में उचित नीतिगत निर्णय लिये जा सकेंगे।

पाथेर पांचाली

हाल ही में बीबीसी कल्चर ने विश्व की 100 बेहतरीन फिल्मों की सूची जारी की। बीबीसी द्वारा जारी इस सूची में भारत की केवल एक फिल्म जगह बनाने में सफल रही है।

- सत्यजीत रे निर्मित फिल्म पाथेर पंचाली ने इस सूची में पंद्रहवाँ स्थान हासिल किया है। जबकि अकीरा कुरोसोवा द्वारा निर्देशित जापान की फिल्म 'सेवेन समुराय' (Seven Samurai) इस सूची में प्रथम स्थान पर है।
- फिल्म पाथेर पंचाली वर्ष 1955 में रिलीज़ हुई थी।
- फ्राँस में प्रत्येक वर्ष आयोजित किये जाने वाले कान्स फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म को 'बेस्ट ह्यूमन डाक्यूमेंट' का विशेष पुरस्कार भी दिया जा चुका है।
- यह फिल्म काफी हद तक बांग्ला लेखक विभूतिभूषण बंदोपाध्याय के उपन्यास से प्रभावित है।

नोट :

बायोफैच इंडिया

25-27 अक्तूबर, 2018 को नई दिल्ली में बायोफैच इंडिया के दसवें संस्करण का आयोजन किया गया।

- बायोफैच इंडिया कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA) तथा भारत-जर्मनी वाणिज्य मंडल द्वारा आयोजित कार्बनिक उद्योग के बारे में विश्व का सबसे बड़ा सम्मेलन है।

APEDA के बारे में

- कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (APEDA) की स्थापना दिसंबर, 1985 में संसद द्वारा पारित कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा की गई।
- प्राधिकरण ने संसाधित खाद्य निर्यात प्रोत्साहन परिषद का स्थान लिया।

टेक्नोलॉजी सुविधा केंद्र

हाल ही में असम के जोरहट जिले में सीएसआईआर-पूर्वोत्तर विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान (NEIST) के परिसर में 'टेक्नोलॉजी सुविधा केंद्र' की आधारशिला रखी गई।

- इस नए विज्ञान केंद्र की स्थापना का खर्च पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा वहन किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मंत्रालय ने इस निर्माण की शुरुआत के लिये 40 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
- नया विज्ञान केंद्र तेज़ी से विकास के लिये एक तकनीकी और मध्यवर्ती उत्प्रेरक का काम करेगा, जिससे पूर्वोत्तर राज्य भारत के कुछ पश्चिमी राज्यों की सफलता दर के बराबर पहुँच सकेंगे।

'आवाज़ाही में सुगमता' सूचकांक

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 1 नवंबर, 2018 को भारत का पहला 'आवाज़ाही में सुगमता' सूचकांक 2018 जारी किया।

- यह सूचकांक उन सूचनाओं का स्रोत है जिससे पारगमन एजेंसियों और शहरी योजनाकारों को सूचनाओं पर आधारित निर्णय लेने और नियमित रूप से यात्रा करने वालों की पसंद के अनुरूप सटीक समाधान या साधन पेश करने में मदद मिलेगी।
- यह रिपोर्ट ओला मोबिलिटी इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार की गई है जो ओला की अनुसंधान एवं सामाजिक नवाचार इकाई है।
- रिपोर्ट के निष्कर्षों के रूप में, 80 प्रतिशत यात्रियों ने कोलकाता के सार्वजनिक परिवहन को उचित और उनके किराये को वहन करने योग्य पाया।

सार्वजनिक खरीद और प्रतिस्पर्धा कानून पर राष्ट्रीय सम्मेलन

5 नवंबर, 2018 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India-CCI) ने नई दिल्ली में 'सार्वजनिक खरीद और प्रतिस्पर्धा कानून पर राष्ट्रीय सम्मेलन' का आयोजन किया। इस आयोजन का उद्देश्य बढ़ती हुई प्रतिस्पर्द्धा के अनुरूप क्षमता संवर्द्धन और सार्वजनिक खरीद पारिस्थितिकी तंत्र में महत्त्वपूर्ण हितधारकों तक पहुँच बनाना है।

- इस राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कॉर्पोरेट मामले मंत्रालय के अधीन एक थिंक टैंक, कारपोरेट मामलों के भारतीय संस्थान (Indian Institute of Corporate Affairs-IICA) के सहयोग से किया जा रहा है।
- यह राष्ट्रीय सम्मेलन, आयोग की एक अनूठी पहल है, जो विभिन्न हितधारकों को प्रतिस्पर्द्धा कानून और जनता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर नीति निर्माताओं और उद्योग के बीच सक्रिय चर्चा में शामिल होने के लिये एक मंच प्रदान करता है।
- इस राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के विभिन्न नीति निर्माता, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, उद्योग, कानूनी और वित्त पेशेवर, कॉर्पोरेट वकील, शिक्षाविद और अन्य प्रासंगिक हितधारकों के प्रतिभागी शामिल हुए।

नोट :

ग्रीन बिल्डिंग (Green building)

हाल ही में भारत में हरित भवनों को बढ़ावा देने के लिये ऊर्जा और संसाधन संस्थान (Energy and Resources Institute - TERI) और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित गृह (Green Rating for Integrated Habitat Assessment-GRIHA) नामक एक गैर-लाभकारी सोसाइटी द्वारा एक मूल्यांकन प्रतिशत जारी किया गया है।

- यह एक रेटिंग प्रणाली है जो कुछ खास राष्ट्रीय स्तर के स्वीकार्य मानकों पर इमारत के प्रदर्शन को आँकने में लोगों की सहायता करती है।
- इस रेटिंग सिस्टम द्वारा प्रदत्त अनुमान के अनुसार, भारत की 2% से भी कम इमारतें 'हरित भवन' (green building) है। हालाँकि, इनकी संख्या में बढोत्तरी होने की प्रबल संभावनाएँ है क्योंकि अगले 20 वर्षों में देश का करीब 60 प्रतिशत आधारभूत ढाँचा ग्रीन बिल्डिंग के तहत तैयार होने का अनुमान लगाया जा रहा है।
- ग्रीन बिल्डिंग के निर्माण के लिये एक व्यावहारिक और जलवायु के प्रति सजग दृष्टिकोण है। ग्रीन बिल्डिंग यानी हरित भवन को पर्यावरण को ही ध्यान में रखकर तैयार किया जाता है।
- इनसे पर्यावरण को किसी तरह की क्षति नहीं पहुँचती है। इन भवनों के आस-पास बड़ी संख्या में पेड़-पौधे लगाए जाते है ताकि तापमान को नियंत्रित किया जा सके।

राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष धनवंतरी जयंती (धनतेरस) के अवसर पर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। इस बार आयुर्वेद दिवस 5 नवंबर को मनाया जाएगा।इस उपलक्ष्य में आयुष मंत्रालय नीति आयोग के साथ मिलकर 4 और 5 नवंबर, 2018 को नई दिल्ली में आयुर्वेद में उद्यमिता तथा व्यापार विकास पर एक संगोष्ठी का आयोजन कर रहा है।

- संगोष्ठी में विपणन, वित्तीय प्रबंधन, नवाचार, टेली मेडिसिन और स्टार्टअप के विशेषज्ञ, नीति निर्माता, आयुर्वेद फार्मा तथा चिकित्सा उद्योग क्षेत्र के अनुभवी लोग प्रतिभागियों के साथ अपने अनुभव साझा करेंगे एवं उनका मार्गदर्शन करेंगे।
- संगोष्ठी के दौरान होने वाली चर्चाओं के माध्यम से युवा उद्यमियों को आयुर्वेद क्षेत्र में कारोबार की विभिन्न संभावनाओं, नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के तरीके तथा कारोबार शुरू करने के लिये सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं की जानकारी दी जाएगी।
- आयुर्वेद क्षेत्र के जाने-माने वैद्यों को इस दिन 'राष्ट्रीय धनवंतरी आयुर्वेद पुरस्कार' से सम्मानित किया जाएगा।
- इस बार यह पुरस्कार आयुर्वेद के जानेमाने विशेषज्ञ वैद्य शिव कुमार मिश्रा, वैद्य माधव सिंह बघेल और इतूजी भवदासन नंबूदरी को दिया जाएगा।
- तीसरे आयुर्वेद दिवस के अवसर पर 5 नवंबर को आयुष स्वास्थ्य प्रणाली का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से रिकॉर्ड रखने के लिये आयुष-स्वास्थ्य प्रबंधन सूचना प्रणाली (ए-एचएमआईएस) के नाम से एक समर्पित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा।
- गौरतलब है कि पहले आयुर्वेद दिवस का आयोजन 2016 में किया गया था।
- इस आयुर्वेद दिवस के अवसर पर कई आयुर्वेद संस्थानों द्वारा देश के 100 से ज़्यादा प्रमुख शहरों में हाफ मैराथन का आयोजन किया जा रहा है।

नासा का डॉन मिशन

- क्षुद्रग्रहों की पट्टी में दो सबसे बड़े क्षुद्रग्रहों वेस्टा और सेरेस का चक्कर लगाने वाले नासा के 'डॉन' अंतरिक्षयान में ईंधन समाप्त होने के बाद इसका 11 साल पुराना मिशन समाप्त हो गया।
- डॉन ने 31 अक्तूबर और 1 नवंबर को नासा के डीप स्पेस नेटवर्क के साथ निर्धारित संचार सत्रों के दौरान संपर्क खो दिया था।
- मिशन का महत्त्व
- डॉन द्वारा एकत्र की गई वेस्टा और सेरेस की आश्चर्यजनक छवियाँ एवं डेटा सौरमंडल के इतिहास और विकास को समझने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।

नोट :

- 2011 में जब डॉन वेस्टा पर पहुँचा तब यह मंगल और बृहस्पति के बीच उपस्थित किसी पिंड पर पहुँचने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया था।
- 2015 में जब डॉन सेरेस की कक्षा में पहुँचा तो यह एक बौने ग्रह का दौरा करने वाला और पृथ्वी से परे दो गंतव्यों के चारों ओर कक्षा में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान बन गया।

भंगरू

भंगरू एक जल सरंक्षण तकनीक है। यह गुजराती शब्द है जिसका अर्थ है 'स्ट्रॉ'।

- इस तकनीक का प्रयोग मिट्टी में अधिक लवणता वाले क्षेत्रों में किया जाता है। इस तकनीक का उपयोग कर बारिश का पानी खेतों में ही ज़मीन के नीचे एकत्र कर लिया जाता है।
- इस तकनीक के उपयोग से मृदा की लवणता में कमी आई है और किसानों को सूखे की मार से बचाने के साथ ही ताज़े पानी की आपूर्ति में वृद्धि हुई है।
- इस प्रणाली को ज़मीन में इस तरह फिट किया जाता है कि ज़मीन के बाहर का पानी इससे होता हुआ पहले फिल्टर में जाता है जहाँ पानी के साथ आए कूड़े-कंकड़ इत्यादि को फ़िल्टर किया जाता जाता है। फ़िल्टर होने के बाद यह पानी ज़मीन के भीतर बने कुएँ में जमा हो जाता है।
- आवश्यकता पड़ने पर पानी को मोटरपम्प की सहायता से बाहर निकालकर इस्तेमाल किया जा सकता है।

बाघिन अवनि

हाल ही में महाराष्ट्र के यवतमाल ज़िले में नरभक्षी बाघिन अवनि को मार दिया गया। माना जाता है कि इस बाघिन ने पिछले दो सालों में लगभग 13-14 लोगों की जान ली थी। इस बाघिन के नरभक्षी होने के बावजूद इसकी हत्या का विरोध भी किया जा रहा है।

- अवनि को अधिकारिक रूप से टी-1 (T-1) के नाम से जाना जाता था और इसके दो शावक भी हैं।
- इस बाघिन को मारने की ज़िम्मेदारी निशानेबाज़ असगर अली को दी गई थी।

'संघवारी' मतदान केंद्र

चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में महिला मतदाताओं को विधानसभा चुनाव में मतदान हेतु प्रोत्साहित करने के लिए 'संघवारी' मतदान केंद्रों की स्थापना की है।

- छत्तीसगढ़ की बोली में 'संघवारी' का अर्थ है 'मित्र'। अत: इन मतदान केंद्रों पर केवल महिला अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी जिसमें सुरक्षाकर्मी और पर्यवेक्षक भी शामिल हैं।
- चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 संघवारी मतदान केंद्रों की स्थापना की है।
- उलेखनीय है कि छत्तीसगढ़ में मतदाताओं की कुल संख्या 1 करोड़ 85 लाख है जिसमें 92 लाख महिला मतदाता शामिल हैं। राज्य में 90 निर्वाचन क्षेत्र हैं।

भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम

नाम बदलने की प्रक्रिया को जारी रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में नव निर्मित इकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदल कर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कर दिया है।

- नामकरण के बाद इस स्टेडियम का उद्घाटन 6 नवंबर, 2018 को किया गया।
- इस स्टेडियम 50,000 दर्शकों के बैठने की व्यवस्था है।
- स्टेडियम का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है क्योंकि वह 1991 और 2009 के बीच लगातार पाँच बार लखनऊ से सांसद चुने गए थे।

नोट :

फतह दिवस (Fateh Divas)

- ग्वालियर किले से रिहा होने के बाद, अमृतसर में छठे सिख गुरु हरगोबिंद (1595-1644) के आगमन के अवसर पर दीपावली के एक दिन बाद फतह दिवस मनाया जाता है।
- मुगल सम्राट जहांगीर (1605-1627) ने सिख सत्ता को खतरे का सबब मानते हुए गुरु हरगोबिंद को ग्वालियर किले में कैद कर लिया था।
- गुरु हरगोबिंद ने अपने पिता गुरु अर्जुन सिंह के आदेशानुसार, एक सशक्त सिख सेना गठित की तथा सिख धर्म को इसका सैन्य गुण प्रदान किया।

भारतीय स्टार कछुए (Indian Star Tortoises)

हाल ही में सीमा शुल्क अधिकारियों ने भारतीय स्टार कछुओं को जब्त किया है।

- स्टार कछुए, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम (Wild Life Protection Act), 1972 की अनुसूची IV और वन्य जीव एवं वनस्पति की लुप्तप्राय प्रजातियों पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) के तहत संरक्षित हैं।
- आई.यू.सी.एन. (International Union for Conservation of Nature-IUCN) द्वारा इसे भेद्य श्रेणी (vulnerable category) के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
- भारतीय स्टार कछुए उत्तर-पश्चिम भारत (गुजरात, राजस्थान) तथा समीप के दक्षिण-पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी-दक्षिणी तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पूर्वी कर्नाटक, ओडिशा तथा श्रीलंका में पाए जाते हैं।
- पारंपरिक औषधियों, भोजन तथा 'विदेशों में पालतू जानवर' के रूप में इन कछुओं की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिये इनका अवैध व्यापार किया जाता है।
- भारतीय स्टार कछुए कांटेदार और घास के मैदान के साथ-साथ अर्द्ध शुष्क जंगलों में पाए जाते है, जो इनके छिपने और भोजन के लिये एक बेहतर स्थान होता है।
- मलेशिया, अवैध वन्यजीव व्यापार का एक प्रमुख केंद्र है। इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ साइट्स के प्रभावी कार्यान्वयन नहीं होता है।

सिमबेक्स 2018 (SIMBEX18)

भारत और सिंगापुर की नौसेना के बीच संयुक्त द्विपक्षीय अभ्यास-सिमबेक्स 10 से 21 नवंबर, 2018 के बीच अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा। यह सिमबेक्स की 25वीं वर्षगांठ होगी।

- इससे पहले दोनों देशों के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास दक्षिणी चीन सागर में मई 2017 में आयोजित किया गया था।
- इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिये दोनों देशों की नौसेनाओं ने अभ्यास क्षेत्र की भौगौलिक सीमाओं को विस्तार दिया है।
- भारत और सिंगापुर के बीच 1994 से शुरू हुए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का इस बार का संस्करण सबसे बड़ा होगा।
- इस अभ्यास में भारतीय नौसेना का प्रतिनिधित्व रणवीर श्रेणी का विध्वंसक पोत रणविजय, आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस सहयाद्रि, आईएनएस कदमत, आईएनएस कीर्च, आईएनएस सुमेधा और आईएनएस सुकन्या कर रहे हैं।
- इन विध्वंसक पोतों के काफिले के साथ ही सिंधु घोष श्रेणी की पनडुब्बी आईएनएस शक्ति और आईएनएस सिंधु कीर्ति भी शामिल रहेंगी।
- नौसैनिक अभ्यास में समुद्री गश्ती विमान डॉर्नियर 228, पी81, एमके132 हॉक और यूएच3एच तथा चेतक हेलीकॉप्टर भी शामिल होंगे।
- शुरूआती चरण में बंदरगाह स्तर पर इसका आयोजन अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की राजधानी पोर्टब्लेयर में किया जाएगा।
- इसके बाद समुद्री क्षेत्र में अभ्यास की शुरूआत अंडमान सागर में होगी।
- बंदरगाह स्तर पर अभ्यास का दूसरा चरण विशाखापत्तनम में आयोजित किया जाएगा।
- समुद्री क्षेत्र में अभ्यास का अंतिम चरण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया जाएगा।

नोट :

पृष्ठभूमि

- भारत और सिंगापुर के बीच नौसैनिक सहयोग की शुरूआत 1994 में हुई थी, जब सिंगापुर नौसेना के जहाजों ने भारतीय नौसेना के साथ प्रशिक्षण आरंभ किया था।
- मुख्यत: एंटी सबमरीन वॉर फेयर के रूप में शुरू हुआ यह सहयोग अब और ज्यादा व्यापक हो चुका है। हाल के वर्षों में इसमें विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर आधुनिक अभ्यास भी शामिल हो चुके हैं।

गंगा ग्राम

गंगा ग्राम एक विचार है, जो गंगा तट पर बसे गांव को आदर्श गांव में परिणत करने से संबंधित है।

- इसके तहत खुले में शौच से मुक्ति, ठोस और द्रव कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण, भूजल स्तर को बेहतर बनाना, आधुनिक शवदाह गृह, वृक्षारोपण, जैविक और औषधीय पौधा रोपण आदि को शामिल किया गया है।
- गंगा तट पर बसे 4465 गांवों को खुले में शौच से मुक्त घोषित करने के बाद पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय इस क्षेत्र की ओडीएफ स्थिति को बनाए रखने की दिशा में कार्य कर रहा है।
- पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय इस महीने के दौरान गंगा ग्राम स्वच्छता सम्मेलन की एक श्रृंखला आयोजित कर रहा है।

IONS की 10वीं वर्षगांठ (10th anniversary of IONS)

नौसेना प्रमुख द्वारा कोच्चि के लुलु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में 13 नवंबर, 2018 को हिंद महासागर नौसैनिक सिम्पोजियम (Indian Ocean Naval Symposium- IONS) की 10वीं वर्षगांठ के अवसर पर समारोह प्रारंभ हुआ।

- IONS भारत द्वारा फरवरी, 2008 में लॉन्च की गई अत्यंत महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा पहल है जो नौसेना पेशेवरों के बीच सूचना प्रवाह बढ़ाने की पहल करता है।

इस अवसर पर 'स्पेशल कवर' का विमोचन किया गया।

- IONS के 10वें वर्षगांठ समारोह के स्पेशल कवर में हिंद महासागर तथा हिंद महासागर क्षेत्र के तटीय देशों का मानचित्र है, जो क्षेत्र के भौगोलिक राजनीतिक महत्त्व को दर्शाता है। इसमें एक नौका का चित्रण है, जो क्षेत्र के पड़ोसियों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले प्राचीन व्यापार मार्गों तथा क्षेत्र में सामाजिक-सांस्कृतिक संपर्क वाले देशों के महत्त्व को दिखाता है।
- सदस्य देशों के राष्ट्रीय ध्वज कवर का अभिन्न हिस्सा है और यह समुद्री सुरक्षा, सद्भाव तथा क्षेत्र में विकास के समान हितों को समर्थन देता है।
- IONS वर्षगांठ समारोह में बांग्लादेश, ईरान, जापान, मेडागास्कर, मालदीव, मॉरीशस, मोजांबिक, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका तथा संयुक्त अरब अमीरात के नौसेना के प्रमुख तथा 16 अन्य IONS सदस्य देशों के वरिष्ठ प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं।

समुद्र शक्ति

12 नवंबर, 2018 को भारत और इंडोनेशिया के बीच पहले द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 'समुद्र शक्ति' की शुरुआत की गई। यह अभ्यास 18 नवम्बर तक चलेगा।

इस अभ्यास का आयोजन जावा सागर में किया जा रहा है।

- भारतीय नौसेना की तरफ से युद्धपोत 'आईएनएस राणा' इस अभ्यास में भाग ले रहा है।
- भारत और इंडोनेशिया के बीच इस साझा अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों के बीच आपसी रिश्तों को बढ़ावा देना, समुद्री सहयोग को मजबूत बनाना औऱ एक-दूसरे की श्रेष्ठ प्रक्रियाओं को अपनाना है।
- भारत और इंडोनेशिया के बीच वर्ष 2002 में शुरू हुए भारत-इंडोनेशिया सैन्य अभ्यास (Ind-Indo Corpat) के बाद यह द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास दोनों देशों की नौसेना के बीच परिचालन से संबंधित एक महत्त्वपूर्ण कदम है।
- इस साझा अभ्यास से भारत और इंडोनेशिया के बीच नौसैनिक सहयोग का एक नया दौर शुरु होगा।

नोट :

इंद्र-2018

संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में उग्रवाद से निपटने के लिये भारत और रूस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास इंद्र-2018 बबीना छावनी (झांसी) स्थित बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में 18 नवंबर, 2018 को शुरू होगा।

- इस अभ्यास में रूसी संघ की पाँचवी बटालियन और भारत की इंफैंट्री बटालियन हिस्सा लेगी। यह अभ्यास 11 दिनों तक चलेगा।
- सैन्य अभ्यास संयुक्त राष्ट्र तत्वावधान में दोनों देशों की फौजों की क्षमता बढ़ाना है, ताकि शांति स्थापना और संयुक्त रणनीतिक के क्षेत्र में सहयोग बढ़ सके।
- सैन्य अभ्यास का विषय दोनों देशों के लिये महत्त्वपूर्ण समकालीन सैन्य एवं सुरक्षा मुद्दे हैं।

फैज़ाबाद

उत्तरप्रदेश कैबिनेट ने फैज़ाबाद ज़िले का नाम बदलने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दे दी है।

- फैज़ाबाद ज़िले को अब अयोध्या के नाम से जाना जाएगा।
- ज़िले के साथ-साथ पूरे फैज़ाबाद मंडल का नाम बदलकर अयोध्या रख दिया गया है। अयोध्या मंडल में अयोध्या, अंबेडकरनगर, बाराबंकी, सुल्तानपुर और अमेठी ज़िले शामिल हैं।

जीएसएटी-29 उपग्रह

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 14 नवंबर, 2018 को संचार उपग्रह जीएसएटी-29 (GSAT-29) का सफल प्रक्षेपण किया।

- इसरो ने इस उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपने सबसे शक्तिशाली रॉकेट जीएसएलवी-एमके3-डी2 के ज़रिये लॉन्च किया।
- ISRO के अनुसार, इस संचार उपग्रह का उद्देश्य नई और महत्त्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के लिये टेस्ट बेड (परीक्षण के लिये उपकरणों से सुसज्जित एक जगह) के रूप में कार्य करना है।
- क्यू-बैंड और का-बैंड (Ku-band and Ka-band) पेलोड के माध्यम से देश के दूरदराज़ के क्षेत्रों, विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर और उत्तर-पूर्व में लोगों की संचार आवश्यकताओं को पूरा किये जाने की उम्मीद है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2018

14 नवंबर को नई दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (india International Trade Fair- ITTF) 2018 शुरू हुआ।

- भारत व्यापार संवर्द्धन संगठन (India Trade Promotion Organization- ITPO) द्वारा आयोजित यह महत्त्वपूर्ण व्यापार मेला 14 से 27 नवंबर, 2018 तक चलेगा।
- इस बार भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का साझीदार देश अफगानिस्तान और फोकस देश नेपाल है। झारखण्ड इस मेले का फोकस राज्य है।
- राज्यों, सरकारी विभागों, भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के लगभग 800 प्रतिभागी इस व्यापार मेले में भाग ले रहे हैं। इनमें बड़ी संख्या में ग्रामीण दस्तकार, शिल्पकार और SMEs उद्यमी शामिल हैं।
- मेले में भाग लेने के लिये अफगानिस्तान, चीन, हॉन्गकॉन्ग, किर्गिज़स्तान, ईरान, म्याँमार, नेपाल, नीदरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, तुर्की, ट्यूनीशिया, वियतनाम और संयुक्त अरब अमीरात ने पंजीकरण कराया है।
- इस अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा 'हुनर हाट' का का भी आयोजन किया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा दस्तकारों, शिल्पकारों को मार्किट मुहैया कराने के मिशन के तहत देश के विभिन्न भागों में आयोजित 'हुनर हाट' की श्रृंखला के क्रम में यह 'हुनर हाट' आयोजित किया जा रहा है।

नोट :

केंद्रीय और राज्य सूचना संगठनों का 26वाँ सम्मेलन

सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय की ओर से हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 15-16 नवंबर, 2018 को केंद्रीय और राज्य संगठनों का 26वाँ सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।

- इस वर्ष के सम्मेलन का मूल विषय है-'आधिकारिक आँकड़ों में गुणवत्ता आश्वासन'।
- यह सम्मेलन केंद्र और राज्य की सांख्यिकीय एजेंसियों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिये एक प्रमुख राष्ट्रीय मंच है।
- सम्मेलन के दौरान केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की ओर से मूल विषय पर अनेक पेपर प्रस्तुत किये जाएंगे।

RCEP की सातवीं अंतर-सत्र मंत्रिस्तरीय बैठक

12-13 नवंबर, 2018 को सिंगापुर में RCEP (क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी) की सातवीं अंतर-सत्र मंत्रिस्तरीय बैठक का आयोजन किया गया।

- इस बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग और नागरिक उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु ने किया।
- बैठक की अध्यक्षता सिंगापुर के व्यापार एवं उद्योग मंत्री चान चुन सिंग ने की।
- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) एक मेगा या व्यापक क्षेत्रीय मुक्त व्यापार समझौता है जिसके लिये 16 देशों के बीच वार्ताएँ जारी हैं।
- इन 16 देशों में आसियान के 10 देश (ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एवं वियतनाम) और आसियान FTA (मुक्त व्यापार समझौता) के छह साझेदार देश यथा- ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, कोरिया और न्यूजीलैंड शामिल हैं।
- अब तक छह मंत्रिस्तरीय बैठकें, सात अंतर-सत्रात्मक मंत्रिस्तरीय बैठकें और तकनीकी स्तर पर व्यापार वार्ता समिति के 24 दौर आयोजित किये जा चुके हैं।

आंग सान सू की

- हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान एमनेस्टी इंटरनेशनल ने रोहिंग्या अल्पसंख्यकों के मामलों पर म्याँमार की नेता आंग सान सू की की चुप्पी के चलते उनसे 'एम्बेसडर ऑफ कनसाइंस अवार्ड' वापिस लेने की घोषणा की है।
- आंग सान सू की को यह पुरस्कार वर्ष 2009 में दिया गया था। उल्लेखनीय है कि जब उन्हें यह पुरस्कार दिया गया उस दैरान वह अपने घर में नज़रबंद थीं।
- एमनेस्टी इंटरनेशनल से पहले कई अन्य संस्थान और देश भी उन्हें दिये गए पुरस्कार वापस लेने की घोषणा कर चुके हैं।
- कनाडा सरकार ने उन्हें ऑनोरेरी नागरिकता प्रदान की थी जिसे अब वापिस ले लिया गया है। इसके अलावा मार्च 2018 में यूएस हॉलोकास्ट ने भी उनसे 'एली विसेल' (Elie Wiesel) अवार्ड वापस ले लिया था।

सुपर-अर्थ (Super-Earth)

खगोलविदों ने सूर्य के निकटतम एकल तारे का चक्कर लगाने वाले सुपर अर्थ की खोज की है।

- सुपर अर्थ हमारे सौरमंडल से बाहर स्थित ऐसे ग्रह को कहा जाता है जिसका द्रव्यमान पृथ्वी से अधिक लेकिन बृहस्पति और शनि जैसे बड़े ग्रहों के द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम हो।
- इस सुपर अर्थ का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग तीन गुना है।
- लंदन की क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी के शोधकर्त्ताओं के अनुसार, यह चट्टानी ग्रह जिसे बर्नार्ड स्टार बी (Barnard's star b) नाम दिया गया है, एक सुपर अर्थ है जो अपने मेज़बान तारे की परिक्रमा 233 दिनों में पूरी करता है।
- नेचर नामक पत्रिक में प्रकाशित निष्कर्ष दर्शाते हैं कि यह ग्रह अपने तारे से इतनी दूरी पर स्थिर है जिसे स्नो लाइन कहा जाता है।

नोट :

- इस ग्रह की सतह का तापमान लगभग -170 डिग्री सेल्सियस होने का अनुमान है।
- अल्फा सेंटॉरी या सेंचुरी ट्रिपल सिस्टम (Alpha Centauri triple system) के बाद यह सूर्य का दूसरा निकटतम तारा है जो लगभग छह प्रकाश-वर्ष की दूरी पर स्थित है।
- सूर्य का सबसे निकटतम तारा हमारी पृथ्वी से केवल चार प्रकाश-वर्ष की दूरी पर स्थित है। प्रोक्सिमा बी (Proxima b) नामक यह एक्सोप्लैनेट रेड ड्वार्फ प्रोक्सिमा सेंटॉरी (Proxima Centauri) की परिक्रमा करता है।
- शोधकर्त्ताओं ने अवलोकन के दौरान रेडियल वेलोसिटी (radial velocity) विधि का उपयोग किया जिसके कारण बर्नार्ड स्टार बी की खोज हुई।

अरेसिबो मैसेज (Arecibo Message)

16 नवंबर, 1974 को शोधकर्त्ताओं ने पृथ्वी से बाहरी दुनिया के साथ संपर्क स्थापित करने के लिये एक रेडियो मैसेज भेजा था। 16 नवंबर, 2018 को इस प्रकार संपर्क स्थापित करने की प्रक्रिया के 44 वर्ष पूरा होने पर गूगल ने डूडल बनाकर उस दिन को याद किया है।

- यह संदेश प्यूर्टो रिको (Puerto rico) द्वीप स्थित अरेसिबो प्रयोगशाला से भेजा गया था जिसके चलते इसका नामकरण अरेसिबो मैसेज के रूप में किया गया।
- इस प्रयोगशाला से तीन मिनट का एक इंटरस्टेलर रैडियो मैसेज पृथ्वी से बाहर भेजा गया था।
- यह कुल 1,679 बाइनरी संख्याओं से बना एक मैसेज था जिसे पृथ्वी से 25,000 प्रकाश-वर्ष की दूरी पर स्थित तारों के एक समूह, एम -13 पर भेजा गया था।
- 1,679 संख्या को चुनने का कारण यह था कि यह एक सहअभाज्य संख्या (दो अभाज्य संख्याओं का गुणनफल) है। जिसके चलते इसे आयताकार रूप में 23 स्तंभों और 73 पंक्तियों अथवा 73 स्तंभों और 23 पंक्तियों द्वारा व्यवस्थित किया का सकता है।
- इस मैसेज को फ्रैंक ड्रेक नामक वैज्ञानिक ने लिखा था तथा मैसेज को लिखने में उनकी मदद अमेरिका के प्रसिद्ध खगोल विज्ञानी कार्ल सैगन ने की थी।
- यह मैसेज 7 हिस्सों में था-
  1. 1 से 10 तक संख्याएँ।
  2. हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, और फ़ास्फ़रोस की परमाणु संख्या, इन सबसे मिलकर DNA बनता है।
  3. DNA न्यूक्लियोटाइड्स में पाए जाने वाले सुगर तथा क्षार (base) का फार्मूला।
  4. DNA में उपस्थित न्यूक्लियोटाइड्स की संख्या और DNA के डबल हेलिक्स संरचना का चित्र।
  5. एक इंसान का चित्र, एक इंसान का औसत आकार और पृथ्वी पर इंसान की आबादी।
  6. सौर प्रणाली।
  7. अरेसिबो रेडियो टेलिस्कोप प्रयोगशाला का चित्र तथा संदेश भेजने के लिये प्रयुक्त एंटीने का व्यास।

पुष्कर ऊँट मेला

इसका आयोजन राजस्थान के पुष्कर शहर में किया जाता है।

- पुष्कर के ऊँट मेले की शुरुआत पवित्र कार्तिक पूर्णिमा त्योहार के दौरान स्थानीय ऊँट और मवेशी व्यापारियों को आकर्षित करने के उद्देश्य से की गई थी।
- पुष्कर एक छोटा शहर है लेकिन यहाँ कई मंदिर हैं। यह भी माना जाता है कि पूरी दुनिया में हिंदू भगवान ब्रह्मा जिन्हें श्रृष्टि का निर्माता माना जाता है, को समर्पित एकमात्र मंदिर पुष्कर में है।

नोट :

TOXIC

- अंग्रेज़ी के शब्द Toxic (टॉक्सिक) को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2018 घोषित किया गया है क्योंकि इस विशेषण का प्रयोग वर्ष 2018 में नैतिकता, मनोदशा या पूर्वाग्रह को व्यक्त करने के लिये किया गया है। इस शब्द ने 2018 में वर्ड ऑफ द ईयर के लिये अंतिम सूची में शामिल किये गए शब्दों 'Gaslighting' और 'Techlash' जैसे शब्दों को पीछे छोड़ दिया।

फिच रेटिंग

फिच रेटिंग एजेंसी ने बड़े आर्थिक मोर्चे पर जोखिमों को देखते हुए भारत की रेटिंग को फिलहाल स्थिर परिदृश्य के साथ BBB जो कि निवेश की श्रेणी में सबसे निम्न स्तर है, पर बनाए रखने की घोषणा की।

- यह लगातार 12वाँ साल है जब फिच रेटिंग ने भारत की रेटिंग को अपग्रेड करने से इनकार किया है।
- रेटिंग एजेंसी के अनुसार, भारत का वृहत् आर्थिक परिदृश्य बहुत अधिक जोखिम से भरा हुआ है और भारत की रेटिंग में सुधार न होने का कारण देश की कमज़ोर राजकोषीय स्थिति है।
- उल्लेखनीय है कि फिच रेटिंग एजेंसी की प्रतिद्वंदी एजेंसी मूडीज ने नवंबर 2017 में भारत की रेटिंग में सुधार किया था। उसके बाद से भारत सरकार फिच रेटिंग एजेंसी द्वारा भी भारत को बेहतर रैंकिंग देने की वकालत कर रही है।
- रेटिंग एजेंसी का मानना है कि कर्ज कारोबार में निम्न वृद्धि के कारण बैंकिंग और गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र के लिये अधिक परेशानी होगी।
- सरकारी क़र्ज़ सकल घरेलू उत्पाद के 70% के स्तर पर पहुँच गया है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में GST का संग्रह कम होने और आगामी चुनावों के कारण खर्च को नियंत्रित रखना आसान नहीं होगा और इस कारण से राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद अर्थात् GDP के 3.3% पर रखने के लक्ष्य को हासिल करने में कठिनाई होगी।
- फिच का अनुमान है कि भारत की वास्तविक आर्थिक वृद्धि 2017-18 के 6.7 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 7.8 प्रतिशत हो सकती है। लेकिन अगले दो वित्तीय वर्षों में वृद्धि दर घटेगी।
- वित्त वर्ष 2019-20 और 2020-21 में वृद्धि दर घटकर 7.3% के स्तर पर पहुँचने का अनुमान भी लगाया गया है।

स्टार्ट-अप इंडिया निवेश गोष्ठी

हाल ही में चीन स्थित भारतीय दूतावास ने स्टार्ट-अप इंडिया संघ और वेंचर गुरुकुल के सहयोग से पेईचिंग में दूसरी स्टार्ट-अप इंडिया निवेश गोष्ठी का आयोजन किया।

- इसका उद्देश्य भारतीय युवाओं में नवाचार और उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देना है।
- पहली बार स्टार्ट-अप इंडिया निवेश कार्यक्रम का आयोजन नवंबर 2017 में किया गया था।
- इस आयोजन के तहत चीन की उद्यम पूंजी और निवेशकों को भारत के स्टार्ट-अप से परिचित कराने का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है ताकि भारतीय स्टार्ट-अप को अपनी कंपनियों के लिये चीन के निवेशकों तक पहुँचने का अवसर मिल सके।
- इस निवेश गोष्ठी में 20 भारतीय स्टार्ट-अप से जुड़े 42 भारतीय उद्यमियों ने हिस्सा लिया और चीन के निवेशकों से अपनी कंपनियों में निवेश करने के लिये संपर्क किया। उल्लेखनीय है कि पहली स्टार्ट-अप इंडिया निवेश गोष्ठी में 12 भारतीय स्टार्ट-अप ने हिस्सा लिया था, जिनमें से 4 स्टार्ट-अप को चीन की उद्यम पूंजी की तरफ से 15 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश प्राप्त हुआ था।
- वर्तमान गोष्ठी और परिचय सत्रों में चीन के 350 से अधिक उद्यम पूंजी निधियों और निजी निवेशकों ने हिस्सा लिया।

भाप इंजन संचालित ट्रेन

17 नवंबर, 2018 को कम-से-कम दो दशकों के बाद भाप इंजन द्वारा संचालित ट्रेन हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा घाटी रेलवे की नैरो गेज लाइन पर वाणिज्यिक रूप से दौड़ी।

नोट :

- इस ट्रेन में ब्रिटिश यात्रियों का एक समूह था जो भारतीय रेलवे की विरासत का अनुभव प्राप्त करने के लिये यहाँ आया है।
- इस ट्रेन के लिये रेलवे ने ZB 66 स्टीम लोकोमोटिव को तैयार किया और इसमें दो कोच जोड़े। ZB श्रेणी के भाप इंजनों को 1950 के दशक में डिज़ाइन किया गया था।
- ट्रेन ने पालमपुर और बैजनाथ पपरोला के बीच 14 किलोमीटर की दूरी तय की। उल्लेखनीय है कि इस ट्रेन से यात्रा करने के लिये रेलवे ने प्रत्येक यात्री से लगभग 1.5 लाख रुपए वसूले।

कौमी एकता सप्ताह

सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता तथा मिली-जुली संस्कृति एवं राष्ट्रीय भावना के प्रति गर्व प्रकट करने के लिये पूरे देश में 19-25 नवंबर, 2018 तक कौमी एकता सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है।

- कौमी एकता सप्ताह सहिष्णुता, सह-अस्तित्व तथा भाईचारे के मूल्यों और सदियों पुरानी परंपराओं के प्रति संकल्प व्यक्त करने का अवसर प्रदान करता है।
- कौमी एकता सप्ताह मनाने से देश को वास्तविक और संभावित खतरों से निपटने में अपनी अंतर्निहित दृढ़ता उजागर करने का अवसर मिलता है, देश का धर्मनिरपेक्ष ताना-बाना मज़बूत होता है और सांप्रदायिक सदभाव की भावना बढ़ती है।
- सांप्रदायिक सौहार्द्र बनाए रखने के लिये गृह मंत्रालय का स्वशासी संगठन नेशनल फाउण्डेशन फॉर कम्युनल हॉरमोनी (NFCH) कौमी एकता सप्ताह के दौरान सांप्रदायिक सौहार्द्र अभियान का आयोजन करता है और 25 नवंबर को सांप्रदायिक सौहार्द्र झंडा दिवस मनाता है।
- NFCH सांप्रदायिक सौहार्द्र बनाए रखने के लिये प्रोत्साहित करता है और राष्ट्रीय एकता को मज़बूत बनाता है।

'पुलिस संचार व्यवस्था का आधुनिकीकरण और उसकी चुनौतियाँ'

'पुलिस संचार व्यवस्था का आधुनिकीकरण और उसकी चुनौतियाँ' विषय पर 19-20 नवंबर, 2018 को दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है।

- इस सम्मेलन का आयोजन समन्वय पुलिस वायरलेस (DCPW) निदेशालय (देश में पुलिस संचार व्यवस्था के लिये गृह मंत्रालय का एक नोडल सलाहकार निकाय) कर रहा है। सम्मेलन का उद्देश्य देश में पुलिस संचार व्यवस्था के विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और इसे प्रौद्योगिकी विकास के साथ आधुनिक बनाने के लिये एक मंच उपलब्ध कराना है।
- सम्मेलन में राज्य और केंद्रशासित प्रदेशों की पुलिस और CAPF के सामने आ रही संचार चुनौतियों के बारे में विचार-विमर्श किया जाएगा।
- पुलिस संचार व्यवस्था के लिये आवर्ती स्पेक्ट्रम संबंधी मुद्दों, पुलिस संचार व्यवस्था में एन्क्रिप्शन, पुलिस सुरक्षा के लिये अगली पीढ़ी/भविष्य की प्रौद्योगिकी, पुलिस दूरसंचार व्यवस्था में विभिन्न अनुप्रयोगों के लिये सॉफ्टवेयर डिफाइन्ड रेडियो को शामिल करने के बारे में भी इस सम्मेलन में चर्चा की जाएगी।
- इस सम्मेलन में सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और CAPF के प्रमुख भाग लेंगे। गृह मंत्रालय, दूरसंचार विभाग का वायरलेस योजना आयोग, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड अप्लाइड प्रयोगशाला और अन्य प्रतिष्ठित संगठनों के वरिष्ठ अधिकारी भी इस सम्मेलन में शामिल होंगे।

DCPW के बारे में

- यह विभाग 19 फरवरी, 1946 को अस्तित्व में आया था। शुरुआत में इसे 'वायरलेस इंस्पेक्टरेट' के रूप में और 1950 में गृह मंत्रालय के अधीनस्थ संगठन समन्वय निदेशालय (पुलिस वायरलेस) का दर्जा दिया गया था।

फुटपाथ एंड कंप्यूटेशनल एप्रोच

केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने 16-17 नवंबर, 2018 को 'फुटपाथ एंड कंप्यूटेशनल एप्रोच' विषय पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया।

नोट :

- इस सम्मेलन का उद्देश्य विकासशील देशों की ज़रूरतों पर विशेष ध्यान देते हुए दुनिया भर में फुटपाथ प्रौद्योगिकी और सड़क बुनियादी ढाँचा इंजीनियरिंग में हुई प्रगति पर विचार करना था।

परंबिकुलम टाइगर रिज़र्व

परंबिकुलम टाइगर रिजर्व में किये गए एक हालिया सर्वेक्षण में इस रिज़र्व में तितलियों की 221 किस्में पाई गईं, इनमें से 11 किस्में इस क्षेत्र के लिये स्थानिक थीं।

- बुद्ध पीकॉक या बुद्ध मयूरी केरल की राज्य तितली है।
- परंबिकुलम टाइगर रिज़र्व दक्षिण-पश्चिमी घाटों की अन्नामलाई और नैल्लीयम्पैथी पहाड़ियों के बीच केरल के पलक्कड़ (Palakkad) ज़िले में स्थित है।

उत्तर क्षेत्र का राजभाषा सम्मेलन

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के तत्वावधान में वर्ष 2017-18 के पहले क्षेत्रीय सम्मेलन (Official Language Conference of Northern Region) का आयोजन उत्तर-1 (North-1) एवं उत्तर-2 (North-2) क्षेत्र के क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालयों द्वारा चंडीगढ़ में आयोजित किया गया।

- इस सम्मेलन में दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड से आए केंद्र सरकार के कार्मिकों ने भाग लिया।
- इस सम्मलेन का मुख्य उद्देश्य इन क्षेत्रों में स्थित केंद्र सरकार के विभिन्न कार्यालयों, बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान करना था, ताकि संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन और प्रचार-प्रसार को बढ़ावा मिल सके।

औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली

- हाल ही में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्द्धन विभाग (Department of Industrial Policy & Promotion- DIPP) द्वारा 'औद्योगिक पार्क रेटिंग प्रणाली' (Industrial Park Rating System- IPRS) पर तैयार की गई रिपोर्ट जारी की गई।
- औद्योगिक पार्कों की रेटिंग इन 4 बिंदुओं अथवा पैमानों पर की गई है: आंतरिक बुनियादी ढाँचा, बाह्य बुनियादी ढाँचा, कारोबारी सेवाएँ व सुविधाएँ तथा परिवेश और सुरक्षा प्रबंधन।
- IPRS पर हर साल अमल करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत देश भर में फैले पार्कों को कवर किया जाएगा। इसका दायरा बढ़ाया जाएगा और इसे अपडेट भी किया जाएगा ताकि गुणात्मक आकलन से संबंधित व्यापक जानकारियों और विभिन्न तकनीकी उपायों को इसमें समाहित किया जा सके।
- इतना ही नहीं, इसका विकास एक ऐसे साधन के रूप में किया जाएगा जिससे नीति निर्माताओं एवं निवेशकों दोनों को ही मांग एवं आवश्यकता आधारित महत्त्वपूर्ण उपाय करने में मदद मिलेगी।

पृष्ठभूमि

- संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने और विनिर्माण क्षेत्र की दक्षता बढ़ाने के लिये DIPP ने मई, 2017 में औद्योगिक सूचना प्रणाली (Industrial Information System- IIS) लॉन्च की थी, जो देश भर में फैले औद्योगिक क्षेत्रों और क्लस्टरों के लिये GIS आधारित डेटाबेस है।
- यह पोर्टल कच्चे माल यथा- कृषि, बागवानी, खनिजों एवं प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता, महत्त्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स केंद्रों से दूरी, भू-भाग की परतों और शहरी बुनियादी अवसंरचना सहित समस्त औद्योगिक सूचनाओं की नि:शुल्क एवं आसान पहुँच वाला एकल स्थल केंद्र है।

नोट :

हाथियों को समर्पित देश का पहला अस्पताल

- मथुरा के चुरमुरा गाँव में पूर्ण रूप से हाथियों को समर्पित देश के पहले अस्पताल की स्थापना की गई है।
- इस अस्पताल में हाथियों के इलाज के लिये वायरलेस डिजिटल एक्सरे, थर्मल इमेजिंग और अल्ट्रासोनोग्राफी जैसी मूलभूत सुविधाएँ उपलब्ध हैं।
- हाथी संरक्षण और देखभाल केंद्र के निकट स्थित इस अस्पताल को घायल, बीमार या बूढ़े हाथियों के इलाज के लिये डिज़ाइन किया गया है और यहाँ हाथियों को उठाने के लिये चिकित्सा उत्तोलक भी (medical hoist) हैं।

डीयू टीम ने खोजे सींग वाले मेंढक

दिल्ली विश्वविद्यालय (Delhi University), यूनिवर्सिटी कॉलेज डबलिन (University College Dublin, Ireland) और नेशनल म्यूज़ियम (National Museum-UK) के जीव विज्ञानियों की एक टीम ने पूर्वोत्तर भारत के हिमालयी क्षेत्रों से सींग वाले मेंढकों (horned frogs) की चार नई प्रजातियों की खोज की है।

- टीम में डीयू के पर्यावरण अध्ययन विभाग के एस.डी बिजू भी शामिल थे, जिन्हें 'Frogman of India' के नाम से भी जाना जाता है।
- सींग वाले मेंढकों का नामकरण कुछ प्रजातियों की ऊपरी पलकों पर माँसपेशियों का सींग के सामान उभार होने के कारण किया गया है और इनकी खोज मेघालय एवं अरुणाचल प्रदेश के जंगलों से की गई है।
- वैज्ञानिकों ने सींग वाले मेंढक की चार नई भारतीय प्रजातियों को हिमालयन हॉर्न्ड फ्रॉग (Megophrys himalayana), गारो व्हाइट लिप्ड हॉर्न्ड फ्रॉग (Megophrys flavipunctata), और जायंट हिमालयन हॉर्न्ड फ्रॉग (Megophrys periosa) नाम दिया है।

विश्व धरोहर सप्ताह (World Heritage Week)

- कुछ दशक पूर्व यूनेस्को द्वारा 19-25 नवंबर की अवधि को विश्व धरोहर सप्ताह के रूप में चिह्नित किये जाने के बाद से पूरी दुनिया में 19 से 25 नवंबर तक विश्व धरोहर सप्ताह मनाया जाता है।
- इसका उद्देश्य अमूल्य धरोहरों के संरक्षण के बारे में जागरूकता को बढ़ाना और वास्तुशिल्प एवं सांस्कृतिक विरासत का जश्न मनाना है।
- भारत में अब तक यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहरों की संख्या 37 है।

मतिबाबू डिवाइस (Matibabu Device)

हाल ही में मतिबाबू डिवाइस और एप्लीकेशन को 'इंजीनियरिंग इनोवेशन के लिये अफ्रीका पुरस्कार' 2018 (Africa Prize for Engineering Innovation) के तहत प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार महाद्वीप पर इंजीनियरिंग नवाचार को समर्पित पुरस्कार है।

- मतिबाबू डिवाइस मलेरिया का पता लगाने के लिये उपयोग की जाने वाली एक गैर-संक्रमणीय (non-invasive) परीक्षण किट है।
- यह एक कम लागत वाली और पुन: प्रयोग की जा सकने वाली डिवाइस है जिसका उपयोग मलेरिया के त्वरित परीक्षण के लिये किया जा सकता है। इसे युगांडा में विकसित किया गया है।
- 'मतिबाबू' एक स्वाहिली (Swahili) भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ है 'उपचार'।
- मौजूदा परीक्षण विधियों जिनमें परीक्षण के लिये रक्त की आवश्यकता होती है, के विपरीत इस डिवाइस में परीक्षण के लिये रक्त की आवश्यकता नहीं होती है।
- इस डिवाइस को एक उँगली पर लगा दिया जाता है और 'प्रकाश तथा चुंबकत्व का उपयोग करके, प्रकाश की एक तरंग लाल रक्त कोशिकाओं के रंग, आकार और गाढ़ेपन (शरीर में मलेरिया परजीवी की उपस्थिति होने पर अक्सर ये सभी प्रभावित होते हैं) में परिवर्तन का पता लगाने के लिये उँगली को स्कैन करती है।

नोट :

- इस डिवाइस द्वारा किये गए परीक्षण का परिणाम एक मिनट के अंदर उपलब्ध होता है और इस परिणाम को डिवाइस से जुड़े मोबाइल फोन पर भेज दिया जाता है।
- इस डिवाइस की एक विशेषता यह भी है कि इसका उपयोग करने के लिये किसी प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है।
- प्रतिष्ठित टाइम मैगज़ीन में भी 'मतिबाबू' को वर्ष 2018 के 50 सर्वश्रेष्ठ आविष्कारों में शामिल किया गया है।

'रेडियो कश्मीर- इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वार'

हाल ही में 'रेडियो कश्मीर- इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वार' (Radio Kashmir – In Times of Peace & War) नामक पुस्तक का विमोचन किया गया।

- यह पुस्तक डॉ. राजेश भट्ट ने लिखी है जो कि वर्तमान में आकाशवाणी, नई दिल्ली के नीति प्रभाग निदेशालय में कार्यरत हैं। उल्लेखनीय है कि डॉ. भट्ट ने 250 से अधिक अकादमिक शोधपत्र और लेख लिखे हैं।
- 'रेडियो कश्मीर- इन टाइम्स ऑफ पीस एंड वार' नामक पुस्तक गहरे और विस्तृत शोध पर आधारित है तथा लेखक ने देश के कल्याण एवं सुरक्षा संबंधी विभिन्न मुद्दों को ध्यान में रखते हुए सरकार और जनता के हितों की सुरक्षा के लिये मीडिया द्वारा निभाई गई अहम भूमिका को रेखांकित किया है।
- वर्ष 1947 के बाद से सामाजिक और सांस्कृतिक ताने-बाने को कायम रखने में रेडियो कश्मीर महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है, जिसका उल्लेख इस पुस्तक में किया गया है।
- पुस्तक में देशवासियों की सेवा करने, खासतौर से इस क्षेत्र के लोगों की सेवा करने तथा राज्य के लोकतांत्रिक संस्थानों को मज़बूत बनाने में रेडियो कश्मीर की भूमिका का भी उल्लेख किया गया है।

सोलर बबल ड्रायर

हाल ही में वैज्ञानिकों ने सोलर बबल ड्रायर (Solar Bubble Dryer -SBD) नामक अनाज सुखाने की एक अभिनव तकनीक ओडिशा के किसानों के सामने प्रस्तुत की।

- इस तकनीक का विकास फिलीपींस स्थित अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान (International Rice Research Institute -IRRI), ग्रेनप्रो (Grainpro) (एक अग्रणी फसल बाद (post-harvest) समाधान प्रदान करने वाली कंपनी) और जर्मनी के होहेनहेम विश्वविद्यालय (University of Hohenheim) ने संयुक्त रूप से किया है।
- SBD अनाज सुखाने के लिये एक कम लागत वाली तकनीक है जिसका उद्देश्य अनाज के बिखराव, जानवर और मौसम आदि से बचाते समय धूप में अनाज सुखाने की प्रक्रिया का एक सरल और लचीला विकल्प प्रदान करना है।
- यह नई तकनीक इस प्रकार विकसित की गई है कि किसान मशीनरी को स्वयं ही विघटित कर सकते हैं तथा फिर से इसे जोड़ भी सकते हैं। इस मशीन के लिये सौर ऊर्जा और पारंपरिक बिजली दोनों से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है।

उच्च शिक्षण संस्थानों के लिये नवोन्मेष प्रकोष्ठ (Innovation Cell)

हाल ही में केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय ने नवोन्मेष प्रकोष्ठ (Innovation Cell) के अंतर्गत 'प्रतिष्ठान की नवोन्मेष परिषद' (Institution's Innovation Council-IIC) कार्यक्रम की शुरूआत की।

- मंत्रालय ने AICTE में एक 'नवोन्मेष प्रकोष्ठ' स्थापित किया है जिसका उद्देश्य देश भर के उच्च शिक्षण संस्थानों में नवाचार की संस्कृति को व्यवस्थित ढंग से प्रोत्साहित करना है।
- यह देश में नवाचार (Innovation) को संस्थागत बनाने और एक वैज्ञानिक प्रकृति विकसित करने की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम है।
- प्रतिष्ठान की नवोन्मेष परिषद (IIC) का नेटवर्क बनाने का उद्देश्य युवा छात्रों के प्रारंभिक वर्षों में उनकी अद्भुत कल्पनाओं और कार्य विधियों को प्रदर्शित करके उन्हें प्रोत्साहित, प्रेरित और विकसित करना है।
- उल्लेखनीय है कि 1000 से अधिक उच्च शिक्षण संस्थानों ने पहले से ही अपने परिसरों में IIC का गठन कर लिया है और मंत्रालय के नवोन्मेष प्रकोष्ठ द्वारा व्यवस्थित IIC नेटवर्क के लिये इन्हें नामांकित किया है।

नोट :

बिना मूविंग पार्ट्स के उड़ने वाला विमान (Plane Flying with No Moving Parts)

एक क्रांतिकारी परिवर्तन में, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (Massachusetts Institute of Technology-MIT) के इंजीनियरों ने बिना मूविंग पार्ट्स वाले विमान की प्रतिकृति (Prototype) तैयार की है और उसे उड़ाया भी है।

- नोदक (Propeller) या टरबाइन की बजा, विमान इलेक्ट्रो-हाइड्रो-डायनेमिक प्रेरण (thrust) या तथाकथित 'आयनिक हवा' (Ionic Air) द्वारा संचालित होता है जिसकी पहचान पहली बार 1960 के दशक में की गई थी।
- जब धारा दो इलेक्ट्रोड के बीच से गुज़रती है, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के स्थान में यह अधोवायु (wind) का निर्माण करती है। यदि पर्याप्त वोल्टेज का उपयोग किया जाए तो परिणामी 'आयनिक हवा' मोटर या ईंधन की मदद के बिना विमान को आगे बढ़ाने का काम कर सकती है और इस प्रकार एक छोटे विमान को ऊर्जा प्रदान कर सकती है।
- इससे पहले, BAE सिस्टम और मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने मैग्मा (MAGMA), एक छोटा मानव रहित हवाई वाहन (Unmanned Aerial Vehicle- UAV) के साथ उड़ान परीक्षणों का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया था, यह उड़ान के दौरान विमान को नियंत्रित करने के लिये फ्लैप्स को स्थानांतरित करने हेतु उपयोग किये जाने मूविंग पार्ट्स की आवश्यकता को दूर करता है।
- उल्लेखनीय है कि एक सदी पहले राइट ब्रदर्स द्वारा निर्मित दुनिया के पहले विमान के उड़ान भरने के बाद से अब तक एयरक्राफ्ट आमतौर पर प्रोपेलर्स, टरबाइन ब्लेड और पंखों जैसे मूविंग पार्ट्स की मदद से उड़ाए जाते हैं और जीवाश्म ईंधन के दहन या बैटरी पैक द्वारा संचालित होते

ओर्टोलन बंटिंग (Ortolan Bunting in India)

- हाल ही में मंगलोर में बहुत दुर्लभ ओर्टोलन बंटिंग चिड़िया की फोटो ली गई। ऐसा कहा जा रहा है कि संभवत: यह भारत में ओर्टोलन बंटिंग का पहला फोटोग्राफ रिकॉर्ड है।
- ओर्टोलन या ओर्टोलन बंटिंग (Emberiza hortulana), गाने वाली एक छोटी चिड़िया (finch-like songbirds) है जो बंटिंग परिवार से संबंधित है।
- यह चिड़िया मंगोलिया से लेकर यूरोप तक पाई जाती है और मिडिल ईस्ट होते हुए अफ्रीका तक प्रवास करती है।
- ओर्टोलन बंटिंग बहुधा मिडिल ईस्ट होकर ही प्रवास करती है किंतु प्रवास के दौरान राह भटक जाने पर यह कहीं भी रुक सकती है।
- IUCN ने संकटापन्न प्रजातियों (threatened species) की अपनी लाल सूची (red list) में ओर्टोलन बंटिंग को 'सबसे कम खतरे वाली प्रजाति (Least Concern)' के रूप में वर्गीकृत किया है।
- हालाँकि, इसे सुभेद्य (vulnerable) प्रजाति माना जाता है क्योंकि यह चिड़िया फ्रांसीसी व्यंजन में एक बहुत लोकप्रिय पकवान का केंद्र बिंदु बन गई है।
- यह कहा जाता है कि इस पकवान की प्रक्रिया ओर्टोलन बंटिंग के लिये बहुत ज़्यादा पीड़ा दायक होती है। इन्हें पकड़कर चिमटे से अँधा बना दिया जाता है और छोटे-छोटे काले बक्से में बंद कर दिया जाता है।
- इस अमानवीय शिकार और हत्या को वर्ष 1999 में गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था, लेकिन यह अब भी हो रहा है।

प्वाइंट केलिमियर की तबाही (Devastation at Point Calimere)

- साइक्लोन गज (gaza) द्वारा मचाई गई भारी तबाही के बाद प्वाइंट केलिमियर के हालात वियतनाम के उस जंगल की तबाही से मेल खाते हैं जिसे एजेंट ऑरेंज (Agent Orange) से किया गया था।
- एजेंट ऑरेंज, 1960 के दशक में वियतनाम युद्ध के दौरान वनों और फसलों को खत्म करने के लिये अमेरिकी सैन्य बलों द्वारा उपयोग किया गया एक शक्तिशाली तृणनाशक (herbicide) था।
- साइक्लोन गज के कारण होने वाले विनाश में हज़ारों पक्षियों की मृत्यु हो गई है, जिनका प्वाइंट केलिमियर अभयारण्य (sanctuary) में कभी आवास हुआ करता था। ढेरों पेड़ उखड़ गए हैं या उनकी शाखाएँ टूट गई हैं।

नोट :

- नागपट्टिनम ज़िले (तमिलनाडु) के समुद्र किनारे पर प्रसिद्ध वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य प्वाइंट केलिमियर, अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व का एक वेटलैंड (wetland) है। यह भारत में नामित 26 रामसर स्थलों (Ramsar sites) में से एक है।
- प्वाइंट केलिमियर अभयारण्य में उथला पानी, समुद्री किनारे, बालू, समुद्री किनारे पर अवस्थित जंगल, मैंग्रोव (mangroves), शुष्क सदाबहार जंगल, नमकीन लैगून (lagoons) के साथ-साथ मानव निर्मित नमक उत्पादन स्थल भी शामिल हैं।
- आमतौर पर इस अभयारण्य में ग्रेट फ्लेमिंगो (Great flamingo), पेंटेड स्टोर्क (Painted Stork), लिटिल स्टिंट (Little Stint), सीगल (Seagull) और ब्राउन-हेडल गल (Brown-headed gull) पाए जाते हैं।

क्वाड्रीसाइकिल

परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन कानून 1988 के अंतर्गत 'क्वाड्रीसाइकिल' को एक 'गैर-परिवहन' वाहन के रूप में शामिल करने की अधिसूचना जारी की है।

- क्वाड्रीसाइकिल एक ऐसा वाहन है, जिसका आकार थ्री-व्हीलर जैसा होता है, लेकिन इसमें चार टायर हैं और कार की तरह पूरी तरह ढका हुआ है।
- इसमें थ्री-व्हीलर जैसा इंजन लगा हुआ है।
- अंतिम मील तक संपर्क कायम करने के लिये यह परिवहन का सस्ता और सुरक्षित ज़रिया है।
- कानून के अंतर्गत क्वाड्रीसाकिल की केवल परिवहन के लिये इस्तेमाल की इज़ाज़त दी गई थी, लेकिन अब इसे गैर-परिवहन के लिये इस्तेमाल करने योग्य बना दिया गया है।

कालीन नगरी भदोही को मिला 'निर्यात विशिष्टता' (export excellence) का दर्जा

- पूरी दुनिया में हाथ से बने कालीनों के लिये मशहूर उत्तर प्रदेश के भदोही ज़िले को 'एक्सपोर्ट एक्सीलेंस' का टैग प्रदान किया गया है।
- भदोही को 'टाउंस ऑफ़ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस' मिलने के बाद शहर के कालीन निर्माताओं को आधुनिक मशीनों को खरीदने, बुनियादी ढाँचे में सुधार करने और वैश्विक खरीदारों को आकर्षित करने हेतु दुनिया के विभिन्न हिस्सों में मेले और प्रदर्शनियों का आयोजन करने के लिये केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता मिलेगी।
- भदोही को यह दर्जा वाणिज्य मंत्रालय के अधीन कार्यरत विदेश व्यापार निदेशालय (Directorate General of Foreign Trade - DGFT) ने प्रदान किया है।
- गंगा के किनारे पर स्थित यह छोटा सा शहर DGFT द्वारा यह दर्जा प्राप्त करने वाला 37वाँ शहर है।
- यह दर्ज़ा प्राप्त करने वाले अन्य शहरों में तिरुपुर, लुधियाना, कनूर, करूर, देवास, इंदौर, भीलवाड़ा, सूरत, कानपुर, अम्बुर, जयपुर और श्रीनगर शामिल हैं।

विदेश व्यापार निदेशालय (DGFT) के बारे में

- विदेश व्यापार निदेशालय (डीजीएफटी) वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है जिसका नेतृत्व विदेश व्यापार महानिदेशक करता है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- यह भारत के निर्यात को बढ़ावा देने के मुख्य उद्देश्य के साथ विदेश व्यापार नीति तैयार करने और कार्यान्वित करने के लिए ज़िम्मेदार है।

बकरियों में प्लेग की रोकथाम के लिये टीका

- यूके और भारत के शोधकर्त्ताओं ने संयुक्त रूप से एक 'स्मार्ट' टीका विकसित किया है जिसमें बकरियों में होने वाले प्लेग को खत्म करने की क्षमता है।

नोट :

- इस स्मार्ट टीके को ढाँचा प्रदान करने में ब्रिटिश वैज्ञानिकों का अहम योगदान है, इसे डिवा टीका (DIVA vaccine) भी कहा जाता है।
- बकरी में प्लेग या पेस्ट डेस पेटिट्स रोमिनेंट्स (PPR)एक बेहद संक्रामक वायरल बीमारी है जिससे देश के कई हिस्सों में बकरियाँ और भेड़ प्रभावित होती हैं।
- भारत के अलावा, बकरी से संबंधित प्लेग कई अफ्रीकी देशों, पश्चिम एशिया, चीन और मंगोलिया में प्रचलित है।

ग्लोबल सिटी' पहल

- हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज़ 2025 पहल में भागीदारी के लिये नोएडा और ग्रेटर नोएडा को चुना है।
- शहरों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स इंस्टीट्यूट से एक पत्र गौतमबुद्ध नगर ज़िला मजिस्ट्रेट को भेजा गया था जिसे राज्य सरकार को अग्रेसित कर दिया जाएगा।
- ये दोनों शहर उन 25 शहरों में शामिल हैं जिन्हें पाँच श्रेणियों में ग्लोबल सस्टेनेबल सिटीज 2025 पहल में भागीदारी के लिये चुना गया है।
- इस पहल के एक हिस्से के रूप में सतत विकास लक्ष्य (SDG) को साकार करने हेतु कई मिलियन डॉलर का वित्तपोषण प्रदान करने के लिये संयुक्त राष्ट्र, शहर के प्रशासन के साथ एक समझौता करेगा।
- संयुक्त राष्ट्र नोएडा में ऐसे 51 छात्रों को पीएचडी के लिये आर्थिक संरक्षण भी प्रदान करेगा जो अपने अनुसंधान के माध्यम से योजना में योगदान देंगे।

खारे पानी का मगरमच्छ

- हाल ही में आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में एक महीने के अंदर दो मगरमच्छों को देखा गया है।
- गौरतलब है कि ये मगरमच्छ आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तट तथा श्रीकाकुलम तट पर देखे गए हैं।
- खारे पानी के मगरमच्छ आमतौर पर ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं।
- ऐसे में यह कयास लगाया जा रहा है कि यह प्रजाति ओडिशा तट से प्रवास कर रही है।
- भारत में सुंदरबन तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह खारे पानी के मगरमच्छों के प्रमुख आवास हैं।
- सभी जीवित सरीसृपों में से यह मगरमच्छ सबसे बड़ा होता है जो लगभग 7 मीटर तक लंबा हो सकता है।
- यह दक्षिण-पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है।
- भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान-
- भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा के बेहतरीन जैव विविधता हॉटस्पॉट में से एक है और यह अपने हरे मैंग्रोव, प्रवासी पक्षियों, कछुए, एस्चुराइन मगरमच्छ तथा अनगिनत संकरी खाड़ियों (creeks) के लिये प्रसिद्ध है।
- भीतरकनिका ब्राह्मणी, वैतरणी, धामरा और महानदी नदी के मुहाने पर स्थित है।
- ऐसा माना जाता है कि यह उद्यान देश के 70 फीसदी एस्चुराइन या खारे पानी के मगरमच्छों का आवास है।

आदि महोत्सव (Aadi Mahotsav)

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित 'आदि महोत्सव' दिल्ली हाट, नई दिल्ली में पूरे उल्लास से मनाया जा रहा है।

- आदि महोत्सव के चौथे संस्करण का आयोजन संस्कृति मंत्रालय और ट्राइफेड के सहयोग से जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।
- यह एक राष्ट्रीय जनजातीय उत्सव है। इसे जनजातीय संस्कृति, शिल्प, व्यंजन और वाणिज्य की भावना के साथ जश्न के रूप में आयोजित किया जाता है।
- यह उत्सव 30 नवंबर, 2018 तक दिल्ली हाट, आईएनए (INA) में मनाया जाएगा।

नोट :

- इस महोत्सव में 23 राज्यों के 600 जनजातीय कारीगर, 20 राज्यों के 80 आदिवासी शेफ (chef) और 200 से अधिक कलाकारों के 14 सांस्कृतिक समूह (Cultural group) भाग ले रहे हैं।
- इस जनजातीय महोत्सव में मुख्य आकर्षण के केंद्र महुए से बना पेय (Drink), इमली की कैंडी और चटनी तथा लाख के कंगन हैं।
- इसके अलावा, इस महोत्सव में वारली, पिथौरा, गोंड और सोरा नामक चार विभिन्न शैलियों की पेंटिंग, जनजातीय वस्त्रों और सामानों का प्रदर्शन किया जाएगा।
- इस उत्सव में जनजातीय कलाकार, दस्तकार और कारीगर अपने उत्पादों को बेचकर अधिकतम लाभ अर्जित कर सकेंगे।

ट्राइफेड (TRIFED)

- बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 1984 के तहत राष्ट्रीय स्तर के शीर्षस्थ निकाय के रूप में वर्ष 1987 में भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास 'ट्राइफेड' (Tribal Co-Operative Marketing Development Federation of India Ltd. - TRIFED) की स्थापना की गई।
- बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम, 2007 के अधिनियमित होने के बाद ट्राइफेड को इस अधिनियम में पंजीकृत कर इसे राष्ट्रीय सहकारी समिति के रूप में अधिनियम की दूसरी अनुसूची में अधिसूचित किया गया।
- यह संगठन विपणन विकास और कौशल तथा उत्पादों के निरंतर उन्नयन के माध्यम से देश के जनजातीय समुदायों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।

पैसा-पोर्टल (Paisa - Portal)

हाल ही में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (Day-NULM) के तहत सस्ते क्रेडिट और ब्याज अनुदान तक पहुँच बनाने के लिये एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म, 'पैसा पोर्टल' ("Paisa – Portal for Affordable Credit & Interest Subvention Access") की शुरुआत की गई है।

- वर्ष के अंत तक सभी 35 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, आरआरबी/सहकारी बैंकों को 'पैसा' पोर्टल से जोड़ने की संभावना है।
- इलाहाबाद बैंक ने इस वेब प्लेटफॉर्म को डिज़ाइन कर विकसित किया है, जो इसका नोडल बैंक है।
- इस पोर्टल पर सेवाएँ प्रदान करने में अधिक पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित की गई है। 'Day-NULM' के तहत अनुदान का मासिक आधार पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) किये जाने से छोटे उद्यमियों को समय-समय पर आवश्यक वित्तीय सहायता उपलब्ध होगी।
- पूरे देश से राज्यों, शहरी-स्थानीय निकाय, शहर योजना कार्यालयों और बैंकों के 300 से अधिक प्रतिनिधियों ने इस कार्यशाला में भाग लिया।

संविधान दिवस (Constitution day)

26 नवंबर, 2018 को राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने संविधान को अपनाने की वर्षगाँठ के अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित संविधान दिवस समारोह का उद्घाटन किया।

- संविधान दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने कहा कि संविधान, स्वतंत्र भारत का आधुनिक ग्रंथ है। इसका स्थान सर्वोच्च है और यह धाराओं तथा नियमों/उपनियमों का संग्रह मात्र नहीं है।
- राष्ट्रपति ने कहा, "भारत के नागरिक ही संविधान के संरक्षक हैं। देश के नागरिकों में ही संप्रभुता समाहित है और नागरिकों के नाम पर ही संविधान को अंगीकृत किया गया है। संविधान भारत के नागरिकों को सशक्त बनाता है।"
- राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के अनुसार, न्याय को समाज के विकास, बदलती मान्यताएँ, जीवनशैली और प्रौद्योगिकी के व्यापक संदर्भ में देखा जाना चाहिये।
- राष्ट्रपति ने कहा कि भारत में सामाजिक न्याय के विचार को विस्तार देते हुए इसमें स्वच्छ हवा, कम प्रदूषित शहर व नदियाँ, स्वच्छता तथा हरित व पर्यावरण अनुकूल विकास जैसे आधुनिक समाज के मानदंडों को शामिल किया गया है।

नोट :

हौसला-2018 (HAUSLA-2018)

हाल ही में बाल देखभाल संस्थानों (CCIs) के बच्चों हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय बाल समारोह- हौसला-2018 का नई दिल्ली में उद्घाटन किया गया।

- इस समारोह में 18 राज्यों के बाल देखभाल संस्थानों के 600 से अधिक बच्चे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे- पेंटिंग प्रतियोगिता, खेलकूद, फुटबॉल, शतरंज प्रतियोगिता और भाषण लेखन आदि में भाग लेंगे।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर के बाल देखभाल संस्थानों के बच्चों को राष्ट्रीय मंच प्रदान करना है, ताकि वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें।
- इस तरह के कार्यक्रमों से बच्चों की देखरेख करने वाले संस्थानों के बच्चों को प्रेरणा मिल सकती है और वे अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिये राष्ट्रीय मंच तक पहुँच सकते है।
- इस कार्यक्रम का विषय 'बच्चों की सुरक्षा' (Child Safety) है।
- बच्चे विभिन्न कार्यक्रमों जैसे- वाद-विवाद, पेंटिंग, खेलकूद, फुटबॉल, शतरंज प्रतियोगिता और सुरक्षित पड़ोसी दिवस आदि विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे।

NPCC को मिनीरत्न का दर्जा

राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लिमिटेड (National Projects Construction Corporation Limited-NPCC) को भारत सरकार द्वारा "मिनीरत्न:श्रेणी-1" (Miniratna : Category –I) का सम्मानित दर्जा दिया गया है।

- NPCC को मिनीरत्न का दर्जा हासिल होने से निदेशक मंडल की शक्तियों में वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप कंपनी तेज़ी से निर्णय ले सकेगी।

मिनीरत्न कंपनी

मिनीरत्न की अवधारणा वर्ष 2002 में शुरू हुई थी। मिनीरत्न कंपनियों को संयुक्त उद्यमों में प्रवेश करने की अनुमति होती है और वे विदेशों में भी कार्यालय भी खोल सकती हैं लेकिन उनके लिये कुछ सीमाएँ निर्धारित की गई हैं। मिनीरत्न कंपनियों को दो श्रेणियों में बाँटा गया है- श्रेणी-1 और श्रेणी-2

मिनीरत्न श्रेणी- 1

मिनीरत्न कंपनी वर्ग 1 का दर्जा प्राप्त करने के लिये आवश्यक है कि कंपनी ने पिछले तीन वर्षों से लगातार लाभ प्राप्त किया हो तथा तीन साल में एक बार कम से कम 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो।

मिनीरत्न श्रेणी'- 2

कंपनी द्वारा ने पिछले तीन साल से लगातार लाभ अर्जित किया हो और उसकी नेट वर्थ सकारात्मक हो।

NPCC

- यह जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय (Ministry of Water Resources RD & GR) के प्रशासनिक नियंत्रण में अनुसूची 'बी' का एक केंद्रीय लोक-उद्यम है जिसे हाल ही में ISO 9001:2015 प्रमाणपत्र भी प्राप्त हुआ है।
- वर्ष 1957 में स्थापित इस निगम को एक प्रमुख निर्माण कंपनी के तौर पर देश के आर्थिक विकास को गति देने के लिये बुनियादी ढाँचे के निर्माण का गौरव हासिल है।
- निगम, 2009-10 के बाद से लगातार लाभ अर्जित कर रहा है और पिछले छह वर्षों से इसकी सकल आय (net worth) सकारात्मक है और इसकी महत्त्वाकांक्षी व्यापार-योजना के तहत इसे प्राप्त कार्य-आदेशों की स्थिति बढ़कर 11833 करोड़ रुपए हो गई है।

नोट :

भारतीय अंगदान दिवस (Indian Organ Donation Day)

- 27 नवंबर को देश में भारतीय अंगदान दिवस मनाया जाता है।
- इस बार 9वें भारतीय अंगदान दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राष्ट्रीय अंग व ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (National Organ and Tissue Transplant Organization- NOTTO) ने किया।
- उल्लेखनीय है कि विश्व अंगदान दिवस प्रत्येक वर्ष 13 अगस्त को मनाया जाता है।
- इस कार्यक्रम के दौरान अंगदान पर जागरूकता बढ़ाने के लिये महाराष्ट्र को सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित करते हुए पुरस्कार प्रदान किया गया।

NOTTO

राष्ट्रीय अंग व ऊतक प्रत्यारोपण संगठन (NOTTO), स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। NOTTO के निम्नलिखित दो प्रभाग है-

1. राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक निष्कासन एवं भंडारण नेटवर्क : मानव अंग प्रत्यारोपण (संशोधन) अधिनियम, 2011 के अनुसार इसे अनिवार्य किया गया है। NOTTO का राष्ट्रीय प्रभाग देश में अंगों और ऊतकों की खरीद के नेटवर्क अथवा वितरण के साथ-साथ अंगों और ऊतक दान एवं प्रत्यारोपण के पंजीकरण में सहयोग जैसी अखिल भारतीय गतिविधियों के लिये सर्वोच्च केंद्र के तौर पर कार्य करता है।
2. राष्ट्रीय बॉयोमैटीरियल केंद्र (राष्ट्रीय ऊतक बैंक) : इस केंद्र को स्थापित करने का मुख्य आधार और उद्देश्य विभिन्न प्रकार के ऊतकों की उपलब्धता व इनकी गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के साथ-साथ मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को भरना है।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) का 14वाँ स्थापना दिवस

27 नवंबर, 2018 को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority- NDMA) का 14वाँ स्थापना दिवस मनाया गया।

- इस वर्ष के लिये स्थापना दिवस की थीम 'आपदाओं के लिये पूर्व चेतावनी' (Early Warning for Disasters) थी।

NDMA की पृष्ठभूमि

- भारत के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) आपदाओं के प्रबंधन हेतु एक शीर्ष निकाय है।
- भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन के महत्त्व को राष्ट्रीय प्राथमिकता का मानते हुए, अगस्त, 1999 में एक उच्चाधिकार समिति का गठन करने एवं गुजरात भूकंप के बाद आपदा प्रबंधन योजनाओं की तैयारी के बारे में सिफारिशें करने तथा कारगर प्रशमन तंत्रों का सुझाव देने के लिये आपदा प्रबंधन पर एक राष्ट्रीय समिति का भी गठन किया था।
- दसवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में भी पहली बार आपदा प्रबंधन पर एक विस्तृत अध्याय दिया गया।
- बारहवें वित आयोग में भी आपदा प्रबंधन के लिये वितीय व्यवस्थाओं की समीक्षा करने का अधिदेश दिया।
- 23 दिसंबर, 2005 को भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम को अधिनियमित किया जिसमें प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) तथा संबंधित मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (SDMA के सृजन की परिकल्पना की गई ताकि भारत में आपदा प्रबंधन की दिशा में एक नेतृत्व स्थापित किया जाए एवं इसके लिये एक समग्र तथा एकीकृत दृष्टिकोण को लागू किया जा सके।

मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति

भारतीय रक्षा मंत्री ने 27 नवंबर, 2018 को दिल्ली में औपचारिक रूप से 'मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति' की शुरूआत की।

- रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की मौजूदा पहलों के अंग के रूप में रक्षा उत्पादन विभाग ने 'मिशन रक्षा ज्ञान शक्ति' नामक एक नई रूपरेखा शुरू की है।

नोट :

- इसका उद्देश्य स्वदेशी रक्षा उद्योग में भौतिक संपदा अधिकार (Intellectual Property Right- IPR) संस्कृति को बढ़ावा देना है।
- इस कार्यक्रम के समन्वय और कार्यान्वयन की ज़िम्मेदारी गुणता आश्वासन महानिदेशालय (Directorate General of Quality Assurance- DGQA) को दी गई है।

बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR)

- बौद्धिक संपदा अधिकार, निजी अधिकार हैं जो किसी देश की सीमा के भीतर मान्य होते हैं तथा औद्योगिक, वैज्ञानिक, साहित्य और कला के क्षेत्र में व्यक्ति (व्यक्तियों) अथवा कानूनी कंपनियों की रचनात्मकता अथवा नवप्रयोग के संरक्षण के लिये उन्हें दिये जाते हैं।

मेकेदातु बहुद्देश्यीय परियोजना को स्वीकृति

केंद्रीय जल आयोग (CWC) ने कर्नाटक सरकार की पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट (feasibility report) को स्वीकृति देते हुए कावेरी नदी पर बनने वाले मेकेदातु (Mekedatu) बहुद्देश्यीय परियोजना को प्रशासनिक मंज़ूरी दे दी है।

- इस बहुद्देश्यीय परियोजना से बिजली उत्पादन के अलावा बंगलुरू और रामानगरम ज़िलों में पीने के पानी की आपूर्ति भी किये जाने की योजना है।
- केंद्रीय जल आयोग ने कर्नाटक राज्य को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) तैयार करने को कहा है।
- फरवरी 2017 में राज्य मंत्रिमंडल ने इस परियोजना को लागू करने का फैसला किया था जिसमें रामानगरम ज़िले के कनकपुरा के पास कावेरी में संतुलित बांध का निर्माण करना शामिल है।
- उल्लेखनीय है कि मेकेदातु परियोजना को लेकर कर्नाटक एवं तमिलनाडु राज्यों के बीच विवाद है।

केंद्रीय जल आयोग के बारे में

- जल संसाधन के क्षेत्र में यह देश का एक प्रमुख तकनीकी संगठन है।
- इस आयोग को बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, नौवहन, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत विकास के प्रयोजन हेतु समूचे देश के जल संसाधनों के नियंत्रण, संरक्षण और उपभोग संबंधी योजनाओं के लिये राज्य सरकारों के परामर्श से शुरू करने, समन्वित करने तथा आगे बढ़ाने का सामान्य उत्तरदायित्व सौंपा गया है।
- इस आयोग का प्रमुख एक अध्यक्ष होता है जिसका पद भारत सरकार के पदेन सचिव के स्तर का होता है।
- आयोग के तीन तकनीकी विंग हैं, जिसमें अभिकल्प एवं अनुसंधान, जल आयोजना एवं परियोजना तथा नदी प्रबंध विंग शामिल हैं।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव- 2018 (International Film Festival of India- IFFI)

20 से 28 नवंबर, 2018 तक गोवा में 49वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (International Film Festival of India- IFFI) 2018 का आयोजन किया गया।

- इस फिल्म महोत्सव के दौरान 68 देशों की 212 फिल्में प्रदर्शित की गईं।
- प्रतिस्पर्द्धी अनुभाग (Competition section) में 22 देशों द्वारा निर्मित/सहनिर्मित फिल्मों को शामिल किया गया।
- इज़रायल इस महोत्सव में विशेष फोकस देश था जबकि झारखंड विशेष फोकस राज्य था।
- सर्गेई लोज़नित्सा द्वारा निर्देशित फिल्म डोनबास ने 49वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) में प्रतिष्ठित स्वर्ण मयूर पुरस्कार (Golden Peacock Award) जीता।
- समारोह के दौरान इस वर्ष का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार जीतने वाले विनोद खन्ना की कुछ सर्वश्रेष्ठ फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। उल्लेखनीय है कि विनोद खन्ना को यह पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया है।

नोट :

यूनेस्को गांधी पदक

- प्रवीण मोरछाले द्वारा निर्देशित 'वॉकिंग विद दी विंड' ICFT –यूनेस्को गांधी पदक जीता।
- इस पुरस्कार को इंटरनेशनल काउंसिल फॉर फिल्म, टेलीविजन एंड ऑडियो-विजुअल कम्यूनिकेशन, पेरिस और यूनेस्को ने शुरू किया है। यह पुरस्कार ऐसी फिल्म को दिया जाता है जो यूनेस्को के आदर्शों को प्रतिबिंबित करती है।

IFFI की पृष्ठभूमि

- IFFI की शुरुआत वर्ष 1952 में हुई थी।
- उस समय इसका आयोजन भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के संरक्षण मंत भारत सरकार के फिल्म डिवीज़न द्वारा किया गया था।
- भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव (IFFI) का उद्देश्य फिल्म निर्माण कला की उत्कृष्टता को दर्शाने के लिये दुनिया भर के सिनेमाघरों को आम मंच प्रदान करना है।
- IFFI एशिया में आयोजित किया जाने वाले पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह भी है।

आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (Emergency Response Support System- ERSS)

हिमाचल प्रदेश के लिये आपात प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली (Emergency Response Support System- ERSS) की शुरुआत की गई है।

- ERSS के अंतर्गत अखिल भारतीय एकल आपात नंबर (pan-India single emergency number) '112' की शुरुआत करने वाला हिमाचल प्रदेश पहला राज्य है।
- इस परियोजना के अंतर्गत पूरे राज्य को शामिल कर 12 ज़िलों के कमान केंद्र (District Command Centers- DCCs) के साथ शिमला में एक आपात प्रतिक्रिया केंद्र (Emergency Response Centre -ERC) स्थापित किया गया है।
- आपात प्रतिक्रिया केंद्र को पुलिस (100), दमकल (101), स्वास्थ्य (108) और महिला हेल्पलाइन (1090) सेवाओं से जोड़ा गया है ताकि एकल आपात नंबर – 112 के ज़रिये आपात सेवाएँ प्रदान की जा सकें।
- इस सेवा में '112 इंडिया' मोबाइल एप को भी शामिल किया गया है जिसे स्मार्ट फोन के पेनिक बटन (Panic Button) और तत्काल सहायता प्राप्त करने में नागरिकों की सुविधा के लिये ERSS राज्य वेबसाइट से जोड़ा गया है।
- आपात प्रतिक्रिया की प्रभावशीलता में वृद्धि के लिये ERC को दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा लोकेशन आधारित सेवाओं से जोड़ा गया है।
- महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये '112 इंडिया' में एक SHOUT फीचर की शुरुआत की गई है ताकि आपात प्रतिक्रिया केंद्र से मिलने वाली तत्काल सहायता के अलावा आसपास पंजीकृत स्वयंसेवियों से तत्काल सहायता मिल सके।
- SHOUT फीचर विशेष रूप से महिलाओं के लिये उपलब्ध है।
- एकीकृत आपात सेवाओं तक पहुँच के लिये देश भर में लोगों की मदद हेतु सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में '112 इंडिया' मोबाइल एप शुरू किया जाएगा।
- केंद्र सरकार ने देश भर में ERSS परियोजना के कार्यान्वयन के लिये निर्भया कोष के अंतर्गत 321.69 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।

कोंकण युद्धाभ्यास-18 (KONKAN exercise)

हाल ही में भारत और ब्रिटेन (United Kingdom) के बीच नौसैनिक अभ्यास कोंकण (KONKAN) की शुरुआत हुई।

- कोंकण युद्धाभ्यास दोनों देशों की नौसेनाओं को एक ऐसा मंच प्रदान करता है जहाँ समुद्र और बंदरगाह में समय-समय पर युद्धाभ्यास हो सके ताकि पारस्परिकता निर्मित की जा सके और बेहतरीन कार्यप्रणाली का आदान-प्रदान किया जा सके।
- कोंकण युद्धाभ्यास श्रृंखला की शुरुआत वर्ष 2004 में हुई थी।

नोट :

रेगे (Reggae) संगीत

संयुक्त राष्ट्र (United Nations) की सांस्कृतिक एजेंसी यूनेस्को (UNESCO) ने वैश्विक अमूर्त विरासत सूची (Intangible Cultural Heritage) में जमैका की रेगे (Reggae) संगीत विधा को शामिल किया है।

- इस संगीत को बॉब मार्ले जैसे कलाकारों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई।

अमूर्त विरासत

- 2003 में, यूनेस्को की महासभा ने एक अंतरराष्ट्रीय संधि के रूप में अमूर्त विरासत की सुरक्षा के समझौते को अपनाया और स्वीकार किया कि सांस्कृतिक विरासत में मात्र मूर्त स्थान, स्मारक और वस्तुएँ ही नहीं, बल्कि परंपराएँ और जीवंत अभिव्यक्तियाँ भी शामिल हैं।
- अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का अर्थ प्रथाओं, प्रतिनिधित्वों, अभिव्यक्तियों, ज्ञान और कौशल के साथ-साथ उनसे जुड़े उपकरणों, वस्तुओं, कलाकृतियों और सांस्कृतिक स्थानों से है, जिन्हें विभिन्न समुदाय, समूह और व्यक्ति अपनी सांस्कृतिक विरासत का एक भाग मानते हैं।

भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत

- कुंभ मेला, पंजाब के ठठेरा समुदाय की तम्बा और पीतल के बर्तन बनाने की परंपरागत कला, संकीर्तन (अनुष्ठान गायन, ड्रमिंग और नृत्य-मणिपुर), लद्दाख का बौद्ध ग्रंथों का मंत्रोच्चार (Buddhist chanting), छाऊ नृत्य, कालबेलिया (राजस्थान का लोक गीत और नृत्य), कुटीयट्टम (केरल का संस्कृत थियेटर), मुड़ियेत्तू, वैदिक मंत्रोच्चार की परंपरा, रामलीला, नौरोज़ (पारसी नववर्ष) और रम्माण (गढ़वाल का धार्मिक उत्सव)।

बुद्ध की 70 फीट ऊँची प्रतिमा

हाल ही में नालंदा (बिहार) के राजगीर में बुद्ध की 70 फीट ऊँची प्रतिमा का अनावरण किया गया।

- इस मूर्ति का निर्माण घोड़ा कटोरा झील के बीच में 32 मीटर व्यास वाली पीठिका (pedestal) पर किया गया है।
- इस मूर्ति के निर्माण में 45,000 क्यूबिक फीट चुनार (उत्तर प्रदेश) के गुलाबी बलुआ पत्थर (pink sand stone) का उपयोग किया गया है।
- इस मूर्ति में भगवान् बुद्ध को ध्यान चक्र मुद्रा में दर्शाया गया है।
- घोड़ा कटोरा झील पाँच पहाड़ियों से घिरी एक प्राकृतिक झील है।

नोट :

विविध

- 24 नवंबर को भारत की महिला बॉक्सर मैरी कोम ने नई दिल्ली के इंदिरा गाँधी इंडोर स्टेडियम में अपना छठा विश्व चैम्पियनशिप खिताब जीत लिया। 10वीं AIBAमहिला विश्व बॉक्सिंग चैम्पियनशिप के 48 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में उन्होंने यूक्रेन की हना ओखोटा को हराकर गोल्ड मेडल जीता। 'मेग्नीफिसेंट मैरी' नाम से मशहूर मैरी कोम छह गोल्ड मैडल जीतने वाली विश्व की एकमात्र महिला बॉक्सर बन गई हैं।
- UNEP ने सीमापार से होने वाले पर्यावरण संबंधी अपराधों से निपटने में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो को उल्लेखनीय कार्यों के लिये एशिया पर्यावरण प्रवर्तन पुरस्कार, 2018 से सम्मानित किया
- मोटर वाहन कानून 1988 के तहत 'क्वाड्रीसाइकिल' को एक 'गैर-परिवहन'वाहन के रूप में शामिल करने की अधिसूचना जारी; चार पहियों वाले क्वाड्रीसाइकिल का आकार थ्री-व्हीलर जैसा होता है और यह पूरी तरह ढका होता है
- कोलकाता के गार्डनरीच शिपयार्ड में भारतीय तटरक्षक बल के लिये स्वदेशी तकनीक से बने दो फास्ट पेट्रोल वेसल (टोही जहाज़) का जलावतरण; ICGS अमृत कौर और ICGS कमला देवी हैं इन जहाज़ों के नाम
- महाराष्ट्र विधानसभा ने खाद्य पदार्थों में मिलावट को गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध बनाने वाला विधेयक पारित किया; 6 महीने से लेकर उम्रकैद तक की हो सकती है सज़ा
- केंद्र सरकार ने अगले वर्ष जलियांवाला बाग नरसंहार के 100वें वर्ष को यादगार प्रतीक के रूप में मनाने का फैसला किया; अगले वर्ष 13 अप्रैल को खास सिक्का और डाक टिकट जारी किया जाएगा; 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुई थी यह घटना
- विदेशी पर्यटकों के लिये तैयार है बुद्धिस्ट सर्किट ट्रेन; दिसंबर के मध्य में चलने की संभावना; बौद्ध धर्म की थीम पर तैयार यह ट्रेन भारत के बौद्ध स्थलों की यात्रा कराएगी
- जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम, 1987 के तहत सरकार ने अनाजों की शत-प्रतिशत और चीनी की कम-से-कम 20 प्रतिशत पैकेजिंग जूट के बोरों में करने का निर्देश जारी किया; जूट उद्योग का विकास करना है उद्देश्य
- ज़िलों के नाम बदलने के बाद मंडलों के नाम भी प्रयागराज और अयोध्या हुए; उत्तर प्रदेश सरकार ने जारी की अधिसूचना; सरकारी दस्तावेज़ों में होगा अब यही नाम
- गुजरात में सरदार सरोवर पर वाटर एयरोड्रोम बनाने की योजना पर हो रहा है विचार; इसके अलावा साबरमती नदी, शत्रुंजय बांध और धरोई बांध पर भी बनाए जाने हैं वाटर एयरोड्रोम
- उत्तर कोरिया को शांत रखने के लिये अमेरिका और दक्षिण कोरिया 2019 में बसंत के मौसम में होने वाले वृहद् संयुक्त सैन्याभ्यास Foal Eagle का स्तर कम करने पर सहमत
- विजय कुमार देव को दिल्ली का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया; दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद पर तैनात थे विजय कुमार देव; अंशु प्रकाश थे इससे पहले दिल्ली के मुख्य सचिव
- अभिजित बोस whatsapp इंडिया के स्थानीय प्रमुख बने; फर्ज़ी खबरों पर रोक लगाने को लेकर भारत सरकार की विभिन्न मांगों में से एक मांग थी स्थानीय प्रमुख की नियुक्ति करना
- UNICEF ने बाल अधिकारों की आवाज़ उठाने के लिये लोकप्रिय गायिका नाहिद आफरीन को पूर्वोत्तर क्षेत्र का पहला यूथ एडवोकेट नियुक्त किया; समाज में बदलाव का काम करते हैं यूथ एडवोकेट
- पाकिस्तान की प्रगतिशील उर्दू लेखिका, शायरा और महिला अधिकार कार्यकर्त्ता फहमीदा रियाज़ का लाहौर में निधन; मेरठ में जन्मी फहमीना ने देशद्रोह का मुकदमा चलने के बाद भारत में निर्वासन में गुजारे थे सात साल
- इटावा घराने के मशहूर सितारवादक उस्ताद इमरत खान का अमेरिका में निधन; सितार और सुर
- बहार बजाने के लिये दुनियाभर में जाने जाते थे उस्ताद विलायत खान के भाई इमरत खान

नोट :